लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवाँ सत्र
Eleventh Session]

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

[खण्ड 44 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XLIV contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—26, मंगलवार, 1 सितम्बर, 1970/10 भाद्र, 1892 (शक)
No.—26, Tuesday, September 1, 1970/Bhadra 10, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
721. नक्सलवादियों की गतिविधियों के कारण रेलवे को हुई हानि	Loss Suffered by Railways due to Naxalite Activities	3
722. लघु उद्योग निगम तथा औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋणों पर आयकर की रियायत	Income Tax Concessions for Loans Advanced by Small-Scale Industries Corporation and Industrial Finance Corporation	3—6
723. सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में विदेशी सलाहकारों की नियुक्ति	Appointment of Foreign Consultants in Public and Private Sector Projects	6—11
725. गोरखपुर के विकास के लिये महाराजगंज तथा बांसगांव में नई रेलवे लाइनें बिछाना	Laying of New Railway Lines in Maharajganj and Bansgaon for Development of Gorakhpur	12—13
726. उड़ीसा में टायर और ट्यूब के कारखाने की स्थापना	Setting up of Tyres and Tubes Plant in Orissa	13—15
727. दिल्ली में रिंग रेलवे	Ring Railway in Delhi	15—17

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
728.	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची, के कर्मचारियों के परिवारों को मुआवजा	Compensation to the Families of Employees of H. E. C., Ranchi	17—18
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
724.	मिश्रित धातु इस्पात की मांग का अनुमान	Assessment of Demand of Alloy Steel	18—19
729.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा एक्स-रे फिल्मों का निर्माण	Production of X-Ray Films by Hindusthan Photo Films Manufacturing Company	19
730.	19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण आवश्यक सेवाएं बनाये रखने का अधिनियम (अध्यादेश) के अन्तर्गत न्यायालय में दक्षिण पूर्वी रेलवे के अनिर्णीत न्यायालय मामले	Court Cases under Essential Services Maintenance Act (Ordinance) for Participating in 19th September, 1968 Strike Pending on South Eastern Railway	19—20
731.	राजस्थान में बड़ी तथा छोटी लाइनें	Broad-gauge and Metre-gauge Lines in Rajasthan	20
732.	नई दिल्ली के लिये सीमेंट की सीमित बुकिंग	Restricted Booking of Cement for New Delhi	20—21
733.	चाय पर रेल भाड़ा	Railway Freight for Tea	21
734.	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास, वितरण और वित्तीय परिव्यय के बारे में समितियों की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Committees Re. Growth Dispersal and Financial Outlay of Industries in Backward Areas	21—22
735.	यात्री/शटल गाड़ियों में पुराने और गन्दे डिब्बे लगाना	Old and Dirty Coaches Attached to Passenger/Shuttle Trains	22—23
736.	बरास्ता चित्तौड़गढ़, उदयपुर और कोटा के बीच रेलवे सम्पर्क	Rail Link between Udaipur and Kota via Chittorgarh	23

तारां० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
737.	डनलप इण्डिया लिमिटेड की उत्पादन क्षमता का बढ़ाया जाना	Expansion of Production Capacity of Dunlop (India) Ltd.	23—24
738.	दिल्ली के नगरीय क्षेत्रों में रेलवे फाटक	Railway Crossings in Urban Areas of Delhi	24—25
739.	रेलवे उच्चाधिकारियों द्वारा रेलवे सैलूनों का प्रयोग	Use of Railway Saloons by High Railway Officials	25
740.	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में उद्योगों की स्थापना	Industries in Eastern Districts of Uttar Pradesh	25—26
741.	रेलवे प्लेटफार्मों पर फिल्म पोस्टरों के विज्ञापन लगाने की कसौटी	Criteria for Advertisement of Film Posters at Railway Platforms	26
742.	पश्चिमी बंगाल में उद्योगों को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी योजना	Incentive Scheme for Industries in West Bengal	26
743.	राजस्थान के लिये औद्योगिक लाइसेंस	Industrial Licences for Rajasthan	26–27
744.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा न लौटाया जाने वाले आवेदन-पत्र-शुल्क में वृद्धि	Increase in Non-Refundable Application Fee by National Small Industries Corporation	27—28
745.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के नये कारखाने स्थापित करना	Setting up of new Units of H. M. T.	28
746.	निर्यात प्रधान इंजीनियरी उद्योगों की मांग	Demand of Export-Oriented Engineering Industries	28—29
747.	उड़ीसा में सहायक उद्योग	Ancillary Industries in Orissa	29
748.	माल डिब्बों के उत्पादन में कमी	Low Production of Wagons	29—30
749.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के लक्ष्य	Objectives of Hindusthan Steel Ltd.	30
750.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा बुक कराये गये गेहूं से लदे माल डिब्बों को पुनः बुक करने से पूर्व रेलवे द्वारा इन्कार	Refusal by Eastern Railway to rebook Wagon Containing Wheat Booked by Food Corporation of India	30—31

विषय	Subject	पृष्ठ Pages

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

4721. एकाधिकार अधिनियम के अधीन पंजीकारों की नियुक्ति तथा फर्मों का पंजीकरण	Appointment of Registrars under Monopolies Act, and Registration of Firms	31 - 32
4722. रेलवे अधिकारियों के विदेशी दौरे	Railway Officials Visits Abroad	32
4723. राज्यों में हरिजन छात्रों के होस्टल	Hostels for Harijan Students in the States	32—33
4724. पोषाहार अनुसन्धान प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा रक्तहीनता तथा मृत्यु दर की घटनाओं का सर्वेक्षण	Survey made by Nutrition 'Research Laboratory' Hyderabad about Incidents of Anaemia and Mortality Rate	33—34
4725. नये विद्युत चालित रेलवे इंजनों का चालू किया जाना तथा रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण	Introduction of New Electric Locomotives and Electrification of Railway Lines	34
4726. पूर्व रेलवे में रेलवे सामान की चोरी	Railway Goods Stolen on Eastern Railway	34 –35
4727. भारतीय रेलवे में वर्ष 1970 के दौरान दुर्घटनाएं	Accidents on Indian Railways	35
4728. संविद् तथा नैमित्तिक श्रमिकों की स्थायी आधार पर नियुक्ति	Appointment of Contracted and Casual Labour on Permanent Basis	35—36
4729. कोका कोला निर्यात निगम द्वारा विदेश भेजा गया धन	Remittances of Coca-Cola Export Corporation	36
4730. छोटी कार के निर्माण के लिये आशय-पत्रों का जारी किया जाना	Issue of Letters of Intent for Manufacture of Small Car	37
4731. ओखला औद्योगिक बस्ती में अलाटियों को किराया-खरीद आधार पर कारखाना शेड देना	Factory Sheds on Hire-Purchase basis to Allottees in Okhla Industrial Estate	37—39

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4732.	रद्दी लोहे पर आधारित बिजली की भट्टियों के उत्पादों के मूल्य तथा वितरण पर नियंत्रण	Price and Distribution Control of End Products of Scrap-Based Electric Furnace Owners	39
4733.	रद्दी लोहा संबंधी निर्यात नीति की घोषणा	Announcement of Ferrous Scrap Export Policy	40
4734.	लोह चूर्ण की आवश्कयता	Requirement of Iron Powder	40—41
4735.	सीमेंट नियतन समन्वय संगठन का भारतीय सीमेंट निगम के साथ विलय	Merger of C. A. C. O. with Cement Corporation of India	41—42
4736.	भारतीय सीमेंट निगम में सीमेंट आवंटन समन्वय संस्था से प्राप्त किये गये कर्मचारियों के वेतन-मान	Pay Scales of Employees of Cement Allocation Coordinating Organisation Borrowed by Cement Corporation of India	42—43
4737.	चौथी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में वृत्ताकार रेलवे पुल उपरि/निचले पुल और नये उपनगरीय स्टेशनों सम्बन्धी कार्यक्रम	Programme for Ring Railway, Over/Under Bridges and New Suburban Stations in Delhi	43
4738.	विद्युत भट्टियों के मालिकों द्वारा बिना जांची हल्की इस्पात छड़ों/तथा सलाखों की बिक्री	Sale of Untested Mild Steel Bars and Rods by Electric Furnace Owners	44
4739.	मैसर्स भारत कारपेट्स लिमिटेड, नई दिल्ली के खाते	Accounts of M/s Bharati Carpets Ltd., New Delhi	44—45
4740.	डोमेस्टिक स्टील फरनेस 'स्कल स्क्रेप' का निर्यात	Export of Domestic Steel Furnace 'Skull Scrap'	45
4741.	हाजीपुर स्टेशन और यार्ड का विस्तार (पूर्वोत्तर रेलवे)	Expansion of Hajipur Station and Yard (N. E. Rly.)	45
4742.	हाजीपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) में गंडक नदी पर जगजीवन राम पुल बनाने के लिये प्राप्त की गई भूमि	Land Acquired for Construction of Jagjivan Ram Bridge over River Gandak and Hajipur (N. E. Rly.)	46

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4743.	नई दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिये मकान	Accommodation for Railway Employees in New Delhi	46
4744.	रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारियों के कर्त्तव्य	Duties of Railway Protection Force Personnel	47
4745.	टायरों के उत्पादन में कमी	Decline in Production of Tyres	47—48
4746.	छोटी कार के निर्माण के लिये आवेदकों द्वारा प्रस्तावित वित्तीय व्यवस्था	Financial Arrangements Proposed by Applicants for Manufacture of Small Car	48
4747.	छोटी कार निर्माताओं को लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences to Small Car Manufacturers	49
4748.	छोटी कार का मूल्य	Price of Small Car	49
4749.	छोटी कार परियोजना के आवेदकों के लिये निर्धारित अर्हतायें	Qualification Laid down for Applicants for Small Car Project	50
4750.	केरल में एक इस्पात कारखाने की स्थापना	Setting up of Steel Plant in Kerala	50
4751.	वस्तुओं में वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध	Ban on Forward Training in Commodities	50—51
4752.	पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य	P. M's. Statement on Mid Term Poll in West Bengal	51
4753.	मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले में एक वनस्पति तेल के कारखाने की स्थापना	Setting up of a Vegetable Oil Factory in Nimar District, Madhya Pradesh	52
4754.	भारत से कच्चे लोहे का आयात करने की जापान की इच्छा	Willingness of Japan to Import Pig Iron from India	52
4755.	क्वीलोन तथा मदुरै के बीच सूक्ष्म तरंग द्वारा संपर्क	Micro-Wave Link between Quilon and Madurai	52—53
4756.	संविधान में संशोधन करने के उद्देश्य से संविधान सभा को बुलाने का प्रस्ताव	Convening of a Constituent Assembly for Amending the Constitution	53

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4757.	क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबन्धकों का सम्मेलन	Conference of General Managers of Zonal Railways	53 55
4758.	भारत में ईटें तथा टाइल बनाने के कारखाने स्थापित करने के लिये रूमानिया के साथ करार	Agreement with Rumania for Manufacture of Bricks and Tile making Plants in India	55
4759.	मध्य प्रदेश में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं के विस्तार के लिये योजना आयोग की स्वीकृति	Expansion of Central Industrial Projects in Madhya Pradesh	55—56
4760.	केन्द्रीय जांच-ब्यूरो द्वारा भिलाई इस्पात के उत्पादनों को दक्षिण भारत में ले जाने की जालसाजी का पता लगाया जाना	Detection by C. B. I. of a Racket Re.- Diversion of Bhilai Steel Products to South India for Delivery	56
4761.	शीतल पेयों के उत्पादन के लिये कच्चे माल का आयात	Import of Raw Materials for Producing Light Drinks	56—57
4762.	गुड़ का वायदा व्यापार	Forward Trading in Gur	57
4763.	मध्य प्रदेश द्वारा बस्तर के लिये प्रस्तुत की गई विकास योजना	Development Scheme Submitted by Madhya Pradesh for Bastar	57—58
4764.	मध्य प्रदेश के आदिम जाति क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	Construction of Roads in Tribal Areas of Madhya Pradesh	58—59
4765.	राज्यों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को चुनाव सम्बन्धी कार्यों पर लगाना	Posting of Central Employees in States for Election Purposes	59
4766.	त्रिपुरा में आदिम जाति विकास योजनाओं के लिये धन का नियतन	Allocation of Funds for Tribal Development Schemes in Tripura	59
4767.	कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत लेखा परीक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंटों की निर्धारित अर्हताएं	Prescribed Qualifications of Chartered Accountants for Auditing under Companies Act	60

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4768.	गोल्डन टोबैको कम्पनी के भागीदारों को मिले लाभांश की राशि	Dividend drawn by Partners of Golden Tobacco Company	60
4769.	सौडा के हाइड्रोसल्फाइट का मूल्य	Price of Hydro Sulphite of Soda	60—61
4770.	रूरकेला उर्वरक संयंत्र का कार्य	Working of Rourkela Fertiliser Plant	62
4771.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रोजगार के बारे में प्रधान मंत्री का मुख्य मंत्रियों को पत्र	Prime Minister's Letter to Chief Ministers Re. Fmployment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	63
4772.	इम्पीरियल टोबैको कम्पनी को किप्पिग ऋण के अन्तर्गत लाइसेंस देना	Licences under Kipping Loan to Imperial Tobacco Company	63—64
4773.	रेलवे की परती भूमि का खेती के लिये आवंटन न किया जाना	Non-Allotment of Railway Fallow Land for Cultivation	64—65
4774.	शिशु कल्याण कार्यक्रम संबंधी समिति सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Committee on Child Welfare Programme	65—66
4775.	बोकारो इस्पात कारखाने के अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र	Resignation by Chairman of Bokaro Steel Plant	66
4776.	दक्षिण मध्य रेलवे में मंडावल्ली और काइकलुर स्टेशनों के बीच गुडीवडा—भिमवरम यात्री गाड़ी की एक बस से टक्कर	Collision of Gudivada-Bhimavaram Passenger Train with a Bus between Mandavalli and Kaikalur Stations (S.C. Rly.)	66
4777.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के माल के लिये विदेशी बाजार	Foreign Markets for H. M. T. Goods	67
4778.	सामान तथा पार्सलों की चोरी के कारण रेलवे को हानि	Loss to Railways due to Theft of Goods and Parcels	67

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4779.	सरकारी तथा गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनियां	Public and Private Ltd. Companies	67—68
4780.	मोटर गाड़ियों, जीपों और यात्री कारों का उत्पादन	Production of Motor Vehicles, Jeeps and Passenger Cars	68
4781.	पंजाब के पटियाला जिले के हरिजनों का सामाजिक बहिष्कार	Social Boycott of Harijans of District Patiala, Punjab	68—69
4782.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निर्माता कम्पनी द्वारा एक्स-रे फिल्मों का निर्माण	Production of X-Ray Films by Hindustan Photo Manufacturing Co.	69
4783.	डीघा और कन्टाई रोड स्टेशन के बीच रेल सम्पर्क	Rail Link between Digha and Contai Road Station	69—70
4784.	कलकत्ता में भिखारियों संबंधी समस्या	Begger Problem in Calcutta	70
4785.	पूर्वोत्तर रेलवे में टेलीप्रिंटर मशीनों का चलाया जाना	Operation of Teleprinter Machines on North Eastern Railway	70
4786.	गार्ड ग्रेड 'सी' के लिये ट्रेन क्लर्कों की पदोन्नति का कोटा बढ़ाना	Raising of Quota of Promotion from Train Clerks to Guards Grade 'C'	71
4787.	रेलवे भूमि को कृषि कार्य के लिये गैर-कृषकों को दिया जाना	Allottment of Railway Land for Cultivation to Non-Cultivators	71
4788.	अनुसंधान कार्यक्रमों के बारे में समिति का गठन	Constitution of Committee on Research Programmes	71—72
4789.	जोनल रेलवे कार्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के अवसर	Avenues of Promotion for Employees Working in Offices of Zonal Railways	72
4790.	पंजाब में ऊंची जातियों द्वारा हरिजनों का सामाजिक बहिष्कार	Social Boycott of Harijans by Upper Castes in Punjab	72
4791.	बिहार का औद्योगिक विकास	Industrial Development of Bihar	73

अता० प्र० संख्या U S O. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4792.	19´8 की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने वाले रेल कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमों का वापिस लिया जाना	Withdrawal of Prosecution Cases against Railway Employees who Participated in Token Strike of 1968	73 - 74
4793.	बिड़ला बन्धुओं द्वारा बिहार में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Bihar by Birlas	74
4794.	उत्तर रेलवे में इलाहाबाद में विद्युतीकरण परियोजना के कर्मचारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Workers of Electrification Project in Allahabad (Northern Railway)	74
4795.	अन्य क्षेत्र रेलवे में खपाये गये पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों को पदोन्नति के पूर्ण लाभ देना	Full Benefits of Promotion to Employees of North Eastern Railway Absorbed in other Zonal Railways	75
4796.	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एस्टेट का कार्य निष्पादन	Performance of Industrial Estates in West Bengal	75
4797.	दक्षिण मध्य रेलवे में सहायक वाणिज्यिक अधीक्षक (टिकट जांच) का पद	Post of Assistant Commercial Superintendent (Ticket Checking) on South Central Railway	76
4798.	अनाथालय और पालन गृह	Orphange and Palan Grihas	76—77
4799.	सिगरेटों के निर्माण के लिये तम्बाकू का आयात	Import of Tobacco for Manufacture of Cigarettes	77—68
4800.	रेलवे प्लेटफार्मों पर प्रदर्शित व्यापारिक तथा फिल्म विज्ञापनों के कारण हुई दुर्घटनाएं	Accidents due to Commercial and Film Advertisements Displayed at Railway Platforms	78
4801.	राजस्थान में रेलवे को कम भार के पत्थरों का सप्लाई किया जाना	Supply of under Weight Stones to Railways in Rajasthan	78 –79
4802.	उत्तर रेलवे, नई दिल्ली के डिवीजनल लेखा कार्यालय के पेंशन अनुभाग में मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति के मामलों के निपटाये जाने में विलम्ब	Delay in Finalisation of Death-cum-Retirement' Gratuity Cases in Pension Section of D. A. O, Northern Railway, New Delhi	79

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4803.	दिल्ली मेरठ छावनी के बीच बिना टिकट यात्रा कर रहे रेलवे सुरक्षा दल, सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे कर्मचारी	Travelling without Tickets on Delhi Meerut Cantt. Section by Railway Staff and Personnel of R. P. F. and G. R. P.	79—80
4804.	बिजली-बल्ब बनाने वाली कम्पनियों को कच्चे माल की सप्लाई	Supply of Raw Materials to Electribulb Mfg. Companies	80
4805.	जगाधरी कर्मशाला (उत्तर रेलवे) से अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Officers from Jagadhri Workshop (Northern Rly.)	80
4806.	उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Development of Small Scale Industries in Uttar Pradesh	81
4807.	नई दिल्ली में खादी भंडार की बिक्री तथा लाभ	Sale and Profit of Khadi Bhandar in New Delhi	81
4808.	बांदा-लखनऊ एक्सप्रेस रेलगाड़ी में चोरी से रेलवे को हानि	Loss Suffered by Railway due to Thefts in Banda-Lucknow Express Train	82
4809.	बांदा-कानपुर और झांसी-मानकपुर यात्री रेल गाड़ियों में से पंखों, सीट कवरों, खिड़की के शीशों की चोरी	Theft of Fans, Seat Covers, Window Panes from Banda-Kanpur and Jhansi-Manakpur Passenger Trains	82
4810.	मैसर्स धर्म सिंह राम सिंह (मोटर्स) प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ	M/s Dharam Singh Ram Singh (Motors) Pvt. Ltd., Lucknow	82—83
4811.	मैसर्स खतौली इंजीनियरिंग वर्क्स, खतौली (उत्तर प्रदेश) द्वारा माल की सप्लाई	Supply of Goods by M/s Khatauli Engineering Works, Khatauli (U. P.)	83
4812.	मैसर्स गोल्चा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s Golcha Properties (Private) Ltd.	83 - 84
4813.	गोल्चा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड	Golcha Properties (Pvt.) Ltd.	84

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4814.	गोल्चा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड के भूतपूर्व मालिकों द्वारा राजनीतिक दलों को दान	Donation to Political Parties by former Owners of Golcha Properties (Pvt.) Ltd.	84
4815.	मैसर्स गोल्चा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड	Messrs Golcha Properties (Pvt.) Ltd.	85
4816.	दक्षिण पूर्व रेलवे की हड़तालों का सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों पर प्रभाव	Effect of Strike on South Eastern Railway on Public Sector Steel Plants	85
4817.	इन्डियन लीफ टोबैको डेवेलपमेंट कम्पनी लि०	Indian Leaf Tobacco Development Company Ltd.	86
4818.	तम्बाकू के निर्यात में इंडियन लीफ टोबैको डेवेलपमेंट कम्पनी लिमिटेड का भाग	Share of Indian Leaf Tobacco Development Company Ltd. in Exports of Tobacco	86
4819.	इन्डियन लीफ टोबैको डेवेलपमेंट लिमिटेड का तम्बाकू के निर्यात में एकाधिकार	Monopoly of Indian Leaf Tobacco Development Company Limited in the Export of Tobacco	86—87
4820.	इंडियन लीफ टोबैको डेवेलपमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा तम्बाकू का निर्यात	Export of Tobacco by Indian Leaf Tobacco Development Company Limited	87
4821.	राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमिहीन अनुसूचित जातियों को मकान बनाने के लिये भूमि का नियतन	Allotment of House Sites to Landless Scheduled Castes by the States and Union Territories	87—88
4822.	चारटर्ड अकाउंटेंट जिन्हें लागत लेखाविधि कार्य दिया गया	Chartered Accountants given Cost Accountancy Work	88
4823.	जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब और हरियाणा में कराये जाने वाले उप-चुनाव	Bye-Election Pending in Jammu and Kashmir, Punjab and Haryana	88—89

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
4824.	जे०जे० कालोनी नारायना (दिल्ली) के निकट दिल्ली के बाहर की लाईन पर ऊपर का पुल	Overbridge on Delhi Avoiding Line near J. J. Colony, Naraina (Delhi)	89
4825.	पटेल नगर और दिल्ली छावनी के बीच नये रेलवे स्टेशन की मांग	Demand for New Railway Station between Patel Nagar and Delhi Cantt.	89–90
4826.	सुविधाओं संबंधी विभाग का कार्यकरण	Working of Department of Amenities	90
4827.	एकाधिकार आयोग की स्थापना	Constitution of Monopolies Commission	90–91
4828.	उत्तर रेलवे में नियुक्त किये गये ए० आई० ओ० डब्लू अधिकारियों की सेवा में हुए विच्छेद को खत्म करना	Condonation of Break in Service of A. I. O. Ws. Absorbed on Northern Railway	91
4829.	1969 में बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travelling during 1969	91–92
4830.	इलाहाबाद, कानपुर और इटावा में रेलवे विद्युतीकरण संबंधी मजदूरों की छंटनी	Retrenchment of workers of Railway Electrification at Allahabad, Kanpur and Etawah	92
4831.	हरियाणा को लोहे की माल की सप्लाई	Supply of Iron Materials to Haryana	92–93
4832.	औद्योगिक अपशिष्ट के विषैलेपन के लिये भारतीय स्टैण्डर्ड	Indian Standard for Toxicity of Industrial Waste	93–94
4833.	मोटरगाड़ियों में हानिकारक तत्व को कम करने का उपकरण	Device to reduce Harmful Substance from Auto-exhoust Fumes	94
4834.	पूर्व रेलवे में होम्यिोपैथी के अस्पतालों के लिये रेलवे अस्पताल का दर्जा	Railway Hospital Status to Homeopathic Hospitals on Eastern Railway	94–95
4835.	करनाल होकर दिल्ली और अम्बाला के बीच दोहरी रेलवे लाइन का बनाना	Construction of Double Railway Line between Delhi and Ambala *via* Karnal	95

अता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4836.	दिल्ली में रेलवे सुरक्षा बल के एक सब-इन्स्पेक्टर द्वारा पार्सल क्लर्कों को बर्बरता पूर्ण पीटा जाना	Merciless Beating of Parcel Clerks at Delhi by a Sub-Inspector of Railway Protection Force	95
4837.	जम्मु और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं	Public Sector Projects in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Delhi and Chandigarh	96
4838.	इस्पात कारखानों का कार्यकरण	Working of Steel Plants	96—97
4839.	धातु पिण्डों के उत्पादन के लिये टाटा आयरन एन्ड स्टील कम्पनी को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to TISCO for Production of Ingots	97
4840.	अगस्त 1970 में दक्षिण पूर्वी रेलवे पर लम्बी दूरी वाली गाड़ियों का बन्द किया जाना	Suspention of Long distanee Trains on South Eastern Railway	97—98
4841.	पूर्वी क्षेत्र में रेलवे में हड़तालों के कारण रेलवे राजस्व में जन दिनों की हानि	Revenue Loss to Railways and Mandays Lost due to Strikes on Railways in Eastern Region	98
4842.	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित इस्पात के फुटकर मूल्यों पर नियंत्रण	Control on Retail Prices of Constructional Steel	98—99
4843.	मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिणक विकास सम्बन्धी योजना	Scheme for Social, Economic and Educational Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of Madhya Pradesh	99
4844.	मध्य प्रदेश की इन्दौर कमीशनरी में हरिजनों के कल्याण हेतु रखी गई राशि	Funds Provided for Welfare of Harijans of Indore Commissionary in Madhya Pradesh	99

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4845.	मध्य प्रदेश में काटन मिलों के विरुद्ध जांच	Enquiry against Cotton Mills in Madhya Pradesh	100
4846.	मध्य रेलवे में कार्य कर रहे महिला कर्मचारी	Women Employees working on Central Railway	100
4847.	रेलवे लाइनों के बिछाने के कार्य में प्रगति	Progress in Laying Railway Lines	100—101
4848.	चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Industries in Public Sector during Fourth Plan	101
4849.	सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाले उद्योग	Public Sector Industries Producing Consumer Goods	101—103
4850.	निर्माताओं के पास पड़े हुए बेकार तथा अप्रयुक्त डीजल इंजन	Diesel Engines Laying Idle and Unutilized with Manufacturers	103—104
4851.	वास्तविक उपभोक्ताओं को लोहे और इस्पात का वितरण	Distribution of Iron and Steel among Actual Users	104
4852.	दिल्ली क्षेत्र (उत्तरी रेलवे) के सिगनलों और दूर संचार विभाग के कर्मचारियों के लिये निरनुमोदित ड्यूटी रोस्टर	Non Approved Duty Rosters for Signal and Telecommunications Staff in Delhi Area (Northern Railway)	104—105
4853.	बस्तर तथा अन्य स्थानों को मध्य प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण नगरों के साथ रेल द्वारा जोड़ा जाना	Linking of Bastar and other Places by Rail with other Important Cities of Madhya Pradesh	105
4854.	दिल्ली से ग्वालियर तक 'ताज एक्सप्रैस' चलाना	Introduction of Taj Express Train from Delhi to Gwalior	105
4855.	पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी परियोजनाएं	Public Sector Projects in Backward Areas	105
4856.	मैसर्स स्टेंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी	M/s Standard Drum and Barrel Manufacturing Company	106
4857.	गोल्डन तम्बाकू कम्पनी	Golden Tobacco Company	106

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4858.	रेलवे इंटरमीडियेट कालेजों में प्राध्यापक का पद	Post of Lecturer in Railway Intermediate Colleges	107
4859.	औद्योगिक बस्तियों के कार्यकरण में सुधार	Improvement in Working of Industrial Estates	107—108
4860.	लोहा तथा इस्पात उद्योग के विकास के लिये मार्गदर्शी दल की सिफारिश	Recommendations of Steering Group for Development of Iron and Steel Industry	108—109
4861.	केन्द्रीय इंजीनियरी तथा डिजाइन ब्यूरो की योग्यता के स्तर को विदेशों में मान्यता	Recognition of C. E. D. B's. Standards of Ability Abroad	109—112
4862.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को जापान से प्राप्त क्रयादेश	Supply orders Obtained by National Small Industries Corporation from Japan	113
4863.	मनीपुर में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां देना	Post-Matric Scholarships to Scheduled Castes in Manipur	113
4864.	मनीपुर के अनुसूचित आदिम जाति क्षेत्रों का विकास	Development of Scheduled Tribe Areas of Manipur	114
4865.	मनीपुर में बनी वस्तुओं की भारत तथा विदेशों में बिक्री	Commodities Produced in Manipur and Sold in India and Abroad	114—115
4866.	मनीपुर में लोहे की नालीदार चादरों का कारखाना मूल्य तथा बाजार मूल्य	Ex-factory and Market Prices of Corrugated Iron Sheets in Manipur	115
4867.	इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी और वजीर सुल्तान तम्बाकू कम्पनी द्वारा सिगरेटों का उत्पादन	Production of Cigarettes by Imperial Tobacco Company and Vazir Sultan Tobacco Company	115—116
4868.	पुनर्वेलन की रोलिंग प्रयोजनों के लिये रद्दी तथा टूटे फूटे इस्पात के नियतन और वितरण के सम्बन्ध में समान नीति	Uniform Policy for Allocation and Distribution of Scrap and Defectives for Re-rolling purposes	116

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4869.	भारतीय रेलवे पर 'रूट रिले इन्टरलार्किंग' तथा 'मोइक्रोवेव' व्यवस्था	'Route Relay Interlocking' and 'Micro-wave' Systems on Indian Railways	116—117
4870.	हिन्दू वैयक्तिक विधि में संशोधन	Changes in Hindu Personal Laws	117
4871.	भारत में विदेशी (गैर-बैंककारी) कम्पनियां	Foreign (Non-Banking) Companies in India	117—119
4872.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अधिकारियों और उनके सहायक उद्योगों के बीच समन्वय का अभाव	Lack of Co-ordination between H. M. T. Authorities and Anciallary Units	119—120
4873.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के प्रबन्ध निदेशक द्वारा विदेशों की यात्रा	Foreign Visits by Managing Director of H. M. T.	120
4874.	शीशा और तांबा ऊंचे दर पर क्रय करने के कारण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को हुई हानि	Loss to H. M. T. due to Purchase of Lead and Copper at Higher Rates	121
4875.	विदेशों में कार्य कर रहे हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के बिक्री अधिकारी और अभिकरण	H. M. T. Sales Officers and Agencies Functioning Abroad	121
4876.	क्षतिपूर्ति दावों सम्बन्धी आर०बी० लाल समिति पर किया गया व्यय	Expenditure Incurred on R. B. Lal Committee on Compensation Claims	121
4877.	उत्तर रेलवे पर ग्रेड 1 के मैकेनिकल सिगनल मेन्टेनर	Mechancial Signal Maintainers Grade I on Northern Railway	121
4878.	तेज चलने वाली रेलगाड़ियों के लिये बिजली के नये इंजन	New Electric Locomotive for High Speed Trains	121
4879.	सोनपुर से डी०एम०ओ० के पद का वाराणसी डिवीजन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में स्थानान्तरण)	Transfer of the Post of D. M. O. Sonpore to Varanasi Division (Northeast Frontier Railway)	121—122

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4880.	सिगरेट कम्पनियों की पूंजी तथा अस्तियां	Capital and Assets of Cigarette Companies	123
4881.	रेलवे अधिकारियों को सुविधा पास (प्रिविल्ज पासिस) और सुविधा टिकट आदेश (पी०टी०ओ०) पर यात्रा करने की सुविधा	Facility of Travel to Railway Officers on Privilege Passes and P. T. Os	123—125
4882.	11-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकारियों द्वारा सलूनों का प्रयोग किये जाने पर प्रतिबन्ध	Restricted use of Saloons by Officers under 11-Point Programme	125—126
4883.	मंगलौर स्टेशन का नवीकरण और माल गोदाम तक एक सीधी लाइन का निर्माण	Re-Modelling of Mangalore Station and a Direct Line to the Goods-Shed	126
4884.	अपेक्षाकृत छोटे उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना	Delicensing of Smaller Industries	126—127
4885.	दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तें	Service Conditions of Employees of Delhi Social Welfare Advisory Board	127
4886.	रेलवे में "श्रेणी 1 के अन्तर्गत अवर्गीकृत राजपत्रित संवर्ग" का बनाया जाना	Creation of "Unclassified Gazetted Cadre under Class I Service" in the Railways	127—128
4887.	अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाना जाना	Confirmation of Temporary Staff	128
4888.	अस्थायी अधिकारियों की अधिक वेतनमान वाले पदों पर पदोन्नति	Promotion of Temporary Officers to Higher Grades	128—129
4889.	इस्पात उत्पादन के लक्ष्य	Steel Production Targets	129
4890.	रेलवे कर्मचारियों के लिये आरक्षण पर प्रतिबन्ध लगाना	Restricted Reservation for Railway Staff	129—130
4891.	जयपुर को बड़ी लाइन के साथ मिलाना	Connecting Jaipur with Broad-Gauge Line	

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4892.	रेलवे में सहायक चिकित्सा अधिकारियों (विशेषज्ञों) के लिये पदोन्नति के अवसर	Avenues of Promotion of A. M. Os. (Specialists) on Railways	130—131
4893.	राजपत्रित छुट्टियों को कार्य करने के बदले रेलवे के डाक्टरों को मुआवजा	Compensation to Railway Doctors in Lieu of Working on Gazetted Holidays	131
4894.	सहायक सर्जनों तथा पुराने सहायक चिकित्सा अधिकारियों की श्रेणियों का केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के आधार पर पुनर्गठन	Re-organisation of Cadres of Assistant—Surgeons and Old A. M. Os on the Pattern of C. H. S.	131—132
4895.	रेलवे में उच्च ग्रेडों के लिये आशुलिपिकों का चयन	Selection of Stenographers on Railways for Higher Grade	132
4896.	भारतीय रेलवे के आशुलिपिकों के लिये आवास	Residential Accommodation to Stenographers of Indian Railways	132—133
4897.	कोटा (पश्चिमी रेलवे) में रेलवे कर्मचारियों के लिये औषधालय	Dispensary for Railway Employees at Kota (Western Railway)	133
4898.	मोटरगाड़ियों पर कर-भार	Tax Load on Automobiles	133—134
4899.	विजयवाड़ा डिवीजन (दक्षिण-मध्य रेलवे) के इंजीनियरिंग विभाग में नियुक्त नैमित्तिक कर्मचारियों को कम भुगतान	Low Payment to Casual Workers Employed in Engineering Department of Vijayawada Division (South-Central Railway)	134—135
4900.	बंगलौर और मैसूर के बीच रेल कार का चलाया जाना	Running of Rail Car between Bangalore and Mysore	135
4901.	मैसूर और चामराज नगर (दक्षिण रेलवे में) के बीच तेज गति से चलने वाली गाड़ियां	High Speed Trains between Mysore and Chamarajanagar (Southern Railway)	136
4902.	नंजमगुड के निकट काबीनी नदी पर रेलवे पुल	Railway Bridge over Kabini River near Nanjangud	136
4903.	लघु उद्योगों को इस्पात बिलेटों की सप्लाई	Supply of Steel Billets to Small Scale Industries	136—137

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4904.	दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को सहायता	Grants to Delhi Social Welfare Advisory Board	137
4905.	गंटूर से हैदराबाद (दक्षिण-मध्य रेलवे) तक बड़ी लाइन	Broad Gauge Line from Guntur to Hyderabad (S. C. Rly.)	138
4906.	गुन्टूर-मचेरला (दक्षिण मध्य रेलवे) छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Guntur-Macherla Metre Gauge Line into Broad Gauge (South Central Railway)	138
4907.	रेलवे द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले कोयले तथा डीजल का बेकार जाना	Leakage in use of Coal and Diesel by Railways	139
4908.	भारतीय रेलों में जोनवार कर्मशियल क्लर्कों, टिकट कलक्टरों, यात्रा टिकट निरीक्षकों, स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की कुल संख्या	Commercial Clerks, Ticket Collectors, Travelling Ticket Examiners, Station Masters/Assistant Station Masters on Indian Railways	139—140
4909.	रेलवे वर्कशाप, जगाधरी (उत्तर रेलवे) में काम के घण्टे	Working hours in Jagadhari Railway Workshop (Northern Railway)	140
4910.	भारतीय रेलों में डाक्टरों के पदों को भरना	Filling up of Posts of Doctors on Indian Railways	140
4911.	तकनीकी जानकारी की मांग को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति	Government's Policy to Meet Demand for Know-how	141
4912.	संयुक्त संयन्त्र समिति के पास अग्रिम जमा करना	Deposit of Advance with Joint Plant Committee	141—143
4913.	सिगनल विभाग, दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में छुट्टी रिजर्व	Leave Reserve in Signal Department, Delhi Division (Northern Railway)	143

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ Pages
4914. पश्चिम रेलवे के कुछ स्टेशनों पर ब्रेक डिब्बे की देखभाल के लिये बुकिंग क्लर्क की आवश्यकता	Booking Clerk required to Attend Brake Van on Certain Stations (Western Railway)	143—144
4915. बिलिमोरा (पश्चिम रेलवे) में पार्सल कार्यालय के लिये अतिरिक्त कर्मचारी	Additional Staff for Parcel Office, Bilimora (Western Railway)	144—145
4916. अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के कुछ 'बी' ग्रेड के ड्राइवरों की पदावनति	Reversion of Certain 'B' Grade Drivers of Ajmer Division (Western Railway)	145—146
4917. दक्षिण, पूर्व और उत्तर रेलवे वाणिज्यिक क्लर्क	Commercial Clerks on Southern, Eastern and Northern Railways	147
4918. भारतीय रेलवे में हड़ताल	Strikes on Indian Railways	147
4919. इस्पात बिलेट के निर्माण के लिये लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences for Manufacture of Steel Billets	147- 148
4920. त्रिवेन्द्रम से नागरकोइल होकर तिरुनेलवेल्लि और नागरकोइल से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण	Survey for Railway Lines from Trivandrum to Tirunelveli via Nagercoil and from Nagercoil to Kanya-Kumari	148
5 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8510 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Correcting Statement to Unstarred Question No. 8510 dated 5-5-1970	148—149
व्यवस्था के प्रश्न के बारे में	Re. Point of Order	149
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	149
बिहार तथा देश के अन्य भागों में सूखे की स्थिति के समाचार	Reported drought Conditions in Bihar and other Parts of the Country	149—150
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Smt. Tarkeshwari Sinha	150—151
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	151—153
"इंडियन नेशन", पटना के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege Against the "Indian Nation" Patna	154

विषय	Subject	Pages
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	154
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence from the Sittings of the House	156
कार्यवाही सारांश	Minutes	156
सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति	Leave of Absence from the Sittings of the House	157
याचिका समिति	Committee on Petitions	157
आठवां प्रतिवेदन	Eight Report	157
इंडियन एयर लाइन्स के विमान की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Accident to Indian Airlines Aircraft	157
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	157—158
जांच आयोग (संशोधन) विधेयक	Commissions of Inquiry (Amendment) Bill	158
संयुक्त समिति के लिये सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of Members on the Joint Committee	158
भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियों और सेवा की शर्तें) विधेयक	Controller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Bill	159
संयुक्त समिति के लिये सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of Members of the Joint Committee	159
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विधेयक	Central Excises Bill	159—160
प्रवर समिति के लिये सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of Members on the Select Committee	159—160
संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक	Constitution (Twenty-Fourth) Amendment Bill	160
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	160
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	162—166
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	166—170
श्री अमृत नाहटा	Shri Amrit Nahata	170—171
श्री श्रीराज मेघराज जी धरंगधरा	Shri Sriraj Meghrajji Dhrangadhra	171—175

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	175—176
श्री डांगे	Shri S. A. Dange	176—178
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav	178—179
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	179—180
श्री राजदेव सिंह	Shri Raj Deo Singh	180—181
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	181—183
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohtgi	183—184
श्री० जी० भा० कृपलानी	Shri J. B. Kripalani	184—186

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 1 सितम्बर, 1970/ 10 भाद्र, 1892 (शक)

Tuesday, September 1, 1970/Bhadra 10, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नक्सलवादियों की गतिविधियों के कारण रेलवे को हुई हानि

*721. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नक्सलवादियों की गतिविधियों के कारण रेलवे को गत एक वर्ष में कितनी हानि हुई ;

(ख) क्या पिछले कुछ दिनों में हावड़ा से तथा हावड़ा तक रेलवे यातायात इस कारण लगातार ठप्प रहा ; और

(ग) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने रेलवे सम्पत्ति की हानि और रेलवे के आहातों में हिंसात्मक घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे की कहां तक सहायता की ?

रेलवे मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री रोहनलाल चतुर्वेदी) : (क) नक्सलवासियों की सीधी गतिविधियों के कारण रेल सम्पत्ति को लगभग 5,159 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने कई बार रेल-सम्पत्ति को नुकसान से बचाने और रेल परिसर में हिंसात्मक घटनाओं की रोकथाम करने में रेलों की सहायता की ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आप किस प्रकार से इस बात का अनुमान लगाते हैं कि नक्सलवादी कौन है ? नक्सलवादी की क्या परिभाषा है ?

श्री सु० कु० तापड़िया : हम शुरू से यह कहते आ रहे हैं कि सरकार देश भर में और विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में नक्सलवादियों द्वारा पहुँचाई गई हानि का मूल्यांकन कम करती रही है। इस उत्तर से फिर एक बार स्पष्ट हो जाता है कि सरकार किस प्रकार सदन और देश को गुमराह करने का प्रयत्न कर रही है। मेरे मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध प्रत्यक्ष हानि से बिल्कुल नहीं था जिसके विषय में अभी मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है। प्रश्न नक्सलवादी गतिविधियों के कारण हुई हानि के सम्बन्ध में था अतः मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह इस बात का स्पष्ट उत्तर देंगे कि नक्सलवादी गतिविधियों से, जिनके कारण गाड़ियाँ तथा यातायात के अन्य साधन अपने निर्धारित समय पर न चल सके, कितने प्रतिशत फासले पर सवारी गाड़ियां नहीं चल सकीं और कितने प्रतिशत फासले पर माल नहीं ढोया जा सका। क्या मंत्री महोदय इस वर्ष के पहले आठ महीनों तथा पिछले एक वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : मैं यह बता देना चाहता हूं कि दिए गए आंकड़ों का सम्बन्ध प्रत्यक्ष हानि से है। निःस्सन्देह कुछ हानि परोक्ष रूप से भी हुई है किन्तु रेलवे सम्पति अथवा रेलवे परिसरों को हानि पहुँचाने वाली ये गतिविधियां केवल मार्च 1970 से आरम्भ हुई हैं अतः मैं अभी परोक्ष हानि के आंकड़े देने की स्थिति में नहीं हूँ।

श्री सु० कु० तापड़िया : महोदय, अब आपने स्वयं देख लिया है। इस बात का भी समाचार छपा है कि नक्सलवादियों और अन्य लोगों द्वारा अपने यात्रियों को रेलगाड़ी के टिकट देने के लिए कुछ गैर सरकारी रेलवे टिकट जारी करने के लिये निजी बूथ भी खोले गए। इससे भी परोक्ष हानि हुई है। किन्तु जैसाकि मन्त्री महोदय ने कहा कि वह इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं है, मैं रेलयात्रियों के हित में यह जानना चाहता हूँ कि रेलवे द्वारा दूर संचार सुविधा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की सहायता आदि के रूप में किस प्रकार की सावधानियां ली गई हैं जिससे कि गाड़ियों के देर से चलने, इनके रहने अथवा किसी अन्य प्रकार से फंसे, यात्रियों को तंग न किया जा सके अथवा किसी के द्वारा गम्भीर स्थिति में न डाला जा सके।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मामले का सम्बन्ध है हम भरसक प्रयत्न कर रहे है कि यात्रियों को गाड़ियों के रोके जाने अथवा किसी अन्य कारण से कोई कठिनाई न हो और न ही उन्हें किसी अन्य प्रकार से असुविधा हो। हमने राज्य सरकार को भी लिखा है। रेलवे सुरक्षा दल भी पूरी तरह से सावधान है और जहां आवश्यकता पड़ती है हम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की भी सहायता लेते हैं।

श्री रणजीत सिंह : परोक्ष हानि प्रत्यक्ष हानि का सीधा परिणाम है और जब प्रत्यक्ष हानि के विषय में जानकारी है तो यह कैसे सम्भव है कि परोक्ष हानि के विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : जैसाकि मैंने पहले भी कहा कि ये नक्सलवादी गतिविधियां केवल मार्च 1970 से ही आरम्भ हुई हैं और मुख्यतः ये रेलवे की तीन शाखाओं अर्थात् पूर्वी रेलवे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे इन तीन लाइनों पर केन्द्रित रही। अब पूर्वोत्तर रेलवे में भी इश्तहारों और प्रचार की सूचना मिली है। अतः इस समय, जबकि घटनाओं का आरम्भ

केवल मार्च में ही हुआ है माननीय सदस्यों को अप्रत्यक्ष हानि के वास्तविक आंकड़ों को बतलाना कठिन है। किन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूँ जैसे ही मुझे वह आंकड़े प्राप्त होंगे मैं निश्चय ही उन्हें प्रस्तुत करूंगा।

श्रीमती इला पालचौधरी : क्या मन्त्री महोदय को इस बात की सूचना है कि नक्सलवादियों द्वारा न केवल गाड़ियों को रोका जाता है बल्कि एक बार गाड़ी रोके जाने पर पानी के कनेक्शन को भी बीच में काटने का प्रयत्न किया जाता है फलस्वरूप गाड़ियों में पानी नहीं मिलता। इस स्थिति को सुधारने के लिये आप क्या कर रहे हैं ? दूसरे रेलवे स्टेशनों की दीवारें नक्सलवादियों द्वारा माओवादी नारों से रंग दी गई हैं किन्हीं स्टेशनों पर लाल झंडे तक लहरा दिए गये हैं ; इनसे निपटने के लिये भी क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : मैं इस विषय में कुछ सूचना देना चाहता हूं। जहां तक इश्तहारों का सम्बन्ध है उन्हें हटाने के लिये वस्तुतः आदेश दे दिये गये हैं और राज्य की पुलिस इन इश्तहारों को, माल अथवा रेल गाड़ी के डिब्बों पर से, अथवा जहां कहीं ऐसा कुछ लिखा मिल जाये, हटाने में सहयोग दे रही है।

डा० रानेन सेन : यद्यपि मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि केवल मार्च 1970 से ही नक्सलवादी गतिविधियों से रेलवे को हानि हो रही है किन्तु क्या यह सच नहीं कि समाज विरोधी तत्वों ने सारे देश के रेल यातायात को, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र को इससे कहीं अधिक नुक्सान पहुँचाया है, यदि हाँ तो क्या यह भी सच नहीं कि कुछ लोग इन समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों को छिपाने हेतु नक्सलवादियों की आड़ लेकर रेल-यातायात को क्षति पहुंचा रहे है।

श्री नन्दा : मैं मानता हूं कि कुछ समाज विरोधी तत्व अवश्य विद्यमान हैं भले ही उनमें राजनीतिक पुट न हो किन्तु नक्सलवादी सर्वाधिक समाज विरोधी तत्व हैं। हमें नक्सलवादियों की गतिविधियों के विषय में जानकारी है क्योंकि वे स्वयं को नक्सलवादी बतलाते रहते हैं। वे स्टेशनों पर जाते हैं, विद्यालयों और अन्य भवनों में जाते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के चित्र बनते हैं। इसलिए अधिक हानि नहीं।

श्री ीचन्द गोयल : कुछ समय पूर्व प्रधान मन्त्री ने नक्सलवादी गतिविधियों के विरोध में किए जाने वाले प्रतिरोध आन्दोलन की ओर संकेत किया था। क्या नक्सलवादियों अथवा अन्य समाज विरोधी तत्वों द्वारा की गई तोड़-फोड़ की कार्रवाइयों के फलस्वरूप हुई हानि के लिये राज्य सरकारों द्वारा अथवा उस क्षेत्र के लोगों द्वारा मुआवजा देने सम्बन्धी सुझाव को लागू किया जायेगा ताकि नक्सलवादियों की गतिविधियों को कुचलने हेतु प्रतिरोध आन्दोलन को प्रोत्साहित किया जा सके ? क्या उस क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : यह एक सुझाव है हम इस पर विचार करेंगे ?

Income-Tax Concessions for Loans Advanced by Small-Scale Industries Corporation and Industrial Finace Corporation

*722. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be pleased to state :

(a) the concessions given for income-tax purposes in respect of the loans advanced by the Small-Scale Industries Corporation and that by the Industrial Finance Corporation, separately ;

(b) whether Government propose to remove the variation in such concessions with a view to promoting small-scale industries ; and

(c) if so, the action taken so far or proposed to be taken in this regard ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री श्री (मं० र० कृष्ण) : (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-जे के अन्तर्गत "टैक्स से छूट" संबंधी लाभों के प्रयोजनों के लिए औद्योगिक उपक्रम में लगी पूंजी का निर्धारण करने में भारत के औद्योगिक वित्त निगम से दीर्घावधि पर लिए गये ऋण को भी ध्यान में रखा जाता है। ऐसे ऋण भी समवाय (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की सूची 2 के प्रयोजनों के लिए आधार पूंजी का अंग है। तथापि, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड से प्राप्त ऋणों पर यह सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं।

(ख) और (ग). नैशनल लघु उद्योग निगम लिमिटेड से हाल ही में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निगम द्वारा दिये गये ऋणों को भारत औद्योगिक विकास निगम द्वारा दिये गये ऋणों के समान समझा जाना चाहिये। यह अभ्यावेदन सरकार के विचाराधीन है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon. Minister has said in his reply that the representation is under consideratipn. By what time a final decision will be taken thereon. As regards the Scale of industries the hon. Minister has himself admitted that the industries with an investment upto Rs. 7.5 lakhs fall in the category of small scale industries, those with an investment upto Rs. 25 lakhs are closed as medium scale industries and those above with an investment of even Rs. 25 lakhs are large scale industries. May I know whether Government propose to give relaxation in various taxes such as sales tax, excise duty etc. in order to promote small scale industries ?

श्री मं० र० कृष्ण : इसका सम्बन्ध लघु उद्योगों से है। लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों के समान स्तर पर व्यवहार करने का प्रस्ताव बैंकिंग विभाग के विचाराधीन है।

कुछ माननीय सदस्य : कब तक ?

श्री मं० र० कृष्ण : माननीय सदस्यों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। उद्योग द्वारा हाल ही में अभ्यावेदन दिया गया है और सरकार ने बिना किसी विलम्ब के इसे बैंकिंग विभाग को भेज दिया है। मेरा विचार है शीघ्र ही कोई निर्णय कर लिया जाएगा। यह कोई सामान्य निर्णय न होकर उलझा हुआ निर्णय है अतः कुछ समय लगेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : If any small scale industry is in need of raw material and wants to have import licence it is asked to produce a certificate of having paid the income-tax assessed. Even after that is furnished considerable time is lost in obtaining I. V. C. number. The Department dealing with this is seeking with corruption and that is why the applicants are thrown from pillar to post before they can get a licence. Two or three conditions have been imposed in this regard. May I know whether the Central Government is prepared to delegate the power of issuing I. U. C. nnmber to the State agencies ?

श्री मं० रं० कृष्ण : हमारा प्रयत्न लघु-उद्योगों में वृद्धि करने का है । देश में इस समय पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या 1,84,000 है, और इतनी ही संख्या अपंजीकृत लघु-उद्योगों की है । लघु उद्योगों को आरम्भ करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती । कच्चा माल और मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए भरसक प्रयत्न किया जाता है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति कम से कम समय में की जाए ।

Shri Hukam Chand Kachwai : My question has not been answered. It is difficult to obtain a licence for the import of raw material because of which there is great difficulty in in.porting the raw material. One has to wait for years before one can obtain the I. V. C. number Shri Dinesh Singh is present in the house he should explain why this delay is caused.

श्री मं० र० कृष्ण : हमने लघु उद्योगों के लिए काफी आयात की अनुमति दी है । वैदेशिक व्यापार मंत्रालय भी आयात करता है । हमने भी लघु उद्योगों के लिए 10 करोड़ रुपये का इस्पात आयात किया है । ऐसे छोटे उद्यमियों की सहायता के लिए जिन्होंने लघु उद्योग आरंभ किए हैं पहले ही उदार नीति बनी हुई है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : There is lot of delay in obtaining the I. V. C. number even after the submission of "no-income tax arrear certificate".

श्री मं० र० कृष्ण : माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया है कि आई० वी० सी० क्या है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत जो कुछ था वह उन्होंने बता दिया है ।

An Hon. Member : Mr. Dinesh Singh wants to reply.

The Minister of Industrial Development and Internal Trade (Shri Dinesh Singh) : The hon. Member has said that the State agencies should be authorised to issue licences for the import of raw material from abroad for small scale industries. Even today the State Director of Industries are dealing with this. On the other hand there is demand that there should be Central Government offices for facilitating the supply of raw materials to them.

श्री एस० एम० कृष्ण : मुझे आशा है कि सरकार इस तथ्य को समझती है कि हमारे जैसे विकासशील देश में औद्योगिक क्रांति लघु उद्योगों को प्रोत्साहन और प्रेरणा देने से ही आ सकती है । पिछले एक वर्ष से लघु-उद्योगों को सहायता देने की बात मात्र मृगतृष्णा और नारा बन कर रह गई है । मैं जानना चाहता हूँ कि इस बात को दृष्टि में रखते हुये क्या सरकार लघु उद्योगों के सम्पूर्ण ढांचे तथा उनकी आवश्यकताओं और कठिनाईयों की पूरी जांच के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस ओर कुछ ध्यान देगी ।

अध्यक्ष महोदय : आयोग किस उद्देश्य के लिए ?

श्री एस० एम० कृष्ण : लघु उद्योगों के मामले की जाँच के लिये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सीमित है ।

श्री मं० र० कृष्ण : किसी उच्च शक्ति प्राप्त समिति की आवश्यकता नहीं क्योंकि लघु उद्योगों से सम्बद्ध कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनी हुई है और वे मामले की जांच कर रहे हैं। कच्चे माल में एक दो वस्तुओं की कमी है जिसके लिये आवश्यक प्रबंध कर लिया गया है।

Shri Tulshidas Jadhav : In view of the fact that the import of machinery required by the small scale industry takes a lot of time, sometimes 3 to 4 years to materialise, with the result industry cannot be started, may I know whether Government will consider to minimise the time log at each stage.

श्री मं० रं० कृष्ण : जब हम मशीनरी बाहर से मंगाते हैं तो उसमें विलम्ब होना अनिवार्य है क्योंकि हमें इन वस्तुओं को उन सरकारों द्वारा दिए गये ऋणों के विरुद्ध आयात करना है। उन सरकारों ने कुछ शर्तें रखी हैं जिनका पालन मशीनरी मंगाने के समय करना होता है।

श्री लोबो प्रभु : इस प्रश्न का सम्बन्ध लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों और अन्य छूटों से है जिन्हें केवल औद्योगिक वित्त निगम द्वारा नहीं बल्कि बैंकों द्वारा भी दिया जाता है। लघु उद्योगों के लिए ब्याज की दर 7.5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिये क्या उपाय किये गये हैं? यह सर्वविदित है कि पार्टियां न्यून दर पर ब्याज उपलब्ध होने पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से 3 प्रतिशत पर उधार लेती है अतः वस्तुतः निर्धारित दरों पर लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ऋण की उपलब्धता को लेकर नहीं किया गया था।

श्री लोबो प्रभु : अगर वह ऐसा करेंगे तो यह अच्छा होगा।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में विदेशी सलाहकारों की नियुक्ति

723. **श्री समर गुह** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में परियोजनाओं के निर्माण के लिये वर्ष 1968-69, 1969-70 तथा चालू वर्ष के दौरान कितने विदेशी सलाहकार नियुक्त किये गये तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) विदेशी सलाहकारों की नियुक्तियां करते रहने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में परामर्श देने संबंधी कार्य में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) औद्योगिक एककों द्वारा कुछ वेतन स्तरों तक रखे गये गैर भारतीय कर्मचारियों की संख्या के आंकड़े तो वर्षानुवर्ष के आधार पर रखे जाते हैं, किन्तु सरकार इन आंकड़ों को विभिन्न

शीर्षकों, जैसे परामर्शदाता, तकनीशियन तथा प्रबन्धक अथवा विभिन्न अवस्थाओं जैसे निर्माणावस्था, परिचालन अवस्था तथा इसी प्रकार के अन्तर्गत नहीं रखती।

(ख) ऐसे कुछ मामलों में, जिनमें विदेशी वित्तीय हिस्सेदारी अथवा तकनीकी सहयोग होता है, जानकारी दिये जाने के लिये परामर्शदात्री निहित होती है, विशेषकर ऐसी अवस्था में जबकि परियोजना अभी अपनी प्रारंभिक निर्माणावस्था में हो। यही सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में भी होता है। अब तो सरकार सभी संबंधित मामलों में ऐसा आदेश दे रही है कि वे यथासंभव नई परियोजनाओं के बनाने में भारतीय परामर्शदाताओं का ही सहयोग ले और साधारणतया केवल उन मामलों में ही जहां अपेक्षित भारतीय परामर्शदात्री उपलब्ध नहीं है। विदेशी परामर्शदाताओं को रखने की अनुमति दी जाती है।

(ग) परामर्शदात्री सेवा के मामले में सरकारी तथा गैर सरकारी, दोनों क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि से सरकार ने कई परामर्शदात्री संगठनों की स्थापना की है जैसे इन्जीनियर्स इन्डिया, भारत उर्वरक निगम, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का तकनोलोजिकल कन्सलटेन्सी ब्यूरो तथा हिन्दुस्तान स्टील का केन्द्रीय इन्जीनियरी तथा डिजाइन ब्यूरो/सरकार भारत में विभिन्न क्षेत्रों में परामर्शदात्री संगठनों की स्थापना को भी सक्रिय रूप से प्रोत्साहन दे रही है।

श्री समर गुह : महोदय, मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर कुछ अजीब सा है, क्योंकि आज कल न केवल अपने देश के लिये अपितु संसार भर के देशों के लिये दक्षता जानकारी विशेषज्ञता तथा तकनीकी आर्थिक एवं प्रबंध विकास हेतु परामर्शदाता सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। परियोजनाएं बनाई जा रही हैं और प्रथम डिजाइन परामर्शदाताओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। हमारे देश को यह भी ज्ञात है कि न केवल बोकारो संयंत्र एवं गोवा उर्वरक संयंत्र के लिए अपितु कई अन्य औद्योगिक परियोजनाओं में भी विदेशी परामर्शदाताओं को नियुक्त किया जा रहा है। परन्तु सरकार का उत्तर यह है कि विदेशी अथवा भारतीय परामर्शदाताओं की कोई सूची इसके द्वारा नहीं रखी जाती।

इस प्रश्न का महत्व इस बात में है कि हमारे लगभग 56,000 इन्जीनियर बेरोजगार हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप जानकारी दे रहे हैं। कृपया प्रश्न पूछें।

श्री समर गुह : जब तक मैं इस की भूमिका न बताऊंगा यह नीरस सैद्धांतिक प्रश्न प्रतीत होगा। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश में इस समय लगभग 56,000 अर्हता प्राप्त इन्जीनियर बेरोजगार हैं क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार ने न केवल उपरोक्त अपितु अन्य सभी मामलों में आर्थिक तकनीकी और प्रबन्ध विषयक परामर्शदाता सेवा का क्या विकास किया है या ऐसा करने का विचार है, जिससे कि हमारे इन्जीनियरों को ठीक ढंग से नौकरी मिल सके?

श्री मं० र० कृष्ण : सरकार का यह प्रयास है कि जहां तक संभव हो भारतीय परामर्शदातृ सेवाओं को वरीयता दी जानी चाहिए। इस संबंध में सुस्पष्ट अनुदेश हैं...

श्री पीलु मोडी : प्रश्न।

श्री मं० र० कृष्ण : इस सम्बन्ध में सरकार के सुस्पष्ट अनुदेश हैं...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य मुझे पहले अपना उत्तर पूरा कर लेने दें। इस बात का पता लगाने हेतु कि हमारी चालू तथा भावी प्रायोजनाओं के लिए किस सीमा तक भारतीय परामर्श सेवाएं उपलब्ध हैं, योजना आयोग ने भी इस प्रश्न पर विचार किया है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के द्वारा परामर्श सेवाएं प्राप्त करने के सम्बन्ध में उद्योग मंत्रालय द्वारा दिए गए अनुदेश बहुत स्पष्ट हैं और उनका पालन किया जा रहा है।

श्री समर गुह : यदि विदेशी परामर्शदाताओं को नियुक्त किया जाता है, चाहे यह बोकारो इस्पात संयंत्र में हो या किसी अन्य परियोजना में, तो ये विदेशी परामर्शदाता अपने देश की भू-भौतिक परिस्थितियों को विचार में रख कर हमारे देश के बारे में सोचते हैं, उदाहरणतया रूसी परामर्शदाताओं ने जब यहां कि एक प्रायोजना का डिजाइन तैयार किया तो उन्होंने उसके प्राक्कलन बहुत ऊंचे रखे। एक भारतीय उपक्रम ने उन्हें 60 करोड़ रुपये कम कर दिया। रूसी डिजाइन में हिमपात के लिये भी व्यवस्था थी, क्योंकि रूस में हिमपात होता है। इन तथ्यों को विचार में रखते हुये मैं यह जानना चाहता हूँ कि बोकारो इस्पात संयंत्र या गोया उर्वरक संयंत्र में और हाल ही में प्रारम्भ की गई सरकारी क्षेत्र की कई अन्य प्रायोजनाओं में विदेशी परामर्शदाता क्या केवल इस कारण नियुक्त किये गये थे कि भारतीय परामर्शदाता उपलब्ध नहीं थे या किसी अन्य कारण से और यदि हां, तो वे कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : जहां तक बोकारो के लिये परामर्शदातृ सेवा का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि माननीय सदस्य दस्तूर एन्ड कम्पनी की ओर निर्देश कर रहे हैं और इस विषय पर कई अवसरों पर इस सदन द्वारा विचार हो चुका है।

श्री समर गुह : महोदय, प्रश्न के अधिकतम महत्वपूर्ण भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने गोवा उर्वरक तथा अन्य प्रायोजनाओं का उल्लेख किया है और सरकार ने हाल ही में कई विदेशी परामर्शदाता नियुक्त किए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि वे परामर्शदाता कौन हैं और किस कारण से उन्हें नियुक्त किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कठिनाई यह है कि आप प्रश्न की सीमा के भीतर सीमित नहीं रहते। प्रश्न पिछले दो वर्षों एवं चालू वर्ष के भीतर नियुक्त किए गये विदेशी परामर्शदाताओं की संख्या के संबंध में है। सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। आपको विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहिये।

श्री समर गुह : प्रश्न का पहला भाग गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र और आत्म-निर्भरता की ओर निर्देश करता है। दूसरे भाग में यह पूछा है कि विदेशी परामर्शताओं को क्यों नियुक्त किया गया है ? मेरा अनुपूरक प्रश्न कैसे सम्बद्ध नहीं है ? मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ें। मेरा प्रत्येक शब्द सम्बद्ध है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रत्येक माननीय सदस्य को अपने आप यह निर्णय करना है कि जो कुछ वह कहता है क्या वह सम्बद्ध बात है तो मेरे यहाँ पर बैठने का क्या उपयोग है। यह एक सामान्य प्रश्न था, न की विशिष्ट प्रश्न। आप सामान्य ढंग से उन्हें उत्तर दें।

श्री दिनेश सिंह : आपने तथ्यों को ठीक ढंग से बताया है यह सामान्य प्रकृति का प्रश्न था और हमने इस संबन्ध में सरकारी नीति बता दी है। माननीय सदस्य गोवा उर्वरक के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रश्न पूछ सकते थे। और इसका उत्तर दिया जा सकता था। मैं यह बता दूं कि इस देश में न केवल गैरसरकारी क्षेत्र की एक सौ से अधिक परामर्शदातृ कम्पनियां हैं परन्तु सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां भी हैं उर्वरक के लिए भारतीय उर्वरक निगम तथा "फिडो" है। परन्तु कभी कभी स्वयं उनके पास भी पर्याप्त विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं होती और शिल्प-ज्ञान का बाहर से आयात करने या उन्हें सहयोग देने के लिए बाहर से प्रशिक्षित व्यक्ति बुलाने की हम उन्हें अनुमति देते हैं। इसी प्रकार इन्जीनियर्स इन्डिया लि०, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग आदि जैसी परामर्शदाता कम्पनियां हैं। इनका विकास किया जा रहा है और भारतीय परामर्शदाता सेवाओं को रोजगार देने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : माननीय मन्त्री के इस वक्तव्य का अधिक से अधिक भारतीय कम्पनियों को परमर्शदातृ सेवा के क्षेत्र में सरकार प्रोत्साहन दे रही है, स्वागत करते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह सच है कि टाटा, बिरला, महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा, किर्लोस्कर आदि जैसी कई एकाधिकार वाली कम्पनियों ने हाल ही में इस देश में परामर्शदातृ कम्पनियां स्थापित की हैं और यदि हां, तो यह एकाधिकार कम्पनियां क्या यह सिफारिश करने की स्थिति में हैं कि उनकी सम्बद्ध कम्पनियों से उपकरण खरीदे जाएं तथा क्या इस क्षेत्र में पहिले ही से काम कर रहे, अन्य भारतीय उद्यमकर्ताओं की तुलना में वे फटीदर की बोली दे सकने की स्थिति में हैं। इसे रोकने के लिए कि ये एकाधिकार वाली कम्पनियां अपने हितों को और अधिक न बढ़ा पाये क्या कोई उपचारी उपाय किये जा रहे हैं।

श्री दिनेश सिंह : मेरे पास यहां एक सौ से अधिक भारतीय परामर्शदातृ कम्पनियों की सूची है। मैं यह नहीं बता सकता कि इनमें से कितनी कम्पनियां सीधे एकाधिकार कम्पनियों से सम्बन्धित हैं। मेरा विश्वास है कि टाटा की एक परामर्शदाता कम्पनी है और विभिन्न अन्य बड़े औद्योगिक गृहों की भी अपनी परामर्शदाता कम्पनियाँ हैं। इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि क्या वे अपनी सम्बद्ध कम्पनियों से मशीनरी खरीदने की सिफारिश करते हैं मुझे खेद है कि मैं बता नहीं सकता, परन्तु मेरा विचार है कि कभी कभी वे ऐसा कहते हैं और ऐसी बात है जिसे सरकार रोक नहीं सकती। मान लें कि गैर सरकारी क्षेत्र की एक कम्पनी गैर सरकारी क्षेत्र की दूसरी कम्पनी को सलाह देती है, यह निर्णय करना उनका अपना कार्य है कि देश में से क्या और कहां से उन्होंने कुछ खरीदना है। जहां तक आयात का संबन्ध है वह भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विनियमित किया जाता है। जहां तक नये लाइसेंस देने का संबन्ध है उसमें हम यह सुनिश्चित करते हैं कि अधिक से अधिक पुर्जे और अवयव घरेलू उद्योग को नियत किये जायें और उनके निर्माण का कार्य बड़े उद्योगों को सौंपा जाये।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सरकार यह जानती है कि पिछले पांच से छह वर्षों के दौरान विदेशी विशेषज्ञों की संख्या 3500 तक बढ़ गई है जिसमें केवल 300 गैर सरकारी क्षेत्र में हैं और 1700-1800 से अधिक सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं ? माननीय उप-मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए इन अभिकरणों की स्थापना भारत के लिए शिल्प-वैज्ञानिक स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु सरकार जिनका विकास कर रही है, कहां तक सफल रही है ? क्या सरकार ने इस समस्या की गहरी जांच की है और क्या सरकार यह जानती है कि इन अभि-करणों की विद्यमानता के बावजूद कुछ इस प्रकार की व्यापारिक कम्पनियां और सरकारी संस्थाएं एवं अधिकारी हैं जिनके सम्बंध विदेशी अभिकरणों के साथ हैं और भारत सरकार की सद-भावनाओं और प्रयासों के होते हुए जो अधिक विदेशी विशेषज्ञों को यहाँ बुलाना चाहते हैं ? क्या सरकार ने इसकी जांच की है और यदि नहीं तो क्या वह इसकी जांच करेगी ?

श्री मं० र० कृष्ण : भारतीय कम्पनियों में विदेशी विशेषज्ञों की संख्या एक समय वास्तव में बहुत थी परन्तु अब यह कम हो गई है । इस संबंध में मैं केवल एक संख्या बताऊंगा । 2000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले अंग्रेज, अमरीकी, जापानी सभी मिलाकर कुल 1544 विदेशी विशेषज्ञों में से अंग्रेज़ विशेषज्ञों की संख्या 1158 है जो कि लगभग 75 प्रतिशत है । सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में 1111 विशेषज्ञ हैं और इनमें से अधिकतर लगभग 61 प्रतिशत, रूस से है । चेकोस्लोवेकिया, स्वीडन, डेनमार्क तथा विभिन्न अन्य देशों से शेष संख्या है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विदशी विशेषज्ञों की संख्या कहां तक बढ़ी है या कम हुई है ?

श्री म० र० कृष्ण : 5000 रुपये प्रतिमास से अधिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों की संख्या में वास्तव में थोड़ी ही वृद्धि हुई है परन्तु 5000 रुपये से कम वेतन पाने वाले व्यक्तियों की संख्या में कम हुई है ।

श्री श्रद्धाकर सूपाकर : सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के सम्बन्ध में जिनमें सरकार ने बड़ी प्रगति की है और जहां ये 10 वर्ष से भी अधिक समय से कार्य कर रही है, इस बात के लिए कि विदेशी परामर्शदातृ सेवा के स्थान पर सरकारी क्षेत्र की परामर्शदातृ सेवा स्थापित की जाये, सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

श्री मं० र० कृष्ण : गैर सरकारी एवं सरकारी दोनों क्षेत्रों में जब भी इन लोगों के सेवा काल को बढ़ाया जाना होगा इन्हें सरकार की अनुमति लेनी होगी और इस बात को सिद्ध करना होगा कि विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें निश्चित रूप से आवश्यक हैं । सरकार जब पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होगी तभी उन्हें आने दिया जायेगा अन्यथा नहीं ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मेरा प्रश्न पूर्णतया भिन्न था । मेरा प्रश्न यह था : सरकारी क्षेत्र में विदेशी परामर्शदातृ सेवा के स्थान पर स्वदेशी परामर्शदातृ सेवा स्थापित करने के विचार से सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं ?

श्री दिनेश सिंह : हमने जो परामर्शदातृ सेवाएं गठित की हैं उनके ब्यौरे मैंने अभी

दिये थे । इस समय जो भी विदेशी परामर्शदातृ सेवायें हैं धीरे धीरे ये सेवाएं उनका स्थान ले लेंगी ।

श्री कर्तिक उरांव : प्रश्न विदेशी परामर्शदातृ सेवाओं के विचार का है । वास्तव में इन विदेशी परामर्शदाता सेवाओं का चाहे यह कितनी भी लुभावनी न हो, हमारे इन्जीनियरों पर योग्यता में जो संसार में किसी से कम नहीं, हमेशा अवरोधी तथा उत्साह घटाने का प्रभाव होता है । यह कहना है कि विदेशी इन्जीनियर भारतीय इन्जीनियरों से अच्छे हैं, केवल मनोवैज्ञानिक बात है । मैं जब इन्गलेंड में हिन्कले पाइंट अणु शक्ति स्टेशन में जो कि संसार में आणविक बिजली का सबसे बड़ा स्टेशन है, कार्य कर रहा था तो किसी डिजाइन पर मेरे हस्ताक्षर अन्तिम बात थी परन्तु जब मैं भारी इन्जीनियरी निगम में कार्य कर रह था तो उन्होंने मेरे प्रवर के रूप में एक विदेशी विशेषज्ञ को नियुक्त करना चाहा । यहां और विदेश के बीच यही अन्तर है । सरकार से मैं यह जानना चाहूँगा कि पर्याप्त तकनीकी जानकारी को विकसित करने के लिए क्या कोई निर्धारित आयोजित प्रयास किया जा रहा है और यदि हां तो किस तिथि तक विदेशी परामर्शदातृ के भूत को सरकार के सर से हटाया जाएगा ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि उद्योगों को विदेशी विशेषज्ञों से स्वतंत्र होकर कार्य करने की अनुमति अब कब देने वाले हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि वहां से छोड़कर संसद में आने को आपने उन्हें बाध्य क्यों किया ?

श्री दिनेश सिंह : यहां पर भी और देश के लिए वे बहुत उपयोगी कार्य कर रहे हैं ।

जहां तक उनके प्रश्न का संबंध है माननीय सदस्य की इस बात से मैं पूर्णता सहमत हूं कि भारतीय इन्जीनियर संसार में किसी से कम नहीं और अवसर दिये जाने पर न केवल इस देश में अपितु अन्य देशों में भी वे आगे बढ़े हैं प्रश्न जो उत्पन्न होता हैं वह आधुनिक शिल्प विज्ञान जानकारी का है जिसके लिए कुछ विकास अपेक्षित है । हम सभी आत्म-निर्भर होना चाहेंगे । माननीय सदस्य को मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि विदेशी विशेषज्ञों को बुलाने में जहां तक सरकार का सम्बन्ध है कोई लुभावनापन नहीं है । परन्तु जब बड़ी गवेषणा और विकास की बात आती है, हमारे विदेशी सत्ता के अधीन रहने के कारण जिस संबन्ध में देश में कई वर्षों तक कुछ नहीं हुआ तो संसार में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान जिसे हम यहां ला सकते हैं, उससे अपने उद्योगों को वंचित रखना हमारे लिए ठीक नहीं होगा । उसके पश्चात अपने आप को आधुनिक रखने की बात है । तकनीकी जानकारी के निरन्तर आयात पर ही हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए । अन्यथा अत्याधिक विकसित देशों में भी कुछ सीमा तक तकनीकी जानकारी का आयात होता है क्यों कि कोई कुछ नया आविष्कार किसी दूसरे देश में होता है जो कि अब किये जा रहे कार्य में महत्वपूर्ण वृद्धि होता है । अत जहां एक बड़े भारतीय आधार को सभी प्रोत्साहन देने और निर्माण करने के लिए हमें प्रत्येक कदम उठाना चाहिए वहां इस विषय में आदान-प्रदान भी हमेशा रहेगा । और भी भारतीय विशेषज्ञ, भारतीय परामर्शदातृ कम्पनियां बाहर के अन्य देशों में कार्य कर रही है । यह बात नहीं कि तकनीकी जानकारी का केवल हम आयात ही कर रहे हैं अपितु हम इसका निर्यात भी कर रहे हैं ।

Laying of New Railway Lines in Maharajganj and Bansgaon for Development of Gorakhpur

*725. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in the Daily newspaper 'Aj' dated the 5th February, 1970 wherein a demand has been made for laying Railway lines in Maharjganj and Bansgaon with a view to develop Gorakhpur; and

(b) if so, the action being taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri R. L. Chaturvedi) : (a) The attention of this Ministry has not been specifically invited to this particular news item.

(b) Due to paucity of funds and lack of adequate traffic justification, it will not be possible to consider the construction of the suggested rail link at present. Development of road transport facilities may be a cheaper and a better alternative in such cases.

Shri Molahu Prasad : The hon. Minister has stated that attention as this Ministry has not been specifically invited to this particular news item. I could not understand his idea underlying the term 'specific'. In case his Ministry's attention could not go to the newspaper of 5th February, could it also not go to the notice to this question given 21 days in advance.

In reply to part (b), the hon Minister has stated that "due to paucity of funds and lack of adequate traffic justification, it will not be possible to consider the construction or the suggested rail link at present". May I know whether as the Ministry conducted the necessary survey to assess the traffic justification or otherwise and if not, the basis of Hon'ble Minister's reply ruling out justification for the rail link ?

Shri R. L. Chaturvedi : This subject was considered on receipt of the question notice from the hon. Member. No survey was conducted in this regard. Even without a survey we can say that 80 km. railway line between Maharajganj and Bansgaon will cost approximately Rs. 5.5 crores. Survey was not considered necessary.

Shri Molahu Prasad : Justification can not be decided upon without the survey report. Guess work is not always accurate. Then how can he give a reply on the basis of a guess.

My second question is that the Hon'ble Minister in his reply has stated that development of road transport facilities may be a cheaper and better alternative. May I know whether you will bring this to the notice of the U. P. Government and also render financial assistance from your side ?

My third question relates to the rail link between Sahjanwan and Dohrighat. Will the Hon'ble Minister consider this demand keeping in view the fact that commercially Railways will not be in deficit and there will be facilities for the people ?

Shri R. L. Chaturvedi : The hon. Member wants that Railway line should be laid. The Hon. Member is also aware of our open policy in this behalf. Rs. 83 crores have been earmarked in the Fourth Plan for this purpose, out of which Rs. 55 crores will be spent on the carried over works, i.e., construction works of new line already undertaken. How can we meet so many demands out of the remaining Rs. 28 crores ? We have to give priority to those lines where density of passenger traffic or lot of goods traffic is high.

Shri Molahu Prashad : Can the Hon'ble Minister give an assurance for conducting a survey ? Facts of that place can not be ascertained without a survey.

Shri R. L. Chaturvedi : I am sorry that it will not be possible to conduct this survey as we already have so many surveys in hand.

Shri Jharkhande Rai : Will the Hon'ble Minister State whether Government will set up a high powered commission to look into the demands of Gorakhpur and other Districts of Eastern U. P. pertaining to the conversion of narrow gauge into broad gauge and construction of broad gauge where there is no line.

Shri R. L. Chaturvedi : Mr. Speaker, there is an accepted policy for the conversion of metre gauge into broad gauge or construction of a new line. Hon'ble Member might be knowing, as already stated by Nandaji, a proposal for the conversion of some three thousand km. railway line is under consideration and survey from Lucknow to Gorakhpur and also from Banaras has been conducted, we also want to consider the increasing traffic requirements and we are considering them as and where such requirements are increasing. After decision on the survey is taken it will be decided as to which line should be taken up and when.

Shri Abdul Ghani Dar : Demand of the hon'ble Member pertains to the Gorakhpur Railway line. I want to know whether Defence Department requested the Railway Ministry reg. for the construction of a strategic Railway line along the border. The hon. Minister stated that remaining Rs. 28 crores will be spent on the basis of priorities. Will you consider it in the contest of national defence ?

Shri R. L. Chaturvedi : Mr. Speaker, any demand for a strategic line from the Defence Ministry is immediately met by us. That has nothing to do with this. But I may inform that no such demand for this area has so far been received from Defence Ministry.

उड़ीसा में टायर ग्रौर ट्यूब के कारखाने की स्थापना

*726. **श्री दे० ग्रमात** : क्या ग्रौद्योगिक विकास तथा ग्रान्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर ट्यूब का एक कारखाना स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुग्रा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था ग्रौर उसे ग्रन्तिम रूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ग्रौद्योगिक विकास तथा ग्रान्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) ग्रौर (ख). मोटर गाड़ियों के टायरों व ट्यूबों के उत्पादन हेतु एक ग्रौद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए ग्रौद्योगिक विकास निगम, उड़ीसा से प्राप्त प्रस्ताव पर उड़ीसा सरकार की सिफारिशें जून, 1970 में प्राप्त हुई थीं। यह प्रस्ताव तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त हुए ग्रन्य प्रार्थना पत्र लाइसेंस समिति के विचाराधीन हैं।

श्री दे० ग्रामत : ग्रादिवासियों के निवास स्थान उड़ीसा को योजना ग्रायोग ने ग्रौद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में से एक माना है। भारत सरकार ने ग्रोटोमोबायल टायर तथा ट्यूब

बनाने हेतु विभिन्न उद्यमकर्ताओं से प्रार्थनापत्र आमंत्रित किये थे। तदनुसार, उड़ीसा सरकार ने लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के लिए औद्योगिक विकल्प निगम (Industrial Development corporation) जोकि पूर्णतः एक शासकीय उपक्रम है, के प्रार्थनापत्र की सिफारिश की है। महोदय आखिरकार बहुचर्चित छोटी मोटर परियोजना को सरकार ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है। तो क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी क्या दिक्कतें तथा कठिनाइयां हैं जिनके कारण टायर तथा ट्यूब बनाने सम्बन्धी उड़ीसा सरकार की सिफारिशों पर भारत सरकार गौर नहीं कर रही।

श्री मं० रं० कृष्ण : माननीय सदस्य इस बात के लिये बहुत उत्सुक हैं कि छोटी मोटर परियोजना के चालू होने से पहले इस बात का आश्वासन मिल जाना चाहिये कि टायर तथा ट्यूब तैयार हो जावेंगे। उड़ीसा सरकार ने दो प्रार्थनापत्रों पर सिफारिश की है। एक तो शासकीय उपक्रम से है और दूसरी निजी क्षेत्र से। तीसरा प्रार्थनापत्र एक अन्य व्यक्ति से है। ये सब बातें लाईसैंसिंग कमेटी के विचाराधीन हैं और शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा।

Shri Meetha Lal Meena : Son of Orissa Chief Minister Shri R. N. Singh Dev has applied......

श्री दे० अमात : मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि प्रधान मन्त्री के सुपुत्र श्री राजीव गांधी, जो छोटी मोटर बनाने की आकाँक्षा रखते हैं। की तरह मुख्य मन्त्री के सुपुत्र श्री आर० आर० सिंह देव टायर तथा ट्यूब बनाने के लिये प्रार्थी नहीं है। मुख्य मन्त्री के सुपुत्र श्री आर० आर० सिंह देव न तो आकांक्षी हैं और न ही प्रार्थी। मेरा प्रश्न यह है। माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वे लाइसेंस पर तीन महीनों के अन्दर ले लेंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि इस अवधि के अन्दर-अन्दर निर्णय लिया जावेगा ?

श्री मं० रं० कृष्ण : मन्त्री महोदय ने विभागों को निर्देश दे दिये हैं कि तीन महीनों के अन्दर अन्दर लाइसेंस के प्रार्थनापत्रों को निबटायें। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि उत्तर, चाहे हां मैं हो या न मैं, तीन महीनों के अन्दर-अन्दर दिया जावेगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मंत्री महोदय ने अपने विवरण में बताया है कि प्रार्थना पत्र जून, 70 में प्राप्त हुआ था। लाइसेंस समितियों को तीन महीनों की अवधि दी जाती है। क्या मैं जान सकता हूं कि यह तीन महीने की अवधि पूरी हो चुकी है या नहीं ? यदि निजी क्षेत्र के उद्यमकर्ता अथवा सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक विकास निगम लाइसेंस के लिए प्रार्थनापत्र दे तो क्या ऐसी कोई निर्धारित नीति है जिसके अधीन राजकीय क्षेत्र के परियोजनों को प्राथमिकता दी जा सके ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : जहां तक तीन महीने की अवधि का प्रश्न है, ऐसा कोई नियम नहीं जिसके अधीन प्रार्थनापत्र तीन महीने के अन्दर अन्दर ही निबटाये जायें। जो कुछ मेरे सहयोगी ने कहा है वह यही है कि हमने विभागों को यह देखने के लिए कहा है कि इन प्रार्थनापत्रों को शीघ्रातिशीघ्र निबटायें और किसी भी दशा में तीन महीने से अधिक समय न लगे। यदि इसमें अधिक समय लगे तो हम निश्चय ही यह देखेंगे कि अधिक समय क्यों लगा। लाइसेंस के प्रक्रम को हम द्रुतगति पर लाना चाहते हैं।

जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है प्रस्तावित योजना का टायर तथा ट्यूब के लिये 25 लाख टन का सामर्थ्य होगा। लेकिन इसके लिये मशीनरी तथा अन्य वस्तुओं का काफी मात्रा में आयात करना पड़ेगा । अतः हम महसूस करते हैं कि हम इस योजना को दो भागों में बांटें जिसके अनुसार कोई 15 लाख टन के लिए इस वर्ष लाइसेंस दें और शेष के लिए अगले वर्ष । अब हम उड़ीसा के प्रार्थनापत्र पर विचार कर रहे हैं । मुझे आशा है कि निर्णय शीघ्र ही लिया जावेगा ।

सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों को प्राथमिकता देने सम्बन्धी प्रश्न का जहां तक सम्बन्ध है, उसके बारे बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि योजना क्या है और यदि दोनों योजनाएं बराबर हों तो हम सरकारी क्षेत्र को प्राथमिकता देंगे ।

श्री स० कुण्डू : मैं समझता हूं कि टायर तथा ट्यूब बनाने की यह योजना सभी राज्यों को भेजी गयी, जिसके अनुसार पिछड़े राज्यों को प्राथमिकता दी जाती थी और उन्हें केन्द्रीय सरकार को योजना भेजने के लिये कहा गया था। एक बार जब केन्द्रीय सरकार के कहे जाने पर उसे योजना भेजी जा चुकी है तो क्या कारण है कि वह (केन्द्रीय सरकार) उस योजना पर महीनों बैठी रहे जिसे उसने स्वयं ही मांगा था ? मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रार्थनापत्र निबटायें जायेंगे । क्या मैं उनसे वह निश्चित समय पूछ सकता हूँ जब तक प्रार्थनापत्र निबटाये जायेंगे । औद्योगिक विकास निगम, जो उड़ीसा सरकार की सरकारी क्षेत्र की परियोजना है, का प्रार्थनापत्र कब आया और किया निश्चित अवधि तक निबटाया जायेगा ।

श्री दिनेश सिंह : मैं इस प्रकार का कोई वचन नहीं दे सकता जैसे माननीय सदस्य चाहते हैं चूंकि इसमें जांच परीक्षण के कई प्रक्रम सामने आते हैं । लेकिन जैसाकि मैंने कहा, इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा ।

Shri Arjun Singh Bhadoria : Is the hon. Minister aware of the fact that there is acute shortage of tyres and tubes for tractor in the country...

Mr. Speaker : This question pertains to Orissa.

Shri Arjun Singh Bhadoria : My question is connected with that is the Government of India considering a proposal for the establishment of a factory in U. P. or some other State in public sector for the manufacture of tyres and tubes ?

Shri Dinesh Singh : As stated just now application has been received for a factory in public sector in Orissa and that is under consideration. If an application for the establishment of a factory in public sector in U. P. is received that will be considered.

दिल्ली में रिंग रेलवे

*727. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रिंग रेलवे बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है तथा इसका कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ख) क्या रिंग रेलवे विद्युत चालित होगी अथवा भाप इंजनों से चलाई जाएगी ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

दिल्ली में 'रिंग रेलवे' के लिए कोई प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन नहीं है ।

कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास में परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं के अध्ययन के लिए 1965 में योजना आयोग द्वारा महानगरीय परिवहन पर एक अध्ययन दल का गठन किया गया था । इस दल की प्रारम्भिक जांच से मालूम हुआ कि दिल्ली के लिये एक सामूहिक तीव्र परिवहन प्रणाली (महानगरीय रेल प्रणाली) की आवश्यकता होगी ।

महानगरीय परिवहन दल ने दिल्ली के लिये विस्तृत यातायात एवं परिवहन अध्ययन का कार्य केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान को सौंप दिया । वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, 1970 के अन्त तक यातायात अध्ययन पूरा हो जाने की आशा है । इस अध्ययन से वे आंकड़े मालूम होंगे जिनके आधार पर यह विनिश्चय किया जा सकेगा कि महानगरीय रेल लाइनें किस तरह की होनी चाहिए यानी त्रिज्याकार चक्राकार या अन्य किसी संरेखण की ।

यातायात अध्ययन समाप्त हो जाने और महानगरीय परिवहन दल की सिफारिशें उपलब्ध होने के बाद, यह विनिश्चय करने के लिये तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन शुरू करने होंगे कि दिल्ली के लिए अत्यन्त उपयुक्त प्रणाली शिरोपरि या भूमिगत होगी । तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययनों के लिये लगभग दो वर्ष की अवधि अपेक्षित होगी ।

आशा है, दिल्ली में महानगरीय रेल प्रणाली विद्युतकर्षण द्वारा परिचालित होगी ।

Shri Prem Chand Verma : Mr. Speaker, this question has been raised time and again in the house and the statement, which has been placed on the Table of the House today, has also been placed on the Table of the House several times in the post also. There is hardly any difference between previous statements and the present are. Traffic condition in Delhi, Calcutta and Bombay is deteriorating to the point that hundreds of people are killed every month. Mr. Speaker, when you are with your vehicle, you must also have realised that sometime it takes hours together to cross the roads.

In respect of the plan which has been formulated for Delhi. it is stated that a Study Team was set up by the Planning Commission in 1965. Now it is 1970. This Study Team could not submit its report du ing a period of 5 years and now it is said that it will submit its report by the end of 1970 and thereafter 2 more years will be required. I want to know whether there is a definite time-bound programme for underground ring railway for Delhi and if so, there is any, a statement thereto should be placed on the table of the House so that a definite date is decided and this question is not raised time and again ?

Shri R. L. Chaturvedi : It is clearly stated in the statement that comprehensive traffic and transportation study for Delhi has been entrusted to the Central Road Research Institute which is working on it by making research and enquiry and their report is expected by the end of 1970. It will be after receipt of their report that Techno-Economic Feasibility Studies whether it will be overhead or underground, will be taken up. Noth ng can be said technically at present but we are considering it seriously. It is not possible to proceed further in the matter before the report is received.

Shri Prem Chand Verma : Mr. Speaker, I had asked him to tell the time bound programme regarding report, work and plan, if any, but he has not given any reply. Generally many important issues remain pending for decision for years together. I want to ask the Hon'ble Minister whether any time limit was fixed at the time of formulation of the plan.

The Minister of Railways (Shri Nanda) : He has complained that our previous reply has similarly with the present one and there is hardly and difference between the two. Mr. Speaker, we have not extended the time announced by us. Nor have we extended the time required for traffic report. About two years are required for Techno-Economic Feasibility Survey which is a definite time limit. How can we reduce it ?

Shri Prem Chand Verma : I want to know the difficulties of the Government in the construction of ring railway. Reply given by you was different and if you want I can show you. Please lumerate the difficulties, if any.

Shri R. L. Chaturvedi : There are no difficulties. Next step will be taken on the completion of investigation and Feasibility Survey.

Shri Hardayal Devgun : Will the Government consider the setting up of halt-station at Seemapuri, Silampur, Mandawara etc.-etc. between Sahibabad—Delhi and Sahibabad—New Delhi, keeping in view the increasing population of Delhi particularly those of the suburban areas ?

Mr. Speaker : Please tell the proposal, if any.

Shri Hardayal Devgun : Mr. Speaker, ask the Hon'ble Minister to give the reply.

Mr. Speaker : You should give specific notice well in time.

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची, के कर्मचारियों के परिवारों को मुआवजा

*728. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रांची के भारी इंजीनियरिंग निगम के उन कर्मचारियों के परिवारों को मुआवजा देने का निर्णय किया था जो 1967 के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गये थे और उन कर्मचारियों को भी जिनका सब कुछ छिन गया था ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने कर्मचारियों को मुआवजा दिया गया है तथा उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) सभी सम्बन्धित कर्मचारियों को मुआवजा न देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का अपने वचन को कब तक पूरा करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारी इंजीनियरी निगम ने अगस्त, 1967 के दंगों में मारे गये अपने कर्मचारियों के प्रत्येक मामले में उनके आश्रितों अथवा उनकी विधवा पत्नियों को 500 रुपये की अनुग्रह पूर्वक अदायगी करने का फैसला किया था। भारी इंजीनियरी निगम ने यह भी फैसला किया था कि उन सभी मामलों में,

जिनमें राज्य सरकार ने दंगों में हुई सम्पत्ति की हानि के लिए मुआवजा दिया था, सम्बन्धित कर्मचारियों को उतना ही मुग्रावजा दिया जायेगा।

(ख) भारी इंजीनियरी निगम ने दंगों में मारे गये ग्रपने 28 कर्मचारियों में से प्रत्येक के आश्रितों ग्रथवा उसकी विधवा को 500 रुपये दिये हैं। भारी इंजीनियरी निगम ने मुग्रावजे के रूप में 2,37,000 रुपये भी दिये हैं। यह राशि राज्य सरकार द्वारा 583 मामलों में जिनमें सम्पत्ति की हानि हुई थी पुनर्वास के लिए ग्रनुग्रह पूर्वक दिये गये मुग्रावजे की राशि के बराबर हैं।

(ग) ग्रौर (घ). प्रश्न नहीं उठते।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, three years have elapsed, still no satisfactory and complete arrangements have been made for the rehabilitation of the people. The hon. Minister in his reply has stated that assistance was given to so many persons. I want to know the number as applications received for relies and so that number of persons who received relies and those whose cases are pending could be ascertained. The time likely to be taken in giving relies to the remaining persons may also be stated.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : 28 families suffered loss of life out of which applications of 13 perspns were accepted.

Shri Ramavatar Shastri : I wanted to know the number of applications received from the families who suffered loss of life for the grant of Compensation of Rs. 500/-. How many persons were given compensation ? Kindly State the definite date by which the remaining persons will be given compensation.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : As stated previously 28 persons lost their lives in this riot. *Ex-gratia* grant has been given to them. 500 applications out of a total of 583 applications received by us, have been decided upon.

Shri Ramavatar Shastri : When will you take decision an the remaining applications.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Very shortly.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मिश्रित धातु इस्पात की मांग का ग्रनुमान

*724. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात कम्पनियां देश में मिश्रित इस्पात (ग्रलाय स्टील) की मांग का ठीक-ठीक ग्रनुमान लगाने में कठिनाई का ग्रनुभव करती रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में किसी व्यवस्था तंत्र की स्थापना की है ; ग्रौर

(ग) क्या सरकार को निर्धारित समय पर कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा रहे हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) कम्पनियों को व्यावहारिक अर्थ-शास्त्र अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद और कर्णधार समितियों के प्रतिवेदन, बाजार सर्वेक्षण आदि उपलब्ध है जिनमें मिश्र-इस्पात के उत्पादों की मांग का अनुमान दिया होता है । इस बारे में इस्पात कम्पनियों को कोई विशेष कठिनाई नहीं आ रही है ।

(ख) और (ग). सरकार ने व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद से अन्य बातों के साथ-साथ 1975-76 और 1980-81 में विभिन्न प्रकार के मिश्र-इस्पात की मांग का अनुमान लगाने के लिये कहा है ।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा एक्स-रे फिल्मों का निर्माण

*729. **श्री के० रमानी :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी में सिनेमा की फिल्मों का निर्माण बढ़ाने से पूर्व और अधिक एक्स-रे फिल्मों के निर्माण को प्राथमिकता देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी की एक्स-रे फिल्मों के निर्माण करने की अधिष्ठापित क्षमता दस लाख वर्ग मीटर प्रतिवर्ष है । इसे बढ़ाकर 25 लाख वर्ग मीटर प्रतिवर्ष कर देने का विचार है, जो विचाराधीन है ।

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण आवश्यक सेवायें बनाये रखने का अधिनियम (अध्यादेश) के अन्तर्गत न्यायालय में दक्षिण पूर्वी रेलवे के अनिर्णीत न्यायालय मामले

*730. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि केवल 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण दक्षिण-पूर्व रेलवे के विलासपुर, चक्रधरपुर और खुर्दा रोड डिवीजनों के कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक सेवाएं बनाये रखने के अधिनियम (अध्यादेश) की धारा 4 और 5 के अन्तर्गत न्यायालय में लगभग 125 मामले अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) क्या यह सरकार के उस नीति निर्णय के अनुरूप है कि उन कर्मचारियों के विरुद्ध जिन पर सिवाय हड़ताल में भाग लेने के अन्य किसी अपराध का आरोप नहीं होगा सभी मामले वापस लिए जायेंगे ; और

(ग) क्या सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों को उपरोक्त मामलों को वापस ले लेने का परामर्श दिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) उल्लिखित मामलों में से 65 मामले ऐसे हैं जिनमें कर्मचारियों पर केवल गैर-कानूनी हड़ताल में भाग लेने के कारण, अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1968 की धारा 4 के अधीन मुकदमा चलाया जा रहा है ।

(ख) इस विषय में सरकार की नीति यह है कि कानून को अपने रास्ते चलने दिया जाये और न्याय के सामान्य मार्ग में हस्तक्षेप न किया जाये ।

(ग) सभी राज्य सरकारों को सूचित किया गया था कि जो मुकदमे अनिर्णीत पड़े हैं, उन की सावधानीपूर्वक जांच की जाये और जिन मामलों में अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं उनमें मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी जाये ।

Broad-Gauge and Metre-Gauge Lines in Rajasthan

*731. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the length of the broad-gauge and metre-gauge Railway lines in Rajasthan, separately, as at the end of 1969 ; and

(b) whether Government have under consideration any proposal for laying broad-gauge and metre-gauge Railway lines in Rajasthan during the Fourth Five Year Plan period ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Information about the length of the Railway lines is not compiled State-wise but only Railway Zone-wise. Particulars by gauges and by Railway Zones of the route kilometres of lines opened during 1968-69, route kilometres open as on 31st March 1969, etc., are given in Statement 8 of the Supplement to the Report by the Railway Board on Indian Railways-Statistical Statements for the year 1968-69, copies of which are available in the Library of Parliament.

(b) Construction of a new metre gauge line from Singhana to Dabla in Rajasthan is among the proposals for new lines to be taken up in the Railways' Fourth Plan.

नई दिल्ली के लिये सीमेंट की सीमित बुकिंग

*732 **श्री यशपाल सिंह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत दिनों से दिल्ली के रेलवे यार्डों में सीमेंट से भरे 200 माल डिब्बों से सीमेंट नहीं उतारा गया है ;

(ख) क्या उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली के लिए सीमेंट के माल डिब्बों की और बुकिंग रोक दी है ; और

(ग) प्रतिदिन सीमेंट के कितने माल डिब्बों से सीमेंट उतारा जाता है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां। 31 जुलाई, 1970 से 17 अगस्त, 1970 तक नयी दिल्ली माल गोदाम के लिए सीमेंट की बुकिंग पर पाबन्दी लगायी गयी थी।

(ग) नयी दिल्ली स्टेशन पर सीमेंट के माल डिब्बों के खाली किये जाने का दैनिक औसत (चौपहियों के हिसाब से) इस प्रकार है :—

21 से 31 जुलाई,	1970 तक	31.0
1 से 10 अगस्त,	1970 तक	34.1
11 से 20 अगस्त,	1970 तक	15.5
21 से 25 अगस्त,	1970 तक	25.0

चाय पर रेल भाड़ा

*733. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड ने गोहाटी (आसाम) से कांडला पत्तन तक चाय के लिए उतना ही मालभाड़ा लेने का निर्णय किया है जितना वह गोहाटी से कलकत्ता तक चाय ढोने के लिये लेते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस विषमता के क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रस्तावित व्यवस्था से रेलवे को क्या लाभ होगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). भाग (क) के उत्तर को देखते हुए ये सवाल नहीं उठते।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग के विकास, वितरण और वित्तीय परिव्यय के बारे में समितियों की सिफारिशों की क्रियान्विति

*734 **श्री स० कुण्डू** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास, वितरण और वितीय परिव्यय के संबंध में अध्ययन करने तथा उस संबंध में सिफारिश करने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उन समितियों के नाम क्या हैं ;

(ग) उन समितियों की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार ने समितियों की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ङ).

समितियों से तात्पर्य शायद दो कार्यकारी दलों से है जो योजना आयोग द्वारा प्रादेशिक असमानताओं के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किए गए थे, अर्थात पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने संबंधी कार्यकारी दल (पाण्डे समिति) और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग आरम्भ करने के लिए कर संबंधी व वित्तीय प्रोत्साहनों संबंधी कार्यकारी दल (वांचू समिति) दोनों कार्यकारी दलों द्वारा की गई सिफारिशें उनकी रिपोर्टों के तीसरे अध्याय में है। ये रिपोर्टें मई, 969 में सभा-पटल पर रख दी गई थी।

इन दोनों कार्यकारी दलों की रिपोर्टों पर राष्ट्रीय विकास परिषद की राज्यों के मुख्य-मन्त्रियों की समिति की 26 सितम्बर, 1969 को हुई बैठक में चर्चा की गई थी और समिति द्वारा लिये गये निर्णय इस प्रकार हैं :—

(क) उद्योगों की वित्त की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय तथा ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सामान्य रियायतें सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के पिछड़े क्षेत्रों को उपलब्ध होनी चाहिए।

(ख) औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहनों की अपेक्षा करने वाले पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के लिए वित्तीय तथा ऋणदात्री संस्थायें राज्य सरकारों व योजना आयोगों के परामर्श से उपयुक्त कसौटी निर्धारित करेंगी।

(ग) भारत सरकार पिछड़े क्षेत्रों में चुने हुए जिलों में औद्योगिक कारखानों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह आर्थिक सहायता गैर सरकारी व सरकारी दोनों क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं की कुल पूंजीगत लागत का दसवां भाग होगी जिनमें से प्रत्येक में 5´ लाख रुपये से अधिक पूंजी न लगी हो।

(घ) यह आर्थिक सहायता आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, जम्मु तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के नौ राज्यों में से प्रत्येक के दो जिलों की औद्योगिक योजनाओं को उपलब्ध होगी। अन्य राज्यों में यह आर्थिक सहायता प्रत्येक मामले में एक जिले के लिए उपलब्ध होगी। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के एक-एक जिले को इस प्रकार की आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

यात्री / शटल गाड़ियों में पुराने और गन्दे डिब्बे लगाना

*735 श्री एन॰ शिवप्पा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ब्रांच लाइनों पर चलने वाली यात्री / शटल गाड़ियों में ऐसे पुराने और गन्दे डिब्बे लगाये जाते हैं जिनमें आधुनिक सुविधा उपलब्ध नहीं होती ; और

(ख) यदि हाँ, तो इनकी दशा सुधार करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). यात्री-यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेलों को अपने उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत कुछ गतायु सवारी

डिब्बों से काम लेना पड़ता है । ये सवारी डिब्बे खासकर ऐसे खण्डों पर चलाये जाते हैं जहां सेवा की स्थितियां अपेक्षाकृत कम विषय है, जैसी कुछ शाखा लाइनें और थोड़ी दूरी की गाड़ियां । फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्ध किये जाते हैं कि इन सवारी गाड़ियों को अच्छी हालत में रखा जाता है, और इनकी नियमित सफाई होती है तथा इनमें सभी सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था रहती है ।

बरास्ता चितौड़गढ़, उदयपुर और कोटा के बीच रेलवे सम्पर्क

* 736. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने बरास्ता चित्तौड़गढ़ उदयपुर और कोटा के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) राजस्थान के मुख्य मन्त्री के प्रस्ताव पर विचार किया गया था और यह पता चला था कि चौथी योजना के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा उत्पादित फास्फेट शैल जिन दिशाओं में गन्तव्य स्टेशनों को भेजा जायेगा, उसके लिए कोटा, चित्तौड़गढ़ नयी लाइन पर कोई संचलन नहीं करना पड़ेगा । इस लाइन के निर्माण पर अन्यथा विचार नहीं किया जा रहा क्योंकि नवीनतम अनुमान के अनुसार वित्तीय दृष्टि से लाइन अलाभप्रद रहेगी ।

डनलप (इन्डिया) लिमिटेड में उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाना

*737. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डनलप (इन्डिया) लिमिटेड को अपना उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए दी गई अनुमति का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) विगत पांच वर्षों में डनलप इन्डिया लि० को विस्तार हेतु दी गई अनुमति का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रमांक	औद्योगिक लाइसेंस आशय पत्र की तिथि	निर्मित की जाने वाली वस्तु	पर्याप्त विस्तार अथवा नई वस्तु	वार्षिक क्षमता	शाहगंज अथवा अम्बाट्टूर कारखाने के लिए
1	2	3	4	5	6
	औद्योगिक लाइसेंस				
1.	23-2-1967	रबड़ के स्थान पर धातु बन्धों उत्पाद	नई वस्तु	560 मी० टन	शाहगंज
2.	21-9-1967	पी० वी० सी० स्पाइलर होज आधे इंज से 10 इंच तक	नई वस्तु	195 मी० टन	वही
3.	21-12-1967	मोटर गाड़ियों के टायर तथा ट्यूबें	पर्याप्त विस्तार	1,35,600 टायर 1,24,800 ट्यूबें	अंबाटूर
4.	29-8-1968	बुटाइल साइकिल ट्यूबें	नई वस्तु	20,00,000	वही
5.	4-12-1969	मोटर टायर तथा ट्यूबें	पर्याप्त विस्तार	2,50,000 प्रति	वही
	आशय-पत्र				
6.	14-7-1969	टेनिस के गेंदे	नई वस्तु	6,00,000	शाहगंज
7.	17-6-1969	ग्राफ की गेंदे	वही	16,000 दर्जन	वही

दिल्ली के नगरीय क्षेत्रों में रेलवे फाटक

* 738. **श्री बल राज मधोक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली क्षेत्र के नागरीय भाग में कुल कितने रेलवे फाटक हैं ; और

(ख) उनमें से किन-किन फाटकों पर ऊपर पुल है और किन-किन पर ऊपरी पुलों का निर्माण हो रहा है और वे कब तक बन जायेंगे ।

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) 73 (इनमें समपार, ऊपरी/निचले सड़क पुल और ऊपरी पैदल पुल शामिल हैं)।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4124/70]

रेलवे उच्चाधिकारियों द्वारा रेलवे सैलूनों का प्रयोग

*739. **श्री एस० एन० मिश्र : क्या रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में रेलवे के उच्चाधिकारियों ने कुल कितने सैलूनों का प्रयोग किया ;

(ख) रेलवे अधिकारियों के लिए सभी रेलवे लाइनों पर कुल कितने सैलूल चलते हैं ; और

(ग) यदि सभी रेलों पर सैलून को जोड़े जाने की अनुमति न दी जाये और उनके स्थान पर तीसरे दर्जे के यात्री डिब्बे जोड़े जायें, तो तीसरे दर्जे में यात्रा करने वाले कितने यात्री यात्रा कर सकेंगे।

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). श्रीमन, भारतीय रेलों में इस समय कुल 5 सैलून हैं। रेलवे अधिकारी इन सैलूनों का इस्तमाल नहीं करते बल्कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल आदि उच्च अधिकारियों द्वारा इसका इस्तमाल किया जाता है लेकिन इनके अलावा 307 बोगी निरीक्षण डिब्बे हैं जिन्हें रेलवे अधिकारी कर्तव्य कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं।

(ग) यदि यात्रियों की भारी भीड़ हो अथवा यात्री प्रतीक्षा सूची में हों और उनकी निकासी के लिए अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाना आवश्यक हो, तो गाड़ियों में निरीक्षण डिब्बे नहीं लगाये जाते। अतः निरीक्षण डिब्बों का इस्तेमाल रोक कर तीसरे दर्जे के अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में उद्योगों की स्थापना

*740. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कुछ और औद्योगिक कारखाने स्थापित किये जायेंगे :

(ख) यदि हां, तो वे कौन कौन से हैं ; और

(ग) उन कारखानों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी धन राशि दी जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में विद्यमान केन्द्रीय औद्योगिक प्रायोजनाओं के साथ-साथ प्रदेश

के उस क्षेत्र में कुछ और परियोजनाएं स्थापित करने का निश्चय किया गया है। ये हैं गैस सिलेन्डर परियोजना, नैनी ; पम्प तथा कम्प्रेशर परियोजना। नैनी, लांग डिस्टेन्स ट्रान्समिशन डिक्पमेंट फैक्टरी तथा दूसरी टेलीफोन इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी, नैनी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इन परियोजनाओं के लिए 16.35 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।

राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में डल्ला सीमेंट फैक्टरी को पूरा करने के लिए भी प्रावधान किया गया है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में होगी।

रेलवे प्लेटफार्मों पर फिल्म पोस्टरों के विज्ञापन लगाने की कसौटी

741. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे प्लेटफामों पर विभिन्न स्थानों पर लगाये जाने के लिए फिल्म पोस्टरों के विज्ञापनों की कसौटी क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन के लिए फिल्मी इश्तहार स्वीकार किये जाते हैं लेकिन शर्त यह है कि उनकी सामग्री अश्लील या अपत्तिजनक न हो। प्रदर्शन के लिए स्वीकार करने से पहले सभी इश्तहारों की जांच-पड़ताल की जाती है।

पश्चिमी बंगाल में उद्योगों को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी योजना

*742. **डा० रानेन सेन :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहन देने सम्बन्धी कोई योजना बनाई है : और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) :
(क) जी, हां।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4125/70]

राजस्थान के लिए औद्योगिक लाइसेंस

*743. **श्री देवकी नन्दन पटोदिया :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों के औद्योगिक लाईसेंसों के लिए कितने आवेदन पत्र दो वर्षों से भी अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हैं और उसमें जिन उद्योगों के लिए लाईसेंस मांगे गये हैं उनका क्या व्यौरा है ; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं और इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक हो जाएगा ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). ऊनी कालीनों के धागे बनाने के उद्योगों से सम्बन्धी इस प्रकार के तीन आवेदन अनिर्णीत पड़े हैं। यह इस नीति संबन्धी निर्णय के कारण अनर्णीत हैं कि निर्माण के इस क्षेत्र में और क्षमता के लिए लाइसेंस दिये जायें या नहीं। इस पर शीघ्र हां निर्णय लिया जायेगा।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा न लौटाये जाने वाले आवेदन-पत्र शुल्क में वृद्धि

*744. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जो लोग मशीनों के लिये किराया-खरीद के आधार पर वित्तीय सुविधा के लिये आवेदन-पत्र भेजते है उनके लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने न लौटाये जाने वाले आवेदन पत्र शुल्क को 5 रुपये से बढ़ा कर 100 रुपये या इससे अधिक कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) जिन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र अन्ततोगत्वा स्वीकार नहीं किये जाते और जिन्हें धन सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध नहीं की जाती उनको यह शुल्क न लौटाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) जून 1970 तक गत 2½ वर्षों में इस प्रकार की सुविधा के लिये कितने व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र भेजे हैं और उनमें से कितने आवेदन-पत्र स्वीकार किये गये थे और कितने अस्वीकार कर दिये गये थे ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां। अब आवेदन पत्रों पर न लौटाए जाने वाला शुल्क 5 रु० से 250 रु० तक घटती बढ़ती दरों पर निर्धारित कर दिया गया है जो आवेदित मशीन के मूल्य पर निर्भर करता है।

(ख) जनवरी, 1970 तक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने एक आवेदन पत्र पर केवल 5 रु० शुल्क लगाया। यह समझा गया है कि बिना विचार के अथवा उद्योग को स्थापित करने के बारे में गम्भीर हुए बिना ही अनायास बहुत से आवेदन पत्र भेज दिए जाते हैं। अतः ऐसे निष्फल आवेदन पत्रों को हतोत्साहित करने की आवश्यकता थी।

(ग) किसी भी आवेदन पत्र को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के निर्णय को लेने से पूर्व पर्याप्त प्रक्रियाएं निहित है। प्रत्येक आवेदन पर चाहे वह स्वीकार किया जाए अथवा अस्वीकार आवेदन पत्र की संवीक्षा करना, भाव मंगाना संभरणकर्ता के साथ वार्तालाप उपकरण का चुनाव करना आदि कार्य करने पड़ते हैं। अतः पार्टी को धन नहीं लौटाया जाता।

(घ) 1967-68 से 31 मार्च, 1970 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या तथा स्वीकार किये गये आवेदन पत्रों की संख्या।

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत आवेदन
1967-68	4501	4469
1968-69	4101	2841
1969-70	2856	1756

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के नये कारखाने स्थापित करना

*745. **श्री सीताराम केसरी :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कुछ अन्य कारखाने स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो नये कारखाने किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). घड़ियों के उत्पादन हेतु जम्मू व काश्मीर राज्य में एक नया कारखाना स्थापित करने से संबंधित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूर कर लिया है। इस समय किसी और नये कारखाने की स्थापना के बारे में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

निर्यात प्रधान इन्जीनियरी उद्योगों की मांग

*746. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात प्रधान इन्जीनियरी उद्योगों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये इस्पात का उत्पादन बढ़ाने हेतु हाल ही में एक अभियान आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और अभियान के लिये कितनी अवधि निर्धारित की गई है ; और

(ग) उपर्युक्त अभियान की अवधि में उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). इस्पात के उत्पादन के लिए सरकार ने उपलब्ध क्षमता का अधिकतम उपयोग करने की योजना बनाई है। इसलिए इस्पात का उत्पादन बढ़ाने हेतु अभियान आरम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता। निजी क्षेत्र को भी अधिकतम उत्पादन करने में सहायता दी जा रही है। निर्यात प्रधान इन्जीनियरी उद्योग की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने लगभग 9.3 करोड़ रुपये का प्रपुंज वण्टन

किया था और अपेक्षित इस्पात का कुछ आयात पहले ही कर लिया गया है और शेष आयात किया जा रहा है।

उड़ीसा में सहायक उद्योग

*747. **श्री क० प्र० सिंह देव : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में एक ऐसा सर्वेक्षण करने के लिये अनुरोध किया था जिससे यह ज्ञात हो सके कि वहां पर सहायक उद्योग कहां-कहां स्थापित किये जा सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिये कोई सर्वेक्षण कराया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण कराया जायेगा और यदि हां, तो कब ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उड़ीसा राज्य में ऐसा कोई सर्वेक्षण कराने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

माल-डिब्बों के उत्पादन में कमी

*748. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में भारत में माल-डिब्बों का उत्पादन माल-डिब्बे निर्माताओं की क्षमता से बहुत कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या माल-डिब्बे निर्माताओं ने कई बार बताया है कि उन्हें गम्भीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें जो मूल्य दिया जाता है उन्हें स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि भारत में माल-डिब्बों का खरीदार एकमात्र रेलवे है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या माल-डिब्बे बनाने वाले उद्योग की सहायता करने के लिये कोई कार्यवाही करने का उनका विचार है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) पिछले दो वर्षों में वास्तविक उत्पादन माल डिब्बा निर्माताओं की लाइसेंसशुदा क्षमता से कम हुआ है।

(ख) कम उत्पादन मुख्यत: निर्माताओं के कारखाने में हड़ताल, धीमे काम करने की

प्रवृत्ति और तालाबन्दी आदि जैसे श्रमिक उपद्रवों के कारण और 'मैचिंग स्टील' और पहिया सेटों की प्रायः कमी के कारण हुआ है ।

(ग) माल डिब्बा निर्माताओं ने पिछले दिनों ऐसा वक्तव्य समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया है । अभी हाल में उन्होंने रेल मन्त्रालय को भी लिखा है ।

(घ) रेलों द्वारा माल डिब्बा निर्माताओं को उचित मूल्यों पर यथासम्भव अधिक से अधिक आर्डर दिये जा रहे हैं । इससे उन्हें अपनी वित्तीय कठिनाइयों पर काबू पाने में सहायता मिलनी चाहिए, बशर्ते उनकी उत्पादकता में वांछित रूप से सुधार हो ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के लक्ष्य

*749. **श्री रवि राय :** क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के निदेशक-मंडल ने फरवरी, 1970 में रांची में हुई अपनी बैठक में जो लक्ष्य निर्धारित किये थे उनका पूर्ण पाठ क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ने गत कुछ महीनों में इन लक्ष्यों की क्रियान्विति की प्रगति का पुनरीक्षण किया था ; और यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लि० ने अपने सामने जो लक्ष्य रखे हैं उनका पूर्ण पाठ अनुलग्नक में दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल० टी०—4126/70]

(ख) विशिष्ट रूप से नहीं । निदेशक मंडल द्वारा अपने सामने ये लक्ष्य रखने का यह अर्थ है कि कंपनी राज्य-नीति के नैदेशिक सिद्धान्तों तथा सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित किये गये संकल्पों का पालन करने के लिये दृढ़ संकल्प है । परन्तु सरकार उत्पादन, कोटि नियंत्रण लागत विक्रय-विवरण और वित्तीय परिणामों आदि का समय समय पर पुनरीक्षण करती है और देखती है कि कंपनी ने किस सीमा तक अपने लक्ष्य प्राप्त किये हैं ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा बुक कराये गये गेहूँ से लदे माल-डिब्बों को पुनः बुक करने से पूर्व रेलवे द्वारा इन्कार

*750. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा गया स्थित अपने डिपो के लिये बुक कराये गये गेहूं आदि से लदे माल-डिब्बों को टाटानगर, रांची आदि पूर्वी स्टेशनों के लिये पुनः बुक करने से इन्कार कर दिया था ;

(ख) क्या पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया था कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा माल-डिब्बों से माल उतारा जाये और वह माल-डिब्बों के लिये पुनः मांग करें ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गया से आगे के स्टेशनों तक इन अनाज से भरे हुये माल डिब्बों को बिना माल उतारे सीधे बुक कराने में पूर्वी रेलवे अधिकारियों के सामने क्या कठिनाई थी ; और

(घ) इस मामले को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) सामान्यतः चौपहिया माल डिब्बों और स्क्रू कपलिंग वाले अन्य माल डिब्बों को फिर से बुक करने के अनुरोध स्वीकर किये जा रहे हैं लेकिन केवल बी० ओ० एक्स० माल डिब्बों को दुबारा बुक करने के अनुरोध स्वीकार नहीं किये गये हैं।

(ख) केवल बी० ओ० एक्स० माल डिब्बों को अलग-अलग करके दुबारा बुक करने के मामले में माल को उतारने और फिर से लादने का आग्रह किया गया है। अन्य मामलों में इस तरह की कोई मांग नहीं की गई है।

(ग) खाद्य परेषण बी० ओ० एक्स० माल डिब्बों के रेक में आते हैं और रेक में से अलग-अलग बी० ओ० एक्स० माल डिब्बों को आसानी से शंट नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें संक्रामी कपलर नहीं होते जिससे कि उन्हें आगे भेजने के लिए सामान्य गाड़ियों में लगाया जा सके। इसलिए इन बी० ओ० एक्स माल डिब्बों को तब तक फिर से बुक करने की अनुमति नहीं दी जाती जब तक परेषणों को उनमें से उतार कर फिर से चौपहिया माल डिब्बों में लाद न दिया जाये।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

एकाधिकार अधिनियम के अधीन पंजीकारों की नियुक्ति तथा फर्मों का पंजीकरण

4721. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लाइसेंस नीति सम्बन्धी दत समिति ने जिन औद्योगिक संस्थानों 'बढ़ा' माना है उनके पंजीकरण के लिए पंजीकर्त्ताओं की नियुक्ति अभी की जानी है ;

(ख) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार प्रथा अधिनियम के अधीन जो फर्में स्वयं को पंजीकृत नहीं करा सकी हैं उन पर पहले 1000 रुपये तथा इसके बाद 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उन फर्मों का यह दण्ड क्षमा कर रही है जिन्हें बिना-कसूर हानि हो रही है ?

समवाय-कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) प्रत्येक उप-क्रम को जिस पर एकाधिकार तथा प्रतिबन्धित व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 लागू होता है, 30 जुलाई, 1970 तक भारत सरकार में अपने आपको पंजीकृत कराना आवश्यक है। इस कार्य के लिए पंजीकारों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। पर्याप्त कारण बताने पर सरकार उक्त समयावधि बढ़ा सकती है। प्रक्रिया स्थापित करने तथा आवेदन पत्रों को निर्धारित करने में विलम्ब को ध्यान में रखते हुए

सरकार ने समय की अवधि को 15 सितम्बर, 1970 तक बढ़ाने की अनुमति देने का निर्णय किया है।

(ख) जी, हां। अधिनियम के अन्तर्गत यह अधिकतम दण्ड है।

(ग) इस समय यह प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सरकार ने पंजीकरण कराने के लिए समय 15 सितम्बर 1970 तक बढ़ाने की अनुमति देने का निर्णय किया है।

रेलवे अधिकारियों के विदेशी दौरे

4722. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के उन सदस्यों तथा उन रेलवे उच्च अधिकारियों के क्या नाम हैं जिन्होंने गत दो वर्षों में विदेशों का दौरा किया था ;

(ख) इससे विमान किराया तथा विदेशी मुद्रा के रूप में सरकार को कितना खर्च करना पड़ा ;

(ग) इन दौरों में उन्होंने किन-किन स्थानों की यात्रा की तथा उनका उद्देश्य क्या था ; और

(घ) इन विदेशी दौरों से राष्ट्र को क्या लाभ हुआ ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4127/70]

राज्यों में हरिजन छात्रों के होस्टल

4723. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येकराज्य में हरिजन छात्रों के लिए चलाये जा रहे होस्टलों के क्या नाम हैं, उनके लिए केन्द्र सरकार की ओर से कितनी सहायता दी जाती है तथा प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी राशि दी जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में आदिम जाति सेवा मण्डल द्वारा चलाये जा रहे आदिवासियों के लिये होस्टलों की दशा बड़ी खराब है ;

(ग) यदि हां, तो पिछली बार उनकी मरम्मत कब की गई थी ;

(घ) इन होस्टलों की मरम्मत के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी अनुदान राशि दी गई थी ; और

(ङ) इन होस्टलों का मरम्मत कार्य अब आगे कब आरम्भ किया जायेगा, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) यह सूचना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) आदिमजाति सेवा मंडल नाम की कोई संस्था नहीं है तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसी ऐसी संस्था को अनुदान नहीं दिया जाता है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

पोषाहार अनुसन्धान प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा रक्तहीनता तथा मृत्यु-दर की घटनाओं का सर्वेक्षण

4724 **श्री बाबूराव पटेल : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोषाहार अनुसन्धान प्रयोगशाला हैदराबाद, द्वारा अभी हाल ही में किये गये एक संक्षिप्त सर्वेक्षण से पता चला है कि 60 प्रतिशत बच्चे रक्तहीनता का शिकार है तथा 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों में मृत्यु-दर 40 प्रतिशत है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि बच्चों को समुचित पोषक आहार प्राप्त हो ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) देश के विभिन्न भागों में किए गए कुछ सर्वेक्षणों के आधार पर न्युटरीशन सोसाइटी आफ इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट से पता चलता है कि लगभग 50 प्रतिशत बच्चों के होमोग्लोबिन स्तर 10 ग्राम प्रतिशत से कम थे, जबकि सामान्य स्तर 11 से 13 ग्राम प्रतिशत होता है तथा 1-5 वर्ष के आयु वर्ग में मृत्यंता की दर देश में कुल मृत्यंता का 40 प्रतिशत थी।

(ख) कुपोषण की समस्या बहुमुखी है, तथा उसके लिए बहुमुखी कार्यवाही अपेक्षित है। उचित पौषण सुनिश्चित करने के लिये किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) ठीक प्रकार की खाद्य सामग्री का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन।

(2) जनता के सभी वर्गों को खाद्य सामग्री बांटने के लिए पर्याप्त संगठन।

(3) जनता की आर्थिक स्थित में सुधार करना ताकि ठीक प्रकार की पर्याप्त खाद्य सामग्री खरीदने के लिए उनकी खरीद शक्ति बढ़ जाये।

(4) सामान्य लोगों, विशेषकर स्त्रियों को स्वास्थ्य के संदर्भ में पोषण के महत्व के संबंध में शिक्षा देना ताकि वे सामान्य रूप से उपलब्ध सस्ती और पोषक खाद्य सामग्री के महत्व को समझ सकें।

(5) तत्काल संकट को दूर करने के लिए अनुपूरक भोजन प्रदाय कार्यक्रम।

(6) रोग संचार को जिससे कुपोषण बढ़ता है, कम करने के उद्देश्य से वातावरण संबंधी स्वच्छता पर नियन्त्रण।

(7) कुपोषण तथा अल्पपोषण की बीमारियों जैसे कि अनामिया, गोइट्रे, केरायेमलाशिय इत्यादि, को दूर करने के लिए सुधारक उपाय करना ।

स्कूल-पूर्व बच्चों को भोजन प्रदान करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने हाल में एक विशेष पोषण कार्यक्रम शुरू किया है । गर्भवती स्त्रियों और स्कूल-पूर्व बच्चों में अनामिया को रोकने के लिये पोषणात्मक अनामिया के विरुद्ध प्रेपाइलेक्सिस की योजना को सहायता देने के लिए चतुर्थ योजना में 200 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । इस योजना के अधीन मातृत्व, बाल स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन केन्द्रों के द्वारा फेरोस सल्फेड (लोहा) और फोलिक एसिड दिया जाएगा ।

Introduction of New Electric Locomotives and Electrification of Railway Lines

4725. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3223 on the 17th March, 1970 regarding electrification of Railway Track and state :

(a) the estimated number of new electric locomotives expected to be put into service during the financial year 1970-71 ; and

(b) the number of new Railway lines Government proposed to electrify during this year ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) 56 Electric Locos.

(b) Bilaspur-Durg Section of the South Eastern Railway is expected to be brought under electric traction during the current year.

Railway Goods Stolen on Eastern Railway

4726. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the value of Railway goods stolen on the Eastern Railway during the last two years ;

(b) the number of persons arrested in this regard and the number of cases registered ;

(c) the number of persons convicted, the number those who have been acquitted and the number of cases in respect of which departmental enquiries were held ; and

(d) the number of cases pending in the courts at present ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) :

(a)	Year	Value of Goods Stolen Rs. (in lakhs)
	1968	29.28
	1969	29.57

(b)	Year	Number of Persons arrested	Number of Cases registered
	1968	1171	6,690
	1969	724	6,881

(c)	Year	No. of persons Convicted	No. of persons Acquitted
	1968	272	Not available at present.
	1969	593	

Year	No. of cases in respect of which departmental enquiries were held
1968	Not available at present.
1969	

(d)	Year	No. of cases pending in the courts
	1968	Not available at present.
	1969	

भारतीय रेलवे में वर्ष 1970 के दौरान दुर्घटनायें

4727. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में वर्ष 1970 में अब तक हुई दुर्घटनाओं की क्या संख्या है ;

(ख) उनमें कितनी जानें गई ; और

(ग) इस कारण रेलवे सम्पत्ति को कितनी हानि हुई ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : 1-1-1970 से 31-7-1970 तक की अवधि में भारत की सरकारी रेलों पर गाड़ियों की टक्कर होने, गाड़ियों के पटरी से उतर जाने, समपार पर गाड़ियों की सड़क यातायात से टक्कर और गाड़ियों में आग लगने की 491 दुर्घटनाएं हुई।

(ख) इन दुर्घटनाओं में 79 व्यक्ति मारे गये ।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 75,06,000 रुपये की क्षति होने का अनुमान है ।

संविद तथा नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी आधार पर नियुक्ति

4728. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में हजारों संविद तथा नैमित्तिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थायी आधार पर नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि इस्पात कारखानों में अस्थायी और ठेके के मजदूर साधारणतः निर्माण-कार्य के लिए अथवा मौसमी या कभी-कभी होने वाले काम के लिए लगाये जाते हैं, इसलिए उन्हें नियमित रूप से काम पर लगाना संभव नहीं है।

कोका कोला निर्यात निगम द्वारा विदेश भेजा गया धन

4729. श्री शान्ति लाल शाह : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका कोला निर्यात निगम, भारत, ने वर्ष 1965-68 के दौरान लाभ तथा अन्य प्रमोरों के रूप में अमरीका स्थित अपने मूल निकाय की कितनी धनराशि भेजी ;

(ख) उक्त अवधि में इस फर्म की निर्यात-आय कितनी रही ;

(ग) इस फर्म द्वारा विदेश भेजी गई कुल राशि और निर्यात द्वारा इसकी कुल आय की दृष्टि से इस अवधि में उक्त फर्म द्वारा भारत में किये जा रहे व्यापार के कारण कितनी शुद्ध विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन हुआ ; और

(घ) क्या इस कम्पनी के निर्यात उसके भारत में व्यापार की अनुमति की एक शर्त के कारण हुए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). कोका कोला निर्यात निगम (भारत) द्वारा लाभ आदि के रूप में 1964-68 में अपनी निर्यात आय तथा कुल विदेशी मुद्रा की आय की अमरीका स्थित अपने मूल निकाय को भेजी गई धन राशि निम्नलिखित है : –

वर्ष	भेजी गई राशि	निर्यात आय	कुल विदेशी मुद्रा की आय अधिशेष (घाटा)
	रु०	रु०	रु०
1964	6,35,127.27	8,67,666.14	2,32,538.87
1965	17,60,765.68	41,33,750.38	23,72,984.70
1966	21,40,601.39	72,73,264.00	51,32,662.61
1967	41,46,511.09	31,97,849.91	(9,48,661.18)
1968	21,65, 08.47	59,98,914.17	38,33,406.00

(घ) जी, नहीं।

छोटी कार के निर्माण के लिए आशय-पत्रों का जारी किया जाना

4730. **श्री अब्दुल गनी दार : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी कार के निर्माण के लिये आशय-पत्रों की मांग करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है।

(ख) उन व्यक्तियों के क्या नाम हैं जिन्हें आशय-पत्र जारी किए गये हैं ;

(ग) जिन गैर-सरकारी कम्पनियों को आशय-पत्र जारी किये गये हैं उनकी क्षमतायें क्या हैं ; और

(घ) एक सरकारी क्षेत्र के तथा दो गैर-सरकारी-क्षेत्र के उपक्रमों में से किसमें कार्य पहले आरम्भ होगा तथा प्रत्येक मामले में तथा क्रय-कर्त्ता द्वारा देय मूल्य कितना होगा ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत कार बनाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु अब तक 10 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) अभी तक किसी को भी आशय पत्र जारी नहीं किया गया है।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

ओखला औद्योगिक बस्ती में अलाटियों को किराया खरीद आधार पर कारखाना शेड देना

4731. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस बीच ओखला औद्योगिक बस्ती में अलाटियों को किराया-खरीद आधार पर कारखाना शेंड देने का निर्णय ले लिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस निर्णय के अन्तर्गत बदली औद्योगिक बस्ती को शामिल नहीं किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को बादली औद्योगिक बस्ती के अलाटी एसोसिएशन से उनको किराया खरीद आधार सम्बन्धी सुविधा भी देने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है ;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ; और

(ङ) यह निर्णय कब तक किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, हां। ओखला औद्योगिक बस्ती में बने कारखाने के शेडों को अलाटियों को किराया खरीद एक आधार पर हस्तान्तरित करने का निर्णय किया गया है। इस आशय के लिये सरकार द्वारा बनाये गये कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त अनुबन्ध में दिये गये हैं।

(ख) बादली औद्योगिक बस्ती के बारे में इसी प्रकार का एक प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). दिल्ली प्रशासन द्वारा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और विशिष्ट योजना को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है।

विवरण

मार्गदर्शी सिद्धान्त

(1) किराया खरीद किस्त की गणना के लिए समूची औद्योगिक बस्ती को एक इकाई माना जायेगा और शेडों में बैठे सभी लोगों को किराया-खरीद की एक जैसी शर्तें रहेंगी।

(2) आवंटन कर्ताओं से की जाने वाली लागत में निम्नलिखित मदों पर किया गया व्यय भी सम्मिलित होगा :—

(क) भूमि के अधिग्रहण तथा विकास पर होने वाला व्यय ;

(ख) फैक्टरी शेडों के निर्माण पर होने वाली लागत :

(ग) सामान्य सुविधाओं जैसे सड़कों, ट्रांसमिशन लाइन पानी के पाइप, चारदीवारी, उद्यान, नालियों इत्यादि, पर होने वाला व्यय।

(घ) रख रखाव का व्यय।

(ङ) दिये गये/देय कर जिन्हें पहले नहीं लिया गया है।

(च) निम्नलिखित ढंग से पूंजीगत व्याज : -

(1) 3-8-1968 तक 4½ प्रतिशत के हिसाब से व्याज

(2) 1 सितम्बर, 1962 से तब तक जिस दिन के किसी एक खंड में अन्तिम शेड आवन्टित किया की अवधि के लिए 6 प्रतिशत के हिसाब से।

(3) प्रशासकीय खण्ड तथा उसकी सहायक इमारतें दिल्ली प्रशासन द्वारा अपने पास रखी जायेंगी और सभी आवन्टनधारियों से ली जाने वाली लागत में से इनकी लागत उसी अनुपात से घटा दी जायेगी।

(4) खुले प्लाटों, जिन्हें प्रशासन द्वारा अलग से बेचा गया था, के हेतु भूमि के अधिग्रहण तथा विकास पर होने वाले व्यय को आवंटन धारियों से ली जाने वाली पूंजीगत लागत से अलग रखा जायेगा।

(5) इस सम्पूर्ण योजना की ली जाने वाली कुल लागत की गणना उपरोक्त आधार पर की जायेगी और प्रत्येक आवंटनधारी से ली जाने वाली लागत का निर्धारण उन्हें आवंटित भूमि तथा इमारत के अनुपात से किया जायेगा और उस पर 15 वर्ष तक अर्थात किराया-खरीद योजना की अवधि तक 6 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लिया जायेगा। 1-9-196 अथवा आवंटन की तिथि से 31-3-1967 तक आवन्टन-धारियों द्वारा दिये गये किराये तथा 1962 से पूर्व के आवंटनधारियों को दिये जाने वाले मूल्य ह्रास को घटा कर शेष राशि को समान किस्तों में वसूल किया जायेगा। आवंटनधारियों को यह छूट होगी कि वह अपनी किस्तें वार्षिक दे सकते हैं। उस अवस्था में ब्याज की गणना उसी आधार पर की जायेगी।

(6) 1 सितम्बर, 1962 अथवा आवंटन की मानी गई तिथि, जो भी बाद में हो, से किराया-खरीद राशि को 15 वर्षों की कुल अवधि में वसूल किया जायेगा।

(7) किराया-खरीद की शेष राशि 1 सितम्बर 1969 से मासिक/वार्षिक आधार पर कुल 15 वर्षों में वसूल की जायेगी।

रद्दी लोहे पर आधारित बिजली के भट्टियों के उत्पादों के मूल्य तथा वितरण पर नियंत्रण

4732. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रद्दी लोहे पर आधारित बिजली की भट्टियों के मालिक, उनके द्वारा तैयार किये गये लौह पिण्ड, चपटा तथा गोल लोहा, वायर राड, मिश्र धातु, इस्पात स्टील कास्टिंग आदि जैसे उत्पादों को उन मूल्यों से जिस मूल्य पर अप्रैल, 1970 में यह उत्पाद बेचे जाते थे लगभग दुगने मूल्य पर बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बात को किस प्रकार सुनिश्चित करने का है कि घरेलू बिजली की भट्टियों के मालिक इस्पात की कमी का अनुचित लाभ न उठायें;

(ग) क्या सरकार का विचार इन उत्पादों के मूल्य तथा वितरण पर नियंत्रण करने का है; और

(घ) यदि हां तो क्या बिजली की भट्टियों के मालिकों द्वारा अर्जित अनपेक्षित अत्याधिक लाभ पर उत्पादन शुल्क लगाने हेतु कोई कार्यवाही करने का है?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ). जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रद्दी लोहा सम्बन्धी निर्यात नीति की घोषणा

4733. श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रद्दी लोहा उद्योग ने इस शर्त पर स्वतंत्र रद्दी लोहा निर्यात नीति की मांग की है कि सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य या खुले बाजार मूल्य या जहाज तक निःशुल्क मूल्य में से 20 रु० प्रति टन घटा कर शेष के 75 प्रतिशत की दर पर घरेलू मांग को पूरा किया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है कि 1 अप्रैल, 1970 से 3 मार्च, 1971 तक की अवधि के लिए रद्दी लोहा निर्यात नीति की घोषणा अभी तक नहीं की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1970-71 के लिये रद्दी लोहे के निर्यात की नीति की घोषणा पहले ही की जा चुकी है।

लौह चूर्ण की आवश्यकता

4734. श्री स० कुन्दू : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में नील धूल (ब्लूडस्ट) से निर्मित लौह चूर्ण की आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया गया है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या नीले धूल (ब्लूडस्ट) से बनाये गए ऐसे लौह चूर्ण का विदेशों से आयात किया जाता है, यदि हां, तो उसका कितनी मात्रा में किया जाता है ;

(ग) क्या प्रतिरक्षा विभाग को इस सामग्री की आवश्यकता है और यदि हां, तो उसकी वर्तमान खपत कितनी है और देश में इसका कितना उत्पादन किया जाता है और कितना आयात किया जाता है ; और

(घ) क्या सरकार के पास इस उद्योग का लघु क्षेत्र में विकास करने के लिये उपक्रमियों को प्रोत्साहित करने की योजना है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) विशेष रूप से नीले धूल से बने हुए लौह चूर्ण के आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि यह अवद संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं जिसके आधार पर विदेशी व्यापार के आंकड़ों को रखा जाता है। 1968-69 से 1970-71 (अप्रैल,

1970 तक) में आयातित लौह तथा इस्पात चूर्ण की मात्रा और कीमत नीचे दी जा रही है :—

वर्ष	मात्रा (मी० टन)	कीमत (हजार रु०)
1968-69	293	570
1969-70	326	580
1970-71 (अप्रैल, 1970 तक)	63	101

प्रतिरक्षा विभाग द्वारा आयात किये गए लौह तथा इस्पात चूर्ण की मात्रा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि देश में विदेशी व्यापार के आंकड़ों को समग्र रूप से रखा जाता है न कि प्रत्येक आयात करने वाले के अनुसार।

(घ) जी, नहीं।

Merger of C. A. C. O. with Cement Corporation of India

4735. **Shri J. B S. Bist** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the number and designations of those employees of the Cement Allocation Co-ordinating Organisation who were working in its offices at Delhi and other cities and were later absorbed in the Cement Corporation of India with effect from the 1st January, 1968, and the pay-scales drawn by them as on the 1st December, 1967 ; and

(b) whether these employees are at present getting the benefit of the pay-scales, seniority and promotions in the Cement Corporation of India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) When the administration of distribution was taken over by the Cement Corporation of India from the Cement Allocation and Coordinating Organisation with effect from 1st January, 1968, such of those employees of the latter Organisation who were likely to be retrenched as surplus and were willing to continue their employment in the Control Division of the Cement Corporation of India were appointed afresh, more or less, on the same terms as were admissible to them under the Cement Allocation and Coordinating Organisation on contracts for a period of one year in the first instance which have been subsequently extended from time to time with the continuance of the Cement Control Order. These employees were not absorbed under the Cement Corporation of India. A statement showing the number of those former CACO employees with the scales given to them, now working in the Control Division, is attached.

(b) No, Sir.

STATEMENT

Name of Regional Office	Designatian	No. of employees	Pay-Scales
			Rs.
Delhi	Office Assistant	1	500—40—700
,,	Stenographer	1	300—25—425
,,	L. D. Clerk	5	210—20—310
,,	Peon	4	125— 5—150
Madras	Regional Cement Officer	1	1100 — 1400
,,	Stenographer	2	300—25—425
,,	U. D. Clerk	2	300—25—425
,,	L. D. Clerk	7	210—20—310
,,	Peon	1	125— 5—150
Calcutta	U. D. Clerk	3	300—25—425
,,	L. D. Clerk	7	210—20—310
,,	Peon	3	125— 5—150
Bombay	Superintendent	1	700—50—900
,,	Stenographer	1	402—25—550
,,	U. D. Clerk	1	400—35—550
,,	L. D. Clerk	2	300—20—400
,,	Peon	3	135— 6—165
	Total :	45	

Pay Scales of Employees of Cement Allocation Coordinating Organisation borrowed by Cement Corporation of India

4736. **Shri J. B. S. Bist** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether he is aware that the employees borrowed from the Cement Allocation Coordinatng Organisation by the Cement Corporation of India are not provided with the same pay scales and other benefits as are enjoyed by their counter parts in the said Corporation ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government propose to compensate these employees for the financial loss being sustained by them since 1st January, 1968 ; and

(d) if so, the time by which a final decision is likely to be taken in this regard and, if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b). The employees of the Cement Allocation Coordinating Organisation were not borrowed by the Cement Corporation of India when the work relating to the control on price and distribution of cement

was taken over by the Corporation. The employees of the former organisation who were likely to be rendered surplus on the introduction of statutory control and who were willing to accept offer of appointments in the newly set up control Division of the Corporation were appointed afresh initially on contract for a period of one year in the first instant more or less on the same terms as were admissible to them under the Cement Allocation Coordinating Organisation. Their period of employment has been extended on an year to year basis with the continuance of the Cement Control Order.

(c) and (d). As the emoluments given to them are in terms of the contract of their appointments the question of the financial loss to them does not arise.

चौथी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में वृत्ताकार रेलवे पुल उपरि/निचले पुल और नये उपनगरीय स्टेशनों सम्बन्धी कार्यक्रम

4731. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में वृत्ताकार रेलवे, उपरि/निचले पुल, और नये उपनगरीय स्टेशन खोलने और नई गाड़ियां चलाने जैसी रेलवे परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. "रिंग रेलवे"

चौथी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली के लिए "रिंग रेलवे" का प्रस्ताव नहीं है।

2. उपरी/निचले सड़क पुल

चौथी योजना की अवधि में क्षेत्र में निम्नलिखित ऊपरी/निचले सड़क पुलों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है :—

(i) पटेल नगर में ऊपरी सड़क-पुल।

(ii) दिल्ली सराय रोहिल्ला के पास ऊपरी सड़क-पुल।

(iii) सफदरजंग हवाई अड्डे के पास मेहरौली रोड पर ऊपरी सड़क-पुल।

(iv) डिफेन्स कालोनी के पास ऊपरी सड़क-पुल।

(v) शाहदरा और साहिबाबाद के बीच कि० मी० 9 पर ऊपरी सड़क-पुल।

(vi) दिल्ली और शहदरा के बीच कि० मी० 4.9 पर ऊपरी सड़क-पुल।

3. उपनगरीय गाड़ियां और स्टेशन

दिल्ली क्षेत्र में कोई अतिरिक्त उपनगरीय गाड़ी चलाने का प्रस्ताव नहीं है सिवाय हापुड़ से नई दिल्ली तक चलने वाली सुबह की शटल के जो इस समय रात में चलने वाली। एन०डी० एच० के बदले में चला करेगी।

चौथी योजना में दिल्ली क्षेत्र में उपनगरीय यातायात के लिए कोई नया स्टेशन खोलने का विचार नहीं है।

विद्युत भट्टियों के मालिकों द्वारा बिना जांची हल्की इस्पात छड़ों तथा सलाखो की बिक्री

4738. **श्री गजराज सिंह राव :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विद्युत भट्यिों के मालिक बिना जांचीइ स्पात छड़ों तथा सलाखों को 1500 रुपये प्रति टन की दर से बेच रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इन विद्युत भट्टियों के मालिकों को उनके रद्दी लोहे पर आधारित उत्पादों पर उत्पादन शुल्क 75 रुपये प्रति टन की छूट देने तथा अतिरिक्त रद्दी लोहे के निर्यात मूल्यों पर रद्दी लोहे की सप्लाई देने की अपनी नीति को कैसे न्यायोचित मानती है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अनापेक्षित लाभों को रोकने तथा उत्पादन शुल्क में उन को दी जाने वाली छूट तथा अन्य रियायतों को वापस लेने का है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पुनर्वेलकों द्वारा निर्मित छड़ों और गोल छड़ों का खुले बाजारों में मूल्य भारत में अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग है। अधिकतम मूल्य लगभग 1500 रुपये प्रति टन है।

(ख) और (ग). सरकार ने विद्युत भट्टियों को इस्पात का उत्पादन, जिसकी देश में कमी है, बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन के रूप में उत्पादन शुल्क में 75 रुपये प्रति टन की छूट देने का निर्णय किया था। जबकि सरकार की छड़ों और गोल छड़ों की उचित मूल्य पर बिक्री सनिश्चित कराने के उपायों पर विचार कर रही है, इस्पात के अधिक उत्पादन की आवश्यकता ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसलिये उत्पादन शुल्क में दी गई छूट को खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मैसर्स भारत कारपेट्स लिमिटेड, नई दिल्ली के खाते

4739. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय-कार्य विभाग ने मैसर्स भारत कारपेट्स लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा लगभग 32 लाख रुपये की राशि को अपने खातों में मैसर्स भारत कारपेट्स लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक और एक अन्य निदेशक की अन्ध फर्मों से ऋण के रूप में दिखाये जाने के बारे में जांच की है ;

(ख) क्या इस बात का भी पता लगा है कि उक्त फर्म के निदेशकों ने कथित धोखा-घड़ी को छिपाने के उद्देश्य से अपने नई दिल्ली तथा फरीदाबाद स्थित लेखा विभाग में कर्मचारियों तथा किताबों में अक्सर फेर बदल की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

समवाय-कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) मैसर्स भारत कारपेट्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 1970 तक के खातों का निरीक्षण करने से पता लगा है कि :

(एक) कम्पनी के असुरक्षित ऋण केवल मैसर्स भारत कला केन्द्र प्राइवेट लिमिटेड से लिये गए थे ; और

(दो) इस प्रकार के ऋण की राशि 23,02,025/- रुपये की थी जो मैसर्स भारत कला केन्द्र प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी गई परिसम्पत्तियों और उस पर ब्याज की बकाया देय राशि के रूप में थीं ।

(ख) और (ग). कम्पनी के नई दिल्ली तथा फरीदाबाद स्थित लेखा विभाग में कर्मचारियों और किताबों में किये गये तथाकथित फेर बदल के बारे में सरकार को किसी प्रकार की शिकायतें नहीं मिली हैं ।

"डोमेस्टिक स्टील फरनेस स्कल स्क्रेप" का निर्यात

4740. **श्री अ० सि० सहगल** : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "डोमेस्टिक स्टील फरनेस स्कल स्क्रेप" के निर्यात की अनुमति है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बीच डोमेस्टिक स्टील फरनेसी के मालिकों को ये निदेश दिये हैं कि वे बाजार में उपलब्ध होने वाले स्कल स्क्रेप और स्टील स्कल स्क्रेप के मुख्य उत्पादकों के उत्पादों के स्थान पर अपने उत्पादों का प्रयोग करें ; और

(ग) क्या डोमेस्टिक फरनेस के मालिकों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार का बिजली से चलने वाले फरनेस स्कल स्क्रेप पर रोक लगाने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ग). वर्तमान निर्यात नीति के अधीन स्कल स्क्रेप का निर्यात गुणानुक्रम के आधार पर ही किया जा सकता है जिसका अर्थ है कि केवल घरेलू आवश्यकताओं से फालतू मात्रा के निर्यात पर ही विचार किया जायेगा ।

(ख) घरेलू भट्टियों के मालिक पहले ही अपने स्कल स्क्रेप का उपयोग कर रहे है ।

Expansion of Hajipur Station and Yard (N. E. Rly)

4741. **Shri Valmiki Choudhary** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Railway Board has formulated any scheme for the expansion of Hajipur Station and Yard ; and

(b) if so, the time by which the expansion work is likely to be completed ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) Does not arise.

Land Acquired for Construction of Jagjivan Ram Bridge over River Gandak at Hajipur (N. E. Rly.)

4742. **Shri Valmiki Choudhary**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the acreage of land acquired at the time of construction of the Jagjivan Ram bridge over the river Gandak at Hajipur and the names of the owners of the said land ;

(b) whether the whole of the acquired land was utilised for the construction of the bridge or for the purpose of safety thereof ;

(c) whether the land in excess of requirements, if any, was returned to the owners thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda): (a) 72.659 acres. 7.23 acres of Khas Mahal land was also transferred to the Railway in connection with the work. Names of the persons from whom the land was acquired are not known as the compensation to them was disbursed by the Civil Authorities.

(b) The entire area of the acquired land was utilised for the construction of the bridge, for the purpose of safety thereof and for remodelling of the station yard at Hajipur.

(c) and (d). Do not arise.

नई दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिए मकान

4743. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिये मकानों की भारी कमी के बारे में सरकार को जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि बड़ौदा हाउस में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों को बहुत दूर से आना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो मकानों की कमी को दूर करने और नई दिल्ली क्षेत्र में कर्मचारियों के मकानों के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) उत्तर रेलवे को नियत की गई रकम में से दिल्ली और नई दिल्ली में प्रतिवर्ष क्वार्टर बनाए जाते हैं । उत्तर रेलवे, समूची रेलवे के विभिन्न स्टेशनों की तुलनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्र में क्वार्टरों के निर्माण के लिए नियत रकम का कुछ भाग अलग रख देती है । सामान्यतया यह रकम पर्याप्त मात्रा में होती है जो 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में रेलवे से कुल नियत की गई रकम का क्रमश: 24 प्रतिशत 36 प्रतिशत और 46 प्रतिशत थी ।

रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारियों के कर्त्तव्य

4744. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 22 जुलाई, 1970 के 'सर्चलाइट' में प्रकाशित 'ग्रार० पी० एफ० मैन लूक ग्रान व्हाइल ट्रेन लूटिड' समाचार की ग्रोर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; ग्रौर

(ग) रेलवे सुरक्षा बल के कर्त्तव्य क्या हैं ग्रौर क्या उनका कर्त्तव्य यात्रियों की सम्पत्ति ग्रौर यात्रियों तथा रेलवे द्वारा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को भेजे जाने वाले माल की देखभाल करना ग्रौर रक्षा करना भी है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) क्षेत्रीय रेलवे ने इस घटना की जांच शुरु कर दी है। रेलवे सुरक्षा दल की मिली-भगत के बारे में ग्रभी कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। जांच-पड़ताल जारी है।

(ग) रेलवे सुरक्षा दल ग्रधिनियम, 1957 की धारा 11 के ग्रनुसार रेलवे सुरक्षा दल के प्रत्येक दल के प्रत्येक कर्मचारी के कर्तव्य निम्नलिखित हैं :—

(I) ग्रपने प्रवर प्राधिकारी द्वारा उसे कानूनी तौर पर दिये गये सभी ग्रादेशों का तत्काल पालन करना ;

(II) रेल सम्पति की सुरक्षा और उसकी हिफाजत ;

(III) रेल सम्पत्ति के संचालन में होने वाले किसी प्रकार के ग्रवरोध को दूर करना ; ग्रौर

रेल सम्पत्ति के बेहतर बचाव ग्रौर सुरक्षा में सहायक कोई अन्य कार्रवाई करना। इस ग्रधिनियम में रेल सम्पति की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है :—

'रेल सम्पत्ति" के ग्रन्तर्गत ऐसा कोई माल, धन या मूल्यवान प्रतिभूति या जीव-जन्तु ग्राता है, जो कि रेल प्रशासन का है या उसके भारसाधन या कब्जे में है।

इसलिए रेलवे सुरक्षा दल से यात्रियों की जान-माल की हिफाजत ग्रौर सुरक्षा की ग्राशा नहीं की जाती।

Decline in Production of Tyres

4745. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether there has been 18.5 per cent fall in the production of tyres during May, 1970 as compared to the production during May, 1969 ;

(b) if so, the actual figures thereof ;

(c) whether the production of all the leading manufacturers of tyres like Ceat, Incheck, Dunlop, Premier Tyres. Good Year, Madras Rubber etc. is below their capacity ;

(d) if so, the reasons therefor as also the reasons for the fall in production and the steps Government propose to take to increase production ; and

(e) the steps Government propose to take to stop black-marketing tyres ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) During May, 1970, there has been fall in production of automobile tyres to the extent of 7.6% compared to the production during May, 1969.

(b)	May, 1969	2,94,601 Nos
	May, 1970	2,71,906 Nos.

(c) and (d). Production of three out of the eight automobile tyre manufacturing units has been below their installed capacity; these three units have not been able to achieve production to the full extent of their installed capacity during 1970 due to strike in two factories and some labour trouble in the third one. But the production of automobile tyres has been steadily increasing and steps have also been taken to increase additional capacity for these items. Industrial licences/letters of Intent have been issued to the six existing tyre units for effecting substantial expansion and to one unit for setting up a new undertaking. These units are taking steps to implement the licensed schemes. The applications received in response to the Press Note issued this year for setting up of additional capacity automobile tyres and tubes are under consideration of the Government and when all the schemes approved by Government materialise, production of automobile tyres and tubes is likely to increase further.

(e) All categories of tyres and tubes have been brought under the purview of the Essential Commodities Act 1955 and the State Governments are empowered to regulate their sale and distribution if they consider it necessary. The penal provisions of the Essential Commodities Act enable the State Governments/Union Territories to curb blackmarketing in and hoarding of essential commodities.

छोटी कार के निर्माण के लिये आवेदकों द्वारा प्रस्तावित वित्तीय व्यवस्था

4746. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी कार के निर्माण के लिए आवेदकों के पास क्या वित्त व्यवस्था है ;

(ख) क्या ये आवेदक अपनी वित्तीय कमी को राष्ट्रीकृत बैंकों से धन उधार लेकर पूरा करना चाहते हैं ; और

(ग) क्या सभी आवेदकों द्वारा संलग्न आंकड़ों सहित प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों को सभा पटल पर रखने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). यह काम उद्योगपतियों का है कि वह अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन की उपयुक्त व्यवस्था करें। लाइसेंस के आवेदनों में वित्तीय साधनों को केवल मोटे रूप से ही दिखाना होता है ।

(ग) जी, नहीं ।

छोटी कार निर्माताओं को लाइसेंस जारी करना

4747. **श्रीमती सुचेता कृपलानी :** क्या **औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा छोटी कार निर्माताओं को जारी किये गये लाइसेंसों अथवा आशय-पत्रों में कोई विदेशी सहयोग भी अन्तर्गस्त है ; और

(ख) यदि हां, तो उन लाइसेंसों की शर्तें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) छोटी कार के उत्पादन के लिए किसी भी पार्टी को अभी तक कोई लाइसेंस या आशय-पत्र नहीं दिया गया है। तथापि, सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र की केवल उन पार्टियों को ही आशय-पत्र जारी करना है जो विदेशी सहयोग और आयात अथवा विदेशी मुद्रा के आवंटन की आवश्यकता के बिना कारों का उत्पादन आरम्भ करने के लिए तैयार हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

छोटी कार का मूल्य

4748. **श्रीमती सुचेता कृपलानी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने लाइसेंस अथवा आशय-पत्र जारी करने से पूर्व यह निर्णय कर लिया था कि एक छोटी कार कितनी लागत में बनाई जा सकती है या इसके विशेष विवरण क्या होंगे अथवा क्या इस छोटी कार का मूल्य निर्धारित करना निर्माताओं की स्वेच्छा पर ही छोड़ दिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : कारें बनाने के लिए अभी तक किसी पार्टी को कोई लाइसेंस अथवा आशय पत्र नहीं दिया गया है। प्रस्तावित कार का निर्माण करने के लिए उसकी बनावट तथा कार के अनुमानित बिक्री मूल्य के बारे में कुछ आवेदकों ने उल्लेख किया है। सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसी पार्टियों को आशय-पत्र देने पर विचार कर रही है। जो पूर्णरूप से देशी डिजाइन तथा बिना किसी आयात के अथवा बिना किसी विदेशी मुद्रा के आवंटन के आधार पर कारें बनाने के लिए तैयार हैं। फिर भी, उस पर शर्त लगाने का विचार है कि आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस के रूप में बदलने से पहले, पार्टियां आद्यरूप तैयार करेंगी और सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किये गये प्राधिकारी द्वारा सड़क पर चलने की योग्यता का परीक्षण किया जायेगा।

जहाँ तक उचित बिक्री मूल्य का संबंध है इस पहलू पर तभी विचार किया जाएगा जब पार्टियों द्वारा उत्पादन किया जाने लगेगा।

छोटी कार परियोजना के आवेदकों के लिये निर्धारित अर्हतायें

4749. **श्री कमलनयन बजाज :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी कार परियोजना के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र के आवेदकों के लिए कोई अर्हताएं निर्धारित की गई हैं, और यदि हां, तो वे क्या हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में जनता से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे ; और

(ग) क्या बनाई जाने वाली कार के नमूने पर सरकार द्वारा निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) सरकार ने यह निश्चय किया है कि उन पार्टियों को आशय-पत्र जारी करने पर विचार किया जायेगा जो कि गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसी कारों का निर्माण करने के इच्छुक हों, जिनका नमूना पूर्ण रूपेण देशीय हो और जिन्हें आयात करने अथवा विदेशी मुद्रा के आवन्टन की आवश्यकता न हो ।

(ख) यद्यपि सरकार ने आवेदन विशिष्ट रूप से आमंत्रित नहीं किये हैं, तथापि कुछ पार्टियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) यह काम उद्योगपतियों का है कि वह किस नमूने की कार का निर्माण करना चाहते हैं । फिर भी सरकार यह शर्त लगाना चाहती है कि आशय पत्र को लाइसेंस में परिवर्तित करने से पूर्व उद्योगपति कार के आद्यरूप को तैयार करेंगे और सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त प्राधिकारी से इसके सड़क पर चलने की योग्यता का परीक्षण करायेंगे ।

केरल में एक इस्पात कारखाने की स्थापना

4750. **श्री जनार्दनन :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केरल में, वहां के कोभीकोड जिले में पाये गये लौह अयस्क के भण्डारों के आधार पर एक इस्पात का कारखाना स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने कोभीकोड जिले में खनिज लोहे के भण्डारों के व्यापक सर्वेक्षण का काम अभी पूरा नहीं किया है । इस सर्वेक्षण के पूरा होने पर ही इसके निष्कर्षों के आधार पर निवेश प्रस्ताव के बारे में विचार किया जा सकता है ।

वस्तुओं में वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध

4751. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्तुओं में वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध कब तथा कैसे लगाया गया था ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) विशिष्ट वस्तुओं के निर्धारित डिलीवरी के अहस्तान्तरितीय सौदों को छोड़ कर वायदे के सौदों पर प्रतिबन्ध अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के खण्ड 17 को लागू करने से लगाया जा सकता है। जब कभी आवश्यक समझा जाए तो विशिष्ट वस्तुओं के निर्धारित डिलीवरी के अहस्तान्तरणीय सौदों पर भी अधिनियम के खण्ड 18 के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।

उन वस्तुओं को, जिनके वायदा बाजार तथा अहस्तान्तरणीय विशिष्ट डिलीवरी सौदों पर 1967 तक तथा 1968 और 1969 के दौरान प्रतिबन्ध लगाया गया है, दिखाने वाले विवरण सभा पटल पर रखे गये हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4128/70]

(ख) जिन मुख्य कारणों से वायदा बाजार के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगाया गया है वे इस प्रकार हैं :

(एक) खाद्यान्न, चीनी इत्यादि की तरह व्यापक मूल्य तथा वितरण पर प्रतिबन्ध का होना।

(दो) सरसों, मूंगफली की खली आदि की तरह सप्लाई में कमी तथा ऊंचे मूल्य।

(तीन) जिस प्रकार सरसों के बहाने सरसों की खली का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार निःशुल्क अथवा अनुमति प्राप्त वस्तुओं के बहाने कतिपय प्रतिबन्धित वस्तुओं के व्यापार को रोकने के उपाय के रूप में कार्यवाही करना।

इन सौदों के परिकल्पित उद्देश्यों के वास्तविक अथवा सम्भावित दुरुपयोग के कारण अहस्तान्तरणीय विशिष्ट डिलीवरी सौदों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

पश्चिमी बंगाल में मध्यावधि निर्वाचन के बारे में प्रधान मन्त्री का वक्तव्य

4752. **श्री समर गुह :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने कलकत्ते के अपने दौरे के समय यह कहा था कि पश्चिमी बंगाल में 1972 से पहले मध्यावधि निर्वाचन नहीं होंगे ; और

(ख) यदि हां, तो प्रधान मन्त्री द्वारा किये गए उक्त वचन के क्या आधार हैं ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). अपने कलकत्ता भ्रमण के दौरान प्रधान मन्त्री ने यह संकेत दिया था कि पश्चिमी बंगाल विधान सभा के निर्वाचनों के प्रश्न पर विचार तब किया जाएगा जब विधि और व्यवस्था की स्थिति पुनः सामान्य हो जाएगी जिससे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र तथा निर्भीक ढंग से कर सकें।

Setting up of a Vegetable Oil Factory in Nimar District, Madhya Pradesh

4 53. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be pleased to state :

(a) whether Government purpose to set up a factory in West Nimar District for the production of vegetable oil ;

(b) whether Government have received any application in this respect ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise.

भारत से कच्चे लोहे का आयात करने की जापान की इच्छा

4754. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के मैसूर के मुख्य मन्त्री की ओर से इस आशय के प्रस्ताव मिले हैं कि जापान भारत से भारी मात्रा में कच्चे लोहे का आयात का इच्छुक है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा बातचीत कब आरम्भ की जाएगी ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अपनी जापान यात्रा के आधार पर मैसूर के मुख्य मत्री ने यह विचार व्यक्त किया था कि जापान सम्भवतः पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में लौह खनिज का आयात करेगा।

(ख) जापान को प्रचुर मात्रा में लौह खनिज का निर्यात हो रहा है। मैसूर के मुख्य मन्त्री व्यक्त किये गये विचार के अनुसार जापान से कोई नई बातचीत नहीं की जा रही है।

क्वीलोन तथा मदुरै के बीच सूक्ष्म तरंग द्वारा संपर्क

4755. **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्वीलोन और मदुरै के बीच सूक्ष्म तरंग द्वारा सम्पर्क स्थापित करने के कार्य में कहां तक प्रगति हो रही है ;

(ख) इस योजना के पूरा होने में कितना समय लगेगा ;

(ग) क्या इस कार्य में रेलवे का हिस्सा कितना है ; और

(घ) क्या इस कार्य के लिए रेलवे द्वारा देश में बनाये गए उपकरण ही काम में लाये जाते हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) कोल्लम में रिपीटर स्टेशन की इमारतें निर्माणाधीन हैं और बुर्ज (टावर) बनाने का काम हो रहा है। अन्य रिपीटर स्टेशनों पर बुर्ज की नींव डालने का काम हाथ में ले लिया गया है।

(ख) इस परियोजना को जून, 1971 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) यह एक विशुद्ध रेल परियोजना है।

(घ) इस परियोजन के लिये माइक्रोवेव रेडियो और सारिणीकरण उपस्कर का निर्माण देश में ही मैसर्स इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलूर द्वारा किया जा रहा है। बाकी चीजें जैसे बुर्ज और उनके आनुषंगिक उपस्कर अन्य देशी साधनों जिनमें रेले भी शामिल हैं से प्राप्त किये जा रहे हैं।

Convening of a Constituent Assembly for Amending the Constitution

4756. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have under active consideration a proposal to call a Constituent Assembly of representatives elected by the people on the basis of adult franchise with a view to amending the Constitution of India ; and

(b) if so, the pragramme being chalked out by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबन्धकों का सम्मेलन

4757. **श्री अदिचन :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबन्धकों को एक सम्मेलन जून, 1970 के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में विचारित विषयों को तथा किये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां। रेलवे बोर्ड के साथ महाप्रबन्धकों की बैठक 8, 9 और 10 जून, 1970 को हुई थी।

(ख) बातचीत में सामान्यतः नीति सम्बन्धी मामलों और रेलों के दिन प्रति दिन के कार्य संचालन से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया गया था। जिन विशिष्ट विषयों पर विचार विमर्श किया गया वे संलग्न विवरण में बताए गए हैं।

ऐसी बैठकों से महा प्रबन्धकों को आपस में और रेलवे बोर्ड के सदस्यों के साथ विचारों के आदान-प्रदान का अवसर मिलता है। इन का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि कुशलता में वृद्धि हो और महा प्रबन्धक, स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बैठक में किये गये विचार-विमर्श के प्रकाश में इसके लिये यत्न करते हैं।

विवरण

रेलवे बोर्ड के साथ हुई महा प्रबन्धकों की बैठक में इन विषयों पर विचार विमर्श किया गया :—

1. 12-3-1970 को राज्य सभा में रेल मंत्री द्वारा घोषित 11 सूत्री कार्यक्रम ।

2. परिचालन कार्य की समीक्षा :—

(क) :

(i) लदान

(ii) अदला-बदली

(iii) यानांतरण

(iv) विभिन्न रेलों के आवक और जावक माल का अनुपात ।

(ख) यात्री गाड़ियों का समय-पालन ।

(ग) इंजनों का उपयोग :

(i) इंजन किलोमीटर ।

(ii) भाप, डीजल और बिजली के रेल इंजनों के गाड़ी इन्जन घटे ।

(iii) बोर्ड कार्यालय में की गई शक्ति समीक्षा के परिणाम स्वरूप, भाप इन्जनों की नियुक्ति ।

3. दुर्घटनाएं :—

(i) दुर्घटनाओं की समीक्षा ।

(ii) गाड़ी दुर्घटना के मामलों को अन्तिम रूप देना ।

(iii) कर्मचारियों की संरक्षा-शिक्षा और संरक्षा-प्रचार ।

(iv) दण्ड की पर्याप्त व्यवस्था ।

4. (i) भारतीय रेलों के स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था ।

( ) स्टेशनों का बिजलीकरण और जल शीतकों की व्यवस्था ।

(iii) सुविधा फिटिंग (गाड़ी में रोशनी व्यवस्था) ।

(iv) कोचिंग स्टाक का अनुरक्षण (यांत्रिक)

5. माल गाड़ियों की जांच के मुक्तिकरण में की गई प्रगति ।

6. स्टेशनों पर भाड़ों का बकाया ।

7. इन्धन में किफायत कोयला, तीव्र गति वाला डीजल तेल और बिजली शक्ति ।

8. रेल इन्जनों सरकारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत के लिये कारखाना क्षमता की 15 वर्षीय समीक्षा ।

9. उत्पादन यूनिटों का काम ।

10. डीजलीकरण/बिजलीकरण के कारण फालतू कर्मचारियों को समाहित करना ।

11. रेलवे स्टेशनों की परिसीमाओं में वाहन खड़े करने का शुल्क वसूल करने के बारे में नीति ।

12. कोचिंग स्टाक की कमी ।

1`. लोको कोयले के माल डिब्बों में कम कोयला लादना और इंवायस में अधिक वजन दिखाना ।

14. निर्माण कार्यों और अनुरक्षण कार्य पर प्रभाव डालने वाली रेल पथ की छोटी फिटिंगों की कमी और उनकी खरीद का ढीला तरीका ।

भारत में ईंटें तथा टाइल बनाने के कारखाने स्थापित करने के लिए रूमानिया के साथ करार

4758. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में यंत्रों द्वारा ईंटें तथा टाइलें बनाने के लिए कारखाने लगाने के बारे में रूमानिया (रूमानिया की एक राजकीय कंपनी) के साथ कोई करार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ये कारखाने कहां-कहां लगाये जायेंगे ; और

(ग) क्या केरल में टाइलों और ईंटों के कच्चे माल की बड़े पैमाने पर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये सरकार ने इन कारखानों को केरल में स्थापित करने का निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). सरकार ने मेसर्स एक्सेलीसयर प्लान्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली को, जो गैर सरकारी क्षेत्र की एक संयुक्त स्टाक कम्पनी है, मैसर्स यूजीनएक्सपोर्ट स्टेट कंपनी फार फारन ट्रेड, रूमानिया के तकनीकी सहयोग से ईंटें बनाने वाले स्वचालित संयंत्रों का निर्माण करने के लिए फरीदाबाद (हरियाणा) में एक नये औद्योगिक उपक्रम की स्थापनार्थ उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस स्वीकृत किया है ।

(ग) केरल सरकार के पास रूमानिया के समाजवादी गणतंत्र के व्यापार प्रतिनिधि, मद्रास शाखा से केरल में ईंटें तथा टाइलों के संयंत्र की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव आया है, जो उनके विचाराधीन है ।

Expansion of Central Industrial Projects in Madhya Pradesh

4759. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the names of Central Industrial Projects in Madhya Pradesh for the expansion of which the Planning Commission has given its approval ;

(b) the total expenditure incurred so far on these projects ; and

(c) the nature of benefits likely to accrue from these projects after their completion ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) Bhilai Steel Plant, Bhilai ; Heavy Electricals, Bhopal ; Nepa Paper Mills, Nepa Nagar ; Security Paper Mills, Hoshangabad ; Korba Aluminium, Korba ; New Alkaloid Factory, Neemuch ; and Mandhar Cement Factory, Mandhar.

(b) Rs. 459.1 crores during 1951-68.

(c) These projects would not only be manufacturing a wide range of essential commodities such as steel, paper, aluminium and cement but also complex and sophisticated equipment as in the case of Heavy Electrical Plant at Bhopal. The implementation of these projects would yield immedse benefits, not only in terms of utilisation of raw materials and substantial increase in the gross national product but also in terms of considerable, increase in employment opportunities. The production in these plants would also bring about a great reduction in the imports of these essential items. Many of these plants are already in operation and the above mentioned benefits have already accrued in their case.

केन्द्रीय जांच-ब्यूरो द्वारा भिलाई इस्पात के उत्पादनों को दक्षिण भारत में ले जाने की जालसाजी का पता लगाया जाना

4760. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक ऐसी जालसाजी का पता लगाया है जिसमें भिलाई इस्पात के उत्पादों को ले जा रहे माल के डिब्बों को, उनके गन्तव्य स्थानों तक न ले जाकर दक्षिण भारत में उसके माल की डिलीवरी करने के उद्देश्य से अन्य स्टेशनों पर भेज दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है और इस मामले में कार्य कर रहे गिरोह का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) जी हां ।

(ख) अभी जांच हो रही है ।

(ग) अपराधियों को दंड देने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकार की जालसाजी को रोकने के लिए सुरक्षा के उपाय कड़े किये जा रहे हैं ।

शीतल पेयों के उत्पादन के लिए कच्चे माल का आयात

4761. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कोका कोला जैसे शीतल पेयों के उत्पादन के लिए कितने कच्चे माल का आयात किया गया ; और

(ख) उनके आयात को कम करने के लिए विकल्प के रूप में देश में बने पेयों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) गत तीन वर्षों में शीतल पेयों के उत्पादन के लिए अन्य सामानों के सहित आयात किया गया कच्चा माल इस प्रकार है :

वर्ष	वास्तविक उपभोक्ता आधार पर रु० में
1967-68	2,42,915
1968-69	4,00,755
1969-70	3,70,735

(ख) शीतल पेयों के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल सारीय तेल और साइट्रिक एसिड है। इन कच्चे मालों को देश में होने वाला उत्पादन आवश्यकता पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इन कच्चे मालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आयात कम करने की दृष्टि से प्रयत्न किए जा रहे हैं। देशीय उत्पादकों द्वारा शीतल पेयों का उत्पादन करने के निमित्त सभी प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

Forward Trading in Gur

4762. **Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the further, progress made in regard to the decision taken by Government recently to allow forward trading in gur ;

(b) whether forward trading in gur has not yet started in spite of Government's announcement ;

(c) if so, the main reason therefore ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) Forward trading in gur has been brought under the regulation provisions of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952. Recognition has also been granted to eight associations for conducting such trading. Notifications to this effect have been issued on the 10th August, 1970.

(b) No. Sir. Out of the eight recognised associations seven associations have already commenced forward trading in gur.

(c) Does not arise.

मध्य प्रदेश द्वारा बस्तर के लिए प्रस्तुत की गई विकास योजना

4763. **श्री दे० वि० सिंह : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बस्तर जन-जाति जिले के लिए 1968 में कोई दस-वर्षीय विकास योजना प्रस्तुत की गई थी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा तथा अनुमानित लागत क्या है और इसके कार्यान्वयन के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) गत दो वर्षों में स्कूलों, छात्रावासों, आश्रम स्कूलों, सहकारी विकास, जन-जाति लोगों के लिये ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करने, कृषि राज सहायता की व्यवस्था करने, कृषि-माल तैयार करने वाले उद्योग स्थापित करने और पीने के पानी के कुएं खोदने के सम्बन्ध में उक्त जनजाति जिले के विकास में अब कितनी प्रगति हुई है तथा प्रत्येक मद पर कितना व्यय किया गया है और इसके लिये केन्द्र ने कितनी सहायता दी ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). 10 वर्षों में बस्तर जिले के विकास को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपये से भी अधिक का वृहत और विशेष विनिधान किए जाने का प्रस्ताव किया है। मुख्य प्रस्तावित योजनाएं निम्नलिखित थीं :—

1. स्कूलों, छात्रावासों तथा कर्मचारियों के लिए 3700 भवनों का निर्माण।
2. संसाधन उद्योग।
3. 500 कुंओं का निर्माण।
4. 600 सहकारी समितियों की स्थापना।

यह भी बताया गया कि चतुर्थ तथा पंचम योजनाओं के लिए निश्चित की गई वित्तीय शिखर सीमाओं को ध्यान में रखे बिना इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय धन दिया जाए। इन प्रस्तावों को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सका :—

(1) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से बाहर कोई साधन उपलब्ध नहीं है।

(2) भवन निर्माण वृहत् कार्यक्रम पर अल्प राष्ट्रीय साधनों को लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

(3) आन्तरिक साधनों की सम्भावित उपलब्धता तथा राज्य के अन्य आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर आधारित वास्तविक कार्यक्रम बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

(4) बस्तर जिले की विकासात्मक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय निकाय को नियुक्त करने की पांडे आयोग की सिफारिश को राज्य सरकार ने अब तक क्रियान्वित नहीं किया है।

मध्य प्रदेश के आदिम जाति क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

4764. **श्री दे० वि० सिंह : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार के आदिम जाति कल्याण विभाग ने मध्य प्रदेश के सात जिलों के आदिम जाति क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए लगभग 50.04 करोड़ रुपये की लागत की कोई विशेष योजना चौथी योजना में सम्मिलित करने तथा राज्य योजना के अतिरिक्त उसके लिए निधियों की व्यवस्था करने के लिये प्रस्तुत की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस पर योजना आयोग तथा भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, तथा सरकार द्वारा अनुमोदित रूप में योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) योजना की क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). जी नहीं प्रश्न नहीं उठते ।

Posting of Central Employees in States for Election Purposes

4765. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have examined the feasibility of posting Central Government employees in the States for carrying out the work of the Election Commission in place of the State Government employees who carry on such work at present so that the Election Commission may have its direct control in the State ; and

(b) if so, the decision taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : No, Sir.

(b) Does not arise.

त्रिपुरा में आदिम जाति विकास योजनाओं के लिए धन का नियतन

4766. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में त्रिपुरा में आदिम जाति विकास योजनाओं के लिए कितनी धनराशि रखी गई थी और उन पर वास्तव में कितना धन व्यय हुआ और क्रियान्वित की गई योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और प्रत्येक योजना में उक्त वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में कितनी प्रगति हुई ;

(ख) चालू वर्ष में इन योजनाओं के कितनी धनराशि रखी गई है ; योजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) उक्त वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में आदिम जाति विकास योजनाओं पर प्रशासनिक मामलों सहित और विकास-कारी कार्यों पर कितना धन व्यय हुआ और आदिम जाति के लोगों को नकदी के, बच्चों के लिए पुस्तकों के रूप में अथवा अन्य प्रकार से वास्तव में कितना धन मिला ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). यह सूचना मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत लेखा-परीक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउटेंटों की निर्धारित अर्हताएं

4767. **श्री समर गुह** : क्या **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 ख के अन्तर्गत लागत परीक्षण करने के लिये चार्टर्ड एकाउन्टेंटों की निर्धारित अर्हताएं अधिसूचित कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इनका पाठ क्या है ?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक शास प्राप्त लेखाकार के लिये शास प्राप्त लेखाकार अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तिर्गत, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 233ख के उद्देश्य के लिय, एक लेखा-परीक्षक की नियुक्ति के लिये, निम्नलिखित योग्यतायें आवश्यक होगीं, अर्थात ;

वह एक शास प्राप्त लेखाकार एवं भारतीय शास प्राप्त लेखाकार संस्थान का 10 वर्ष का अधि सदस्य होगा, तथा कथित अधिनियम के अर्थान्तिर्गत व्यवहार में, होगा ।

गोल्डन टोबैको कम्पनी के भागीदारों को मिले लाभांश की राशि

4768. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोल्डन टोबैको कपनी के भागीदारों को वर्ष 1968 में कितना लाभांश मिला है ; और

(ख) इस कम्पनी के भागीदारों के शेयरों तथा लाभांश का अनुपात कितना है ?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) मैसर्स टुबैको कम्पनी लिमिटेड़ के निदेशक मंडल ने, कम्पनी के अंशधारियों को वर्ष 1968-69 के लिये लाभांश का भुगतान करने के लिये 28.90 लाख रुपये के लाभांश की सिफारिश की थी ।

(ख) कम्पनी की उस वर्ष की प्रदत्त पूंजी का प्रस्तावित लाभांश 10.3 प्रतिशत था ।

सोडा के हाइड्रोसल्फाइड का मूल्य

4769. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में सोडा के हाइड्रोसल्फाइड का मूल्य विक्रय मूल्य से भी कम हो गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) गत तीन महीनों में इनके मूल्य कितने कम हुए हैं और इन महीनों में इनका विक्रय मूल्य कितना रहा है ;

(ग) क्या बहुत से उत्पादक सोडा की हाइड्रोसलफाइड की वही मात्रा का उत्पादन करने के अनिच्छुक हैं तथा वे इसका उत्पादन कम करने के लिए विवश हैं और यदि हां, तो इससे उत्पादन पर कहां तक प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) सरकार ने इस उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). जुलाई, 1969 से दिसम्बर, 1969 तक तथा मार्च, 1970 और मई, जून और जुलाई, 1970 के महीनों का तीन देशीय उत्पादकों द्वारा दिया गया हाइड्रोसल्फाइट सोडा का त्रैमासिक औसत थोक विक्रय मूल्य नीचे दिया जा रहा है :—

	औसत थोक विक्रय मूल्य			रुपये किलोग्राम में			
कम्पनी का नाम	जुलाई 69,	अक्तूबर 69,	दिसम्बर 69	मार्च	मई	जून	जुलाई 1970
जे० के० कैमिकल्स बंबई	9.75	13.5	16.0	16.0	10.0	12.0	11.0
इण्डियन इलोक्ट्रो कैमिकल्स आमदाबाद	—	16.5	16.5	16.0	11.0	11.0	11.0
ट्रावनकोर-कोचीन कैमिकल, अलुवाय	10.5	14.9	15.6	16.0	11.0	11.0	11.0

(ग) सरकार को इस बात की सूचना नहीं है कि उत्पादक पिछले उत्पादन स्तर को बनाए रखने में अनिच्छुक हैं। यह सम्भव है कि आयातित जस्ता करम तथा तरल सल्फर डाइ आक्साइड जिसकी कुछ उत्पादकों को हाइड्रोसल्फाइट सोडा बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है के देर से आने के कारण जुलाई, 1970 में उत्पादन में कुछ उतार चढ़ाव रहा है। हाइड्रोसल्फाइट सोडा का 1968, 1969 तथा जनवरी से जुलाई 1970 तक हुआ औसत मासिक उत्पादन जैसा कि देशीय उत्पादकों द्वारा बताया गया है निम्न प्रकार हैं :—

कम्पनी का नाम	हाइड्रोसल्फाइट सोडा का उत्पादन (मी० टनों में)						
	1968 का मासिक औसत उत्पादन	1969 का मासिक औसत उत्पादन	जनवरी 1970	मार्च '70	मई '70	जून '70	जुलाई '70
जे० के० कैमिकल्स बम्बई	310	271	331	342	386	303	281
इण्डियन इलेक्ट्रो कैमिकल अहमदाबाद	93	79	130	120	27	0.4	—
ट्रावनकोर कोचीन कैमिकल अलवे	69	117	56	168	15	35	58

(घ) औद्योगिक मूल्यों और कीमती संबंधी ब्यूरो ने हाइड्रोसल्फाइट सोडा के मूल्य के ढांचे और उत्पादन का परीक्षण करने का कार्य पहले ही ले रखा है। ब्यूरो का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर सरकार मामलों में जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी करेगी।

रूरकेला उर्वरक संयंत्र का कार्य

4770. श्री भोगेन्द्र झा : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष में रूरकेला उर्वरक संयंत्र में उवरकों का किनना उत्पादन हुआ और वार्षिक लक्ष्य में इसका अनुपात कितना है ;

(ख) इस उत्पादन को निर्धारित क्षमता तक न बढ़ाने के क्या कारण हैं और उसको प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) इस संयंत्र के कार्य-संचालन में होने वाली हानि को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) राउरकेला उर्वरक कारखाने में पिछले वर्ष उर्वरक (कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 25 प्रतिशत एन०2) का उत्पादन और वार्षिक उत्पादन लक्ष्य की तुलना में अनुपाती इसका उत्पादन इस प्रकार है :—

(टनों में)

लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	उक्त वर्ष के उत्पादन लक्ष्य का प्रतिशत
1,39,000	1,19,780	86.1

(ख) उत्पादन कम होने के मुख्य कारण हैं :—मई, 1970 नेफ्था रिफार्मर भट्टी में हुई दुर्घटना और इस्पात कारखाने से कोक ओवन गैस की अपर्याप्त आपूर्ति ।

हानि को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) नेफ्था रिफार्मर यूनिट की मरम्मत की गई है और इसे फिर से चालू किया जा रहा है ।

(2) इस्पात कारखाने की कुछ रिहीटिंग भट्टियों में आयल-फायरिंग (तेल-छिड़काव) की पद्धति को काम में लाया जा रहा है जिससे उर्वरक कारखाने के लिए कोक-ओवन गैस की अधिक मात्रा उपलब्ध हो सके ।

(3) कोक ओवन संयंत्र के वर्तमान कम्प्रेशरों के लिए पर्याप्त अतिरिक्त-पुर्जों की प्राप्ति में शीघ्रता लाई जा रही है । एक नये कम्प्रेशर के लिए भी आदेश दिया जा रहा है ।

(4) स्वयं कम्प्रेशरों के जाने से पूर्व कोक ओवन गैस की सफाई में सुधार लाने के लिए आवश्यक सुविधाओं को लगाया जा रहा है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रोजगार के बारे में प्रधान मंत्री का मुख्य मन्त्रियों को पत्र

4771. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त के 13वें (1963-64) और 14वें (1964-65) प्रतिवेदनों में (क्रमशः पृष्ठ 177 और 146 द्वारा) तत्कालीन प्रधान मन्त्री द्वारा 1964 में रोजगार पर हुई योजना आयोग की गोष्ठी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रोजगार के बारे में एक सुझाव स्वीकार किये जाने का उल्लेख किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या तत्कालीन प्रधान मन्त्री के उस पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का विचार है जिसमें उन्होंने राज्य के मुख्य मन्त्रियों को गोष्ठी की सिफारिशों पर कार्यवाही करने को कहा है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने सभी मुख्य मंत्रियों को लिखे अपने तारीख 23 मार्च, 1964 के पत्र में योजना आयोग के तत्वाधान में हुई अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को रोजगार देने से सम्बद्ध विचार गोष्ठी की रिपोर्ट की ओर उनका ध्यान आकृषित किया था और उन से निवेदन किया था कि रिपोर्ट को जिन सिफारिशों का राज्य सरकारों से सम्बन्ध है उनके बारे में ठोस कार्यवाही किये जाने के उद्देश्य से वे रिपोर्ट पर विचार करें। प्रधान मन्त्री के पत्र की प्रतिलिपि को सभा पटल पर रखे जाने का विचार नहीं है।

इम्पीरियल टोबाको कम्पनी को किप्पिग ऋण के अन्तर्गत लाइसेंस देना

4772. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिग्रेट उद्योग को किप्पिग ऋण के अन्तर्गत कितने लाइसेंस दिये गये और उनका मूल्य कितना था ;

(ख) क्या इम्पीरियल टोबाको कम्पनी ने किप्पिग ऋण—4 और 5 के अन्तर्गत मशीनों का आयात किया है जबकि ऋण की शर्तों के अनुसार विद्यमान क्षमता में वृद्धि नहीं की जा सकती ; और

(ग) यदि हां, तो ऋण की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए इम्पीरियल टोबाको कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) सिग्रेट उद्योग को कच्चे माल, पुर्जों, फालतू हिस्सों तथा सतुलन उपकरणों के आयात के लिए अब तक 50.40 रुपये के रुपये के मूल्य के 21 आयात लाइसेंस जारी किये गये हैं।

(ख) चौथे तथा पांचवे किप्पिग ऋण के अन्तर्गत मेसर्स इम्पीरियल टोबैको कम्पनी को सन्तुलन उपकरणों को तथा मशीनों के प्रतिस्थापन के लिए जारी किये गये लाइसेंसों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। जारी किये गये लाइसेंस ऋण की शर्तों को पूरा करते थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

इम्पीरियल टोबैको कम्पनी को चौथे तथा पांचवें किप्पिग ऋण के अन्तर्गत सन्तुलन तथा अन्य उपकरणों के आयात के लिए दिये गये आयात लाइसेंस।

किपिंग ऋण	लाइसेंस संख्या तथा तिथि	प्रयोजन	मूल्य (रुपये)
चतुर्थ किपिंग ऋण	.... कु	छ न	हीं ......
पंचम किपिंग ऋण 1968 में	(1) पी०/सी०/2049788 दिनांक 29-3-1968	सन्तुलन	1,58,015
	(2) पी०/सी०/2050178 दिनांक 18-6-1968	सन्तुलन	25,344
	(3) पी०/सी०/2049388 दिनांक 4-9-1968	सन्तुलन	5,35,000
		योग :—	7,18,359
1969 में	(1) पी०/सी०/2061128 दिनांक 13-8-1969	प्रतिस्थापन	1,66,183
	(2) पी०/सी०/2061306 दिनांक 10-12-1969	प्रतिस्थापन	2,86,428
		योग :—	4,52,611
1970 में	पी०/सी०/2061079 दिनांक 9-7-1970	सन्तुलन तथा आधुनिकीकरण	4,14,141
		कुल योग :—	15,85,111

रेलवे की परती भूमि का खेती के लिए आवंटन न किया जाना

4773. श्री अ० कु० गोपालन : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने परती भूमि को 50 रुपये प्रति एकड़ पर पट्टे पर दिया है ;

(ख) क्या रेलवे अधिकारियों ने रेलवे परती भूमि को कृषि कार्य के लिए रेलवे कर्मचारियों को न देने का निर्णय किया है ;

(ग) यदि हाँ तो ऐसे आदेश के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त आदेश को वापस लेने का है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) कृषि-कार्य के लिए जमीन को पट्टे पर देने के लिए कोई मानक लाइसेंस फीस निर्धारित नहीं की गयी है। लाइसेंस फीस निश्चित रूप से दूसरे स्थान पर अलग-अलग होती है जो स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

(ख) वर्तमान अनुदेशों में विशिष्ट रूप से यह व्यवस्था है कि स्टेशन यार्डों और रेलवे बस्तियों में पड़ने वाली जमीन को कृषि-कार्य हेतु आवंटित करने के लिए रेल-कर्मचारियों को पहले तरजीह दी जाये। यह जमीन प्रत्येक क्षेत्रीय रेल-प्रशासन द्वारा निर्धारित उपयुक्त लाइसेंस फीस के भुगतान के आधार पर वार्षिक या द्विवार्षिक लाइसेंस पर दी जाती है।

(ग) और (घ). सवाल नहीं उठते।

शिशु कल्याण कार्यक्रम संबंधी समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

4774. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार शिशु कल्याण कार्यक्रम के लिए नियुक्त की गई समिति की कितनी शिफारिशों को क्रियान्वित कर रही है ;

(ख) इस उद्देश्य के लिए वर्ष 1970-71 के लिए नियत राशि को किस प्रकार खर्च किया जा रहा है तथा इसमें से अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ग) क्या उपरोक्त (क) भाग में वर्णित समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में केन्द्र तथा राज्यों के बीच कोई समन्वय स्थापित किया गया है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में बच्चों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा की समस्याओं तथा विशेष और सामान्य सेवाओं के सम्बन्ध में 109 सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों को सम्बन्धित मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को विचारार्थ और कार्यान्विति के लिए भेज दिया गया है।

दो शिफारिशें बाल कल्याण के कार्यक्रम के समूचे विकास के लिए मूलभूत थीं। इन का सम्बन्ध निम्नलिखित से था :—

(1) बच्चों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति संकल्प अपनाना ; तथा

(2) राष्ट्रीय बाल बोड की स्थापना करना।

समाज कल्याण विभाग ने इन दो विषयों के बारे में अपेक्षित संकल्प का मसौदा तैयार कर लिया है तथा उसे सम्बन्धित मंत्रालयों और राज्य सरकारों को भेज दिया है। संबंधित

केन्द्रीय मंत्रालयों ने सिद्धान्त रूप से इन दो उपायों को स्वीकार कर लिया है। सात राज्य सरकारों ने मसौदा संसूचना को स्वीकार कर लिया है। शेष राज्यों से उत्तरों की प्रतिक्षा की जा रही है। उसके बाद इस संकल्प को अन्तिम रूप से अपनाए जाने के लिए उपाय किये जाएंगे।

(ख) समिति द्वारा दिए गये सुझाव के अनुसार पोषण प्रदान करने के लिए 1970-71 के लिए बजट प्राक्कलनों में 4.20 करोड़ रुपये की राशि शामिल की गई है। इस वर्ष पोषण के कार्यक्रम के अन्तर्गत 0-3 वर्ष के आयु-वर्ग में 7 लाख बच्चों को तथा 3-5 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग 65,000 बच्चों को लाने का विचार है।

(ग) जब राष्ट्रीय नीति संकल्प को अपना लिया जायेगा तथा बच्चों से संबद्ध बोर्ड का गठन हो जायगा, तो समन्वय के लिए आवश्यक संगठन की व्यवस्था कर दी जायगा।

बोकारो इस्पात कारखाने के अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र

4775. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने के अध्यक्ष ने हाल में त्याग पत्र दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). बोकारो इस्पात कारखाने के अध्यक्ष अपने पद पर काम कर रहे है और इस बारे में हाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

दक्षिण मध्य रेलवे में मंडावल्ली और काइकलुर स्टेशनों के बीच गुडीवडा-भिमवरम यात्री गाड़ी की एक बस से टक्कर

4776. **श्री मयाबन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण मध्य रेलवे में मंडावल्ली और काइकलुर स्टेशनों के बीच कर्मचारी रहित रेलवे फाटक पर गुडीवडा भिमवरम यात्री गाड़ी की एक बस के साथ हुई टक्कर का व्यौरा क्या है ; और

(ख) इसमें कितने व्यक्ति मारे गये तथा उनके परिवारों को क्या क्षतिपूर्ति की गई थी।

रेल मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 6-8-970 को जब सवारी गाड़ी नं० 479 डाउन दक्षिण-मध्य रेलवे के मंडावल्ली और कैक्लर स्टेशनों के बीच जा रही थी तो वह कि० मी० 69/9 पर स्थित बिना चौकीदार वाले समपार पर एक बस से टकरा गयी।

(ख) इस दुर्घटना में बस में यात्रा करने वाले 9 व्यक्ति मारे गये। क्षतिपूर्ति के लिये अभी तक न कोई दावा मिला है और न किसी दावे का भुगतान किया गया है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के माल के लिए विदेशी बाजार

4777. **श्री मयाबन :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या भारत, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के माल का यूरोप तथा अमरीका को निर्यात करने के लिए बाजार की खोज कर सका है ; और

(ख) यदि हां ; तो उसका व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) विगत तीन वर्षों में यूरोप और सं० रा० अमेरिका को मशीन टूल्स और घड़ियों का निर्यात निम्न प्रकार रहा :—

वर्ष	मशीन टूल्स		घड़ियां	
	सं० रा० अमेरिका	यूरोप	सं० रा० अमेरिका	यूरोप
1967-68	1.02	9.08	0.007	0.032
1968-69	4.71	6.00	0.016	0.011
1969-70	8.16	27.50	0.004	0.007

सामान तथा पार्सलों की चोरी के कारण रेलवे की हानि

4778. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की सम्पत्ति की तथा अन्य सामान तथा पार्सलों की छुट-पुट चोरी के कारण रेलवे को अनुमानतः कितनी वार्षिक हानि होती है ; और

(ख) वर्ष 1967-68 से 1969-70 तक कितनी धनराशि की हानि हुई ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) (क) और (ख). 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में बुक किये गये परेषणों (माल और पार्सल दोनों) की चोरी और उठाई गिरी से रेलों को क्रमशः लगभग 38,46,910 रु०, 35,94, 204 रु० और 40, 79, 561 रुपये की वार्षिक हानि हुई ।

Public and Private Ltd. Companies

4779. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Company Affairs be pleased to state :

(a) the present number of public limited and private limited companies in the country ;

(b) the total paid-up capital of these companies ; and

(c) the number of companies registered under the companies Act, 1956 since 1st January, 1970 and the capital permitted to be invested therein ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b). As on 31st March, 1970 there were 6,226 public limited companies and 22,728 private limited companies registere under the Companies Act, 1956 at work in India. The paid up capital of public limited companies was Rs. 1664.2 crores and that of private limited companies was Rs. 2107.6 crores.

(c) Eight hundred and sixty three new companies limited by shares were registered under the Companies Act, 1956 during the period 1st January to 30th June, 1970. The total authorised capital of these companies amounted to Rs. 178.25 crores.

Production of Motor Vehicles, Jeeps and Passenger Cars

4780. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be pleased to state :

(a) the production of motor vehicles, jeeps and passenger cars in the country during 1967, 1968 and 1969, separately ;

(b) whether the production of cars had gone down considerably during 1969 ; and

(c) if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken by Government to boost the production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) The production of Commercial vehicles, jeeps and passenger cars during the last three years has been as under :

Type of vehicle	Production		
	1967	1968	1969
1. Commercial vehicles :	31,462	34,737	8[illegible],162
2. Jeeps :	5,5[illegible]1	7,293	7,837
3. Passenger cars :	33,339	37,308	35,264

(b) and (c). It will be seen from the figures given in reply to part (a) above, that there was some decrease in production of cars during 1969 as compared to the production during 1968. This was due to labour trouble in two of the three car manufacturing units.

While the car manufacturers are being given all possible assistance to maximise their production, Government have also decided, in principle, to the creation of additional capacity of 50,000 cars per annum in the public sector based on a proven foreign design. It has also been decided to issue letters of intent to such of the parties in private sector as are prepared to take up the manufacture of cars based on completely indigenous designs and without requiring imports or allocation of foreign exchange.

पंजाब के पटियाला जिले के हरिजनों का सामाजिक बहिष्कार

4781. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब के पटियाला जिले में बिबिपुर में भारी और भंगरी हरिजनों के व्यापक सामाजिक बहिष्कार की ओर दिलाया गया है ; यदि हां तो, इसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस बहिष्कार का मूल कारण गरीब हरिजनों को भूस्वामियों के लिए बहुत थोड़ी मजदूरी पर कार्य करने को विवश करना है और यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सामाजिक बहिष्कार की इस धमकी से बचाव के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). पंजाब सरकार को इस मामले में लिखा गया है। उसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निर्माता कम्पनी द्वारा एक्स-रे फिल्मों का निर्माण

4782. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निर्माता कम्पनी के प्राधिकारियों ने देश की चिकित्सा एक्स-रे फिल्मों की आवश्यकता को 1970 में पूरा करने का बचन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या एक्स-रे फिल्मों का निर्माण उस सीमा तक बढ़ गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). वर्ष 1969-70 के लिए हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स का पहले वाला उत्पादन कार्यक्रम जो एक्स-रे फिल्मों के उत्पादन के बारे में सोचा गया था, वह कम्पनी के अनुमान के अनुसार आयातित स्टाक को मिलाकर देश की आवश्कताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है तथापि वर्ष 1969-70 के दौरान कम्पनी ने एक्सरे फिल्मों के उत्पादन में कुछ तकनीकी कठिनाईयों का अनुभव किया जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन अपेक्षाकृत कम हुआ और लक्ष्यों में कुछ कमी कर दी गयी। यह तकनीकी कठिनाईयां अभी हाल तक चलती रही। इन दोषों को दूर करने के बाद अगस्त, 1970 में एक्सरे फिल्मों का उत्पादन पुनः आरम्भ किया गया है और ऐसी आशा है कि आगामी कुछ महीनों में उत्पादन तेजी पकड़ लेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की गयी है कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के उत्पादन के साथ-साथ आवश्यक मात्रा में फिल्मों का आयात कर देश की आवश्यकताओं की पर्याप्त रूप से पूर्ति की जाये।

डीघा और कन्टाई रोड स्टेशन के बीच रेल सम्पर्क

4783. **श्री समर गुह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार चौथी पचवर्षीय योजना में डीघा कन्टाई रोड स्टेशन के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने के लिए कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : धन की कमी और यातायात के पर्याप्त औचित्य के अभाव में दीघा-कन्टाई रोड लाइन के निर्माण पर, फिलहाल, विचार करना संभव नहीं है ।

ऐसी छोटी शाखा लाइनें, पर्यटन यातायात सम्भालने के लिए कदाचित ही अर्थसक्षम होती हैं । ऐसे मामलों में सड़क परिवहन का विकास अपेक्षाकृत अधिक किफायती मालूम होता है ।

कलकत्ता में भिखारियों संबंधी समस्या

4784. **श्री समर गुह** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30,000 भिखारियों तथा अन्य असंख्य व्यक्तियों ने कलकत्ता के लिए गंभीर सामाजिक समस्यायें पैदा कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन बेघर लोगों के लिए और अधिक खाना-बदोश-गृह तथा शिशु पालन गृह बनाने का है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) कलकत्ता में भिखारियों की बड़ी संख्या के, जो कच्चे अनुमान के अनुसार 30 हजार है, कारण सामाजिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी तथा नैतिक हाइजिन की सम्भावित समस्या का सरकार को पता है ।

(ख) और (ग). कठिन वित्तीय स्थिति के कारण सभी भिखारियों तथा निराश्रित व्यक्तियों के लिए सदन स्थापित करना सम्भव नहीं है । वर्तमान सुविधाओं के अतिरिक्त चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 500 निवासियों के लिए एक सदन स्थापित करने का विचार है ।

Operation of Teleprinter Machines on North Eastern Railway

4785. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether on the North Eastern Railway, teleprinter machines are operated by Signallers ;

(b) whether the micro-ware system is also being applied in the Wireless Office at Gorakhpur, North Eastern Railway ;

(c) if so, whether the North Eastern Railway is in favour of having the operation of teleprinter machines at Gorakhpur under the supervision of Wireless Office ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) Yes. Microwave system has already been introduced between Gorakhpur and Katihar.

(c) Yes.

(d) Does not arise.

Raising of Quota of Promotion from Train Clerks to Guards Grade 'C'

4786. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the promotion quota of Trains Clerks to the post of Guards Grade 'C' has been raised to $47\frac{2}{3}$ per cent from 20 per cent vide Railway Board letter No. E(MC)/169/ P. M. I./217 dated the 28th March, 1970 ;

(b) whether the said orders have been implemented on all the Indian Railways ; and

(c) if so, the number of Train Clerks benefited therefrom at present ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The promotion quota of Trains Clerks to the posts of Guards Grade 'C' has been raised from existing 20% to 31% of the vacancies in terms of Railway Board's letter No. E(NG)I69PMI/217 dated the 28th March, 1970.

(b) and (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Allotment of Railway Land for Cultivation to Non-Cultivators

4787. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names, designations and addresses of the persons who were allotted Railway land on both sides of the main and branch lines of the North Eastern Railway and the acreage of land allotted to each of them as also the names of the places where such land has been allotted ;

(b) whether he is aware that persons who are not actual cultivators have also been allotted land, which is against the rules of the Railways in this regard ; and

(c) if so, the action being taken against the Officers who are responsible for such allotment against the rules ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The information is being collected and will be laid on thc table of the House.

(b) and (c). As per extent instructions. surplus land on either side of the track outside station yards, should be preferably made over to the State Government for licensing to outside parties in connection with "Grow More Food" campaign. Where this is not possible for any reason, it is licensed by the Railway directly with preference being given to the owners/cultivators of the adjoining fields. When the owners/cultivators of the adjoining fields are not interested, or when it is a large and compact plot of land for which licensing is done by holding an auction, Railway land has necessarily to be licensed to parties other than owners/cultivators of the adjoining fields.

Constitution of Committee on Research Programmes

4788. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Committee on Researh Programmes has been constituted in the Department of Company Affairs to advise on the economic policies to be pursued by his Ministry in regard to industrial development and this Committee would pay special attention to the working of the companies, as reported in the daily newspaper 'Aj' dated the 20th June, 1970 ; and

(b) the terms of reference of the said Committee and the details of the research work done by it ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b). A Research Programme Committee was constituted on 8th June, 1970 by the composite Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs with a view to advising that Ministry on matters connected with economic policies bearing on industrial development with particular reference to the operation of the corporate sector in the country. The Committee was also to assist in conducting suitable research studies in the Department of Company Affairs and also assist, if need be, in the preparation of research studies to be taken up in this Department or by the members themselves.

The terms of reference of this committee are being reviewed following the separation of this Department from the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs.

जोनल रेलवे कार्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के अवसर

4789. **श्री जय सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि रेलवे के जोनल कार्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिये मंत्रालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों की अपेक्षा पदोन्नति के बहुत कम अवसर हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) एक रूपता लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) रेल मंत्रालय के कर्मचारी वर्ग का स्वरूप केन्द्र के अन्य मंत्रालयों के समान है और क्षेत्रीय रेलों के कार्यालय के कर्मचारियों से भिन्न है। इसलिए रेल मंत्रालय के कार्यालय के कर्मचारियों की पदोन्नति-सरणियों की तुलना क्षेत्रीय रेलों के कार्यालयों से नहीं की जा सकती।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

पंजाब में ऊंची जातियों द्वारा हरिजनों का सामाजिक बहिष्कार

4790. **श्री ई० के० नायनार** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब के जालन्धर जिले के करानन ग्राम के ऊंची जातियों के ग्रामीणों द्वारा हरिजनों के कथित सामाजिक बहिष्कार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथराव) : (क) से (ग). पंजाब सरकार को इस मामले में लिया गया है उसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

Industrial Development of Bihar

4791. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the details of the scheme drawn up by the Bihar Government for the industrial development of Bihar during the Fourth Five Year Plan ;

(b) whether the Bihar Government have demanded help from the Central Government for the implementation of the said scheme :

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the reaction of the Central Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) to (d). In their draft Fourth Five Year Plan proposals for development of large and medium industries submitted to the Planning Commission, the Bihar Government proposed an outlay of Rs. 10 crores. An outlay of Rs. 7 crores for this sector has been approved by the Planning Commission for the State's industrial programme for the Fourth Five Year Plan detailed scheme-wise break up of this outlay has not yet been supplied by the Government of Bihar. The programme includes Assistance to the State Industrial Development Corporation ; Assistance to the State Financial Corporation ; Establishment of spun silk mill ; Land acquisition and rehabilitation of industrial projects ; Establishment of industrial areas ; Subsidy to industrial housing ; Strengthening of the Development Wing Industrial research, investigation and surveys : Modern Rice Mill, Bikramganj ; and Export Potential Survey.

The industrial projects to be set up by the Central Government in the various States including Bihar during the Fourth Five Year Plan, their nature, locations and investments proposed to be made on them are given on pages 326-330 of the Fourth Five Yeer Plan Report.

Withdrawal of Prosecution Cases against Railway Employees who Participated in Token Strike of 1968

4792. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway workers, who participated in the token strike of 19th September, 1968 are still being prosecuted ;

(b) if so, the State-wise and Railway-wise number of such cases ; and

(c) whether Government propose to withdraw those cases and, if so, when and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Prosecutions originally initiated against some of the railway employees are still pending in the courts of law.

(b) Number of cases where prosecution is still pending in the courts of law is given below Railway-wise :

Eastern Railway	86
Northern Railway	1193
North Eastern	13
Southern Railway	29
South Eastern Railway	135
	1456

State-wise distribution of the prosecution cases is being ascertained and information will be laid on the Table of the Sabha.

(c) and (d). Government do not consider it desirable to interfere with the normal course of justice but prefer to allow the law to take its own course.

Setting up of Industries in Bihar by Birlas

4793. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be pleased to state :

(a) whether the Birlas have purchased land at various places in Bihar to set up their industrial units ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the reasons for which they have not so far set up their factories there ; and

(d) the action proposed to be taken by Government in this matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) to (c). It has been reported that Birlas have purchased about 600 acres of land at Patratu in Bihar by way of taking effective steps to implement an industrial licence that had been issued in the name of M/s. Bihar Alloy Steels Ltd., for the establishment of a new industrial undertaking for the manufacture of 40,000 tonnes of alloy steels per annum. Since the licence stands revalidated upto 30-6-71 it cannot be assumed that they do not intend to set up the undertaking as per the licence which is still valid.

(d) Does not arise.

Arrest of Workers of Electrification Project in Allahabad (Northern Railway)

4794. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the reasons for the dismissal from service of three hundred workers engaged on electrification work in Allahabad on the Northern Railway ;

(b) whether some of the workers were arrested and, if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken by Government to meet their demands ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) About 300 casual labourers were discharged due to tapering off of works and on administrative grounds.

(b) Yes. The workers were arrested by State Police for unlawfully holding up a Mail Train, preventing staff from entering the offices, gheraoing and obstructing officers while on duty and other offences.

(c) Eligible casual labourers are being considered for absorption against available vacancies.

अन्य क्षेत्र रेलवे में खपाये गये पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों को पदोन्नति के पूर्ण लाभ देना

4795. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में पूर्वोत्तर रेलवे कार्यालयों के टूटने के परिणामस्वरूप 1958 में पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे में खपाये गये पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के पूर्ण लाभ लगातार देते रहने के बारे में आश्वासन दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें पता है कि पूर्व रेलवे में कई ऐसे कर्मचारियों को विशेषकर जो लेखा विभाग में 130-300 रुपये वेतनमान में हैं, उनको मिलने वाली पदोन्नति देने से इंकार कर दिया गया है ;

(ग) क्या ऐसे ही कर्मचारियों को दक्षिण-पूर्व रेलवे में 210-380 रुपये के उच्चतर वेतन-मान में पदोन्नति मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या मन्त्रालय का विचार पूर्व रेलवे के प्राधिकारियों को इस मामले में दक्षिण-पूर्व रेलवे के अनुसार चलने का अनुदेश देने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों पर समाहित किये गये भूतपूर्व पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों की पदोन्नति, निर्धारित एकरूप सिद्धान्तों के आधार पर विनियमित की जाती है । इन आदेशों को पूर्व और दक्षिण पूर्व, दोनों रेलों द्वारा क्रियान्वित किया गया है । लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि संवर्ग-स्थिति, एक रेलवे से दूसरी रेलवे में और यहां तक कि एक ही रेलवे के एक विभाग से दूसरे विभाग में अलग-अलग होती है, दो विभिन्न रेलों के कर्मचारियों की पदोन्नति की संभावनाओं की तुलना नहीं की जा सकती ।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एस्टेट का कार्य निष्पादन

4796. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में वर्तमान पांच औद्योगिक एस्टेटों का कार्य निष्पादन असंतोष-जनक रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) राज्य में औद्योगिक एस्टेट के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या चौथी योजना में नयी औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ङ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दक्षिण मध्य रेलवे में सहायक वाणिज्यिक अधीक्षक (टिकट जांच) का पद

4797. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि दक्षिण मध्य रेलवे में सहायक वाणिज्यिक अधीक्षक अथवा अधिकारी (टिकट जांच) का कोई पद नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) दक्षिण मध्य रेलवे में सहायक वाणिज्य अधिकारी (टिकट जांच) का एक पद स्वीकृत किया गया है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Orphanage and Palan Grihas

4798. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) the number of orphanages and Palan-Grihas in the country and the total number of children living in these places ;

(b) the amount of financial assistance given to them during the last two years, State-wise ; and

(c) the steps taken by the Central Government for making improvements in these orphanages and Grihas ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) and (b). These details are not generally maintained for all the orphanages and foundling homes, as only a few of them are centrally aided. Details Details of such aid given by the Central Social Welfare Board are shown in the annexure.

(c) The Central Social Welfare Board provides advice and guidance to the institutions aided by it, for improvement in their working, where necessary.

STATEMENT

(a) **Particulars Regarding Orphanages and Foundling Homes Aided by the Central Social Welfare Board**

Name of State	No. of orphanages/ foundling homes aided by CSWB	No. of beneficiaries
Andhra Pradesh	31	2,325
Assam	5	125
Bihar	9	747
Gujarat	7	375
Jammu & Kashmir	2	68
Kerala	17	1,462
Madhya Pradesh	4	140

1	2	2
Maharashtra	12	984
Mysore	25	1,400
Nagaland	—	—
Orissa	8	240
Punjab, Haryana and Chandigarh	8	240
Rajasthan	3	189
Tamil Nadu	62	2,604
Uttar Pradesh	11	495
West Bengal	28	672
A & N Islands	—	—
Delhi	4	220
Goa	1	89
Himachal Pradesh	1	45
Manipur	2	56
N. E. F. A.	—	—
Pondicherry	6	312
Tripura	2	21
Total :	245	12,985

Particulars Regarding Foster-Care Units Aided by the Central Social Welfare Board

Name of the State	No. of Foster care Units	No. of beneficiaries
Tamil Nadu	1	45
Maharashtra	2	

(b) Totat amount Sanctioned/Released by the Central Social Welfare Board

	1968-69	1969-70
	Rs.	Rs.
Orphanages and Foundling Homes	7.65 lakhs (Sanctioned)	7.45 lakhs (Sanctioned)
Foster-Care Units	23,000 (Released)	34,400 (Released)

Import of Tobacco for Manufacture of Cigarettes

4799. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state the names of the countries from which tobacco for munufacture of cigarettes is imported as also the amount of foreign exchange remitted to each country therefor during each of the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : Tobacco required for the manufacture of cigarettes is by and large grown in the country. Small quantities of tobacco are imported under PL-480 for blending purpose for manufacture of certain varieties of cigarettes.

The quantum of Virginia, Flue cured tobacco imported from foreign countries for this purpose every year during the last three years is as follows :—

Year	Quantity in tonnes	Value in Rs. lakhs
1967-68	279	65.84
1968-69	133	30.77
1969-70 (upto Dec. '69)	—	—

The amount of foreign exchange remitted to each country is not available.

Accidents due to Commercial and Film Advertisements Displayed at Railway Platforms

4800. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the criteria on the basis of which sites are selected for displaying commercial and film advertisements at the railway platforms ;

(b) whether it has come to the notice of Government that accidents take place at various places because the attention of the passengers is diverted by these advertisements ; and

(c) if so, the action proposed in the matter ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Two main criteria for the selection of sites for advertisements are : (i) No obstruction is caused to the movement of passengers on platforms ; and (ii) No hinderance is caused to the safe working of the Railways.

(b) No.

(c) Does not arise.

Supply of Under-Weight Stones to Railways in Rajasthan

4801. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the name of the contractor who supplies stones to the Railways in Indergarh and Malarna (Rajasthan) ;

(b) whether according to Railway schedule, one stone should not be less than 60 pounds in weight ;

(c) if so, the percentage of stones weighing 60 pounds each out of those which are lying on Railway siding or for which Government have made or are making payments ; and

(d) the basis on which payment has been made for stones weighing 10, 12, 20 and 40 pounds ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Stones were supplied in Indergarh and Malarna by Contractors Shri Jagmohan Singh and Shri Gowrishanker respectively.

(b) Yes, but the weight of the stone as per specifications is 65 lbs. (30 Kgs.) and not 60 lbs.

(c) Nil.

(d) Does not arise.

उत्तर रेलवे, नई दिल्ली के डिवीजनल लेखा कार्यालय के पेंशन अनुभाग में मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति के मामलों के निपटाये जाने में विलम्ब

4802. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मन्त्री उत्तर रेलवे, नई दिल्ली के डिवीजनल लेखा कार्यालय के पेंशन अनुभाग में भ्रष्टाचार के बारे में 13 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1316 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के डिवीजनल कार्यालय, नई दिल्ली के पेंशन अनुभाग में मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के मामलों को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) पिछले दो महीनों से अधिक समय से ऐसे कितने मामलों को नहीं निपटाया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तर रेलवे, नई दिल्ली के डिवीजनल पर्सनल आफिसर के सेटलमेंट सेक्शन के कर्मचारियों ने पेंशन अनुभाग के सब-हैड के रवैये के विरुद्ध प्रशासन से कई बार मौखिक रूप से कहा है ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) मंडल लेखा कार्यालय, उत्तर रेलवे, नयी दिल्ली के पेंशन अनुभाग में मृत्यु एवं-सेवानिवृत्ति उपदान के मामलों को निपटाने में कोई विलम्ब नहीं हुआ।

(ख) कोई नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

दिल्ली-मेरठ छावनी के बीच बिना टिकट यात्रा कर रहे रेलवे सुरक्षा दल, सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे कर्मचारी

4803. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से मेरठ छावनी तक रेलवे सुरक्षा दल, सरकारी रेलवे पुलिस तथा रेलवे के बिना टिकट यात्रा करने वाले कर्मचारी प्रायः 331 अप, 4 डी० एस० यू० और 332 डाउन रेलगाड़ियों में पहले और दूसरे दर्जे के डिब्बों में बैठ जाते हैं तथा वास्तविक यात्रियों को स्थान नहीं मिलता ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या रेलवे बोर्ड में बनाये गये विशेष सैल द्वारा कोई आकस्मिक जांच की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). इस प्रकार के कोई मामले नहीं पकड़े गये हैं। इस खण्ड पर बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ने के लिए जांच की कुछ कार्यवाइयां की गई थीं। लेकिन ऊपर भाग (क) में जिन गाड़ियों का उल्लेख किया गया है उनमें इस तरह की अचानक जांच नहीं की गई।

Supply of Ram Materials to Electric Bulb Mfg. Companies

4804. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be pleased to state :

(a) whether electric-bulb manufacturing companies have informed Government that they are in a position to meet the increasing demand to a great extent if the supply of raw materials is guaranteed to them ; and

(b) if so, the difficulties being faced by Government in ensuring adequate supply of raw materials ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b). No, Sir. Raw materials are allotted to all the lamp manufacturers to the extent of their licensed capacities.

जगाधरी कर्मशाला (उत्तर रेलवे) से अधिकारियों का स्थानान्तरण

4805. **श्री सूरज भान** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मशाला में राजपत्रित तथा अराजपत्रित पर्यवेक्षण कर्मचारियों का कार्यकाल यदि कोई है तो वह कितना है ;

(ख) क्या यह सच है कि जगाधरी रेलवे कर्मशाला (उत्तर रेलवे) में अराजपत्रित पर्यवेक्षकों सहित कुछ अधिकारी अपना कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वहां कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त वर्ग के उन अधिकारियों का स्थानान्तरण करने का है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है अथवा जो जगाधरी रेलवे कर्मशाला (उत्तरी रेलवे) में काफी समय से कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) रेलवे कारखानों में राजपत्रित और अराजपत्रित पर्यवेक्षक कर्मचारियों के लिए कार्यकाल की कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है। फिर भी "उत्पादन नियंत्रण संगठन" में नियुक्त किये गये अराजपत्रित कर्मचारियों को उस संगठन में सामान्यतः 3 से 5 वर्षों तक की अवधि के लिये रखा जाता है।

(ख) से (घ). सवाल नहीं उठता।

Central Assistance for Development of Small Scale Industries in Uttar Pradesh

4806. **Shri Jageshwar Yadav** : :Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the quantum of Central assistance given to Uttar Pradesh during the last three years for the development and expansion of small scale industries there and the form in which that assistance was given ; and

(b) the concrete results achieved therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) Central assistance in the form of loans and grants sanctioned to the State Government of U. P. for the development of Small Scale Industries and setting up of Industrial Estates during the years 1967 68 and 1968 69 is as under :—

(Rs. in lakhs)

	Small Scale Industries		Industrial Estates
	Grants	Loans	Loans
1967-68	17.60	35.20	4.60
1968 69	12.66	32,43	5.47

With effect from 1969-70, Central Assistance to the States for implementing schemes in the State Plan is in the form of block grants and loans and is not tied to individual heads of development. Hence, it is not possible to indicate the amount of grants and loans given to the Government of U. P. during 1969 70 specifically for the development of Small Scale Industries and Industrial Estates,

(b) The information has been called for from the Government of U. P. and will be laid on the Table of the House.

Sale and Profit of Khadi Bhandar in New Delhi

4807. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the figures of year-wise sale of the Khadi Bhandar in New Delhi during the last three years and the year-wise amount of profit earned by it during the said period ; and

(b) whether any proposal was considered for its transfer to the Delhi Administration and, if so, the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) Presumbly, the question refers to the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi. Details of sales and profit in respect of this Bhawan during the years 196 -67, 1967-68 and 1968-69 are given below :

Year	Total net sales (Rs. lakhs)	Profit/Loss (In Rs.)	
1966-67	87.23	(+) 22,543	(+)indicates profit
1967-68	87.20	(−)3,09,665	(−)indicates loss
1968 69	80.90	(+) 63,391	

(b) Yes, Sir. A proposal is under consideration in consultation with the Delhi Administration.

Loss Suffered by Railway due to Thefts in Banda-Lucknow Express Train

4808. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total amount of loss to the Railway property due to thefts and pilferager of electrical fittings on the Banda-Lucknow Express from the Ist January, 1970 to the end of June, 1970 and the amount spent on the replacement thereof ; and

(b) whether the persons responsible for damaging the Railway property have been arrested and, if so, the number thereof and whether they included Railway employees also ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). No case of theft or pilferage of electrical fittings was reported on Banda-Lucknow Express train during the period 1st January, 1970 to 30th June, 1970. However, some items of fittings were found missing for reasons other than thefts/pilferages and replacements worth Rs. 6,563/- were made.

Theft of Fans, Seat Covers, Window Panes from Banda-Kanpur and Jhansi-Manakpur Passenger Trains

4809. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the fans, window panes and seat covers are generally removed from the Banda-Kanpur and Jhansi-Manakpur Passenger trains ;

(b) whether the said articles are removed en-route or in the yards by the Railway employees ;

(c) the steps taken by Government to prevent this loss to the Railways ; and

(d) the number of times fans and other equipment have been re-fixed in the said trains during the years 1968-69 and 1969-70 and the estimated value thereof ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) As on other sections, thefts of carriage fitting sometimes take place on these trains also, though they are not particularly heavy.

(b) Thefts take place both in the yards and en-route.

(c) All important night passenger trains are escorted by Government Railway Police staff. When rakes are stabled in yards, the doors are locked and Security staff are posted to guard them as far as possible.

(d) the information is being collected and will be placed on the table of the House.

मैसर्स धर्म सिंह राम सिंह (मोटर्स) प्राइवेट लि० लखनऊ

4810. **श्री छ० म० केदरिया** : क्या समवाय-कार्य मन्त्री मैसर्स धर्म सिंह राम सिंह (मोटर्स) प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ के बारे में 26 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5305 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायलय ने 1 नवम्बर, 1968 को मैसर्स धर्म सिंह राम सिंह (मोटर्स) प्राइवेट लिमिटेड को अनिवार्य रूप से बन्द करने का आदेश दिया था ;

(ख) क्या सरकारी परिसमापक ने इस बीच कम्पनी के कार्यों का प्रारम्भिक प्रतिवेदन तैयार कर लिया है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या दिल्ली पुलिस ने इस बीच कम्पनी के भूतपूर्व निदेशकों के आचरण की जांच कार्यवाही पूरी कर ली है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) कम्पनी के निदेशकों पर, कार्य का विवरण पत्र प्रस्तुत न करने के लिए, मुकदमा चलाया गया है व यह आपराधिक परिवाद दिल्ली उच्च न्यायालय में अनिर्णीत है । सरकारी समापक, कार्य के विवरण-पत्र के उसके पास मिसिल ही जाने के पश्चात ही, अपनी प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(ग) सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

Supply of Goods by M/s. Khatauli Engineering Works, Khatauli (U. P.)

4811. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the value of goods for the supply of which the Bharat Heavy Electricals Ltd., Hardwar and Tiruchirapalli placed orders on M/s. Khatauli Engineering Works, Khatauli (U. P.) during the last three years, the quantity of goods actually lifted by them, the value and description of goods manufactured by the said firm ; and

(b) the total payments made by the Bharat Heavy Electricals Ltd., to the said Company during the last three years and the extent of over-paymens out of the said payments ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) A statement is attached giving the necessary information. [*Placed in Library. See* No. LT—4129/70].

(b) The total payments made come to Rs. 108,748.87. No over payment has reportedly taken place.

M/s. Golcha Properties (Private) Ltd.

4812. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2207 on the 10th March, 1970 regarding M/s Golcha Properties (Private) Limited and state :

(a) the amount of commission received by the Central Government from the total annual income of Rs. 20 lakhs earned by the Official Liquidator ;

(b) the total income of the Company and the amount paid thereon in the form of Central taxes and other local taxes ;

(c) whether Government propose to approach the High Court concerned to expedite payment by the Official Liquidator, if so, when ; and

(d) the percentage of the payment expected to be made to the creditors of the Golcha Properties (Pvt.) Limited, Delhi ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : (a) The Official Liquidator has credited Rs. 3,768/- to Central Government. Under Rule 291(2,(i), the Official Liquidator is required to credit to Central Government Commission upon each year's collection after deducting expenditure incurred in that behalf.

(b) The Golcha Cinema at Delhi is given on contract at Rs. 20,000/- per week and Marhata Mandir Cinema at Bombay is given on contract at Rs. 25,101/- per week. The resturant attached to Golcha Cinema at Delhi yields income of about Rs. 11,000/- p. m. The exact amout of Central and local taxes is not readily available.

(c) Payment by the Official Liquidator to the creditors will commence only after the books of the company in liquidation are completed as ordered by the Court.

(d) It is not possible at this stage to indicate the percentage of payment expected to be made to the creditors of the company.

Golcha Properties (Pvt.) Limited

4813 **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of Company Affairs be pleased to state :

(a) the date on which Golcha Properties (Pvt.) Ltd., Delhi has started their business, the date on which they got the company registered and the date from which they started taking loans from public ;

(b) the total capital invested by the said firm at the time of starting its business and the total amount of loans collected by it from the people, Government and other sources, separately ; and

(c) whether Government propose to ascertain the total value of the immovable property acquired by the former owners of Golcha Properties (Pvt.) Ltd. in their own names, or in the names of their near relations after starting the said company ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : (a) M/s Golcha Properties (Private) Limited was registered on 24-2-1948. According to the provisions of the Companies Act a private company is entitled to commence business, immediately on registration.

(b) The paid up capital of the company is Rs. 2,52,000/-. As per the last audited Balance Sheet of the company as at 31-3-1965, the unsecured loans amounted to Rs. 1,06,04,808/-.

(c) Information about personal property of the members of the company is not required to be furnished under the provisions of the Companies Act.

Donation to Political Parties by former Owners of Golcha Properties (Pvt.) Ltd.

4814. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of Company Affairs be pleased to state the total amount donated to the various Political Parties by the former owners of the Golcha Properties (Pvt.) Limited during the last three years ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : The Companies Act, 1956 does not regutate donations made to political parties by the shareholders of a company in their individual capacity. Nor are such donations required to be disclosed to the Registrar of Companies. Hence the information is not available.

M/s Golcha Properties (Pvt) Limited

4815. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of Company Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 208 on the 10th March, 1970 regarding M/s Golcha Properties (Pvt) Limited and state :

(a) whether all the claims against M/s. Golcha Properties (Pvt.) Ltd. have been received and if so, the time by which these claims would be examined by the Official Liquidator ;

(b) the arrangements made to ensure that the Official Liquidator does not violate the orders received by him from the court regarding awarding contract of the cinema-house; and

(c) the action proposed to be taken by the Official Liquidator to ensure early refund of the public money ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : (a) Till 31st January, 1970, the date fixed by the High Court for filling of claims, 2525 claims were filled with the Official Liquidator. The claims filed are being scrutinised by the Official Liquidator and the same would be examined further on completion of the books of accounts of the company under Order of Court.

(b) Contracts for running the cinema houses, are executed under specific orders of the winding up Court. The question of violation of order of the Court by the Official Liquidator does not arise.

(c) Attention is invited to reply given at (a).

दक्षिण-पूर्व रेलवे की हड़तालों का सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों पर प्रभाव

4816. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में निरन्तर हड़ताल तथा उसके परिणामस्वरूप पूर्वी क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को कच्चे माल के लाने ले जाने में उत्पादन बाधा से केन्द्रीय इस्पात मंत्रालय को काफी चिन्ता हुई है ;

(ख) क्या उन्हें मालूम है कि इसके कारण इस्पात कारखानों में कोयले का स्टाक समाप्त हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति का कैसे मुकाबला करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे की हड़ताल से हिन्दुस्तान स्टील लि० के इस्पात कारखानों को कुछ कच्चे मालों की आपूर्ति में बाधा/अनियमितता आ गई थी परन्तु सौभाग्यवश कारखानों के पास कच्चे माल का पर्याप्त भण्डार होने के कारण उनके उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

(ख) यद्यपि कोयले का भण्डार काफी कम हो गया था, विशेषकर भिलाई में, कारखानों में कोयला बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था।

(ग) अब चूंकि हड़ताल समाप्त हो गई है इसलिए कोयले के भंडार को फिर से अपेक्षित स्तर पर लाने के लिये आवश्यक उपाय किये गए हैं।

Indian Leaf Tobacco Development Company Limited

4817. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of Company Affairs be pleased to state :

(a) the name of foreign company of which Indian Leaf Tobacco Development Company Ltd., is a branch ;

(b) the total capital of the foreign company invested in India ; and

(c) the total foreign capital invested in this company and the name of the places where this company has got itself registered ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : (a) Indian Leaf Tobacco Development Company Ltd., is itself a foreign company within the meaning of Section 591 of the Companies Act. The company is maintaining its principle place of business in India at 37, Chowringhee, Calcutta-16.

(b) The total value of the assets of the Indian branch of the foreign company amounted to about Rs. 23.1 crores as on 31st March, 1969.

(c) the amount of foreign capital invested in Indian Branch of this foreign company is not separately available. However, according to the balance sheet of the company as at 31st March, 1969, an amount of Rs. 1.77 crores has been shown against "Head Office".

तम्बाकू के निर्यात में इण्डियन लीफ टोबैको डेवेलप्मेंट कम्पनी लिमिटेड का भाग

4818. **श्री शशि भूषरण** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से तम्बाकू के कुल निर्यात में इण्डियन लीफ टोबैको डेवेलप्मेंट कम्पनी लिमिटेड का कितने प्रतिशत भाग है ;

(ख) गत तीन वर्षों में इस कम्पनी ने कितना उत्पादन शुल्क अदा किया है ;

(ग) क्या भारत से तम्बाकू के कुल निर्यात का 75 प्रतिशत निर्यात इस कम्पनी द्वारा किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इण्डियन लीफ टोबैको डेवेलप्मेंट कम्पनी लिमिटेड का तम्बाकू के निर्यात में एकाधिकार

4819. **श्री शशि भूषरण** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि इण्डियन लीफ टोबैको डैवेलप्मेंट कम्पनी लि० का तम्बाकू के निर्यात में एकाधिकार के कारण तथा इस कम्पनी द्वारा डाले गये दबाव के कारण भारत में निर्यात व्यापार कर रहे व्यापारी तम्बाकू खरीदने में इस कम्पनी का

मुकाबला नहीं कर सकते तथा किसानों को अपना उत्पाद केवल इसी कम्पनी को बेचने के लिए विवश किया जाता है ; और

(ख) यदि हा, तो इस बारे में की गई जांच के क्या परिणाम हैं ?

औद्यगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इण्डियन लीफ टोबैको डेवेलप्मेंट कम्पनी लि० द्वारा तम्बाकू का निर्यात

4820. **श्री शशि भूषण : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन लीफ टोबैको डेवेलप्मेंट कम्पनी लि० के कुल निर्यात में 99 प्रतिशत निर्यात तम्बाकू का होता है, सिगरेटों का नहीं।

(ख) क्या इस कम्पनी द्वारा सरकार को प्रस्तुत किये गये आंकड़ों में इस तथ्य का उल्लेख होता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमिहीन अनुसूचित जातियों को मकान के लिए भूमि का नियतन

4821. **श्री झारखण्डे राय : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के भूमिहीन व्यक्तियों को मकानों के लिए भूमि देने संबंधी योजना को किसी राज्य तथा सघ राज्य क्षेत्र ने क्रियान्वित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना से कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है ;

(ग) देश में अनुसूचित जातियों के कुल कितने व्यक्तियों के पास भूमि नहीं है ; और

(घ) उनको मकान बनाने हेतु भूमि देने में कितना समय लगेगा ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) जी, हां, पिछड़े वर्ग क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के अधीन अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों के भूमिहीन मजदूरों को मकानों के लिए जमीनें देने की एक योजना है। तृतीय योजना अनुसूचित जातियों के गंदे व्यवसायों में लगे व्यक्तियों अथवा भूमिहीन मजदूरों को मकानों के लिये 40,059 भूखण्ड दिये गये।

(ग) 1961 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों के 104 लाख व्यक्ति कृषिक मजदूरों के रूप में काम कर रहे थे ।

(घ) कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है । अलबत्ता, राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों के भूमिहीन लोगों को वास-भूमि के अधिकार देने की सलाह दी गई है ।

चारटर्ड अकाउंटेंट जिन्हें लागत लेखाविधि कार्य दिया गया

4822. **श्री बलराज मधोक : क्या समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सरकारी उपक्रमों तथा गैर-सरकारी कम्पनियों के लेखाविधि कार्य को पूरा करने के लिए देश में 200 लागत लेखापाल पर्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो चारटर्ड एकाउटेंटों को लागत लेखाविधि कार्य सम्भालने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) इन खास प्राप्त-लेखाकारों, जो 10 वर्ष की अवधि से, भारतीय शास-प्राप्त लेखाकार संस्थान के अधि-सदस्य हैं, व शास-प्राप्त लेखाकार अधिनियम, 1949 के अर्थान्तर्गत व्यवहार में हैं, को लागत लेखा-परीक्षा कार्य करने की अनुमति दी गई है, लागत लेखा विधि कार्य की नहीं ।

जम्मू और कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में लम्बित उपनिर्वाचन

4823. **श्री बलराज मधोक : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर, पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में राज्य विधान सभाओं तथा लोक सभा के लिए अभी कितने उप-निर्वाचन लम्बित हैं ;

(ख) ये स्थान कब रिक्त हुए थे ;

(ग) वहां पर उप-निर्वाचन कराने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इन उप-निर्वाचनों के लिए तारीखें निश्चित की गई हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). **जम्मू और कश्मीर**—तीन, 10-3-69, 3-8-69 और 22-8-69 से राज्य विधान सभा के लिए

पंजाब—एक, 8-8-70 से राज्य विधान सभा के लिए और एक 23-12-69 से लोक सभा के लिए ।

हरियाणा—कोई भी नहीं ।

(ग) और (घ). (1) जम्मू और कश्मीर विधान सभा में तीन रिक्तियों को भरने के लिए उपनिर्वाचन कराने में विलम्ब के कारण इस प्रकार हैं :—

(i) सारे देश में सब निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का गहन पुनरीक्षण जो नवम्बर, 1969 में आरम्भ किया गया और जनवरी, 1970 में पूरा हुआ ;

(ii) दो निर्वाचन क्षेत्रों के ग्रामों में आग लगने की व्यापक घटनाएं ;

(iii) सर्दी में हिमपात का न होना तथा वसन्तकालीन वर्षा का न होना जिसके फलस्वरूप पीने के पानी और सिंचाई के प्रयोजनों के लिए पानी की भारी कमी हो गई ;

(iv) अनावृष्टि जिसके फलस्वरूप खाद्यानों की कमी हो गई ;

(v) जुलाई और अगस्त में फसल की कटाई जो ग्रामीण जनता के लिए उपयुक्त नहीं है। ऊपर वाले तीनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपनिर्वाचन अब नवम्बर, 1970 के अंतिम सप्ताह में कराने का विचार है।

(2) पंजाब विधान सभा में रिक्ति 8-8-70 से ही हुई है।

पंजाब राज्य से लोक सभा के लिए एक रिक्ति को भरने के लिए उपनिर्वाचन में विलम्ब नवम्बर, 1969 से जनवरी, 1970 तक सारे देश में सब निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण, कटाई के मौसम और खेती बाडी के कामों में ग्रामीण मतदाताओं की व्यस्तता और बाद में वर्षा ऋतु के कारण हुआ। इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपनिर्वाचन 20-9-70 को कराया जाएगा।

जे० जे० कालोनी नारायना (दिल्ली) के निकट दिल्ली के बाहर की लाइन पर ऊपर का पुल

4824. **श्री बलराज मधोक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे० जे० कालोनी नारायना, दिल्ली के निकट दिल्ली के बाहर की लाइन पर ऊपर का पुल गत दो वर्षों से निर्माणाधीन है ; और

(ख) इसके पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कब तक यातायात के लिए खोल दिया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी हां।

(ख) केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रशासन द्वारा पहुंच-मार्गों का काम पूरा न किए जाने के कारण, क्योंकि इसके बिना रेलवे भी पहुँच-पटिया लगाने और पुल-संरचना को ढलवां करने का काम नहीं कर सकती। अन्यथा, पुल संरचना का काम रेलवे द्वारा सब तरह से पूरा कर दिया गया है।

पटेल नगर और दिल्ली छावनी के बीच नये रेलवे स्टेशन की माँग

4825. **श्री बलराज मधोक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली रिवाड़ी रेलवे लाइन के साथ साथ नजफगढ़ रोड की कालोनियों की जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है ;

(ख) क्या पटेल नगर और दिल्ली छावनी स्टेशनों के बीच एक रेलवे स्टेशन बनाने के बारे में जहां सभी एक्सप्रैस रेलगाड़ियां रुकें, कोई मांग की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) दिल्ली-रेवाड़ी (मीटर लाइन) पर दिल्ली-सराय रोहिल्ला, पटेल नगर और दिल्ली छावनी तीन ऐसे स्टेशन हैं जो नजफगढ़ बस्तियों में रहने वाले लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं।

(ख) और (ग). पटेल नगर और दिल्ली छावनी स्टेशनों के बीच एक बड़ा स्टेशन खोलने की कोई मांग नहीं मिली है जहा सभी गाड़ियां ठहरें। लेकिन उपनगरीय यात्रियों के उपयोग के लिए कीर्ति नगर क्षेत्र में एक स्टेशन खोलने की मांग प्राप्त हुई है। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

सुविधाओं सम्बन्धी विभाग का कार्यकरण

4826. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 में रेलवे में सुविधाओं सम्बन्धी विभाग को कायम रखने के लिए कितना व्यय किया गया ;

(ख) इस विभाग ने अपने आरम्भ से लेकर क्या विशिष्ट उपलब्धियां कीं ; और

(ग) क्या सुविधाओं सम्बन्धी विभाग के अधिकारियों को "सैलून तथा वातानुकूलित" डिब्बों में यात्रा की अनुमति दी जाती है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) से (ग). सवाल नहीं उठते क्योंक रेलवे में "सुविधाओं का विभाग" नाम से कोई विभाग नहीं है।

एकाधिकार आयोग की स्थापना

4827. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्ध व्यापार प्रथा आयोग की पूरी तरह स्थापना कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सम्पूर्ण देश के लिए बनाये गए आयोग के लिए केवल दक्षिण भारत के एक भाग से ही सदस्य चुने जाने के क्या कारण हैं ?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार तथा अधिनियम, 1969 की धारा 5 की उप-धारा (1) में, एक अध्यक्ष तथा दो से कम नहीं व आठ से अधिक नहीं की संख्या में अन्य सदस्यों सहित, एक आयोग की स्थापना के लिये व्यवस्था है। आयोग के प्रारंभिक गठन के लिये, केवल अध्यक्ष, तथा दो सदस्य, नियुक्त किये गये हैं। अध्यक्ष तथा सदस्यों को, कानून द्वारा विहित उनकी योग्यताओं तथा अनुभव पर, अपेक्षित

विचार विमर्श के पश्चात नियुक्त किया गया है। नियुक्तियां करने में सरकार ने, प्रादेशिक विचारों को महत्ता नहीं दी।

उत्तर रेलवे में नियुक्त किए गये ए० आई० ओ० डब्लू अधिकारियों की सेवा में कुछ विच्छेद को खत्म करना

4828. **श्री शारदा नन्द :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर के पत्र की संख्या ई० 523/2 दिनांक 23 अगस्त, 1960 के अनुसार उन ए० आई० ओ० डब्लू० अधिकारियों की सेवाओं को जिनको छटनी सम्बन्धी मुआवजा नहीं दिया गया था अविच्छिन्न सेवाएं समझा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर रेलवे में ए० पी० डब्लू० आई० के पदों पर लिए गये पश्चिम रेलवे के ए० आई० ओ० डब्लू अधिकारियों के सेवा विच्छेद को समाप्त करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

1968 में बिना टिकट यात्रा

482९. **श्री० स० मो० बनर्जी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि कमी हुई तो 1968 के आंकड़ों की तुलना में यह कितनी कम अथवा अधिक है ; और

(ग) इस बात के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि कम से कम लोग बिना टिकट यात्रा करें ?

रेलवे मंत्री(श्री नन्दा) : (क) और (ख) ; 1969 में बिना टिकट अथवा अनुचित टिकट पर यात्रा करते हुए 66,93,021 व्यक्ति पकड़े गये जबकि 1968 में 1.07,52,141 व्यक्ति पकड़े गये थे ; इस तरह इसमें 37.7 प्रतिशत की कमी हुई है।

(ग) जून, 1969 से अनियमित यात्रा के लिए अधिक दन्ड देने की जो व्यवस्था की गयी है, उसके अलावा बिना टिकट यात्रा की रोक-थाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं ;

(क) टिकटों की जांच के परम्परागत तरीकों के अलावा बड़े पैमाने पर जांच करना। इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में टिकट जांच कर्मचारी तैनात किये जाते हैं और उनकी सहायता के लिए रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस के पर्याप्त कर्मचारी रहते हैं और रेलवे मजिस्ट्रेट भी साथ चलते हैं जो मामलों की मौके पर सुनवाई करते हैं।

(ख) बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध अभियान में छात्रों, ग्राम प्रधानों और समाज-सेवी संगठनों की सहायता प्राप्त करना।

(ग) बड़े पैमाने पर संचार के विभिन्न साधनों द्वारा बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध शैक्षणिक प्रचार ।

इलाहाबाद, कानपुर और इटावा में रेलवे विद्युतीकरण सम्बन्धी मजदूरों की छंटनी

4830. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद, कानपुर और इटावा में रेलवे विद्युतीकरण सम्बन्धी 3000 मजदूरों की छटनी की जानी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) उनको समान वैकल्पिक नौकरियां देने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हरियाणा को लोहे के माल की सप्लाई

4831. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा को 1969-70 में भिलाई, रूरकेला, और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों से कुल कितनी मात्रा में लोहे का माल (वर्गवार) सप्लाई किया गया ;

(ख) क्या हरियाणा के लिए कोई एजेन्ट अथवा स्टाकिस्ट है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

इस्पात तथा इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) वर्ष 1969-70 में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों द्वारा हरियाणा को किये गये लोहे और इस्पात के प्रेषणों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(टनों में)

माल	राउरकेला	भिलाई	दुर्गापुर	कुल
कच्चा लोहा	120	16,738	6,569	23,427
अर्द्ध तैयार इस्पात				
ब्लूम	—	164	851	1,015
बिलेट	—	3,284	—	3,284
सिल्लियां	—	—	67	67
जोड़	—	3,448	918	4,366

(टनों में)

तैयार इस्पात	राउरकेला	भिलाई	दुर्गापुर	कुल
प्लेट	195	—	—	195
गर्म बेलित चादरें	1,353	—	—	1,353
ठंडी बेलित चादरें	1,232	—	—	1,232
जस्ती सादी चादरें	1,654	—	—	1,654
जस्ती नालदार चादरें	665	—	—	665
गर्म बेलित कुण्डल	59,817	—	—	59,817
ठण्डे बेलित कुण्डल	1,168	—	—	1,168
टिन प्लेट	2,652	—	—	2,652
बीम (शहतीर)	—	78	621	699
चेनल्स	—	9,565	188	9,753
एंगल्स	—	585	56	641
राउण्ड्स	—	311	3,332	3,643
तार छड़े	—	3,824	—	3,824
चपटे उत्पाद	—	5[illegible]7	609	1,206
रेल की पटरी	—	5,030	—	5,030
क्रेन रेल्स	—	21	—	21
स्केल्प	—	—	16,990	6,990
जोड़	68,736	20,011	21,796	1,10,543
कुल जोड़	68,856	40,197	29,283	1,38,336

(ख) 1 मार्च, 1964 से प्रत्येक व्यक्ति को इस्पात का व्यापार करने की छूट है। हरियाणा के बहुत से लोग लोहे और इस्पात का व्यापार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार का लघु उद्योग निगम लोहे और इस्पात के वितरण का काम कर रहा है। अन्य व्यापारियों के मुकाबले में निगम को आवंटन और प्रेषण के मामले में विशेष अग्रता दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक अपशिष्ट के विश्लेषण के लिए भारतीय स्टैण्डर्ड

4832. **श्री जी० वेंकटस्वामी :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था ने कारखानों के अपशिष्ट के विश्लेषण के लिए भारतीय मानक के अनुसार मसौदा प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां तो, उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) और (ख) जी हां, भारतीय मानक संस्था ने औद्योगिक अपशिष्टों और मलयुक्त जल की विषाक्तता की जैव परख करने के तरीके के पर एक भारतीय मानक मसौदा तैयार किया हैं। ऐसी आशा की जाती है कि यह प्रणाली इसका निश्चय करने में कि अपशिष्ट की पानी में निर्धारित मात्रा में मिलने से जल जीवाणुओं को किसी प्रकार की सीधी हानि नहीं पहुँचती है बहुत ही उपयोगी साबित होगी। देश/विदेश के विज्ञ लोगों की इस विषय में राय प्राप्त करने से उद्देश्य इस समय मसौदे को प्रचारित किया गया है।

मोटर गाड़ियों में हानिकारक तत्व को कम करने का उपकरण

4833. **श्री अदिचन :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मोटर गाड़ियों में धुआं निष्कासन नालियों से कारबोनमोनो-आक्साइड जैसे हानिकारक तत्वों को कम करने के लिए एक जापानी कम्पनी कोआ डेनको (इलैक्टरों-केमिकल) द्वारा विकसित उपकरण की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस उपकरण अथवा ऐसे ही किसी अन्य उपकरण को भारत में मोटरगाड़ियों में अनिवार्य रूप से लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय उप-मंत्री (मं० र० कृष्ण) : (क) मोटर गाड़ियों में धुआं निष्कासन नालियों से कारबोनमोनो आक्साइड जैसे, हानिकारक तत्वों को कम करने के लिए एक जापानी कम्पनी द्वारा विकसित बताये गये उपकरण के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। फिर भी यह मालूम हुआ है कि अमेरिका, जापान, पश्चिमी जर्मनी तथा इंग्लैंड जैसे देशों में जहां "धूम कोहरा का प्रभाव" (धुआं तथा धुंध) स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनना जा रहा है, मोटर गाड़ियों के निर्माताओं तथा पेट्रोलियम निर्माताओं द्वारा धुंये में से कारबन-मोनो अक्साइड जैसे हानिकारक तत्वों को कम करने के तरीकों पर संयुक्त प्रयास किया जा रहा है। इन देशों में विभिन्न तरीकों का परीक्षण किया जा रहा है।

(ख) इस विषय पर हाल ही में आटो मोबाईल सम्बद्ध उद्योग नाली विकास परिषद की बैठक में विचार किया गया था। विकास परिषद का विचार था कि वर्तमान में वाहनों की संख्या तथा दबाव अपेक्षाकृत अमेरिका, जापान, पश्चिमी जर्मनी तथा इंगलेंड से कम है, अतः यह आवश्यक नहीं कि अभी इस देश में वाहनों पर अनिवार्य रूप से इस उपकरण को लगाया जाये।

Railway Hospital Status to Homoeopathic Hospitals on Eastern Railway

4834. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the action being taken by Government to accord the Homoeopathic Hospitals at all the big stations on the Eastern Railway the status of Railway Hospitals and to finance them from the general revenues of the Railways ; and

(b) if no, such action is being taken, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). No such proposal is under consideration. However, the question of providing non-allopathic medical facilities to railway employees and members of their families from the Railway Revenues would be considered as and when the funds position of the Railways improves.

करनाल होकर दिल्ली और अम्बाला के बीच दोहरी रेलवे लाइन का बनाना

4835. **श्री श्रीचन्द गोयल : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाल होकर दिल्ली और अम्बाला के बीच दोहरी रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इनको दोहरा करने में अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) क्या यह चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरी हो जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सब्जीमंडी-सोनीपत खण्ड में दोहरी लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया गया है और इस समय रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। इस खण्ड में दोहरी लाइन बिछाने की अनुमानित लागत लगभग 244 लाख रुपये है। सोनीपत-अम्बाला खण्ड में, फिलहाल, दोहरी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस बारे में जब तक कोई अन्तिम विनिश्चय नहीं कर लिया जाता, तब तक यह बताना सम्भव नहीं है कि कब से यह काम या उसका कोई अंश प्रारम्भ किया जायेगा।

दिल्ली में रेलवे सुरक्षादल के एक सब-इन्स्पैक्टर द्वारा पार्सल क्लर्कों को बर्बरता पूर्ण पीटा जाना

4836. **श्री श्रीचन्द गोयल : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में हाल में रेलवे सुरक्षा दल के एक-सबइन्स्पैक्टर द्वारा दो पार्सल क्लर्कों के बर्बरता पूर्ण पीटे जाने के मामले में जांच करायी है ; और

(ख) क्या दिल्ली के रेलवे कर्मचारियों में क्षोभ है और यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) दिल्ली के पार्सल क्लर्कों के एक वर्ग ने 19 से 25 अगस्त, 1970 तक उन दो पार्सल क्लर्कों की सहानुभूति में 'विरोध सप्ताह' मनाया जिन्हें गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर छोड़ा गया तथा जिनके खिलाफ पुलिस द्वारा भारतीयदण्ड संहिता की धारा 409 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 29 के अन्तर्गत मामले दर्ज किये गये। रेल सुरक्षा दल ने भी रेल सम्पति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम की धारा 3/6 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया है।

दोनों मामलों की जांच पड़ताल हो रही है। उत्तर रेलवे प्राधिकारियों ने पार्सल क्लर्कों को आश्वासन दिया है कि कथित घटना की उचित और निष्पक्ष जांच की जायेगी।

जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चण्डीगढ़ में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं

4837. **श्री श्रीचन्द्र गोयल :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्यों और दिल्ली तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली मुख्य परियोजनाएं क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्यों तथा संघ शासित दिल्ली और चंडीगढ़ क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाली निम्नलिखित मुख्य परियोजनाओं की सम्भावना है :—

राज्य/संघीय क्षेत्र	परियोजना
जम्मू तथा काश्मीर	एच० एम० टी० घड़ियों का कारखाना, श्रीनगर ।
हिमाचल प्रदेश	नाहन फाउन्ड्री का आधुनिकीकरण तथा विस्तार पोन्टा में सीमेंट का कारखाना (भारत सीमेंट निगम)
पजाब	भारत उर्वरक निगम के नंगल उर्वरक संयन्त्र की विस्तार
हरियाणा	ट्रैक्टर परियोजना, पिंजौर
दिल्ली	हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स का पूर्ण करना/विस्तार करना
चंडीगढ़	—

इस्पात कारखानों का कार्यकरण

4838. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में अलग-अलग ऐसे इस्पात कारखानों के नाम क्या हैं जो इस समय घाटे में चल रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन कारखानों को अपनी निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन करने की अनुमति देने का है ; और

(ग) सरकार के अनुमान से सभी इस्पात कारखाने कब तक अपनी निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन कर सकेंगे ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) यद्यपि हिन्दुस्तान स्टील के सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने वाणिज्यिक दृष्टि से लाभ में नहीं है तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि ये कारखाने अलाभकारी हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के सर्वतोमुखी कारखाने कुछ लाभ कमा रहे हैं और सामान्य लाभांश भी दे रहे हैं।

(ख) और (ग). इस्पात कारखानों को अपनी निर्धारित क्षमता पर उत्पादन करने के लिए सरकार की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में सरकार इस्पात कारखानों के कार्यकरण पर सतत ध्यान दे रही है और उन्हें यथाशीघ्र निर्धारित क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है।

धातु पिण्डों के उत्पादन के लिये टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को वित्तीय सहायता

4839. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के चेयरमैन के इस प्रस्ताव पर विचार किया है कि यदि सरकार टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को पर्याप्त सहायता देती है तो यह कम्पनी एक वर्ष में 20 लाख टन से अधिक के धातु पिण्डों का उत्पादन कर सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी से उनकी 20 लाख टन इस्पात पिण्ड की वर्तमान उत्पादन क्षमता में वृद्धि का कोई ठोस प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। यदि ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होगा, तो सरकार उस पर विचार करेगी।

अगस्त 1970 में दक्षिण-पूर्वी रेलवे पर लम्बी दूरी वाली गाड़ियों का बन्द किया जाना

4840. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त 1970 के पहले सप्ताह में लम्बी दूरी वाली गाड़ियों को बन्द करने के लिए दक्षिण-पूर्व रेलवे बाध्य हो गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) दक्षिण-पूर्व रेलवे के कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के परिणामस्वरूप रेलवे को जो हानि हुई क्या उसका सरकार ने अनुमान लगाया है, और यदि हां, तो विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के फलस्वरूप।

(ग) 31-7-70 से 10-8-70 तक हड़ताल के कारण दक्षिण-पूर्व रेलवे को विभिन्न शीर्षकों के अधीन जो हानि हुई वह नीचे बतायी गयी है :—

	(लाख रुपयों में)
(i) 18,992 माल डिब्बों की लदान क्षमता की हानि	102.0
(ii) माल डिब्बों का 1,12,310 माल डिब्बों दिनों के लिए रुका रहना	13.0
(iii) 318 सवारी गाड़ियों को रद्द करना और 75 सवारी गाड़ियों को गंतव्य स्टेशनों से पहले ही समाप्त कर देना	25.0
(iv) अन्य कोचिंग यातायात	5.5
(v) फुटकर लेखा	4.0
(vi) 10-8-1970 को कम काम के कारण हानि, अन्य आकस्मिकताएं जैसे फंसे हुए यात्रियों के लिए मुफ्त भोजन और मुफ्त परिवहन आदि की व्यवस्था करना	30.0
जोड़	179.5

पूर्वी क्षेत्र में रेलवे हड़तालों के कारण रेलवे राजस्व में जन दिनों की हानि

4841. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पूर्वी क्षेत्र में सभी रेलों को रेलवे-वार कितने जन-दिनों की हानि हुई ;

(ख) इनके कारण रेलवे राजस्व में कितनी हानि हुई ;

(ग) इस अवधि में कितनी रेलगाड़ियों को स्थगित किया गया और इस कारण लगभग कितने यात्री यात्रा नहीं कर सके ; और

(घ) वे 'सेंसीटिव' स्थल कौन से हैं जहां पर गड़बड़ी आरम्भ हुई और सरकार ने इस बात के लिए क्या कार्यवाही की है कि रेलगाड़ियां सुचारु ढंग से चले ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित इस्पात के फुटकर मूल्यों पर नियन्त्रण

4842. **श्री मृत्युंजय प्रसाद :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० एस०, रौड्स, फ्लैट एंगल्स चैनल्स, जाइंट्स, ब्लाक और जस्तीकृत सादा

चादरों, जी० सी० शीट आदि जैसे निर्माण कार्यों से सम्बन्धित इस्पात के फुटकर मूल्यों पर सरकारी नियंत्रण है ; और

(ख) यदि हां, तो टाटा बन्धुओं इंडियन स्टील तथा हिन्दुस्तान स्टील लि० की विभिन्न इस्पात मिलों द्वारा लिये गये निर्माता के मूल्यों तथा कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, पटना, कानपुर और चंडीगढ़ जैसे बड़े केन्द्रों पर छोटे स्तर के उपभोक्ताओं से लिए गये फुटकर मूल्यों में कितना अन्तर रख सकने की अनुमति है ।

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं । इस्पात प्राथमिकता सीमित द्वारा किये गए थोक संभरण के मूल्य सरकार की अनुमति से निश्चित किये जाते हैं । प्रमुख उत्पादकों के माल गोदामों द्वारा अथवा किसी अन्य पार्टी द्वारा की गई परचून बिक्री के मूल्यों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Scheme for Social Economic and Educational Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of Madhya Pradesh

4843. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether the Central Government have drawn up a special programme for the economic, social and educational development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Madhya Pradesh during the Fourth Plan so as to make good the deficiences of the first three Plans ; and

(b) if so, the details thereof and. if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) and (b). No, Sir. The following provsions only have been made for the IVth Plan for the economic, Social and educational development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Madhya Pradesh :—

(i) State Sector	Rs. 900.00 lakhs.
(ii) Central Sector	Rs. 919.50 lakhs.

Funds Provided for Welfare of Harijans of Indore Commissionary in Madhya Pradesh

4844. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) the total funds provided by the Central Government in the Fourth Five Year Plan for the Welfare of Harijans in the Indore Commissionary in Madhra Pradesh ;

(b) whether the economic and social conditions of the Harijans as also the educational facilities provided to them did not improve to the desired extent during the last three Five Year Plans ; and

(c) the details of the scheme formulated for the welfare of Harijans in the said Commissionary during the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) to (c). The details are being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha as soon as available.

Enquiry against Cotton Mills in Madhya Pradesh

4845. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the names and addresses of those Cotton Mills in Madhya Pradesh against which enquiries are pending with the Central Bureau of Investigations ; and

(b) the date on which each case was referred to the C. B. I. for investigation and the basis thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b). Ministry of Industrial Development and Internal Trade has not referred to the Central Bureau of Investigation any case against any Cotton Mill in Madhya Pradesh.

Women Employees Working on Central Railway

4846. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** pleased to state :

(a) the number of women employees working on the Central Railway against various posts, category-wise ; and

(b) the highest post on the Central Railway to which any women officer has been appointed ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) A statement is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—4130/70].

(b) The highest post presently occupied by a women employee is that of an Accounts Officer in the grade of Rs. 400—950 (AS) (Class I).

रेलवे लाइनों के बिछाने के कार्य में प्रगति

4847. **श्री सीताराम केसरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 से 1969-70 तक की अवधि में बिछाई गई रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई क्या है ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में नई रेलवे लाइनों के बिछाने के कार्य में प्रगति धीमी पड़ गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा और अधिक रेलवे लाइनों को बिछाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) वर्ष 1967-68 से 1969-70 तक की अवधि में जो नई लाइनें खोली गयीं, वे इस प्रकार हैं :—

	खोली गयी नयी लाइनें
	कि० मी०
1967-68	269
1968-69	740
1969-70	107

(ख) और (ग) रेलवे लाइनों का निर्माण हाथ मे लेने और उसे आगे बढ़ाने का काम धन की उपलब्धता, यातायात सम्बन्धी औचित्य और प्रत्याशित रूप में यातायात होने पर है। मूल प्रत्याशा के अनुसार यातायात न मिलने और क्षेत्र में विकास की गति मन्द होने के कारण हाल में कुछ परियोजनाओं की गति धीमी कर देनी पड़ी थी।

चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

4848. **श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों में सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने हेतु एक व्यापक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों का व्यौरा क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में राजस्थान सरकार ने क्या सिफारिशें अथवा सुझाव दिये है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के स्थापना स्थल का निश्चय करने में विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ेपन सहित विभिन्न प्रकार के तकनीकी आर्थिक तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों में स्थापित की जाने वाली केन्द्रीय औद्योगिक प्रायोजनाओं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रतिवेदन के पृष्ठ 326 से 330 पर दी गई है। राजस्थान राज्य क्षेत्र में बड़े उद्योगों के लिए 2.08 करोड़ रु० की स्वीकृति दी गई है। योजनानुसार अलग-अलग व्यौरा अभी तक राज्य सरकार से उपलब्ध नहीं हो सका है।

सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाले उद्योग

4849. **श्री चेंगलराया नायडू : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय देश में सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वालों उद्योगों के नाम उत्पादित वस्तुएं और उनके उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क्रम सं०	उपक्रम का नाम	उत्पाद का नाम
1.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०	1. थर्मामीटर 2. सभी प्रकार के पैमाने
2.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	सभी प्रकार की घड़ियां
3.	इण्डियन टेलिफोन इण्ड० लि०	टेलिफोन

4.	हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लि०	टेलीप्रिन्टर्स और सहायक उपकरण
5.	(1) भारतीय उर्वरक निगम लि० सभी एकक)	नाइट्रोजिनस तथा फास्फेटिक दोनों प्रकार के उर्वरक
	(2) फार्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, ट्रावनकोर लि०	सभी प्रकार के उर्वरक (क) अमोनियम सल्फेट (ख) सुपर फास्फेट (ग) अमोनियम फास्फेट (घ) अमोनियम क्लोराइड
	3. नवेली लिगनाईट कोपोरेशन लि०	यूरिया खाद
6.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि०	डी० डी० टी० 50 प्रतिशत बनाई गई डी० डी० टी०
7.	इण्डियन आयल कार० लि०	(1) पेट्रोल (2) मिट्टी का तेल
8.	(क) हिन्दुस्तान एन्टीवायोटिक्स लि०	(क) पैंसीलीन (ख) स्ट्रेप्टामाइसीन (ग) वियाल्ड प्रोडक्ट्स
	(ख) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फारम्यूटिकल्स लि०	
	(क) सीन्थेटिक ड्रग्स प्रोजेक्ट्स हैदराबाद।	(क) औषधिया (ड्रग्स)
	(ख) एन्टीवायोटिक्स प्रोजेक्ट्स ऋषिकेश	(ख) पेन्सीलीन और स्ट्रेप्टो-माइसीन
	(ग) सर्जिकल इन्स्ट्रूमेन्ट प्लान्ट मद्रास	सर्जिक्ल (चीड़ फाड़) के औजार।
9.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्यू० कम्पनी लि०	(1) साइनकिला पौजिटिव (2) मेडिकल (चिकित्सा संबंधी) एक्सरे फिल्में (3) फोटोग्राफिक कागज (4) साइन फिल्म साउन्ड (5) 35 मि० मी०की निगेटिव फिल्में (6) रोल फिल्में।

10.	हिन्दुस्तान शाल्ट्स लि०	सामान्य तथा दूसरे प्रकार के नमक
11.	भारतीय सीमेंट निगम लि० नई दिल्ली	सीमेंट (लाभप्रद उत्पादन) अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।
12.	(1) नेशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लि०	अखबारी कागज
	(2) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन प्रा० लि० (भारतीय कागज निगम)	कागज (हाल ही में स्थापित) किया गया है उत्पादन अभी आरम्भ होना है।
13.	टैनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	जूते और चमड़े का सामान।

निर्माताओं के पास पड़े हुए बेकार तथा अप्रयुक्त डीजल इंजन

4850. **श्री चेंगलराया नायडू : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माताओं के पास बहुत से डीजल इंजन बेकार और अप्रयुक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनको बेचे जाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). सरकार को ऐसी कई शिकायतें मिली हैं कि डीजल इंजनों के बाजार में मंदी आई हुई है। इसके ये कारण हो सकते हैं ; सम्पूर्ण देश में ग्रामों में बिजली लगाने की गति धीरे धीरे बढ़ी है, कृषि संबंधी कार्यों के लिए डीजल इंजनों की खरीद के लिए ऋणों के रूप में कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए व भूमि विकास बैंकों द्वारा संस्थापित वित्त की व्यवस्था न कर पाना, अपने ही राज्य में बने डीजल इंजनों के पक्ष में वहां की ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा कथित भेदकारी नीति अपनाना तथा कुछ क्षेत्रों में गन्ने के मूल्य में मंदी जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन कम हो गया है।

मांग की वर्तमान मंदी का प्रभाव संगठित क्षेत्र के उत्पादकों के बजाय लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादकों पर अधिक पड़ा है। चूंकि लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के कार्य को मुख्यत: राज्य सरकारें देखती हैं अत: संबंधित राज्यों को ही यह सोचना होगा कि अपने अपने क्षेत्रों में वे मंदी से प्रभावित कारखानों को किस प्रकार से सहायता प्रदान की जाये जिससे वर्तमान संकट दूर हो सके। इस उद्योग की सहायता करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही एक काम का कार्यक्रम तैयार कर लिया है। केन्द्रीय सरकार इस स्थिति से अवगत है और उसने स्थिति सुधारने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। सरकार यह सोच रही है कि अन्तर्राज्यि प्रतिबंधों को हटाया जाये, अधिक मूल्य दिया जाये, किसानों को उदार शर्तों पर ऋण की सुविधाएं दी जायें

श्रौर भूमि बंधक बैंकों को अधिक धनराशि नियत की जाये। निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं के के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

वास्तविक उपभोक्ताओं को लोहे और इस्पात का वितरण

4851. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "दि बंगाल गैल्वनाइज्ड शीट मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 20, स्ट्रैण्ड रोड, कलकत्ता-1" से इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि तथाकथित वास्तविक उपभोक्ताओं को आवंटित स्पात का लगभग 50 प्रतिशत भाग को काले बाजार में ऊंची कीमतों पर बेच दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों के मध्य लोहे और इस्पात के आवंटन के तरीके में परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इन परिवर्तनों का क्या ब्यौरा है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख). ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। क्योंकि वास्तविक उपभोक्ताओं को नियतन प्रायोजक प्राधिकारियों की सिफारिशों पर किया जाता है, इस लिए सरकार ने प्रायोजक प्राधिकारियों से यह बात सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि ऐसे नियतन का दुरुपयोग न हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अवधि विशेष के लिये वास्तविक उपभोक्ताओं की जरूरतों से अधिक नियतन न हो, प्रायोजक प्राधिकारियों से नियतन से पूर्व जहां तक सम्भव हो ब्यौरेवार विचार विमर्श भी किया जाता है।

(ग) और (घ). 22 मई, 1970 को सरकार ने परिशोधित वितरण नीति की घोषणा कर दी है। इस समय इस नीति में दोबारा परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

दिल्ली क्षेत्र (उत्तरी रेलवे) के सिगनलों और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के लिए निरनुमोदित ड्यूटी रोस्टर

4852. श्री देवेन सेन : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युतचालित सिगनलों के लगाये जाने के पश्चात दिल्ली मेन पर तथा दिल्ली क्षेत्र के अन्य स्थानों पर सिगनल तथा दूरसंचार विभाग के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए रेलवे के न्यायनिर्णयन शाखा द्वारा अनुमोदित ड्यूटी रोस्टर न होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या भारतीय रेलवे के बहुत से अन्य स्थानों पर भी रेलवे की न्यायनिर्णयन शाखा द्वारा ड्यूटी रोस्टरों और साप्ताहिक छुट्टियों के बारे में सिगनल के दूर-संचार विभाग के कर्मचारियों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है ; और

(ग) इस मामले में सरकार का कब क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Linking of Bastar and other Places by Rail with other Important Cities of Madhya Pradesh

4853. **Shri Ram Avtar Sharma**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Bastar in Madhya Pradesh is lacking Rail Transport facilities ;

(b) whether Bailadilla, Dantabad and Jagdalpur are connected by rail with Visakhapatnam but they are not connected by Rail with other parts of Madhya Pradesh ;

(c) if so, whether Government propose to connect the aforesaid places by Rail with other important cities of Madhya Pradesh ; and

(d) if so, the details thereof and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (d). The proposal apparently refers to the construction of a rail link between Dhalli-Rajhara and Dantewara or Jagdalpur. Cost-cum-feasibility studies carried out of this project in 1965-66 revealed that this line will not be financially remunerative. The construction of this line is, therefore, not being considered at present.

Introduction of Taj Express Train from Delhi to Gwalior

4854. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce a Taj Express train service from Delhi to Gwalior ; and

(b) if so, the details in this regard and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) *Prima facie* Gwalior does not possess the tourist potentialities comparable to Agra etc. to justify the running of a service on the pattern of Taj Express. Besides, introduction of the proposed train is also operationally not feasible at present for want of spare line capacity on sections *en-route* and terminal capacity at Delhi/Gwalior stations.

Public Sector Projects in Backward Areas

4855. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether he expressed the view in a meeting of the Chamber of Commerce at Kanpur that public sector projects should be set up mainly in backward areas ; and

(b) if so, the names of projects which Government propose to set up in Madhya Pradesh which is a backward State, during the next three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) The present Minister of Industrial Development and Internal Trade has not so far addressed any meeting of the Chamber of Commerce at Kanpur.

(b) The names of the Central Industrial projects to be set up during the Fourth Five Year Plan in various States including Madhya Pradesh are indicated on pages 326-330 of the Fourth Five Year Plan Report. Encouragement is being given for setting up projects in backward areas.

मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी

4856. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी के बारे में 19 मई, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1719 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार को अभी कितना समय लगेगा और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). कुछ सूचना प्राप्त हो गई है और पूरी जानकारी अभी इकट्ठी करनी है। वह इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गोल्डन तम्बाकू कम्पनी

4857. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा मैसर्स गोल्डन तम्बाकू कम्पनी को कितनी बार विस्तार की अनुमति दी गई है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में मैसर्स गोल्डन तम्बाकू कम्पनी द्वारा कितने तम्बाकू तथा सिगरटों का निर्यात किया गया ; और

(ग) सरकार ने मैसर्स गोल्डम तम्बाकू कम्पनी को गत तीन वर्षों में कितने मूल्य का आयात करने की अनुमति दी है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) :

(क) मे० गोल्डन टोबैकों कम्पनी को 450 करोड़ सिग्रेट बनाने के लिये गुजरात राज्य में एक नये कारखाने की स्थापना के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस फरवरी, 1970 में दिया गया था।

(ख) व्यापारिक आंकड़े समूचे देश के रख जाते हैं निर्यात के आधार एकक-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) मे० गोल्डन टोबैकों कम्पनी को उपभोक्ता वास्तविक आधार पर कच्चे माल तथा फालतू पुर्जों के आयात के लिए की गई सिफारिशों की राशि निम्न प्रकार है :

अप्रैल-सितम्बर, 1967	7,40,000 रु०
अप्रैल, 1968 मार्च 1969	14,80,000 रु०
अप्रैल, 1969 मार्च 1970	7,40,000 रु०

पूंजीगत गत वस्तुओं के आयात की दी गई अनुमति के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे इंटरमीडियेट कालेजों में प्राध्यापक का पद

4858. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे इंटरमीडियेट कालेजों में अध्यापक का पद सिलेक्शन पद है या नान-सिलेक्शन पद है ; और

(ख) यदि यह सिलेक्शन पद है तो रेलवे बोर्ड ने उपर्युक्त वर्गीकरण के समर्थन में से किस तारीख को आदेश जारी किये थे ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 275-550 रुपये के वेतनमान में प्राध्यापक का पद एक प्रवरण पद है ।

(ख) सम्बन्धित आदेश 7-11-1964 को जारी किया गया था।

औद्योगिक बस्तियों के कार्यकरण में सुधार

4859. **श्री बि० गो० बिस्वास :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में औद्योगिक बस्तियों के कार्यकरण को नया रूप दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इन औद्योगिक बस्तियों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). जी, हां । दिये गये सुधार निम्नलिखित आंकड़ों से प्रकट होंगे :

	30 सितम्बर 1966 तक	30 सितम्बर 1969 तक	अन्तर
1. पूर्ण की गई औद्योगिक बस्तियों की संख्या	305	402	(+) 97
2. निर्मित शेड	6839	9122	(+) 2283
3. आवन्टित शेड	5406	7788	(+) 2382
4. बस गये शेड	4959	6947	(+) 1988
5. चालू शेड	4027	5332	(+) 1305
6. रोजगार	61775	96365	(+) 34590
7. वार्षिक उत्पादन	43 करोड़ रु० (लगभग)	100 करोड़ रु० (लगभग)	(+) 57 करोड़ रु० (लगभग)

(ग) औद्योगिक बस्तियों के कार्यकलाप में सुधार के लिए उठाए गए पग निम्न प्रकार है :—

(1) संसद की प्राक्कलन समिति ने 1966 में औद्योगिक बस्तियों के कार्य की समीक्षा की और समिति द्वारा की गई सिफारिशें राज्य सरकारों के ध्यान में लाई गई और औद्योगिक बस्तियों की प्रगति में नई चेतना संचार की आवश्यकता पर बल दिया गया।

(2) प्राक्कलन समिति की विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन को आंकने के लिए लघु उद्योग विकास आयुक्त के सम्बन्ध अधिकारी विभिन्न राज्यों का दौरा करते हैं।

(3) औद्योगिक बस्तियों में बिजली पानी तथा टेलीफोन इत्यादि की व्यवस्था के लिए सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय तथा संचार मन्त्रालय में निकट सम्पर्क रखा जाता है।

(4) विकास की क्षमता को आंकने के पश्चात् औद्योगिक बस्तियों को निम्नलिखित तीन कोटियों में वर्गीकृत किया गया है :—

(क) वे बस्तियां जो सन्तोषजनक ढंग से काम कर रही हैं और जिन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं।

(ख) ऐसी जो इस समय ठीक ढंग से काम नहीं कर रहीं हैं किन्तु उनमें विकास की क्षमता है और पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करने पर ठीक ढंग से कार्य कर सकती हैं।

(ग) ऐसी जिनमें विकास की क्षमता नहीं।

श्रेणी (ख) में आने वाली बस्तियों के बारे में यह निर्णय किया गया था कि राज्य सरकारें पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करेंगीं। श्रेणी (ग) में आने वाली बस्तियों को अन्य विभागों को हस्तान्तरित कर दिया जाए अथवा उन्हें किसी अन्य प्रयोग में लाया जाए।

(5) आयातित कच्चे माल विषयक नीति को विगत दो या तीन वर्षों में उदार बनाया गया है और ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं कि लघु उद्योग क्षेत्र को दुर्लभ कच्चे माल का यथा संभव अधिक से अधिक आवंटन किया जाये। कई राज्यों में औद्योगिक बस्तियों में स्थित कारखानों को कच्चे माल के आवन्टन में वरीयता दी जाती है।

लोहा तथा इस्पात उद्योग के विकास के लिए मार्गदर्शी दल की सिफारिश

4860. **श्री रवि राय :** क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा तथा मार्गदर्शी दल ने चौथी तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में विकास के लिये एक यथार्थवादी कार्यक्रम की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां तो उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्य-वाही की है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) कर्णधार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर चौथी योजना में इस्पात के विकास का निम्नलिखित कार्यक्रम रखा गया है :

(1) हाथ में ली गई प्रायोजनाओं को पूरा करना और वर्तमान सुविधाओं से प्रौद्योगिक सुधारों द्वारा अधिकतम उत्पादन करना, अतिरिक्त संतुलन और सम्पूर्णकारी सुविधाओं को अगले दस वर्षों में उत्तरोत्तर पूरा किया जाएगा।

(2) बोकारो की क्षमता को 40 लाख टन करना।

(3) बिलेट और प्लेटों के उत्पादन के लिए भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार करना।

(4) दुर्गापुर स्थित मिश्र इस्पात कारखाने का विस्तार करना।

(5) राउर केला कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टेड शीट्स के उत्पादन की प्रायोजना को पूरा करना।

(6) पांचवी योजनावधि में चालू किये जाने वाले नये इस्पात कारखानों में अतिरिक्त इस्पात क्षमता के लिए कार्यवाही करना।

मद संख्या ( ) पर लगातार कार्यवाही करने की आवश्यकता है और योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बोकारो का 40 लाख टन तक विस्तार करने का काम भी साथ-साथ किया जा रहा है।

भिलाई के 42 लाख टन तक विस्तार के शक्यता प्रतिवेदन और राउरकेला में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टेड शीट्स की प्रायोजना पर सरकार तत्परता से विचार कर रही है।

दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने के विस्तार की योजना बनाई जा रही है।

सरकार ने 17 अप्रैल, 1970 को विशाखापत्तनम्, हास्पेट और सलेम के स्थानों पर तीन नये इस्पात कारखाने स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की थी। इन प्रायोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में सरकार ने कई कदम उठाये हैं।

केन्द्रीय इन्जीनियरी तथा डिजाइन ब्यूरो की योग्यता के स्तर को विदेशों में मान्यता

4361. **श्री रवि राय :** क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय इन्जीनियरिंग तथा डिजाइन ब्यूरो की योग्यता के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को विदेशों में मान्यता मिलने लगी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं, जिन्होंने उपर्युक्त ब्यूरो की सहायता और सलाह मांगी है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) एशिया और सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग (इकाफे) ने, जिसने नवम्बर, 1968 में भारत का दौरा किया था, विश्व संस्था को दी गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केन्द्रीय इन्जीनियरी और रूपांकन ब्यूरो एशिया और सुदूर पूर्व क्षेत्र के आर्थिक विकास कार्यक्रम में आर्थिक दृष्टि से सक्षम इस्पात संयंत्रों और सम्बद्ध उद्योगों की स्थापना के लिए रिपोर्ट तैयार करके सहयोग देने की स्थिति में है । सिंगापुर में एक बिलेट मिल स्थापित करने के लिए केन्द्रीय इन्जीनियरी और रूपांकन ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत किए गए शक्यता प्रतिवेदन की एशिया और सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग ने प्रशंसा की थी । इकाफे ने अपने पश्चिमी क्षेत्र में लोहे और इस्पात उद्योग का सर्वेक्षण करने वाले दल में केन्द्रीय इन्जीनियरी और रूपांकन ब्यूरो के एक इन्जीनियर की सेवाएं भी प्राप्त की थीं । अभी हाल में इकाफे ने केन्द्रीय इन्जीनियरी और रूपांकन ब्यूरो को बैंकाक में अपने इंजीनियर भेजने के लिए लिखा है ।

(ग) उपर्युक्त के अलावा विदेशों से प्राप्त हुए पत्रों का ब्यौरा संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	देश का नाम	पत्रों/टेन्डरों का ब्यौरा
1.	नाइजीरिया (पश्चिमी अफ्रीका)	इंजीनियरी निर्यात प्रोत्साहन परिषद् के माध्यम से टोगो में बेलन मिल के साज सामान के बारे में ।
2.	दक्षिणी वियतनाम	सैगोन में तार छड़ों के मिलों के बारे में
3.	अर्जनटाइना	अर्जनटाइना के फैविरिकेशन्स पिलिटैयर्स से बेलन मिल की स्थापना के समस्त कार्य के बारे में ।
4.	कुवालालम्पुर, मलेशिया	कुवालालम्पुर के मेसर्स सून सैंग से कोल्ड रोलिंग मिल्स की स्थापना के बारे में ।
5.	मैक्सिको	बैलेडिक्यस्को मैक्सिको में राड रोलिंग मिल की स्थापमा के लिए शक्यता अध्ययन तैयार करने के बारे में ।
6.	दक्षिणी वियतनाम	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से दक्षिणी वियतनाम में एल्यूमिनीयम रोलिंग मिल के लिए ।

क्रम संख्या	देश का नाम	पत्रों/टेन्डरों का ब्योरा
7.	कुवैत	कुवैत में एक पुनर्वेलन मिल की स्थापना के बारे में टेन्डर। यह टेन्डर इन्जीनियरी निर्यात प्रोत्साहन परिषद् की मार्फत प्राप्त हुआ था।
8.	श्रीलंका	मेसर्स टिल्लीस हार्डवेयर स्टोरस कोलम्बो का एक एल्यूमीनियम रोलिंग प्लांट की स्थापना के लिए टेन्डर। यह टेन्डर इंजीनियरी निर्यात प्रोत्साहन परिषद् की मार्फत प्राप्त हुआ था।
9.	बेहरीन (पशियम गल्फ)	इंजीनियरी निर्यात प्रोत्साहन परिषद् के माध्यम से बेहरीन में एक बेलन बिल की स्थापना और इसके शक्यता अध्ययन के बारे में।
10.	दक्षिणी पूर्वी एशिया	हैदराबाद एसबैसटोस सीमेंट परोडक्ट्स लि० के माध्यम से दक्षिणी पूर्वी एशिया में एक पुनर्वेलन मिल की स्थापना के बारे में।
11.	नैरोबी	नैरोबी में एक इस्पात कारखाना लगाने के बारे में।
12.	दक्षिणी वियतनाम	इन्जीनियरी निर्यात प्रोत्साहन परिषद् के माध्यम से सैगोन में एक बेलन मिल के बारे में।
13.	फिलीपाइन्स	इंजीनियरी निर्यात प्रोत्साहन परिषद के माध्यम से फिलीपाइन्स के विसायन लुम्बर कम्पनी का एक बेलन मिल की स्थापना के बारे में।
14.	श्री लंका	इन्जीनियरी निर्यात प्रोत्साहन परिषद् के माध्यम से कोलम्बो में टिनप्लेट और चादरों के उत्पादन के लिए एक बेलन मिल की स्थापना के बारे में।
15.	कुआलालम्पुर	कुआलालम्पुर के मेसर्स सूनसेंग का एक वायर राड मिल की स्थापना के बारे में।
16.	दुबाई	इंजीनियरी निर्यात प्रोत्साहन परिषद के माध्यम से दुबाई में भारतीय सहयोग से एक इस्पात बेलन मिल की स्थापना के बारे में।

क्रम संख्या	देश का नाम	पत्रों/टेन्डरों का ब्यौरा
17.	घाना	इन्जीनियरी निर्यात प्रोत्साहन परिषद् के माध्यम से घाना इन्डस्ट्रीयल होल्डिंग कारपं रेशन का एक बेलन बिल स्थापित करने के बारे में।
18.	केन्या	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से केन्या में एक इस्पात बेलन बिल की स्थापना के बारे में।
19.	श्री लंका	इन्जीनियरी निर्यात प्रोत्साहन परिषद् के माध्यम से कोलम्बो के मेसर्स अच्युतन एण्ड कम्पनी का एक सम्पूर्ण बेलन मिल की स्थापना के बारे में।
20.	नैरोबी	इन्जीनियरी निर्यात प्रोत्साहन परिषद् के माध्यम से नैरोबी में एक बेलन मिल की स्थापना के बारे में।
21.	लागोस (नाइजीरिया)	इंजीनियरी निर्यात प्रोत्साहन परिषद् के माध्यम से नाइजीरिया स्टील इन्डस्ट्रीज लि०, लागोस के लिए एक इस्पात बेलन मिल की स्थापना के बारे में।
22.	संयुक्त अरब गणराज्य	मेसर्स इन्जीपशियन कापर वर्क्स, स० अ० ग० का एक लगातार तार छड़ बनाने का मिल स्थापित करने के बारे में।
23	इन्डोनेशिया	भारी इन्जीनियरी निगम, रांची के माध्यम से इन्डोनेशियायी गणतन्त्र के दूतावास का एक इस्पात बेलन मिल की स्थापना के बारे में।
24.	इन्डोनेशिया	इम्पोर्टेक्स इन्टरनेशनल, बम्बई के माध्यम से इंडोनेशिया का एक बेलन मिल की स्थापना के बारे में।
25.	तुर्की	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से तुर्की में मिल इस्पात कारखाने के लिए विविध प्रकार के उपस्कर लगाने के बारे में।
26.	संयुक्त अरब गणराज्य	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल के माध्यम से दो पुनर्वेलन मिलों—एक स० अ० ग० में और दूसरा बुवाय में—की स्थापना के बारे में।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को जापान से प्राप्त क्रयादेश

4862. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का जापान से 40 करोड़ रुपये के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो जापान ने किन वस्तुओं को खरीदने के लिए क्रयादेश भेजे हैं ; और

(ग) क्या क्रयादेशों को वस्तुओं की सप्लाई समय पर सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

मनीपुर में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियाँ देना

4863. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति के कितने विद्यार्थियों को अब तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृतियां दी गई हैं ;

(ख) उनको अब तक दी गई छात्रवृत्तियों की राशि कितनी है ;

(ग) निर्वाह सूचकांक में वृद्धि को देखते हुए क्या उनके निर्वाह के लिये वह राशि पर्याप्त है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (घ). वर्ष 1969-70 के दौरान अनुसूचित जातियों के दौरान अनुसूचित जातियों के 45 विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई थीं तथा मनीपुर प्रशासन द्वारा 0.22 लाख रुपये का खर्च किया गया था। उस प्रशासन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष (1970-71) के दौरान दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या तथा किए गए खर्च के बारे में इस वर्ष की समाप्ति पर ही पता चलेगा।

इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति की रकम में मासिक भरण-पोषण खर्च भी शामिल है, तथा वह 27 रुपये से 75 रुपये तक होती है, जो छात्र के दिवस छात्र होने पर अथवा होस्टलवासी होने पर निर्भर करती है। इस भरण-पोषण खर्च के अतिरिक्त छात्रों को निहित की गई शिखर सीमा तक वापिस न की जाने वाली अनिवार्य फीसें तथा अनुमोदित अध्ययन दौरों पर तथा थीसिस के टाइपिन्ग/मुद्रण पर हुआ खर्च भी दिया जाता है। फीसों के बढ़ने से हुआ सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है।

छात्रवृत्ति की दरों को बढ़ाये जाने के प्रश्न पर विचार किया गया था, परन्तु वित्तीय नियंत्रणों के कारण इसे छोड़ दिया गया था।

मनिपुर के अनुसूचित आदिम जाति क्षेत्रों का विकास

4864. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित आदिम जाति क्षेत्रों में संचार साधन विकसित नहीं हैं और पानी की सप्लाई के साधनों का उपयोग नहीं किया गया है और उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई की स्थिति में भी अव्यवस्था है और उनके मूल्य अत्यधिक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त समस्याओं को निपटाने के लिये मनीपुर की सरकार और केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). यह सूचना मनीपुर सरकार से एकत्रित की जा रही है। उपलब्ध होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

मनीपुर में बनी वस्तुओं की भारत तथा विदेशों में बिक्री

4865. **श्री एम० मेघचन्द्र: क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र की कौन-कौन सी वस्तुऐं भारत तथा विदेशों में बेची जा रही है और उससे उन्हें कितनी आय होती है ; और

(ख) भारत में तथा विदेशों में इन वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : हथकरघों तथा दस्तकारी की वस्तुऐं जैसे पलंगपोश, स्कार्फ्स, चद्दरें, साड़ियां, तकिये के गिलाफ, हैंड बैग, तिपाई तथा मेजपोश, पर्दा, कमीज के कपड़े, सिले-सिलाये वस्त्र, तौलिया तथा विभिन्न किस्म की गुड़ियां, कृषि की वस्तुएं जैसे मक्का, बंद गोभी, लाल मिर्च फूल गोभी, संतरे, अनन्नास नाशपाती तथा सेव।

इन वस्तुओं से अर्जित की गई अनुमानित राशि के बारे में सूचना मणिपुर प्रशासन से तत्काल उपलब्ध नहीं है। कोई भी वस्तु भारत से बाहर नहीं भेजी गई।

(ख) बड़े शहरों में बिक्री केन्द्र खोले जा रहे हैं। नई दिल्ली में सरकारी वाणिज्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। आसाम सरकार विपणन निगम मणिपुर लघु उद्योग निगम के हथकरघा तथा दस्तकारी की वस्तुओं के बिक्री एजेन्ट के रूप में काम करने के लिए मान गया हैं। राज्य प्रशासन भी हथकरघा वस्तुओं के निर्यात के लिए हर सम्भव प्रयत्न कर रहा है। राज्य प्रशासन ने मणिपुर की हथकरघा तथा दस्तकारी वस्तुओं के विपणन के लिए इम्फाल में एक हथकरघा तथा दस्तकारी बिक्री केन्द्र स्थापित किया है। राज्य प्रशासन ने प्राइमरी वीवर्स कोआ-

परेटिव सोसाइटीज की हथकरघा वस्तुओं के विपणन के लिए मणिपुर राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर दी है। अभी हाल ही में राज्य प्रशासन ने कुटीर उद्योगों की सहायता, प्रोत्साहन तथा संरक्षण, सभी मामलों में सहायता देने के लिये एक लघु उद्योग निगम की स्थापना की है।

मनीपुर में लोहे की नालीदार चादरों का कारखाना मूल्य तथा बाजार मूल्य

4866. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री लोहे की नालीदार चादरों के कारखाना तथा बाजार मूल्य के बारे में 4 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1318 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल तथा अन्य स्थानों के बीच गेल्वेनाइज लोहे की नालीदार चादरों के बाजार मूल्यों में अत्यधिक अन्तर और जांच की गई किस्म के प्रति टन मूल मूल्य में 1000 रुपये से 1100 रुपये तक का अधिक मुनाफा कमाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इम्फाल में बाजार मूल्य को कम करने और मुनाफे को न्यूनतम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) विभिन्न बाजारों के बाजार भाव अन्य बातों के अलावा इस बात पर निर्भर करते हैं कि उन बाजारों में सप्लाई की तुलना में मांग कितनी अधिक है।

(ख) उत्पादन में वृद्धि के लिये हर सम्भव उपाय करने के अतिरिक्त सरकार द्वारा जारी की गई वितरण नीति में यह व्यवस्था की गई है कि सरकार द्वारा अनुमोदित संयुक्त संयंत्र समिति की दरों पर अधिकतम सम्भव मात्रा को वास्तविक उपभोक्ताओं को सीधा दिया जा सके। इसके अलावा सरकार मुख्य उत्पादकों को इस बात के लिये भी प्रोत्साहित करती रही है कि वे देश के विभिन्न भागों में अधिक स्टाकयार्ड (गोदाम) खोलें और गोदाम भावों पर खुदरा बिक्री करें।

इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी और वजीर सुल्तान तम्बाकू कम्पनी द्वारा सिगरेटों का उत्पादन

4867. **श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी और वजीरा सुल्तान तम्बाकू कम्पनी ने कितने और किस किस नाम के सिगरेट बनाये हैं ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी और वजीर सुल्तान तम्बाकू ने उनकी बिक्री के लिए कितना कमीशन दिया है ;

(ग) इन कम्पनियों ने गत तीन वर्षों में अपने सहयोगियों तथा उनके प्रतिनिधियों के यहां ठहरने पर कितनी धनराशि खर्च की है ; और

(घ) वे लाभ के रूप में भारत से कितनी धनराशि ले गये ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) मेसर्स इम्पीरियल टोबेकों कम्पनी तथा वजीर सुल्तान कम्पनी द्वारा विगत तीन वर्षों में निर्मित किये गये सिगरेटों की मात्रा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	इम्पीरियल टोबेको कम्पनी लाखों में	वजीर सुल्तान टोबेको कम्पनी लाखों में
1967	2,81,060	1,01,050
1968	3,02,360	1,18,420
1969	3,00,380	1,17,740

ब्रांडों के नामों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पुनर्वेलन की रोलिंग प्रयोजनों के लिए रद्दी तथा टूटे फूटे इस्पात के नियतन और वितरण के सम्बन्ध में समान नीति

4868. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल रोलिंग मिल्स एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि सभी इस्पात कारखानों को पुनर्वेलन रोलिंग प्रयोजनों के लिए रद्दी तथा टूटे-फूटे इस्पात के नियतन तथा वितरण के बारे में समान नीति अपनानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). जी, हां। संशोधित नीति में यह फैसला किया गया है कि संयुक्त संयंत्र समिति को सभी उत्पादकों को समान आधार पर दोषयुक्त, रद्दी, लोहे, कतरनों और पुनर्वेलन योग्य रद्दी लोहे आदि के वितरण और विक्रय का विनियमन करना चाहिये। संयुक्त संयंत्र समिति ने इसके लिए प्रणाली बना ली है जिनका सभी उत्पादक अनुसरण करेंगे।

भारतीय रेलवे पर 'रूट रिले इंटरलाकिंग' तथा 'माइक्रोवेव' व्यवस्था

4869. **श्री शिवचंद्र झा :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में विभिन्न स्थानों पर 'परस्पर सम्बद्ध मार्ग प्रसारण' (रूट रिले इन्टरलाकिंग) तथा 'सूक्ष्म-तरंग' (माइक्रोवेव) व्यवस्था से लैस आधुनिक सिगनल लगा दिये गये हैं ;

(ख) क्या इन व्यवस्थाओं से परिचय-व्यवस्था (सरकिटरी) और भी अधिक जटिल हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इन व्यवस्थाओं से संबंधित विभिन्न उपकरणों को जो कर्मचारी दिन-प्रतिदिन चलाते हैं और जो बिगड़ जाने पर उन्हें ठीक करते हैं, उनके पद और ग्रेड क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) ये प्रणालियां रेलों पर पहले से उपयोग में आने वाली संचार और बिजली सिगनल प्रणालियों के परिष्कृत रुप हैं ।

(ग) कार्यस्थलों पर दिन-प्रति दिन का अनुरक्षण कार्य देखने और खराबियों को ठीक करने के लिए 110-180 रु०, 130-212 रु० और 175-240 रु० के ग्रेड में अनुरक्षक और 205-280 रु०, 250 380 रु०, 335-425 रु०, 370-475 रु० और 450-575 रु० के ग्रेड में निरीक्षक तैनात किये गए हैं । ऐसे संस्थापनों पर काम में लगाये गये अनुरक्षक/निरीक्षक का ग्रेड उपस्कर के उपयोग की बहुलता पर निर्भर करता है ।

हिन्दू स्वीय विधि में संशोधन

4870. **श्री शिव चन्द्र झा : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिन्दू स्वीय विधि में संशोधन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). इस मन्त्रालय को कुछ सुझाव, विवाह और तलाक सम्बन्धी हिन्दू स्वीय विधि, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 के संशोधन के बारे में प्राप्त हुए हैं । उनकी जांच की जा रही है ।

भारत में वि शी (गैर-बैंककारी) कम्पनियां

4871. **श्री शिव चन्द्र झा : क्या समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कुल कितनी विदेशी (गैर-बैंककारी) कम्पनियां कार्यकर रही है ;

(ख) ये कम्पनियां किन किन देशों की हैं ;

(ग) ये कम्पनियां प्रतिवर्ष कितना मुनाफा कमाती है और कितना धन विदेश भेजती है ; और

(घ) भारत सरकार ने इन कम्पनियों द्वारा अपने मुनाफे के पोषण पर, यदि कोई शर्तें लगाई है, तो वे क्या हैं ?

समवाय-कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) 31-3-1969 तक भारत में 766 विदेशी (गैर-बैंककारी) कम्पनियां कार्यरत थी । इनमें से 544 कम्पनियां जो भारत के बाहर

सभाविष्ट थीं परन्तु समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 591 की परिभाषा के अन्तर्गत उन्होंने भारत में अपने व्यापार संस्थान स्थापित कर रखे थे। शेष 222 कम्पनियाँ भारत के बाहर समाविष्ट कम्पनियों की सहायक भारतीय कम्पनियां थीं।

(ख) इन कम्पनियों के मूल देश तथा नियन्त्रक देश को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) विदेशी कम्पनियों द्वारा कमाये मुनाफे के अन्तिम आंकड़े वर्ष 1966-67 के ही अपलब्ध हैं। विदेशी कम्पनियों का करों के भुगतान के पश्चात इस वर्ष का लाभ (प्रतिधारित लाभ समेत) 43.9 करोड़ रुपए था। वर्ष 1966-67 में इन कम्पनियों के द्वारा 39.21 करोड़ रुपया विदेश भेजा गया था। वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में क्रमशः 45.20 करोड़ रुपए और 38.38 करोड़ रुपये विदेश भेजे गए थे।

(घ) गैर-आंवासीय विदेशियों को लाभ तथा लाभांश का भुगतान करने की अनुमति भारतीय करों का भुगतान करने के पश्चात् ही दी जाती है।

विवरण

भारत स्थित विदेशी (गैर-बैंककारी) कम्पनियों की सूची

क्रम संख्या	देश का नाम	विदेशी कम्पनियों की संख्या (धारा 591 में की गई परिभाषा के अन्तर्गत)	विदेशी कम्पनियों की सहायक भारतीय कम्पनियों की संख्या	योग
1	2	3	4	5
1.	ब्रिटेन	347	151	498
2.	अमरीका	80	33	113
3.	जापान	16	1	17
4.	पश्चिम जर्मनी	13	5	18
5.	पाकिस्तान	9	—	9
6.	स्विट्जरलैण्ड	10	12	22
7.	फ्रांस	7	—	7
8.	कनाडा	7	2	9
9.	हांगकांग	5	—	5
10.	इटली	6	3	9
11.	स्वीडन	6	9	15
12.	नीदरलैण्ड	4	—	4

1	2	3	4	5
13.	आस्ट्रेलिया	4	1	5
14.	बेल्जियम	3	—	3
15.	हालैण्ड	3	1	4
16.	न्यूजीलैण्ड	3	—	3
17.	पनामा	3	1	4
18.	यूगोस्लाविया	3	—	3
19.	बहामा द्वीपसमूह	2	1	3
20.	थाईलैण्ड	2	—	2
21.	श्रीलंका	1	—	1
22.	कीनिया	1	—	1
23.	हगंरी	—	1	1
24.	कुवैत	1	—	1
25.	लैबनान	1	—	1
26.	लाईबेरिया	1	—	1
27.	लक्सम्बर्ग	1	—	1
28.	मलेशिया	1	—	1
29.	फिलिपीन	1	—	1
30.	सिंगापुर	1	—	1
31.	तंजानिया	1	—	1
32.	युगांडा	1	—	1
33.	डेनमार्क	—	1	1
	योग	544	222	766

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अधिकारियों और उनके सहायक उद्योगों के बीच समन्वय का अभाव

4872. **श्री क० लकप्पा :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अधिकारियों और उसके सहायक उद्योगों के बीच

समन्वय के अभाव के कारण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स बंगलौर के नियंत्रणाधीन काम करने वाले सहायक एकक बन्द होने वाले हैं ;

(ख) इन एककों की दशा सुधारने के लिए सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या इन एककों के कार्यकरण की दशा के अध्ययन के लिए कोई समिति गठित करने का विचार है और यदि हां, तो कब ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज के प्रबन्ध-निदेशक द्वारा विदेशों की यात्रा

4873. **श्री क० लकप्पा** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के प्रबन्ध निदेशक में कितनी बार विदेश यात्रा की और कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(ख) इस प्रकार की यात्राओं से क्या उपयोगी कार्य हुआ है ; और

(ग) क्या सरकार का इस बारे में मितव्ययता करने के लिए कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) विगत दो वर्षों में तीन। 20,131.56 रुपये के तुल्य विदेशी मुद्रा।

(ख) विगत दो वर्षों में अर्थात 1968-69 तथा 1969-70 में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर के प्रबन्ध निदेशक की विदेश यात्रायें मुख्यतः कंपनी के उत्पादों के निर्यात के संवर्धन के उद्देश्य से विदेशों में गैर-सरकारी पार्टियों के साथ बिक्री अभिकरण करारों के लिए बातचीत करने तथा जटिल उपकरणों के निर्माण के लिए विदेशी सहयोग के करारों पर बातचीत करने के उद्देश्य से थी। इन्होंने अमरीका, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस तथा स्विटजरलैंड की पार्टियों से बिक्री अभिकरण तथा सहयोग करारों को सम्पन्न किया है। सरकार द्वारा उन्हें प्रमुख भारतीय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाने पर उन्होंने हांगकांग तथा टोकियो का दौरा किया और एशियाई उत्पादिता विचारगोष्ठी में भाग लिया और कंपनी के उत्पादों के लिए निर्यात मंडियों की खोज करने के लिए पड़ोसी देशों के दौरे करने के लिए अवसर का लाभ उठाया।

(ग) प्रबन्ध निदेशक द्वारा विदेशी दौरे तभी किये जाते हैं जब वे अनिवार्य हों और मितव्ययता बनाये रखने की आवश्यकता को सर्वदा ध्यान में रखा जाता है।

लीड और तांबा को ऊंचे दर पर क्रय करने के कारण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को हुई हानि

4874. **श्री क० लकप्पा : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बंगलौर लीड और तांबा उनके अधिकृत मूल्य से अधिक पर खरीद रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अधिक मूल्य देने के क्या कारण हैं और गत दो वर्षों में कुल कितना माल खरीदा गया है ;

(ग) क्या इससे हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को लाखों रुपये का घाटा हो रहा है ; और

(घ) क्या सरकार का इस बारे में जांच कराने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). गत दो वर्षों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने भारतीय खान तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अपनी आवश्यकतायें पूरी न कर सकने के फलस्वरूप उपलब्ध स्रोतों से न्यूनतम संविदा के आधार पर 19 टन तांबा खरीदा है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने पिछले दो वर्षों में रांगा नहीं खरीदा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों में कार्य कर रहे हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के बिक्री अधिकारी और अभिकरण

4875. **श्री क० लकप्पा : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स बंगलौर की ओर से विदेशों में कितने बिक्री अधिकारी और अभिकरण काम कर रहे हैं ;

(ख) इन अधिकारियों और अभिकरणों द्वारा प्रतिवर्ष कितने मूल्य का व्यापार किया जाता है और इसके लिए उन्हें कितना धन दिया जाना है ;

(ग) क्या विदेशों में इन अभिकरणों की दोहरी व्यवस्था काम कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) आठ बिक्री अधिकारी तथा बारह एजेन्ट।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

क्षतिपूर्ति दावों सम्बंधी आर० बी० लाल समिति पर किया गया व्यय

4876. **श्री प्र० न० सोलंकी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "क्षतिपूर्ति के दावों" सम्बन्धी आर० बी० लाल समिति पर रेलवे ने कुल कितनी राशि खर्च की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : 84,540.18 रुपये ।

उत्तर रेलवे पर ग्रेड I के मैकेनिकल सिगनल मेंटेनर

4877. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक के 30 जून, 1965 के पत्र संख्या 561/इ 225 (इ० आई० आई० बी०) के अनुसार प्रत्येक डिवीजन में बड़े यार्डों और निरीक्षकों के लाइन-गैंग में काम करने के लिए कितने ग्रेड I के मैकेनिकल सिगनल मेंटेनर चाहियें ; और

(ख) उत्तर रेलवे में इस समय डिवीजन वार कितने ग्रेड I के मैकेनिकल सिगनल मेंटेनर हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

तेज चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए बिजली के नये इंजन

4878. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के रिसर्च डिजाइन एण्ड स्टेंडर्ड आर्गनाइजेशन ने बिजली के इंजन का एक नया डिजाइन बनाया है जो यात्री गाड़ियों को 120 किलोमीटर की रफ्तार से और मालगाड़ियों को 100 किलोमीटर की रफ्तार से चला सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो तेज रफ्तार वाली यात्री गाड़ियों तथा भारी वजन ले जाने वाली माल गाड़ियों की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय ने निर्यात किया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) सवारी डिब्बा कारखाने द्वारा बनाये गये डिब्बे पहले ही 120 किलोमीटर प्रति घन्टा तक की रफ्तार के लिए उपयुक्त ठहराये जा चुके हैं और वे राजधानी एक्सप्रेस में चल रहे हैं। इससे भी अधिक रफ्तार पर चलने वाले सवारी डिब्बों का विकास किया जा रहा है। 58 मीटरिक टन तक के भिन्न-भिन्न देय-भार वाले बी०ओ०एक्स०, बी० सी० एक्स०, बी०ओ०आई० जैसे भारी देय प्रभार वाले माल डिब्बों का पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है। इससे भी अधिक देय-भार वाले माल डिब्बों का विकास किया जा रहा है ।

सोनपुर से डी० एम० ओ० के पद का वाराणसी डिवीजन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में स्थानान्तरण)

4879. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे अस्पताल सोनपुर में बिस्तरों की संख्या कितनी है ;

(ख) 1 मई, 1969 से 30 अप्रैल, 1970 तक इस अस्पताल में अन्तरंग रोगियों द्वारा अस्पताल के बिस्तरों के उपयोग का अनुपात कितना था और इस अवधि में कर्मचारियों और उनके परिवारों द्वारा अस्पताल के वहिरंग रोगी विभाग में प्रतिदिन आने की संख्या कितनी थी ;

(ग) भारतीय रेलवे अस्पतालों में डी० एम० ओ० के पद बनाने की क्या कसौटी है; और

(घ) क्या पूर्वोत्तर रेलवे अस्पताल सोनपुर के डी० एम० ओ० के पद को वाराणसी डिवीजन में स्थानान्तरित किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सिगरेट कम्पनियों की पूंजी तथा अस्तियां

4880. **श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी** : क्या समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित प्रमुख विदेशी तथा भारतीय सिगरेट/तम्बाकू निर्माताओं ने मूलतः कितनी-कितनी पूंजी लगाई थी ; और अब उनकी अस्थियां कितनी-कितनी हैं ;

(एक) इम्पीरियल टोबेको कम्पनी लिमिटेड तथा उसकी सहायक फर्म इन्डियन लीफ टोबेको डेवलपमेंट कम्पनी,

(दो) वजीर सुल्तान टोबेको कम्पनी लिमिटेड,

(तीन) गोल्डन टोबेको कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड,

(चार) गोडफ्रे फिलिप्स (इन्डियन) लिमिटेड,

(पांच) नेशनल टोबेको कम्पनी आफ इन्डिया लिमिटेड ; और

(ख) इन सरकारी और गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनियों के निदेशकों/साझेदारों के नाम और पते क्या हैं ?

समवाय-कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रखदी जायेगी ।

रेलवे अधिकारियों को सुविधा पास (प्रिविलेज पासिस) और सुविधा टिकट आदेश (पी० टी० ओ०) पर यात्रा करने की सुविधा

4881. **श्री लोबो प्रभु** : क्या रेलवे मंत्री रेलवे अधिकारियों को अधिक दूरी तथा कम दूरी की मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में सुविधा पास (प्रिविलेज पास) और सुविधा टिकट आदेश (पी० टी० ओ०) पर यात्रा करने की सुविधा के बारे में 11 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न 2216 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न रेलवे द्वारा जारी किये गये अनुदेशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ख) इन अधिकारियों को अपने परिवारों को अपने दौरे पर अपने साथ ले जाने की अनुमति देने के क्या कारण हैं जबकि ऐसी सुविधा केन्द्रीय सरकार के अन्य अधिकारी, कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं है ; और

(ग) क्या इस सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिये ऐसे दौरे के बारे में, जब दौरे पर कोई अधिकारी, अपने परिवार को साथ ले जा सकता है, कोई अवधि निर्धारित की गई है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) व्यस्त अवधियों में सुविधा-पासों/सुविधा टिकट आदेशों पर गाड़ियों में स्थान के आरक्षण पर लगी रहने वाली पाबन्दियों के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड द्वारा सभी भारतीय रेलों के महाप्रबन्धकों को जारी किये गये आदेशों की एक प्रति संलग्न है। ये अनुदेश सभी भारतीय रेलों पर लागू हैं।

(ख) दौरे पर जाने वाले रेल-अधिकारियों को साथ में अपना परिवार ले जाने की सुविधा इस आधार पर दी जाती है कि ऐसे अधिकारियों को अपने साथ परिवार ले जाने की, यदि वे चाहें, अनुमति देना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि उन्हें जांच और लाइन-निरीक्षण के दौरान छोटे स्टेशनों तथा ऐसे स्थानों पर लगातार कई दिनों तक रहना पड़ सकता है जहां पर खाने-पीने और रहने की सुविधा न हो।

(ग) जी नहीं। जितनी अवधि के लिए कोई रेल कर्मचारी दौरे पर जाता है, उसका निर्धारण रेल संचालन की आवश्यकताओं के अनुसार होता है और यह रेल कर्मचारी के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

विवरण

सभी भारतीय रेलों महाप्रबन्धकों के नाम रेलवे बोर्ड के 1-5-1968 के पत्र सं० 68 टी० जी० I/200/36 की प्रति।

विषय : व्यस्त अवधियों में पासों और सुविधा टिकट आदेशों पर कराये जाने वाले आरक्षण पर पाबन्दी।

"बोर्ड चाहता है कि आने वाली गर्मी की व्यस्त अवधि में ट्रंक मार्गों पर चलने वाली सभी महत्वपूर्ण डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों की सभी श्रेणीयों में सुविधा पासों और सुविधा टिकट आदेशों पर स्थानों का आरक्षण सीमित कर दिया जाये। यह सीमा उन गाड़ियों में कोटा के रूप में हो सकती है जिनके बारे में स्थान की उपलब्धता और उसकी मांग को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय रेलें तय करें।"

2. बोर्ड का आशय यह है कि व्यस्त मौसम में, जबकि ट्रंक मार्गों पर चलने वाली महत्वपूर्ण डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में स्थान की भारी माँग रहती है, सुविधा पासों और सुविधा टिकट आदेशों पर आरक्षित की जाने वाली शायिकाओं की संख्या की एक सीमा निर्धारित रहे। यह सीमा सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश धारियों के लिए शायिकाओं/सीटों के उपयुक्त कोटे के रूप में हो सकती है। कभी-कभी जब संसद का सत्र प्रारम्भ या समाप्त होता है, तो

संसद् सदस्यों द्वारा स्थान की मांग बढ़ जाने की सम्भावना रहती है और ऐसे अवसरों पर भी सुविधा पासों/सुविधा टिकट आदेशों पर किये जाने वाले आरक्षण को उपयुक्त ढंग से कम किया जा सकता है।

3. क्षेत्रीय रेलें, व्यस्त अवधि में शायिकाओं/सीटों आदि की कुल उपलब्धता और जनता की ओर से आरक्षण की मांग के रुख को देखते हुए मुख्य ट्रंक मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों की मांग को ध्यान में रखकर मामले पर सावधानीपूर्वक विचार कर सकती हैं और उपयुक्त कोटा निर्धारित कर सकती हैं। क्षेत्रीय रेलें स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखकर यह भी विनिश्चय कर सकती है कि किन-किन अवधियों में इस के अनुसार आरक्षण किया जाना चाहिए।

11 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकारियों द्वारा सैलूनों का प्रयोग किये जाने पर प्रतिबन्ध

4882. **श्री लोबो प्रभु :** क्या रेलवे मंत्री अधिकारियों द्वारा निरीक्षण-गाड़ियों के उपयोग किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने तथा उन्हें वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा की सुविधा देने से सम्बन्धित उनके 11-सूत्री कार्यक्रम से सम्बद्ध 11 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2286 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन को दिये गये अनुदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखे जाने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : ४-6-70 के पत्र संख्या 68 टी० टी०-IV/34 की एक प्रतिलिपि संलग्न है जिस में रेल प्रशासनों को यह हिदायतें दी गयी हैं कि निरीक्षण डिब्बों का उपयोग मुख्यतः कर्त्तव्यकार्य के लिए ही किया जाये।

विवरण

विषय : बोगी निरीक्षण डिब्बों का उपयोग

बोर्ड ने निरीक्षण डिब्बों के उपयोग के सम्बन्ध में फिर से जांच की है और यह विनिश्चय किया है कि :

(i) 'बोगी'। निरीक्षण डिब्बों का उपयोग मुख्यतः कर्त्तव्यकार्य के लिए किया जाना चाहिए जैसे कि निरीक्षण, जांच तथा छानबीन आदि के लिए।

(ii) स्टेशनों पर, जहां आराम घरों की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो, बैठकों अथवा सम्मेलनों में भाग लेने मात्र के लिए उनके उपयोग को सामान्यतः निरुत्साहित किया जाना चाहिए।

2. उपर्युक्त नीति के अनुसार जब महाप्रबन्धक, विभागाध्यक्ष और अन्य अधिकारी, जिस में भारतीय लेखा परीक्षण एंव लेखा सेवा के अधिकारी तथा रेलवे संरक्षा के आयुक्त भी शामिल हैं किसी बैठक अथवा सम्मेलन या विचार-विमर्श में भाग लेने के लिये दिल्ली आवें तो उन्हें सामान्यतः निरीक्षण डिब्बों में सफर नहीं करना चाहिए।

इसी प्रकार, बोर्ड के अधिकारी और सदस्य जब किसी रेलवे के मुख्यालय स्टेशन पर कर्त्तव्यकार्य से प्रयोजन के लिए जावें तो वे सामान्यत: निरीक्षण डिब्बे में यात्रा नहीं करेंगे।

3. लेकिन यदि मार्ग में ही निरीक्षण अथवा अन्य कार्य करना हो तो उपर्युक्त पाबन्दियां लागू नहीं होंगी।

मंगलौर स्टेशन का नवीकरण और माल गोदाम तक एक सीधी लाइन का निर्माण

4883. **श्री लोबो प्रभु :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि मंगलौर जाने वाली मालगाड़ियों को पहले मेन स्टेशन पर रोकना पड़ता है और फिर एक मील की दूरी पर स्थित माल गोदाम को वापिस भेजना पड़ता है ;

(ख) इससे समय की हानि होती है और यात्री गाड़ियों के लिये बहुत भीड़ हो जाती है, क्या स्टेशन के नवीकरण के समय माल गोदाम के लिये एक सीधी लाइन बनाने का विचार है ; और यदि हां, तो इसके लिये अनुमानत: कितनी राशि खर्च होगी ; और

(ग) नवीकरण का व्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां ; ढांचा-परिवर्तन-योजना की एक पूरक मद के रूप में मद्रास-मंगलूर मुख्य लाइन से बंदर माल यार्ड के लिए एक उप-मार्ग की व्यवस्था के सम्बन्ध में पहले से एक प्रस्ताव विचाराधीन है जिससे कि माल गाड़ियों का मंगलूर यार्ड में आदान न करना पड़े। इस काम पर लगभग 15 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आने का अनुमान है।

(ग) पहले से स्वीकृत ढांचा-परिवर्तन योजना के अन्तर्गत एक द्वीप प्लेटफार्म, एक ऊपरी पैदल-पुल और द्वीप प्लेटफार्म पर छत और मुख्य प्लेटफार्म के विस्तार की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। यह काम अभी-अभी शुरू किया गया है और इसके पूरा होने में लगभग 2 वर्ष का समय लग सकता है।

अपेक्षाकृत छोटे उद्योगों को लाइसेंस-मुक्त करना

488 . **श्री दे० अमात :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अपेक्षाकृत छोटे उद्योगों को लाइसेंस-मुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). हाल ही में घोषित संशोधित लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत लघु एककों को (अर्थात

वे एकक जिनके संयंत्र तथा मशीन की लागत 7.5 लाख रु० या कम है) लाइसेंस से छूट मिलती रहेगी सिवाय उन छः विशेष उद्योगों के जिनमें विनियोजन के स्वरूप के बावजूद भी विनियमन आवश्यक समझा गया है। संयंत्र तथा मशीन के रूप में 7.5 लाख रु० से अधिक विनियोजन वाले एककों के सम्बन्ध में स्थिति, यह थी हाल ही में घोषित परिवर्तनों से पूर्व, कि वे उपक्रम, जो कुछ उद्योगों में लगे हुए हैं, लाइसेंस से पूर्णतः मुक्त थे तथा भूमि, भवन तथा मशीन के रूप में लगे 25 लाख रु० के विनियोजन तक वाले उपक्रम भी मुक्त थे। लाइसेंस नीति में संशोधन के उपरांत जबकि कोई भी उद्योग पूर्णरूप से लाइसेंस से मुक्त नहीं है, लाइसेंस से छूट के लिए विनियोजन सीमा भवन, भूमि तथा मशीन जैसी अचल आस्तियों के रूप में 1 करोड़ रु० तक कर दी गई है। जो बड़े औद्योगिक गृहों, विदेशी कम्पनियों तथा प्रमुख उपक्रमों द्वारा सम्बन्धित अथवा नियंत्रित उपक्रमों के अतिरिक्त यह छूट सभी उपक्रमों को उपलब्ध होती रहेगी बशर्ते कि विदेशी मुद्रा की आवश्यकताए कुछ नियत सीमा के अन्दर अन्दर हो तथा उत्पाद के न हो जो लघु क्षेत्र के एककों के लिए आरक्षित है अथवा प्रमुख क्षेत्र में विकासार्थ प्रस्तावित किये गये हैं। छूट सीमा में संशोधन हो जाने से अब लाइसेंस के बिना देश में काफी बड़ी संख्या में छोटे तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना की जा सकती है।

Service Conditions of Employees of Delhi Social Welfare Advisory Board

4885. **Shri Nibal Singh** : Will the Minister of Law and Social Walfare be pleased to state :

(a) whether he is aware that if any employee of the Delhi Social Welfare Advisory Board is appointed in any Ministry or Government office, his previous service under the Social Welfare Board is not taken into account and if so, the reasons therefor ; and

(b) the name of the office to which the employees of the Delhi Social Welfare Advisory Board are likely to be absorbed if the Board is wound up ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) State Social Welfare Advisory Boards are not Government Offices or Government Organisations. That being so, services rendered in a State Social Welfare Advisory Board cannot be treated as Government Service. Consequently, such services do not count for Government appointment.

(b) Does not arise.

रेलवे में श्रेणी I के अन्तर्गत अवर्गीकृत राजपत्रित संवर्ग का बनाया जाना

4886. **श्री विद्याधर बाजपेयी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवाओं के वर्तमान वर्गीकरण अथवा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के राजपत्रित संवर्ग के पद केवल दो श्रेणियों श्रेणी I और श्रेणी II में विभक्त हैं ;

(ख) क्या हाल ही में केवल उनके मंत्रालय में श्रेणी I के अन्तर्गत अवर्गीकृत राजपत्रित संवर्ग बनाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो केवल उनके मंत्रालय में एक नई राजपत्रित सेवा बनाये जाने के क्या कारण हैं जबकि आजकल की प्रवृति सेवाओं में विषमता को कम करने की है।

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) रेलों पर स्थायी राजपत्रित संवर्ग या तो श्रेणी I में या श्रेणी II में हैं।

(ख) सहायक अधिकारियों के अस्थायी पदों को भरने के लिए जिन अस्थायी अधिकारियों की भर्ती की गयी थी उनका वर्गीकरण राजपत्रित अधिकारियों के रूप में किया गया था—श्रेणी I या श्रेणी II के रूप में नहीं था।

(ग) किसी नयी राजपत्रित सेवा का सृजन नहीं किया गया।

अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाना

4887. **श्री विद्याधर वाजपेयी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3 वर्ष से अधिक अवधि वाले अस्थायी पदों को भी स्थायी पदों में बदलकर जिन अस्थायी कर्मचारियों की सेवा 5 वर्ष हो गई है, उन सभी को क्या उनका मंत्रालय तत्काल स्थायी बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अस्थायी अधिकारियों के मामले में भी ऐसे ही प्रक्रिया अपनाई जायेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

अस्थायी अधिकारियों की अधिक वेतनमान वाले पदों पर पदोन्नति

4888. **श्री विद्याधर वाजपेयी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में कनिष्ठ वेतनमान में अधिकारियों की संख्या इस प्रकार निश्चित की गई है कि भारतीय रेलवे संस्थापन को भाग एक के नियम 109 (आर) (सी) के अनुसार सेवा की एक निर्धारित अवधि के बाद सहायक अधिकारी ग्रेड से उच्च ग्रेड में सतत स्वतः पदोन्नति होती रहे ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो रेलवे सेवा में इस मूल नियम के ऐसे अस्थायी अधिकारियों के मामले में उल्लंघन के क्या कारण हैं जो 12 से 14 वर्ष तक की सेवा के बाद भी उसी ग्रेड में हैं जिसमें वे प्रारम्भ में भर्ती हुए थे ; और

(ग) ऐसी क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे अस्थायी अधिकारियों की भी सेवा की एक निर्धारित अवधि के बाद उच्च ग्रेडों में उसी प्रकार से पदोन्नति मिले जैसे श्रेणी I के अधिकारियों को मिलती है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) रेलवे सेवाओं के कनिष्ठ वेतनमान श्रेणी I में संवर्ग संख्या भारतीय रेल स्थापना संहिता, भाग I के नियम 109 (II) (सी) के अनुसार निर्धारित की जाती है।

(ख) अस्थायी अधिकारियों को श्रेणी I रेल सेवाओं में शामिल नहीं किया जाता है।

(ग) अस्थायी सहायक अधिकारी रिक्तियों के एक निर्धारित कोटे के अन्तर्गत रेल सेवाओं की श्रेणी I में नियुक्ति के लिए तब पात्र होते हैं जब वे संघलोक सेवा आयोग की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए योग्य पाये जाते हैं। जो अस्थायी अधिकारी योग्य समझे जाते हैं वे भी वरिष्ठ वेतनमान पदों पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नति के पात्र हैं।

इस्पात उत्पादन के लक्ष्य

4889. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरा पंच वर्षीय योजना, (1961-66) के लिए निर्धारित इस्पात उत्पादन (पिंड के रूप में और तैयार रूप में) का लक्ष्य 1969-70 तक भी पूरा नहीं हो पाया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तीसरी पंच वर्षीय योजना में 102 लाख टन की अधिष्ठापित क्षमता और योजना के अंत तक 92 लाख टन साधारण इस्पात पिंड के वास्तविक उत्पादन का लक्ष्य था। इस लक्ष्य के मुकाबिले 1969-70 में मुख्य इस्पात उत्पादकों की अधिष्ठापित क्षमता 89 लाख टन इस्पात पिंड की थी और वास्तविक उत्पादन 63.3 लाख टन पिण्ड था।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त न कर सकने के कारण निम्नलिखित है :—

(1) बोकारो इस्पात प्रायोजना के कार्यावियन में विलम्ब ; और

(2) मुख्य इस्पात कारखानों में कई कारणों से जिनमें असंतोषजनक औद्योगिक संबंध भी शामिल हैं, उत्पादन का अधिष्ठापित क्षमता से कम होना।

रेलवे कर्मचारियों के लिए आरक्षण पर प्रतिबन्ध लगाना

4890. **श्री लोबो प्रभु :** क्या रेलवे मंत्री रलवे कर्मचारियों के लिए आरक्षण से संबंधित 11 अगस्त 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1216 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रत्येक दर्जे गाड़ी में उपलब्ध स्थान के 10 प्रतिशत तब स्थान आरक्षण। पी० टी० ओ० वालों के लिये आरक्षित न रखने के क्या कारण हैं।

(ख) गत वर्ष के आंकड़ों अनुसार किराये में 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत आरक्षण से क्रमश: कितनी अनुमानित हानि हुई ; और क्या सरकार का विचार यह है कि यह रेलवे कर्मचारियों की उपलब्धियों में जोड़ दिया जाये ; और

(ग) रेलवे बोर्ड की दृष्टि से अधिक से अधिक कितने प्रतिशत आरक्षण आवश्यक हैं, और क्या जोन के अधिकारियों को इस प्रतिशत तक ही सीमित रहने के अनुदेश दिये गये हैं।

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि सुविधा पास। सुविधा टिकट आदेश पर चलने वालों द्वारा प्रमुख डाक एक्सप्रेस गाड़ियों में उपलब्ध जगहों का अनुचित उपयोग न किया जाय, उपलब्ध कुल शायिकाओं/सीटों आदि और प्रत्येक गाड़ी में जगह के लिए जनता द्वारा मांग के रुख को ध्यान में रखते हुए सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेशों पर आरक्षण करने में रेलों द्वारा पहले से ही उपयुक्त प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं।

(ख) और (ग). सुविधा पास सुविधा टिकट आदेशों पर रेल गाड़ियों में जगह का आरक्षण करने के लिए न तो किसी विशिष्ट प्रतिशतता का निर्धारण किया गया है न ऐसा करने का विचार है। सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेशों पर आरक्षण के लिए जितनी शायिकाएं। सीटों को निर्धारण किया जाता है और जितना आरक्षण किया जाता है वह आरक्षण के लिए मांग की किस्म तथा किसी विशेष गाड़ी से आरक्षण की मांग करने वाले सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश धारियों की संख्या को देखते हुए अलग-अलग गाड़ियों में भिन्न-भिन्न होता है। रेल कर्मचारियों की सुविधा के लिए स्वीकृत इस सुविधा को सरकार क्षति के रूप में नहीं मानती बल्कि कुछ इस प्रकार की ये सुविधायें कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के अंग के रूप में हैं जिनके वे वैध पात्र है और इसलिए इस सुविधा को देने में सरकार द्वारा हानि उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर को बड़ी लाइन के साथ मिलाना

4891. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर को उस क्षेत्र की काफी लम्बे समय से चली आती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, बड़ी लाइन के साथ मिलाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) यातायात और वित्तीय औचित्य का अभाव होने के कारण जयपुर के लिए बड़ी लाइन बनाने के प्रस्ताव पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है।

रेलवें में सहायक चिकित्सा अधिकारियों (विशेषज्ञों) के लिए पदोन्नति के अवसर

4892. **श्री मसूरिया दीन** :
श्री मनुभाई पटेल :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में सहायक चिकित्सा अधिकारियों को (ए० एम० आ०) विशेषज्ञों को उस निम्न ग्रेड में भी भरती किया जाता है जो डाक्टरों के निम्नतम (बेस) ग्रेड पर लागू होता है और उनके पदोन्नति के अवसर केवल 02.6 प्रतिशत होते हैं, ये अवसर भी उन्हें अपने विशिष्ट केंडर में प्राप्त नहीं होते ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात के विशेषरूप से ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में एक पृथक विशिष्ट केडर है, सहायक चिकित्सा अधिकारियों (विशेषज्ञों) की दशा सुधारने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है।

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) रेलों पर विशेषज्ञों के लिए कोई अलग संवर्ग नहीं है। विशेषज्ञ की योग्यता वाले डाक्टर सहायक चिकित्सा अधिकारियों के साथ-साथ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किये जाते हैं। सभी सहायक चिकित्सा अधिकारी जिनमें विशेषज्ञ भी शामिल हैं, मंडल चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदोन्नति के पात्र हैं।

(ख) रेलों पर जो पद-सोपान का स्वरूप है वह केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा से भिन्न है। केवल चिकित्सा विभाग के लिए वर्तमान स्वरूप को बदलना सम्भव नहीं है।

राज पत्रित छुट्टियों को कार्य करने के बदले रेलवे के डाक्टरों को मुआवजा

4893. **श्री मसूरियादीन :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे डाक्टरों सहित रेलवे अधिकारियों को 12 दिन का आकस्मिक अवकास प्राप्त होता है ;

(ख) क्या दूसरे शनिवारों, रविवारों और अन्य राजपत्रित छुट्टियों पर रेलवे अधिकारी प्राय: दैनिक-कार्य से अवकाश पर रहते हैं और उन दिनों छुट्टी भी मना सकते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित छुट्टियों के सम्बन्ध में रेलवे अधिकारियों और रेलवे के डाक्टरों को एक सामान न समझे जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). रेलवे अधिकारी जिनमें डाक्टर भी शामिल हैं, द्वितीय शनिवार रविवार और राजपत्रित छुट्टियों के हकदार हैं बशर्ते आवश्यक कार्य न हो। रविवार और अन्य छुट्टियों के दिन यदि उन्हें काम करना पड़ता है तो उसके लिए वे किसी क्षति पूर्ति के पात्र नहीं हैं।

सहायक सर्जनों तथा पुराने सहायक चिकित्सा अधिकारियों की श्रेणियों का केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के आधार पर पुनर्गठन

4894. **श्री मणि भाई जे० पटेल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के डाक्टरों के मामले में वर्तमान असतुलित संवर्ग और परिणामत: बेस संवर्ग में गतिरोध होने का कारण यह है कि सहायक सर्जनों और 1 जनवरी, 1966 से पूर्व के पुराने सहायक चिकित्सा अधिकारियों की श्रेणियों को मिला कर 1 जनवरी, 1966 से एक श्रेणी में पुनर्गठित कर दिया गया था जिसे "सहायक चिकित्सा अधिकारी" के नाम से पुकारा जाता था ;

(ख) क्या दूसरी ओर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में उनके समकक्ष की श्रेणियों सहायक सर्जनों और जूनियर स्टाफ सर्जनों की श्रेणियों को तीन संवर्गों में पुनर्गठित किया गया था जिन्हें जी० डी० एम० ओ० ग्रेड I जी० डी० एम० ओ० ग्रेड II और विशेषज्ञ संवर्ग के नाम से पुकारा जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे में सहायक सर्जनों तथा पुराने सहायक चिकित्सा अधिकारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के ढांचे पर तीन श्रेणियों में पुनर्गठित न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) 1-1-1966 से पहले डिग्री-धारी डाक्टरों को अराजपत्रित संवर्ग में सहायक सर्जन के रूप में भर्ती किया जाता था। बाद में चिकित्सा स्नातकों के ग्रेडों और उनकी सेवा की शर्तों को उदार बनाने का विनिश्चय किया गया और सहायक सर्जन के जिन पदों पर चिकित्सा स्नातक नियुक्त थे, 1-1-1966 से उनका ग्रेड बढ़ा कर उन्हें श्रेणी II का सहायक चिकित्सा अधिकारी बना दिया गया।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में ग्रेड II और ग्रेड I के सामान्य ड्यूटी डाक्टर हैं और विशेषज्ञों का एक संवर्ग है।

(ग) रेल सेवाओं में पद सोपान संरचना का संगठनात्मक स्वरूप केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा से भिन्न है।

रेलवे में उच्च ग्रेडों के लिये आशुलिपिकों का चयन

4895. **श्री विद्याधर बाजपेयी** : क्या रेलवे मन्त्री रेलवे में उच्च ग्रेडों के लिए आशुलिपिकों का चयन के बारे में 25 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4310 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के मुख्य कार्यालय में 210-425 रुपये के ग्रेड के आशुलिपिकों के पदों के लिए 1967 और 1969 में जो दो चयन किये गये थे में क्या प्रतिवेदन दिये जाने वाले सभी पदों पर विचार किया गया था ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : 1967 और 1969 में आयोजित दोनों चुनावों के समय निर्धारित नियमों के अनुसार संगणित, 210-425 रुपये के वेतन मान में स्टेनोग्रफरों की कोटि की सभी मौजूदा और प्रत्याशित खाली जगहों को ध्यान में रखा गया था।

भारतीय रेलवे के आशुलिपिकों के लिए आवास

4896. **श्री विद्याधर बाजपेयी** : क्या रेलवे मन्त्री भारतीय रेलवे के आशुलिपिकों के लिए आवास के बारे में 26 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4995 के उत्तर के संबध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी क्षेत्रीय रेलों की आशुलिपिक श्रेणी को 'अत्यावश्यक' मानने के लिये अनुदेश जारी करने पर विचार कर रही है क्योंकि कई क्षेत्रीय रेलवे जोनों में आवास देने के उद्देश्य से इस श्रेणी को अत्यावश्यक घोषित किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विभिन्न जोनों में एक ही वर्ग के कर्मचारियों पर विभिन्न मान लागू करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह एक ही मंत्रालय के सम्पूर्ण नियंत्रण के अंतर्गत एक ही वर्ग के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध भेदभाव करने के समान नहीं है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) चूंकि स्थानीय परिस्थितियां हर रेलवे पर अलग-अलग हैं, इसलिए क्वार्टरों के आवन्टन के प्रयोजन के लिए कर्मचारियों को 'परमावश्यक' और 'गैर परमावश्यक' के रूप में वर्गीकृत करने के लिये रेलों पर समान रूप से लागू करने के वास्ते कोई कठोर नियम बनाना व्यावहारिक नहीं है। तदनुसार यह रेलों पर छोड़ दिया गया है कि अपनी-अपनी भिन्न स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए वे अपने नियम स्वय बना लें।

Dispensary for Railway Employees at Kota (Western Railway)

4897. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether most of the employees of the Kota Railway station and workers of factories are residing in the city and they are facing great difficulties in the absence of any dispensary there ;

(b) if so, whether Government propose to open a dispensary for their convenience there as has been done in the case of Ajmer, Jaipur and other places ;

(c) if so, the time by which it is likely to be opened ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). At Kota there are 1873 railway staff residing in railway quarters in the railway colony. There are also 3762 employees staying outside the railway colony in private accommodation both within and outside the Kota city. The following medical facilities already exist at Kota :

(i) The Divisional Hospital, Kota, which is at a distance of one mile from the railway station and centrally situated within the convenient reach of staff residing both within the railway colony as well as outside in the city and elsewhere. The Divisional Hospital Kota has three doctors in attendance in the out-patient department which functions as a dispensary.

(ii) There is also a Health Unit in the loco shed attended by one doctor which functions as a dispensary for the saff in the loco colony as well as employees working in the loco shed ; and

(iii) There is a first-aid post attended by a doctor and necessary staff in the loco workshop, Kota, which also functions as a dispensary for the loco staff.

Kota is a well-developed city with adequate conveyances. Since the existing facilities are adequate and within easy reach of all railway employees at Kota there is no justification for augmenting the existing facilities.

मोटर गाड़ियों पर कर-भार

4898. **श्री लोबो प्रभु** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटरगाड़ियों पर 45 प्रतिशत कर भार को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ;

(ख) अम्बेसेडर कार की तीस वर्ष पुरानी डिजाइन में परिवर्तन किये जाने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) संघरक पुर्जों पर किस्म नियन्त्रण न होने और उचित मूल्य सीमा निर्धारित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) मोटर गाड़ियों पर से केन्द्रीय कर कम करने के बारे में कोइ भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) अभी हाल ही में एम्बेसेडर कार के निर्माता मै० हिन्दुस्तान मोटर्स ने सरकार के नए नमूने की कार को उत्पादन आरम्भ करने की इजाजत मांगी है। उनके प्रस्ताव पर इस समय विचार किया जा रहा है।

(ग) संगठित क्षेत्र में मोटर गाड़ियों के बहुत से पुर्जे सुविख्यात विदेशी फर्मों के सहयोग से बनाये जा रहे हैं और ऐसी आशा है उनके उत्पाद सहयोगकर्त्ता द्वारा निर्धारित कोटि मानकों के अनुरूप होंगे मोटर कार क्वालिटी जांच समिति ने देश में निर्मित मोटर गाड़ियों के सहायक पुर्जों की क्वालिटी में सुधार करने के लिए बहुत सी सिफारिशें की हैं इन सिफारिशों को पूरा करने के लिये सहायक मोटर गाड़ी उत्पादकों का ध्यान भी इन की ओर आकृष्ट कर दिया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि काफी संख्या में मोटरगाड़ियों के सहायक पुर्जे हैं तथा बहुत सी फर्में उनका उत्पादन कर रही है। मोटर गाड़ियों के सभी सहायक पुर्जों के मूल्यों पर नियन्त्रण रखना उचित नहीं समझा जाता है, फिर भी उचित मूल्यों पर मोटर गाड़ियों के क्वालिटी के सहायक पुर्जों की उपलब्धि बढ़ाने तथा मूल्य व क्वालिटी के मामलों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चालू करने के उद्देश्य से सरकार का इस क्षेत्र में अतिरिक्त एककों को लाइसेंस देने का विचार है।

विजयवाड़ा डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे) के इंजीनियरिंग विभाग में नियुक्त नैमित्तिक कर्मचारियों को कम भुगतान

4899. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन के इन्जीनियरिंग विभाग में 10,000 से अधिक नैमित्तिक कर्मचारी हैं ; और

(ख) क्या उन्हें 2.00 रुपये और 1.75 रुपये क्रमशः पुरुषों और स्त्रियों को प्रतिदिन दिए जाते हैं जिनसे न्यूनतम मजूरी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होता है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा खण्ड में इन्जीनियरिंग विभाग में 8875 नैमित्तिक मजदूर नियुक्त हैं और इन में से 757 को, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की अनुसूची में निर्दिष्ट नौकरियों में काम कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में 2.60 रुपये और 0.40 की विधिक दैनिक मजदूरी की दर पर भुगतान किया जा रहा है। शेष 8118 कर्मचारियों को, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से शासित नहीं होते, निम्नलिखित दरों पर भुगतान किया जाता है :—

	विजयवाड़ा में	विजयवाड़ा मंडल के अन्य क्षेत्रों में
	प्रतिदिन	प्रतिदिन
पुरुष	2 रु० 37 पैसे	2 रु० 17 पैसे
महिला	1 रु० 90 पैसे	1 रु० 73 पैसे

अनुसूचित नौकरियों में नियुक्त नैमित्तिक मजदूरों के देय ये दरें संशोधित दरें हैं जो स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी दरों को देखते हुए रेल प्रशासन द्वारा मई 1970 में निश्चित की गई थीं ।

बंगलौर और मैसूर के बीच रेल कार का चलाया जाना

4900. **श्री सिद्द्य्या :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और मैसूर के बीच एक रेल कार चलाने का मामला अक्तूबर, 1968 से अनिर्णीत पड़ा हुआ है ;

(ख) परीक्षण कब आरम्भ हुआ था और दक्षिणी रेलवे तथा रेलवे बोर्ड में कितने अधिकारी तब से इस परिक्षण में भाग ले चुके हैं ; और

(ग) रेल कार को चलाने में विलम्ब का क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सवारी डिब्बा कारखाने द्वारा प्रोटोटाइप रेल कारें दिसम्बर 1968 में बनाई गई थीं और उन्हें परीक्षण के लिए बंगलौर मैसूर खण्ड पर चलाया गया था ।

(ख) ताम्बरम विल्लुपुरम खण्ड पर प्रारम्भिक चालन परीक्षण दिसम्बर 1968 से किए गए थे । उसके बाद मार्च, 1969 से बगलौर-मैसूर खण्ड पर परीक्षण किये गये । ये परीक्षण अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन, लखनऊ, दक्षिण रेलवे और सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास के अधिकारियों और मैसर्स किर्लोस्कर न्यूमेटिक कं० लि० के प्रतिनिधियों और उनके उप-ठेकेदारों के पर्यवेक्षण में किए गये । परीक्षण का पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों की संख्या आवश्यकतानुसार समय-समय पर कम ज्यादा होती रही ।

(ग) देश में विकसित पावर पैकों, पारेषण और नियन्त्रण उपस्करों से युक्त रेल कारों का इस देश में पहली बार निर्माण हुआ है । इस तरह के विकास कार्य में विभिन्न स्रोतों से खरीदे गये पर्याप्त अनुरूप उपस्कर आवश्यक होते हैं । जो प्रारम्भिक कठिनाइयां सामने आई हैं, उन्हें वास्तविक परीक्षण के आधार पर आवश्यक सुधार करके धीरे-धीरे दूर किया जा रहा है । जैसे ही उपयोग में रेल कारों का काम ठीक पाया जायेगा उन्हें वाणिज्यिक उपयोग में लाना शुरू कर दिया जायेगा ।

मैसूर और चामराज नगर (दक्षिण रेलवे में) के बीच तेज गति से चलने वाली गाड़ियां

4901. **श्री सिद्दय्या :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में मैसूर और चामराज नगर के बीच गाड़ियों की गति तेज करने के सम्बन्ध में कोई प्रयास किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). शाखा लाइन खण्ड पर गाड़ियों की अधिकतम अनुमत रफ्तार पहले ही से मैसूर-चामराज नगर टाउन (25.28 कि० मी०) के बीच 75 कि० मी० प्रति घंटा और नंजनगुड टाउन और चामराज नगर (5.5 कि० मी०) के बीच 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर भी, चूंकि इस खण्ड में सवारी गाड़ियों को खींचने वाले वाई० एल० श्रेणी के इन्जनों की रफ्तार पर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की पाबन्दी लगी हुई है, इस लिये मैसूर और नंजनगुड टाउन के बीच गाड़ियों की निर्धारित रफ्तार 58.5 किलोमीटर है। नंजनगुड टाउन और चामराज नगर के बीच निर्धारित रफ्तार 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। खण्ड में रिले की व्यवस्था करके नंजनगुड टाउन और चामराज नगर के बीच गाड़ियों की रफ्तार कदाचित बढ़ाई जा सकती है, लेकिन चूँकि यातायात का घनत्व प्रति वर्ष 10 लाख जी० टी० के० एम० से कम है, इसलिए रफ्तार बढ़ाने के प्रयोजन से खंड में रिले की व्यवस्था करना उचित नहीं समझा जाता। इस खंड में चलने वाली गाड़ियों के वर्तमान ठहरावों में से कुछ ठहरावों को समाप्त करके ही गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने की एकमात्र गुंजाइश है जिसे, हो सकता है कि, इस खंड में यात्रा करने वाले अधिकांश यात्री पसन्द न करें।

नंजनगुड के निकट काबीनी नदी पर रेलवे पुल

4902. **श्री सिद्दयया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंजनगुड के निकट काबीनी नदी पर एक नया रेलवे पुल बनाने का प्रस्ताव है क्योंकि वर्तमान रेल तथा सड़क पुल पुराना और असुरक्षित हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं । नंजनगुड टाउन स्टेशन के निकट वर्तमान रेल एवं-सड़क पुल की हालत काफी अच्छी है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

लघु उद्योगों को इस्पात विलेटों की सप्लाई

4903. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय ने यह निर्णय किया है कि छोटे पैमाने के इस्पात रीरोलर्स इस्पात बिलेट प्राप्त करने के लिए तकनीकी दृष्टि से पात्र नहीं हो सकते हैं।

(ख) क्या इस्पात बिलेट इस्पात रीरोलिंग मिल एसोसियेशन के सदस्यों को दिया जा रहा है जिसमें तकनीनी विकास महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित बड़े, पैमाने के रीरोलर्स शामिल है ; और

(ग) क्या लघु उद्योग विकास आयुक्त ने छोटे पैमाने के क्षेत्र में रीरोलर्स को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारों को परिपत्र भेजे थे, और यदि हां, तो छोटे पैमाने के रीरोलर्स की कच्चे माल की आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जायगा।

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० एं० कृष्ण) : (क) जी नहीं। इस्पात रीरोलिंग उद्योग का विकास करना इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय की जिम्मेदारी है न तकनीकी, विकास के महानिदेशालय की ।

(ख) इस्पात बिलेट्स का आवंटन इस्पात तथा लोहा नियंत्रक द्वारा उनके यहां पंजीकृत री-रोलर्स को किया जाता है । तकनीकी विकास के महानिदेशालय से इसका कोई सरोकार नहीं है।

(ग) विकास आयुक्त, लघु उद्योग ने इस प्रकार का कोई परिपत्र जारी नहीं किया है।

दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को सहायता

4904. श्री अचल सिंह : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा विभिन्न नये और पुराने स्वेच्छिक संगठनों, पूर्व प्राथमिक स्कूलों को चलाने वालो संथाओं, बालवाड़ी, महिलामंडल, संक्षिप्त पाठ्यकम तथा अन्य परियोजनाओं के लिए इस वर्ष मंजूर की गई वित्तीय सहायता गत वर्ष केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता की तुलना में कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

(ग) क्या दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की विभिन्न परियोजनाओं को और अधिक सहायता देने के बारे में केन्द्रीय समाज बोर्ड के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सहायता कब तक मंजूर कर ली जायेगी ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां, वयस्क महिलाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम कार्यक्रम के लिए आवंटन को अलबत्ता पिछले वर्ष के स्तर पर रखा गया था ।

(ख) कुल साधन सीमाएं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गुंटूर से हैदराबाद (दक्षिण-मध्य रेलवे) तक बड़ी लाइन

4905. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुंटूर से हैदराबाद (दक्षिण मध्य रेलवे) वा रास्ता नडीकुडी बड़ी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस लाइन को बिछाने में अनुमानित व्यय कितना आयेगा ; और

(घ) यह कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सिकन्दराबाद-नाडीकुडे बड़ी लाइन के लिए और गुंटूर-माचेर्ला मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए इंजीनियरी तथा याता-याता सर्वेक्षण का क्षेत्र-कार्य पूरा हो चुका है और अनुमान तथा रिपोर्टें संकलित की जा रही हैं। अनुमान एवं सर्वेक्षण रिपोर्टें अन्तिम रूप से तैयार होने के बाद ही इस परियोजना की लागत मालूम हो सकेगी। आशा है, रेले के अनुमान और रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को इस वर्ष के अन्त तक भेज देंगी। इस परियोजना का निर्माण, सर्वेक्षण के परिणाम, धन की उपलब्धता और इस बात पर निर्भर है कि इस काम को इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ कितनी प्राथमिकता मिलती है।

गुन्टूर मचेरेला (दक्षिण मध्य रेलवे) छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4906. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुन्टूर मचरेला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है ; और

(ग) कार्य कब आरम्भ होगा और लाइन को बदलने में अनुमानतः कितनी राशि खर्च होगी है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सिकन्दराबाद-नाडिकुडे बड़ी लाइन के लिए और गुन्टूर-माचेर्ला मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए इंजीनियरी तथा याता-यात सर्वेक्षण का क्षेत्र-कार्य पूरा हो चुका है और अनुमान तथा रिपोर्टें संकलित की जा रही हैं। अनुमान एवं सर्वेक्षण रिपोर्टें अन्तिम रूप से तैयार होने के बाद ही इस परियोजना की लागत मालूम हो सकेगी। आशा है, रेलें ये अनुमान और रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को इस वर्ष के अन्त तक भेज देंगी। इस परियोजना का निर्माण, सर्वेक्षण के परिणाम, धन की उपलब्धता और इस बात पर निर्भर करता है कि इस काम को इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों के साथ साथ कितनी प्राथमिकता मिलती है।

रेलवे द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले कोयले तथा डी..ल का बेकार जाना

4907. **श्री हेमराज :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि रेलवे द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले डीजल तथा कोयले का काफी बड़ा भाग वेकार चला जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई बचत-अभियान आरम्भ किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) रेलों द्वारा इस्तेमाल में लाये जाने वाले कोयले और डीजल तेल का बड़ा भाग बेकार नहीं चला जाता है ।

(ख) यद्यपि रेलों पर ईंधन इस्तेमाल में किफायत लाने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं, फिर भी, अभी हाल में ईंधन में किफायत लाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है । अभी इसके परिणामों का अनुमान लगाना असामयिक होगा ।

भारतीय रेलों में जोनवार कमर्शियल क्लर्कों, टिकट कलक्टरों, यात्रा टिकट निरीक्षकों, स्टेशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों की कुल संख्या

4908. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे के प्रत्येक जोन में 110-200/150-240,205-380,335-425 375-475 और 450-575 रुपये के ग्रेड में कार्य कर रहे कमर्शियल क्लर्कों, टिकट कलक्टरों, यात्रा टिकट निरीक्षकों, स्टेशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों, लेखा क्लर्कों की अलग-अलग संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) रेलवे के प्रत्येक जोन में कार्य कर रहे कमर्शियल निरीक्षकों, मुख्य टिकट निरीक्षकों, ट्रांस्पोर्टेशन निरीक्षकों और लेखों के यात्रा निरीक्षकों की तथा उक्त भाग (क) में उल्लिखित ग्रेडों में अलग-अलग संख्या कितनी है ;

(ग) कर्मचारियों के उक्त उल्लिखित ग्रेडों में पदों के वितरण की प्रतिशतता कितनी है ; और

(घ) यदि कोई अंतर है तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) कृपया अनुबन्ध "क" पर विवरण देखिये । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—4131/70]

(ख) कृपया अनुबंध "ख" पर विवरण देखिये । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०— 4131/70]

(ग) कृपया अनुबन्ध "ग" पर विवरण देखिये । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—4131/70]

(घ) अलग-अलग कोटियों के विभिन्न पदक्रमों में पदों के वितरण का प्रतिशत संवर्ग के पदों से सम्बद्ध कर्त्तव्यों एवं जिम्मेदारियों की किस्म के आधार पर इस बात को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है कि प्रत्येक कोटि के लिए तरक्की की अन्य संभावनाएं क्या हैं। चूंकि कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों तथा तरक्की की अन्य संभावनाएं भिन्न-भिन्न हैं अतएव इनकी प्रतिशतता एक सी नहीं हो सकती।

रेलवे वर्कशाप, जगाधरी (उत्तर रेलवे) में काम के घंटे

4909. **श्री सूरज भान :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे की अमृतसर और लखनऊ स्थित वर्कशापों में और पूर्वी रेलवे के शिक्षा रेलवे वर्कशाप में निर्धारित काम के घंटों की अपेक्षा जगाधरी रेलवे वर्कशाप में कामों के अधिक घंटे निर्धारित करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार जगाधरी रेलवे वर्कशाप के काम के घंटों को लिलुआ रेलवे वर्कशाप के काम के घंटों के बराबर करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). वर्तमान नीति के अनुसार सभी रेल कारखानों में 48 घंटे प्रति सप्ताह काम करना अपेक्षित है। तदपि सरकार ने विनिश्चय किया है कि जिन रेल कारखानों में अपनी पुरानी, परंपरागत और ऐतिहासिक पद्धति के अनुसार उपर्युक्त सीमा से कम काम होता आया है, वे वही पद्धति जारी रखें। तदनुसार उत्तर रेलवे के जगाधरी रेल कारखाने में 48घंटे काम करना होता है जबकि उल्लिखित तीन कारखानों में उनकी पुरानी पद्धति के अनुसार क्रमशः 45,45 और 42½ घंटे काम करना होता है। जगाधरी कारखाने के काम के घंटों को घटा कर पूर्व रेलवे के लिलुआ कारखाने में काम के घन्टों को बराबर करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि परंपरागत पद्धति से शासित कारखानों को छोड़ कर, किसी रेल कारखाने में निर्धारित काम की संख्या 48 है।

भारतीय रेलों में डाक्टरों के पदों को भरना

4910. **श्री हेम राज :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों और मंडलों में क्षेत्रवार और मंडल-वार रेलवे डाक्टरों के कितने पद हैं ?

(ख) गत तीन वर्षों अर्थात 1968 से 1970 तक में क्षेत्रा-वार और मंडल-वार कितने पद स्थाई रूप से और कितने तदर्थ आधार पर भरे गये ; और

(ग) उन पदों को स्थाई रूप से भरे जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तकनीकी जानकारी की मांग को पूरा करने के सम्बध में सरकार की नीति

4911. **श्री हिम्मतसिंहका : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) तकनीकी जानकारी की बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए सरकार की क्या नीति है ; और

(ख) इस बारे में भारत तथा ब्रिटेन के संयुक्त मिशन द्वारा तैयार करने वाले संयंत्रों पर दी गई सर्वेक्षण रिपोर्टों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) सरकार की नीति रही है कि देशीय जानकारी के विकास तथा प्रयोग के लिए और व्यवहारिक रूप से पूर्णरूपेण लागू करने के लिए हर संभव प्रयत्न हों जिससे कि भारतीय उद्योग उत्तरोत्तर विदेशी जानकारी पर कम से कम निर्भर होते चले जायें। फिर भी, सरकार विदेशी तकनीकी सहयोग के मूल्य तथा आवश्यकता को ध्यान में बनाये रखती है विशेष कर निर्माण के जटिल क्षेत्रों में और ऐसे मामलों में जहां आवश्यक हो विदेशी प्राद्योगिकी के आयात की अनुमति प्रदान की जाती है। आमतौर पर तकनीक सहयोग के करार उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि में केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकर किए जाते हैं जिसके कि भारतीय एककों द्वारा इस प्रकार की जानकारी को यथा शीघ्र ग्रहण करने का तथा भारतीय निर्माणकारी एककों द्वारा पर्याप्त अनुसंधान तथा विकास की सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने का सुनिश्चय हो सके। केवल ऐसे ही मामलों में सहयोग के करारों की अवधि को बढ़ाने वाले अनुरोधों पर विचार किया जाता है जहां नए विकास और नई वस्तुओं का निर्माण निहित हो।

(ख) उपरिलिखित नीति के अनुरूप ही संयुक्त भारत ब्रिटिश मिशन की सिफारिशों पर विचार किया जायेगा। इस नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।

संयुक्त संयंत्र समिति के पास अग्रिम जमा करना

4912. **श्री क० ना० तिवारी : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने संयुक्त संयंत्र समिति को इसके द्वारा प्राप्त होने वाले क्रयादेशों के मूल्य का 15 प्रतिशत अग्रिम की अनुमति दे दी है और वह क्रयादेशों के देने वालों से इसे संयुक्त संयंत्र समिति के पास जमा कराने को कह रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं।

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). दिनांक 22 मई, 1970 के सरकारी संकल्प के अनुसार संयुक्त संयंत्र समिति ने विभिन्न श्रेणियों के मांग-कर्त्ताओं के द्वारा वित्तीय और अन्य औपचारिकताओं के पालन के लिए कार्यप्रणाली निर्धारित करनी थी। संयुक्त संयंत्र समिति कलकत्ता ने हाल ही में एक प्रैस

नोट जारी किया है जिसमें बयाने की शर्त में कुछ ढील दी गई है। प्रेस नोट की प्रतिलिपि सभा-पटल पर रख दी गई है।

विवरण

पेशगी की शर्त में छूट

वास्तविक उपभोक्ताओं लघु उद्योगों और व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त संयंत्र समिति ने इस्पात के मांग-पत्रों के साथ पेशगी देने की शर्त में ढील देने का फैसला किया है। यह फैसला कुछ मोटे-मोटे सिद्धान्तों को ध्यान में रख कर किया गया है ताकि साम्यिक वितरण हो सके और मांग-पत्रों में माल की अधिक मांग को रोका जा सके।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/नागरिक और अन्य अर्ध सरकारी निकायों, प्रमुख उत्पादकों के सम्बद्ध समवायों और संविरचकों/ठेकेदारों, भारत में विदेशी दूतावासों और पड़ोसी देशों की पार्टियों को कोटा सर्टिफिकटों पर दिए जाने वाले माल पर तथा वार्षिक पात्रता प्रणाली के अन्तर्गत दिए जाने वाले इस्पात के लिए पेशगी की शर्त बिल्कुल उठा दी गई है।

राज्य सरकारों के संगठनों जैसे लघु उद्योग या कृषि उद्योग निगम को केवल गैर-चपटे पदार्थों के लिए ही यह छूट दी जायेगी और चपटे पदार्थों के लिए छूट की मात्रा संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा 1969-70 में किये गये आयोजन में 25 प्र० श० की वृद्धि करके और 1 जून, 1970 तक के पहले के बकाया आर्डरों को घटा कर निश्चित की गई मात्रा या 1000 टन, जो भी अधिक होगी, मानी जायेगी। इस सीमा के आगे उन्हें मांग पत्र में दी गई मात्रा के मूल्य का 5 प्र०श० पेशगी देना होगा

वास्तविक उपभोक्ताओं (नियमित खरीददारों) की पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 1967-68,1968-69 और 1969-70 में से सभी उत्पादकों के यहां से हुए अधिकतम प्रेषण में एककों के विस्तार के विचार से 10 प्र०श० जोड़कर और 1 जून, 1970 तक अपूरित आदेशों की मात्रा को घटाने से प्राप्त मात्रा तक छूट दी जायेगी बशर्ते कि बकाया शामिल करके यह राशि 200 टन से कम न हो। इस सीमा से अधिक मात्रा के लिए मांग पत्र में दिये गये माल के मूल्य का 10 प्र०श० पेशगी के रूप में जमा कराना होगा।

वास्तविक उपभोक्ताओं की नई इकाइयों के, अर्थात जिन्होंने 1 अगस्त, 1970 तक संयुक्त संयंत्र समिति से कोई आयोजन पत्र प्राप्त नहीं किया है, लिए 1 जून, 1971 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए 60000 टन की मात्रा विकास अधिकारी, (लघु उद्योग) नई दिल्ली को सुपुर्द कर दी जायेगी। उससे इस मात्रा के राज्य-वार वितरण का ब्यौरा देने को कहा जायेगा जिसके बाद एकक क्रम से आवंटन होगा। इस सीमा से परे वास्तविक उपभोक्ताओं के नये एककों को पूर्व-निर्धारित 15 प्र०श० की जगह 10 प्र०श० की दर से पेशगी जमा कराना होगा। परन्तु इस छूट का फायदा उठाने के लिए इन इकाइयों को इस बात का शपथ-पत्र और उद्योग-निदेशक का प्रमाण पत्र देना होगा कि उनका कारखाना तैयार हो चुका है और परिचालन के लिए एकदम तैयार है। साथ ही मशीनों और उपकरणों की सूची भी देनी होगी।

सुस्थापित व्यापारियों के लिए जिन्हें 1 जून, 1970 तक प्रमुख उत्पादकों से प्रेषण प्राप्त हुए थे, छूट की मात्रा पिछले तीन वित्तीय वर्षों में सभी उत्पादकों से हुए सर्वाधिक प्रेषण की मात्रा में से बकाया-आदेशों को घटाने से बची मात्रा या 5000 टन, जो भी कम हो, के आधार पर तय की जायेगी। जहां प्रेषण 200 टन से कम होंगे वहां 200 टन में से अपूरित मात्रा को काट कर शेष के लिए छूट दी जायेगी। इस सीमा से परे पूर्व निर्धारित 25 प्र०श० के बदले 15 प्र०श० की दर से पेशगी देनी पड़ेगी।

यद्यपि नये व्यापारियों को कोई छूट नहीं दी गई है परन्तु उनके लिए पेशगी की राशि को 25 प्र०श० से घटाकर 15 प्र०श० कर दिया गया है।

पेशगी का प्रतिशत निकालने के लिए विभिन्न वर्गों के इस्पात का प्रति टन मूल्य निम्नलिखित माना जायेगा :—

छड़, गोल छड़, संरचनात्मक और रेल की हल्की पटरी—800 रु०, प्लेट—10 0 रुपये, गर्म बेलित कुण्डल और गर्म बेलित चादरें – 1100 रुपये, ठंडे बेलित कुण्डल और ठंडी बेलित चादरें—1300 रुपये, जस्ती सादी/नालीदार चादरें—1800 रुपये और अपरीक्षित रेल की पटरिया—500 रुपये।

उपर्युक्त छूट की सीमा 1 जून, 1971 को समाप्त होने वाली अवधि तक वैध रहेगी।

सिगनल विभाग, दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में छुट्टी रिजर्व

4913. **श्री रविराय** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए जाने वाले कर्मचारियों के कारण लम्बी अवधि के लिए हुए रिक्त स्थानों पर छुट्टी रिजर्व सहायक संकेतक निरीक्षक और ब्लाक मेनटेनर्स के लिए छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों का उपयोग किया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली डिवीजन में कर्मचारियों को समय पर छुट्टी नहीं मिलती है ;

(ख) क्या भारतीय रेलवे में हर स्थान पर संकेत और दूर संचार विभाग में प्रशासनिक कारणों से रिक्त पदों पर छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती हैं और क्या कर्मचारियों को समय पर छुट्टी लेने के अधिकार से वंचित किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). छुट्टी रिजर्व पदों का उपयोग नियमित रिक्तियों के प्रति नहीं किया जा रहा है सिवाय कुछ इन-गिने मामलों को छोड़ कर जहां रिक्तियों को भरने में अपरिहार्य रूप से विलम्ब हुआ है। जहां तक जरूरी है वहां के लिए प्रशिक्षार्थी पदों की मूंजरी भी दी जा रही है। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी आमतौर से समय पर छुट्टी पाने की सुविधा से वंचित नहीं किये जा रहे हैं।

पश्चिम रेलवे के कुछ स्टेशनों पर ब्रेक डिब्बे की देखभाल के लिए बुकिंग क्लर्क की आवश्यकता

4914. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रानी, फलना, जवाई, बन्ध, सरूपगंज, सिरोही रोड

आदि जैसे पश्चिम रेलवे के कुछ स्टेशनों पर टिकट घर रेलगाड़ियों के आने के समय बन्द रहते हैं, क्योंकि बुकिंग क्लर्क को ब्रेक-डिब्बे की देखभाल भी करनी होती है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि आसपास के गांवों से यात्री इन स्टेशनों पर बसों द्वारा आते हैं जो सामान्यता रेल गाड़ियों के समय पर ही पहुंचती है ;

(ग) जब बुकिंग क्लर्क का कार्य यात्रियों को टिकट देने का है तो उसे अन्य कार्य पर क्यों लगाया जाता है जिससे यात्रियों को खिड़कियों पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है अथवा उन्हें बिना टिकट यात्रा करनी पड़ती है ;

(घ) क्या सरकार इसके लिए उपयुक्त अनुदेश जारी करेगी ; और

(ङ) क्या सरकार का उन रेलवे अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने का विचार है जो समय समय पर स्टेशनों का निरीक्षण कर के जनता की कठिनाईयों को दूर करने में असफल रहे हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). बसें सामान्यतः गाड़ी पहुंचने के निर्धारित समय से 10-15 मिनट पहले पहुंचती हैं। उपलब्ध समय के भीतर ही सभी यात्रियों को टिकट दे दिये जाते हैं ; इस काम के लिए टिकट खिड़कियों को, कभी-कभी गाड़ी आने तक लगातार खुला रखा जाता है। लेकिन गाड़ी पहुँचने पर टिकट बाबू ब्रेक यान को सम्हालता है क्योंकि पार्सल के काम के लिए अलग कर्मचारी रखने का औचित्य नहीं है।

(घ) और (ङ). सवाल नहीं उठता।

बिलि मोरा (पश्चिमी रेलवे) में पार्सल कार्यालय के लिए अतिरिक्त कर्मचारी

4915. **श्री चंद्रिका प्रसाद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के बिलिमोरा स्टेशन के पार्सल कार्यालय में कार्य भार कार को देखते हुए कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से बहुत कम है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है ;

(ख) यदि नहीं, तो 1 जनवरी, 1970 से 30 जनवरी, 1970 तक स्टेशन का कुल कार्य भार कितना था अर्थात प्रत्येक महीने में अलग अलग कितने रवन्ना पार्सल जारी किये गये, कितने पार्सल बुक किये गये, कितने रवन्ना पार्सल प्राप्त हुए, कितने पार्सल प्राप्त हुए, कितने माल टिकट जारी किये गये और कितने बंडल बुक किये गये, कितने माल टिकट और बंडलों की डिलीवरी दी गई ;

(ग) माप दंड तथा उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित कार्य के अनुसार उक्त स्टेशन पर कुल कितनी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी ;

(घ) यदि कोई कमी है, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ङ) कमी के लिए जिम्मेवार अधिकारी का विवरण और इस कमी को कब तक पूरा किया जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ग) से (ङ). बिली मोरा स्टेशन के पार्सल कार्यालय में वर्तमान कार्यभार के अनुसार मौजूदा दो कर्मचारियों की जगह तीन कर्मचारियों की जरूरत है । तीसरा पद बनाने के लिए कार्यवाई की गयी है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1 जनवरी से 30 जून, 1970 तक बिली मोरा स्टेशन पर काम का कुल भार

जारी किये गये पार्सल	जन०	फर०	मार्च	अप्रैल	मई	जून
रवन्ना की सं०	6250	5250	6600	5000	6500	5600
बुक किये गये पार्सलों की सं०	28550	28000	29950	30130	20900	23307
प्राप्त पार्सल रवन्ना की सं०	8000	7500	7480	6000	6950	6130
प्राप्त पार्सलों की सं०	21950	15650	15000	13110	15362	16973
जारी किये गये सामान टिकट	400	300	200	300	300	300
बुक किये गये पैकेज	2000	1590	1420	1440	1500	1570
दिये गये सामान टिकट	150	148	180	100	210	200
दिये गये पैकेज	750	592	720	500	4[illegible]0	100

अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के कुछ "बी" ग्रेड के ड्राइवरों की पदावनति

4916. **श्री चंद्रिका प्रसाद** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपको मालूम है पश्चिम रेलवे के अजमेर डिवीजन में कार्य कर रहे, "बी" ग्रेड के 26 ड्राइवरों की हाल ही में पदावनति के आदेश दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन ड्राइवरों के क्या नाम हैं जिनकी पदावनति के आदेश दिये गये हैं, उन में से प्रत्येक व्यक्ति किस तिथि से 'बी" ग्रेड में स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनमें से कुछ ड्राइवरों को उनके 6,7 वर्ष "बी" ग्रेड में सफलता पूर्वक स्थानापन्न रूप में कार्य करने के पश्चात पदावनत कर दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस प्रकार के अनियमित आदेशों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) ग्रेड "सी" के 19 ड्राइवरों को, जो ड्राइवर "बी" के रूप में स्थानापन्न थे, पदावनत किया गया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). जिन कर्मचारियों को तदर्थ आधार पर ड्राइवर ग्रेड "बी" के पद पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया था और जो 1969-70 में ग्रेड "बी" के ड्राइवर के पद के लिए किये गये प्रवरण में नहीं चुने गये थे उन्हें चुने गये व्यक्तियों के लिए स्थान खाली करने के निमित्त पदावनत किया गया है।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

विवरण

नाम	तारीख, जिससे कि ड्राइवर "बी" के रूप में स्थानापन्न हैं।
1. श्री दाऊद हुसैन	24-6-1965
2. श्री जे० एफ० मैक मोहन	20-5-1965
3. श्री वाई० डी० मसी	13-4-1964
4. श्री गोविन्द राम	16-12-1963
5. श्री मांगीलाल चम्पालाल	19-12-1963
6. श्री रघुराज सिंह टी०	18-7-1965
7. श्री प्रह्लाद दास एन०	18-12-1963
8. श्री कन्हैयालाल के०	20-1-1965
9. श्री चुन्नीलाल जी०	24-1-1964
10. श्री श्रीकृष्ण मांगीलाल	20-1-1964
11. श्री घीरा राघला	30-3-1964
12. श्री एस० एस० विल्सन	23-9-1967
13. श्री सोहन लाल रामू०	12-3-1964
14. श्री चूंदलाल के०	20-5-1965
15. श्री शिवप्रसाद पी०	22-6-1969
16. श्री बलदेव जी०	3-7-1969
17- श्री गुलाम सब्बीर एच०	19-6-1969
18. श्री रामचन्द्र शंकर लाल	5-2-1969
19. श्री हीरा लाल बी०	30-6-1969

दक्षिण, पूर्व और उत्तर रेलवे वाणिज्यिक क्लर्क

4917. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या रेलवे मंत्री दक्षिण, पूर्व और उत्तर रेलवे वाणिज्यिक क्लर्कों के बारे में 3 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1318 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) जानकारी एकत्र करने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). कृपया अनुबन्ध "क" और "ख" पर रखे विवरणों को देखें। (विवरणों का हिन्दी अनुवाद बाद में दिया जायेगा)। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल० टी०—4132/70]

भारतीय रेलवे में जोनवार हड़ताल

4918. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1970 से अब तक रेलवे में कितनी बार हड़ताल हुई ;

(ख) किन-किन रेलवे, किन-किन स्थानों और कितनी अवधि के लिए हड़तालें हुईं और उक्त हड़ताल में कितने रेलवे कर्मचारियों ने भाग लिया ;

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित हड़तालों के कारणों का ब्यौरा क्या है, और उक्त हड़ताल से रेलवे को कुल कितनी हानि हुई ;

(घ) क्या उक्त हड़तालें अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को परेशान करने तथा उनसे बातचीत करने से इन्कार करने के कारण हुई थी ; और

(ङ) भविष्य में ऐसी हड़तालें रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) सरकार द्वारा कोई कदम उठाने मात्र से इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं रुकेगी। कर्मचारियों को चाहिए कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिये सुस्थापित मार्ग अपनायें और स्वच्छन्द कार्रवाई न करें।

इस्पात बिलेट के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करना

4919. **श्री अदिचन :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में इस्पात बिलेट के निर्माण के लिये लाइसेंस देने की अनुमति र

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में औद्योगिक विकास निगमों को भी ऐसे लाइसेंस जारी करने का है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 24 जुलाई, 1970 को औद्योगिक विकास मंत्रालय ने केरल के मैसर्स स्टील कम्पलेक्स लि० फेरोक को केरल राज्य में कालीकट में एक नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिये आशय पत्र दिया था ताकि विद्युत चाप भट्टी एवं लगातार ढ़लाई प्रक्रिया से 50,000 टन साधारण, मध्यम कार्बन और स्प्रिंग स्टील के बिलेट का उत्पादन किया जा सके। यदि कंपनी आशय पत्र की सभी शर्तों को पूरा कर देगी तो आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदल दिया जायेगा।

(ख) औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदन करना राज्य औद्योगिक विकास निगम अथवा अन्य पक्षों का काम है। इन सभी आवेदनों पर निर्धारित प्रणाली के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

त्रिवेन्द्रम से नागरकोइल होकर तिरूनेलवेल्लि से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण

4920. **श्री अदिचन :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिवेन्द्रम से नागरकोइल होकर तिरूनेलवेल्लि और नागरकोइल से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइनें बिछाने के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिये गये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). नागरकोइल के रास्ते तिरूनेलवेली कन्याकुमारी-तिरूवनंतपुरम मीटर लाइन रेल सम्पर्क के लिए पहले किये गये इन्जीनियरी और यातायात सर्वेक्षण की रिपोर्टों को अद्यतन करने की रिपोर्ट और बड़े आमान की वैकल्पिक लाइन के लिये नये सर्वेक्षण की रिपोर्ट दक्षिण रेलवे द्वारा अभी हाल में ही प्रस्तुत की गयी है। यह लाइन बड़े आमान में लगभग 164.02 किलोमीटर और मीटर आमान में 167.10 किलोमीटर लम्बी होगी और अनुमान लगाया गया है कि बड़ी लाइन पर लगभग 14.53 करोड़ रुपये (सकल) तथा मीटर लाइन पर लगभग 12.99 करोड़ रुपये (सकल) लागत आयेगी। इस समय ये रिपोर्टें रेलवे बोर्ड के विचाराधीन हैं। इन रिपोर्टों पर विचार पूरा हो जाने के बाद इस परियोजना के निर्माण के बारे में निर्णय किया जायेगा। लेकिन इस परियोजना का वास्तविक निर्माण धन की उपलब्धता और इस परियोजना को ऐसे ही अन्य प्रस्तावों के मुकाबले में मिलने वाली अग्रता पर निर्भर करता है।

5 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8510 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

Correcting Statement to Unstarred Question No. 8510 dated 5-5 1970.

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : 2. (1) रेलवे सुरक्षा दल/रेलवे सुरक्षा विशेष दल के कर्मचारियों की रेलवेवार/बटालियन वार संख्या इस प्रकार है :

रेलवे सुरक्षा दल

रेलवे	कर्मचारियों की संख्या
दक्षिण-मध्य	3,179
कुल जोड़	57,658

व्यवस्था के प्रश्न के बारे में

RE. POINT OF ORDER

श्री राजशेखरन (कनकपुरा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पिछली बार जब आपने सूखे की स्थिति के विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया था, तब भी हमने आप से अनुरोध किया था कि इस विषय पर पूरी चर्चा होनी चाहिये। आज पुनः उसी विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। कुछ राज्यों, मैसूर, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आदि में सूखे की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस विषय पर पूरी चर्चा होनी चाहिये।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : माननीय सदस्य ने व्यवस्था से सम्बद्ध जो प्रश्न उठाया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। मुझे सूखे की स्थिति पर चर्चा करने पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या यह व्यवस्था के नियमों के अनुरूप है, क्योंकि पहले भी यह विषय एक बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में उठाया जा चुका है। मेरा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि इस पर पूरी चर्चा की अनुमति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय : आप खड़े तो व्यवस्था का नाम लेकर होते हैं परन्तु करते निवेदन हैं। मैं भला इस पर क्या निर्णय दूं। यह तो केवल निवेदन मात्र है। आप को निवेदन और व्यवस्था का अन्तर समझ लेना चाहिये।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह एक प्रथा भी है और नियम भी कि एक सत्र में एक ही विषय पर केवल एक बार ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मेरा निवेदन यह है कि नियम 193 या नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा और यदि हमारी इसमें भूल हुई तो मैं इसे सभा को स्पष्ट करूंगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बिहार और देश के अन्य भागों में कथित सूखे की स्थिति का समाचार

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय

लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में सूखे की स्थिति का समाचार"।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : सभा को स्मरण होगा कि मैंने 18 अगस्त 1970 को देश के कुछ भागों में सूखे की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया था। जैसा कि मैंने उस समय बताया था कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में सूखे की स्थिति काफी सुगम हो गई थी और आन्ध्र प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर में भी काफी वर्षा हुई थी। ऐसा बताया जाता है कि दक्षिणी बिहार के अधिकांश स्थानों में वर्षा कम हुई है। बिहार सरकार से हमने राज्य की स्थिति के बारे में प्रतिवेदन भेजने के लिये कहा है।

आज प्रातः बिहार सरकार से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार नौ जिलों अर्थात पटना, गया शाहाबाद, भागलपुर, मुंगेर, संथाल परगना, धनबाद, हजारीबाग और पालामऊ में सूखे की स्थिति है। यह भी बताया गया है कि उपयुक्त नौ जिलों के 90 ब्लाक इससे प्रभावित हुए हैं। तथापि, यदि आगामी कुछ दिनों में वर्षा हो जाती है तो स्थिति के कुछ सुधरने की आशा है। उत्तर प्रदेश में, राज्य के कुछ भागों के अलावा इलाहाबाद, वाराणसी तथा मिर्जापुर की कुछ तहसीलों में अप्रर्याप्त वर्षा के कारण मौजूदा धान की फसल गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है। इसके साथ ही ऐसी भी आशंका है कि यदि मौजूदा मौसम की शेष अवधि में सामान्य रूप से मानसून की वर्षा नहीं होती तब इन क्षेत्रों में सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है।

राहत सम्बन्धी कार्यों की व्यवस्था करना मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। केन्द्रीय सरकार तो राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित कार्यविधि के अनुसार ही सहायता प्रदान करती है। केन्द्रीय सहायता हेतु अपनायी गई कार्यविधि के अनुसरण में बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों से अभी तक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अब तक देश भर में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वर्षा संतोषजनक रही है और मैं इस बात को दुहराना चाहता हूँ कि स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है और मैं फिर दोहरा दूं कि दोनों केन्द्र तथा राज्य सरकारें स्थिति पर निगरानी जारी रखेगी और जहां कहीं भी आवश्यकता होगी, समय पर पर्याप्त सहायता उपलब्ध करवा दी जायेगी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार दुर्भाग्यवश बाढ़ के परिणाम स्वरूप 9.50 लाख एकड़ भूमि की फसल नष्ट हो गई है तथा 88.30 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही दक्षिणी बिहार में जो सूखा पड़ा है उससे 90 ब्लाक और 9,000 वर्गमील भूमि प्रभावित हुई है। वहां सामान्य प्रतिरोपण भी नहीं हुआ। सूखे के कारण फसलें नष्ट हो गई है और यदि दातिया वर्षा भी न हुई ऐसा लगता है कि बिहार के 1966 वाले भीष्म अकाल की स्थिति पुनः उत्पन्न हो जायेगी। इस सूखे का प्रभाव 20 लाख एकड़ भूमि पर पड़ने की संभावना है जिसके फलस्वरूप 10 लाख टन धान कम होगी। सूखे तथा बाढ़ से राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार उसे कुल 148 करोड़ रुपये की हानि होगी।

माननीय मन्त्री महोदय ने अभी कहा है कि राहत सम्बन्धी कार्यों की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी होती है। उनके इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय सरकार अभी तक इस स्थिति के प्रति साधारण रुख अपनाये है और अपने दायित्व का आभास नहीं कर रही। इसलिए मैंने अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है। राज्य-सरकार ने जो आंकड़े दिये है उसके अनुसार तो वहां सिंचाई की विभिन्न योजनाओं की आवश्यकता हैं। योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य के लिए जो छः करोड़ रुपये की धन राशि इस प्रकार के आपतकालीन राहत कार्यों के लिए रखी गई है। परन्तु बिहार तथा पूर्व उत्तर प्रदेश में जो योजनायें आरम्भ की गई थी उन्हें बिना पूरा किये ही छोड़ दिया गया है। आज वहां के लोग यह शिकायत करते हैं कि यदि इन योजनाओं को अधूरा न छोड़ा गया होता तो यह स्थिति उत्पन्न ही न होती। परन्तु मुझे मालूम हुआ है कि अनुदान देते समय भेदभाव किया जाता है। तामिलनाडु को 2 करोड़ रु० की धनराशि की आवश्यकता थी, परन्तु उसे आवश्यकता से दुगुना या तिगुना अनुदान दिया गया। क्या केन्द्रीय सरकार यह भेदभाव इसीलिए करती है कि उसे द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के सदस्यों के मत प्राप्त करने होते हैं?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के मामले में उनके बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जब कभी भी किसी राज्य पर कोई प्राकृतिक संकट आता है तो उसे सहायता देने के लिए कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए धनराशि व्यय करने की सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो धनराशि व्यय की जाती है उसका 75 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसमें 50 प्रतिशत तो अनुदान के रूप में होता है और शेष 25 प्रतिशत ऋण के रूप में। अभी तक हमें बिहार या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों से सहायता के लिए कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। ज्यों ही हमें बिहार सरकार से कोई प्रतिवेदन प्राप्त होगा, हम अपने अधिकारी वहां भेज देगें जोकि सहायता की सीमा निर्धारित करेंगे। वैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए हमने हर महीने 1 लाख टन गेहूं देना निर्धारित कर दिया है परन्तु बिहार केवल 50,000 टन ही उठा रहा है। अतः वहां खाद्यान्न की स्थिति ठीक है और इसके बारे में चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरे बेरोजगारी से राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार पूर्णतया प्रयत्नशील है और केन्द्र से वह जैसी भी सहायता चाहेगी, उसे दे दी जायेगी।

Shri Bibhuti Misra (Motihari) : Alongwith land grab movement, Central Government has started Assistance grab movement. It is grabbing its assistance to states and especially to Bihar. The hon. Minister has just said that large number of blocks from South Bihar and Mysore had less rainfall. It is stated that the Government does not exercise any discrimination between States. But I am sorry to say that inspite of the fact that Bihar's *per capita* income is the lowest, still it has been given the minimum grant during all the three Five Year Plans. Those who raise their voice for a separate State or flag, get more Central aid because Government wants to please them.

I would like to tell you that Bihar has got two parts—North Bihar and South Bihar. I hail from Champaran district of North Bihar which is hard hit by floods. The Gandak Project which is under preparation for the last 12 years has not been completed so far. The power pump position in Bihar is also not at all satisfactory. We are paying 40 paisa per unit whereas the average rate per unit in other parts of the country is 12 paisa per

unit. What is the reason for it ? Why is it that Central Government will intervene only after hearing from State Government ? Is it not the duty of Central Government to look after the interests of States ? I would like to ask from the hon. Minister, about the steps which are being taken by the Government to check the floods or to assist the drought affected areas of South Bihar ? What are those projects or plans which are being considered by the Central Government to avoid the frequent draughts in Bihar or Eastern Uttar Pradesh ?

Shri F. A Ahmed : The first question is that in case no information has been received from State Government, why Central Government did not enquire about the drought there. In this connection, I am to state that Centre has alredy written to State but till today we have not heard anything from State Government. So far as drought affected areas are concerned, a plan relating to the same has been furnished in Fourth Five Year Plan.

श्रीमती इला पालचौधरी (कृषनगर) : अभी अभी मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य के अन्य भागों के अलावा इलाहाबाद, वाराणसी तथा मिर्जापुर की कुछ तहसीलों में अपर्याप्त वर्षा के कारण मौजूदा धान की फसल गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है। ऐसी भी आंशका है कि मौजूदा मौसम की शेष अवधि में सामान्य रूप से मानसून वर्षा नहीं होती तो इन क्षेत्रों में सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है। अतः मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूँ कि सरकार सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? दूसरे पश्चिम बंगाल के बंकपुरा प्रशेला आदि जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ा हुआ है और प्रधानमन्त्री ने स्वयं वहां का दौरा किया हैं, वहां इस पर नियन्त्रण पाने के लिए सरकार क्या कर रही है। बिहार के बारे में मन्त्री महोदय ने जो अनुमोदन के लिए योजना भेजी है इसे अनुमोदन प्राप्त होने में कितना समय लगेगा। तीसरी बात यह है कि तीसता नदी परियोजना जिससे लाखों लोग प्रभावित होंगे उसका क्या बना है। आखिर अब तक इसी सूखे और बाढ़ के कारण हमने 140 करोड़ रुपये की हानि उठाई है, हम इससे बचने के लिए क्या उपाय किया है ? लगभग 80 लाख जनसंख्या को प्रभावित करने वाली 500 पम्प सेट लगाने की जो योजना है वह तो काफी नहीं है। इसके लिए कुछ अन्य उपाय भी करने पड़ेगें। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे ताकि सभा को यह मालूम हो जाये कि वास्तव में क्या हो रहा है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं पहले ही इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि जहां तक सूखे से पीड़ित क्षेत्रों को सहायता देने का सम्बन्ध है, इस कार्य के लिये चौथी योजना में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और इसी प्रकार की 23 योजनाएं पहले ही चुनी जा चुकी है। इन योजनाओं को चुनने से पहले पश्चिम बंगाल पर भी विचार किया गया था और जो क्षेत्र स्थायी रूप से सूखे से पीड़ित रहते हैं, उन्हें हम सहायता देगें। जहां तक हमें सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार तो पश्चिम बंगाल में वर्षा सामान्य ही हुई है और वहां इस प्रकार के सूखे की सम्भावना बहुत कम है।

Shri Molahu Prashad (Bansgaon) : The statement given by the hon. Minister has got no relevance with any calling attention. It appeared in the Hindustan Times of 25th August, 1970 that ˊ0 percent Crops of Eastern Uttar Pradesh have been effected by the serious drought conditions. Already there is a power shortage in Eastern U P. and the working of almost all the tubewells has further added to the shortage. This all has hit

the industrial development of Eastern U.P. In an another news appearing in Hindustan of 30th August, it has been stated that the local factories have been badly affected by the failure of 132 K.V. transmission line. It has been further stated by Shri Harpal Singh, Superintending Engineer of Corakhpur Hydro Electric Area that cross the temporarily restoring of electric supply is likely to take a week's time.

All the trains from Howrah to Kanpur are running by electric power. Incase these trains are run by coal, the power position of Easter U.P. can be solved to a great extent. Almost all the tubewells will get sufficient electric power. I would like to ask the hon. Minister that out of the drought relief project of 100 crores rupees which has been evolved, how much amount will be spent on Eastern U.P. ? Will you given any assistance to U.P. Government even before they write you for it ? Are you not aware of the poverty of those people ? What you are going to do to restore the transmission supply time ? What is your plan for it ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमने उत्तर प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया ह। हमने 31 8.1970 को राज्य के राजस्व सचिव से टेलीफोन पर सम्पर्क स्थापित किया था। उसने यही बताया था कि अभी तक तो राज्य में सूखे की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, हां यदि इस मौसम के आगामी कुछ दिनों में भी वर्षा न हुई तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

दूसरे जहाँ तक सूखा ग्रस्त क्षेत्रों का सम्बन्ध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि स्थायी रूप से पीड़ित क्षेत्रों के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार का एक जिला मिर्जापुर भी है और जब कभी आवश्यकता पड़ेगी तो अन्य जिलों के मामलों पर भी विचार किया जायेगा।

श्री रा० की० अमीन (ढंढका) : संसद-कार्य मन्त्री ने एक प्रैस वक्तव्य में मध्यावधि चुनाव की धमकी दी है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमें इसके बारे में बताया जाये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : It is a very serious issue. You should permit a discussion on it. Whether the Bill will be passed or not, it is a different issue. But it is the question of independent voting of the Members of this august House. Why this threat is given that if this Bill is voted in any other form, the House will be dissolved. You are also a party to this threat.

Mr. Speaker : There is no statement before me. This issue should have been raised in the form of a previlege motion or in some other way and not all of a sudden like this. If the Minister has got any thing to say, he may do so.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It does not matter much whether it was said in party or outside the party. It has been published in the newspapers. When they came to know that it is likely to be taken up in Parliament because it relates to the fundamental rights of the Members, it was contradicted. Such threats are justified or not, I want your ruling on it.

श्री रंगा (श्री काकुलम) : इससे पूर्व कि आप अपना निर्णय दें क्या में एक निवेदन करूं ? यह बहुत ही उचित बात है कि संसदीय कार्य मन्त्री इस बात पर चुप बैठे हैं। वास्तव में हम यह भी तो नहीं चाहते कि वह एक बात एक बार कह कर पुनः उसका खंडन करें।

यह सूचना टेलीप्रिंटर के द्वारा प्राप्त हुई थी। यह एक असाधारण बात है कि इन

परिस्थितियों में यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है और इस पर भी ऐसे विभिन्न दबाव डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में हमें आप के निर्णय की कोई आवश्यकता नहीं। यदि वह चाहते हैं कि प्रधान मन्त्री की इच्छा के अनुसार चुनाव पुनः हो, तो हम भी उसका मुकाबला करने के लिये तैयार है। हम यह चुनौती भी स्वीकार करने को तत्पर हैं।

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : अब जब बार बार मेरा नाम लिया जा रहा है तो मैं सभा को स्थिति स्पष्ट कर दूं। मैंने इस प्रकार की कोई बात नहीं कहीं। जो खबर समाचार पत्रों में छपी थी वह गलत थी और "इण्डियन एक्सप्रैस" ने इस का अगले दिन खंडन भी कर दिया था।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी कहा गया है वह दल की कार्यकारिणी की बैठक में कहा गया है और मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है।

"इन्डियन नेशनल", पटना के विरूद्ध विधेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE "INDIAN NATION" PATNA

अध्यक्ष महोदय : 17 अगस्त, 1970 को शिवचन्द्र झा ने "इण्डियन नेशन" पटना के अंक में, उनके लोकसभा में 12 अगस्त, 1970 को दिये गये भाषण को विकृत रूप में कथित प्रकाशन के लिए विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है। तत्पश्चात्, मैंने समाचार पत्र के सम्पादक से पूछा कि इस मामले में उन्हें क्या कहना है। सम्पादक महोदय से अभी एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि 'समाचार में विकृत व्यवस्था स्पष्ट है और हम इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं।' किन्तु यह ध्यान देना होगा कि यह समाचार एक उत्तरदायी समाचार एजेंसी अर्थात् यू० एन० आई० द्वारा भेजा गया था। यह मानने की बात है कि इस प्रकार की विकृत टिप्पणियों से काफी गलतफहमी हुई और ऐसा नहीं होना चाहिये। सम्पादक महोदय ने आगे भी कहा है कि उन्हें इसके प्रतिवाद या स्पष्टीकरण को जैसा कि इच्छा व्यक्त की गई, प्रकाशित कर प्रसन्नता होगी। हमने सम्पादक से अपने पत्र में, अपने समाचार पत्र में खेद और स्पष्टीकरण प्रकाशित करने के लिए कहा है। उससे यह भी कहा गया है कि हमारी जानकारी के लिए समाचार पत्र के उपयुक्त अंक की एक प्रति भेजने के लिए भी कहा है इस दृष्टि से अब यह मामला समाप्त हुआ ही समझा जाना चाहिये।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

विधि आयोग का 40 वां प्रतिवेदन

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्ततया) : मैं न्यायालयों में बंदियों की उपस्थिति से सम्बन्धित विधि के बारे में विधि आयोग के 40 वें प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4117/70]

केरल विश्वविद्यालय (दूसरा संशोधन) अध्यादेश

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं केरल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 4 अगस्त, 1970 की उद्‌घोषणा के खन्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अधीन केरल के राज्यपाल द्वारा 20 अप्रैल, 1970 को प्रख्यापित केरल विश्वविद्यालय (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1970 (1970 का केरल अध्यादेश संख्या 3) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०—4119/70]

केरल लोक सेवा आयोग (कतिपय निगमों तथा कम्पनियों सम्बन्धी अतिरिक्त कृत्य) अध्यादेश

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) मैं केरल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 4 अगस्त, 1970 की उद्‌घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अधीन केरल के राज्यपाल द्वारा 24 अप्रैल, 1970 को प्रख्यापित केरल लोक सेवा आयोग (कतिपय निगमों तथा कम्पनियों संबंधी अतिरिक्त कृत्य) अध्यादेश, 1970 (1970 का केरल अध्यादेश संख्या 4) की एक प्रति।

(दो) अध्यादेश को सभा-पटल पर रखने के कारणों को स्पष्ट करने के लिए एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—4118/70]

केरल सामान्य विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश तथा सरकारी बचत बैंक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

KERALA GENERAL SALES TAX (AMENDMENT) ORDINANCE ETC.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) केरल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 4 अगस्त, 1970 की उद्‌घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अधीन केरल के राज्यपाल द्वारा 14 मई, 1970 को प्रख्यापित **केरल सामान्य विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश,** 1970 (1970 का केरल अध्यादेश संख्या 9) की एक प्रति। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—4120/70]

(2) (एक) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(क) डाक-घर बचत बैंक (संशोधन) नियम, 1969, जो दिनांक 26 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 956 (अंग्रेजी संस्करण) तथा जी० एस० आर० 958 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुये थे ।

(ख) डाक-घर बचत बैंक (दूसरा संशोधन) नियम, 1969, जो दिनांक 26 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 957 (अंग्रेजी संस्करण) तथा जी० एस० आर० 959 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—4121/70]

मरमागोवा पत्तन न्यास और विशाखापत्तनम पत्तन न्यास का वार्षिक लेखा

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) **मरमागोवा पत्तन** न्यास के वर्ष 1968-69 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन । [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए** संख्या एल० टी०—4122/70]

(दो) **विशाखापत्तनम पत्तन** न्यास के वर्ष 1968-69 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिबेदन । [**ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए** संख्या एल० टी०—4123/70]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE

कार्यवाही-सारांश

श्री गु० च० नायक (क्योंझर) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की 8 अगस्त, 1970 को हुई 15 वीं बैठक के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूँ ।

सभा की बैठक से अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने 15 वें प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में दर्ज अवधि के लिए लोक सभा की बैठकों से अनुपस्थिति देने की सिफारिश की है।

1. श्री महाराज सिंह भारती
2. श्री जे० रामेश्वर राव
3. श्री के० जगैया
4. श्रीमती सुधा वी० रेड्डी
5. महारानी गायत्री देवी, जयपुर
6. श्री कुशक बाकुला
7. महारानी विजयमाला राजाराम क्षत्रपति भोंसले
8. श्री एस० के० पाटिल

मैं यह समझता हूँ कि सभा समिति की इन सिफारिशों से सहमत है।

माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को इस की सूचना भेज दी जाएगी।

————

याचिका समिति

PETITIONS COMMITTEE

आठवां प्रतिवेदन

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : मैं याचिका समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

————

इन्डियन एयरलाइन्स के विमान की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. ACCIDENT TO INDIAN AIRLINES AIRCRAFT

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : कल मैंने सदन के समक्ष एक वक्तव्य दिया था, तब से मुझे सूचना मिली है कि इन्डियन एयरलाइन्स तथा वायु सेना के विमानों ने आकाश से उक्त लाभदायिक विमान का ध्वंसावशेष सिलचर से लगभग 38 किलोमीटर तथा कुम्भीग्राम से उत्तर पूर्व में लगभग 24 किलोमीटर दूर खासी जाटिंगा गांव के पास लगभग

5,000 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी के पार्श्व में देखा है। ऐसा लगता है कि विमान के तीन टुकड़े हो गए हैं और वह बुरी तरह जल गया है। ध्वंसावशेष ऐसे स्थान पर है जहां वायु द्वारा पहुँचना सम्भव नहीं है तथा भूमि के मार्ग से भी वहां पहुँचना बहुत कठिन है। एक बचाव दल कल रात सड़क के मार्ग से रवाना हो गया है और आशा है कि यह दल आज दुर्घटना स्थल पर पहुँच जायेगा। इण्डियन एयरलाइन्स और नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारी तथा कुछ स्थानीय अधिकारी आज प्रातः हेलिकाप्टर द्वारा दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। वे दुर्घटना स्थल के जितना नजदीक सम्भव होगा उतरेंगे और उसके बाद पैदल जायेंगे।

2. इस दुखद दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों की जांच करने के लिए एक जांच-अदालत नियुक्त की जा रही है।

3. बड़े शोक एवं दुःख के साथ मुझे सदन को सूचित करना पड़ता है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान के 34 यात्रियों तथा 5 कार्मिकों में से किसी के भी जीवित बचे होने की बहुत कम सम्भावना है। मुझे विश्वास है कि यह सदन इस दुःखद दुर्घटना पर मेरे अथाह दुख एवं संवेदना का भागीदार होगा तथा दुर्घटनाग्रस्त हुए व्यक्तियों के परिवारों तक हमारी हार्दिक सहानुभूति पहुँचने में मेरा साथ देगा।

जाँच आयोग (संशोधन) विधेयक

COMMISSIONS OF INQUIRY (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति के लिए सदस्यों की नियुक्ति

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"कि यह सभा सर्वश्री यशवंतराव चव्हाण, विद्याचरण शुक्ल तथा विश्वनाथ राय द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर जांच आयोग अधिनियम, 1952 का संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्रीमती इन्दिरा गांधी, सर्वश्री कृष्णचन्द्र पन्त और सुन्दर लाल को नियुक्त करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सर्वश्री यशवन्तराव चव्हाण, विद्या चरण शुक्ल तथा विश्वनाथ राय द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर जांच आयोग अधिनियम, 1952 का संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्रीमती इंदिरा गांधी, सर्वश्री कृष्ण चन्द्र पन्त और सुन्दर लाल को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा को शर्तें) विधेयक

COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL'S (DUTIES, POWERS AND CONDITIONS OF SERVICE) BILL

संयुक्त समीत के लिए सदस्यों की नियुक्ति

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा श्री प्रकाश चन्द बी० सेठी, जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है, के स्थान पर भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की सेवा की शर्तों को अवधारित करने तथा उसके कर्त्तव्यो और शक्तियों को विहित करने और तत्सम्बन्धी या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री पाओकाई हाओकिप को नियुक्त करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि यह सभा श्री प्रकाश चन्द बी० सेठी, जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है, के स्थान पर भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की सेवा की शर्तों को अवधारित करने तथा उसके कर्त्तव्यों और शक्तियों को विहित करने और तत्सम्बन्धी या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री पाओकाई हाओकिप को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विधेयक

CENTRAL EXCISES BILL

प्रवर समिति के लिए सदस्यों की नियुक्ति

श्री एफ० एच० मोहिसिन (धारवाड़ दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा सर्व श्री प्रकाश चन्द बी० सेठी तथा बलिराम भगत द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर केन्दीय उत्पादन-शुल्क सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति में सर्व श्री विद्याचरण शुक्ल और के० आर० गणेश को नियुक्त करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सर्व श्री प्रकाश चन्द बी० सेठी तथा बलिराम भगत द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी विधि को

समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति में सर्व श्री विद्याचरण शुक्ल और के० आर० गणेश को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at fourteen of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1970

CONSTITUTION (TWENTY-FOURTH AMENDMENT) BILL, 1970

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती इन्दिरा गान्धी।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): On a point of order, Sir. The presidents recommendations have been circulated only this afternoon. The Bill has been recommended to be moved under article 117(1) of the Constitution. Therefore, the Bill should be treated as a financial Bill and such a bill can be introduced only in Lok-Sabha and requires the recommendation of the president for its introduction. Since no such recommendations were obtained when the Bill was introduced in their house, we cannot proceed with this Bill and it should be withdrawn. Had the bill been introduced under article 117(3) then, the recommendation of the President would have been required at consideration stage but it has been moved under article 117(1). So far as the constitutional requirements are not fulfilled, we cannot make any discussion on it.

Apart from this, if it is a financial Bill, what are its financial implications? It has been said in the amendment circulated that the bill will be enforced from 15th of October. If the Privy Purses are made to go what steps would be taken by the Government in that connection. Does the Government want the house to take a leap in the dark?

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : इस व्यवस्था के प्रश्न पर मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूँ और वह यह है कि संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत किया जाना चाहिये। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसके द्वारा संसद की प्रत्येक सभा को एक विशिष्ट प्रकार के विशेष बहुमत द्वारा इसे पास कराना है। लेकिन यहां इस विधेयक को एक वित्त विधेयक के रूप में समझे जाने का प्रयास किया जा रहा है जिसके लिए एक भिन्न प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है, जिसमें केवल लोक सभा को ही कुछ कहने का अधिकार है राज्य सभा को नहीं। इस सम्बन्ध में हम अध्यक्ष महोदय का निर्णय चाहते हैं इस प्रकार का संविधान संशोधन विधेयक वित्तविधेयक नहीं हो सकता।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : राष्ट्रपति की सिफारिश से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार इस विधेयक को वित्त विधेयक समझती है। प्रक्रिया निगम के नियम 69 के अनुसार

इस प्रकार के विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन होना चाहिये। किन्तु इस विधेयक में कोई वित्तीय ज्ञापन नहीं दिया गया है।

अतः यह अपूर्ण है और हम इस पर कार्यवाही नहीं कर सकते।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : It has been said that the Bill needs the recommendation or the President at introduction stage but as we all know introduction stage has passed and this stage is of consideration, therefore, this observation does not apply at this stage.

As regards financial memorandum, there is no need to it since nothing is going to be spent from consolidated fund of India this bill. It is therefore, the bill cannot be catagorised as money bill. In view of the above, we should make a consideration of the Bill and try to get it passed.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : अनुच्छेद 274 (1) और 117 (1) के अन्तर्गत यह संशोधन करने के लिए सरकार ने व्यर्थ ही में सभा को कष्ट दिया है। अनुच्छेद 274 (1) लागू नहीं होता है अनुच्छेद 274 (1) में कहा गया है कि

"कोई विधेयक या संशोधन, जो जिस कर या शुल्क में राज्यों का हित सम्बद्ध है उसको अरोपित या परिवर्तित करता है, अथवा जो उन सिद्धान्तों को प्रभावित करता है जिनसे कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों में से किसी के अधीन राज्यों को धन वितरणीय हैं या हो सकेंगे, अथवा जो संघ के प्रयोजन के लिए ऐसा कोई अधिभार अरोपित करता है जैसा कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों में वर्णित है, राष्ट्रपति की सिफ़ारिश के बिना संसद के किसी सदन में न तो पुर-स्थापित और न प्रस्तावित किया जायगा।"

इससे स्पष्ट हो जाता है कि अनुच्छेद 274 (1) लागू नहीं होता है। इस विधेयक का उद्देश्य संविधान का कोई अनुच्छेद हटाना है। इस विधेयक से किसी पर कर नहीं लगता है। यह किसी व्यय के लिए व्यवस्था नहीं करता है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि अनुच्छेद 117(1) या (3) या 274 के अन्तर्गत एक सिफ़ारिश होनी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस विधेयक को वित्त विधेयक बताया गया है परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। विधेयक में भारत की संचित निधि से लेने की बात नहीं है और कोई अतिरिक्त व्यय अर्न्तग्रस्त भी नहीं है ; इस विधेयक का उद्देश्य संविधान के किसी अनुच्छेद को समाप्त करना है।

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : व्यवस्था सम्बन्धी जो प्रश्न उठाये गये हैं उनमें कोई नहीं है। इस विधेयक के सम्बन्ध में यदि श्री मिश्रा जी के तर्क को मान लिया जाय तो राष्ट्रपति की किसी सिफ़ारिश की आवश्यकता नहीं है। हमने अनुच्छेद 117 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की शिफ़ारिश प्राप्त की है वह इस बात को ध्यान में रखकर की है कि अनुच्छेद 110 (d) के अन्तर्गत सरकार के कुछ वित्तीय दाइत्व भी हैं। यह एक वित्त विधेयक है धन विधेयक नहीं है। इस लिये राष्ट्रपति की सिफ़रिश प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। केवल सावधानी बरतने के लिए ही हमने सिफ़ारिश प्राप्त की है।

जहां तक वित्तीय ज्ञापन का सम्बन्ध है, इस विधेयक में संचित विधि से धनराशि निकालने की कोई बात नहीं है, इस लिए इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं उठती है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Minister has categorised the Bill as financial Bill. It is a financial Bill, then the recommendation of the President becomes necessary under Article 117. Then arises no question I abundant caution.

अध्यक्ष महोदय : आप की पहली आपत्ति विधेयक के विषय में है तथा दूसरी राष्ट्रपति की सिफ़ारिश के विषय में । आपको यह आपत्ति है कि राष्ट्रपति की सिफ़ारिश पहले प्राप्त नहीं की गई क्योंकि उसे आज ही सदन में बाँटा गया है । विधेयक को पेश करने के लिये राष्ट्रपति की सिफ़ारिश प्राप्त की गई है और इस बात का उल्लेख 15 मई 1970 के समाचार में किया गया है । यह दूसरी सिफ़ारिश संशोधन पेश करने के लिए है । इस बारे में कोई भ्रान्ति नहीं है । मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि विधेयक पेश करने के लिए किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है और यदि यहां ऐसा किया गया है तो यह केवल सावधानी बरतने के उद्देश्य से किया गया है । यह धन विधेयक नहीं है ।

Shri Yash Pal Singh (Dehradun) : Article 15(i) of the constitution reads, the State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. This bill proves a discriminatory move against Rajput Community. This is a conspiracy against Rajputs because with the exception of 10 per cent all the princes are Rajputs. Mr Speaker, Sir, you should not allow any discussion on this bill, the bill is unconstitutional.

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं प्रस्ताव करती हूँ "कि संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"

यह एक ऐतिहासिक विधेयक है क्योंकि यह हमारे समाज को और भी लोकतांत्रिक बनाने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है । इस विधेयक में हमारे देश में समाजिक परिवर्तन लाने पर बल दिया गया है । यह विधेयक एक ऐसे समाज की स्थापना पर बल देता है जिसमें असमानताओं का लोप हो ।

स्वतंत्रता संग्राम में सभी वर्गों के लोगों ने एक साथ मिलकर कार्य किया है, उनमें उनकी जाति अथवा व्यक्तिगत स्तर की कोई भावना प्रधान नहीं थी सभी अपने आप को बराबर समझते थे । तबसे आज तक हम पूर्ण समानता वाले समाज की स्थापना नहीं कर सके हैं हां इतना अवश्यक कह देते हैं कि उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं ।

इस विधेयक के द्वारा समाज में जो समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है उसके लिए लोकतांत्रिक उपायों का सहारा लिया गया है, इसके लिए संसद की स्वीकृति लेने का प्रयास किया गया है ।

यह नहीं कहा जा सकता है कि देश की अखण्डता के लिए राजाओं ने कम सहायता दी है देश के राजनीतिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है । आज भी बहुत से नरेशों का उनके राज्य के लोग बहुत सम्मान करते हैं और उनमें से कई संसद के लिए

निर्वाचित भी हुए हैं। जनता द्वारा इन्हें प्रदान किया जाने वाला यह सम्मान किसी प्रकार भी कम नहीं होगा, यदि सामाजिक न्याय तथा समानता प्रप्त करने के लिए प्रयत्नशील समाज के मार्ग में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने में ये नरेश सहायक होते हैं।

सरकार का विचार राजाओं के प्रिवी पर्सों को समाप्त करने तथा उनके विशेषाधिकारों को सीमित करने का है।

मैंने नरेशों को अपने एक पत्र में लिखा है कि उनको या उनके सम्मान को हानि पहुँचाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। सरकार कुछ अस्थाई व्यवस्थायें भी करना चाहती है। विस्तृत रूप में अस्थाई व्यवस्थाओं को अभी तैयार नहीं किया गया है। ऐसा निर्देश किया गया है कि अस्थाई यन्त्रों का वास्तविक राशि भुगतान बड़ी थैलियों के लिए कम तथा छोटियों के लिए अधिक होगा। कुल इतना भुगतान किया जायगा जिसमें परिवर्तित वातावरण के अनुसार राजा लोग अपना निर्वाह कर सकें। हमें आशा थी कि प्रिवीपर्स को समाप्त करने के बारे में नरेशों से कोई न कोई समझौता अवश्य हो जायगा परन्तु खेद का विषय है कि हमारे आशय का उचित अर्थ नहीं लिया गया।

कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि यह विधेयक नैतिकता का विरोधी है। लेकिन मेरे लिये इस सामान्य सभा के सामने आकर यह कहना असंभव होगा कि वह नैतिकता के नियमों से मेल न खाने वाला कोई कानून बनाये। हम इस बात पर विशेष बल देते हैं कि जब तक हमारे देश में निर्धनता और असमानता का अस्तित्व है तब तक पैतृक उपाधियों परम्परागत अधिकारों, विशेषाधिकारों और निजी थैलियों को समाप्त करने के लिए चाहने और कार्य करने में कोई भी अनैतिकता नहीं है। वास्तव में किसी सम्बद्ध कार्य तथा जिम्मेदारी के बिना उनका जारी रहना हमारे लोकतंत्रीय संविधान समय की भावना और परिवर्तित परिस्थितियों की मांग के अनुरूप नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविवान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत डोमीनियन की भूतपूर्व सरकार तथा भारत की संविधान सभा द्वारा किये गये करार, प्रसंविदा और दी गई गारंटी को समाप्त करने के संबन्ध में संसद की सक्षमता के बारे में उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए यह विधेयक उच्चतम न्यायालय को भेजा जाये।"

श्री वि० प्र० मंडल (मधेपुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर 16 दिसम्बर, 1970 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।"

श्री जे० मुहम्मद इमाम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर 16 नवम्बर, 1970 तक राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये।"

श्री अब्दुल गनी दार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर 30 जनवरी, 1971 तक राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये।"

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान को और संशोधन करने वाले विधेयक को निम्नलिखित 8 सदस्यों की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये :

(1) श्री ओंकार लाल बोहरा
(2) श्री धी० ना० देव
(3) श्रीमती इन्दिरा गांधी
(4) श्री एस० कन्डप्पन
(5) श्री बलराज मधोक
(6) श्री प्रकाश वीर शास्त्री
(7) श्री शिव नारायण ; और
(8) श्री कंवर लाल गुप्त

और उसे 31 दिसम्बर, 1970 तक रिपोर्ट देने के लिये अनुदेश दिया जाये।"

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को निम्नलिखित 10 सदस्यों की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये :

(1) श्री रा० की० अमीन
(2) श्री हरदयाल देवगुण
(3) श्री राम कृष्ण गुप्त
(4) श्री दत्तात्रय कुण्टे
(5) श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
(6) श्री देवकी नन्दन पाटोदिया
(7) श्री वेणी शंकर शर्मा
(8) श्री प्रकाश वीर शास्त्री
(9) श्री शिव कुमार शास्त्री ; और
(10) श्री बलराज मधोक

और उसे आगामी सत्र के प्रथम दिन तक रिपोर्ट देने के लिये अनुदेश दिया जाये।"

श्री अब्दुल गनी दार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को निम्नलिखित 20 सदस्यों की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये :

(1) सरदार बूटा सिंह
(2) श्री नि० चं० चटर्जी
(3) श्री प्र० के० देव
(4) श्री कंवर लाल गुप्त
(5) श्री हेम राज
(6) डा० कर्णी सिंह
(7) श्री दत्तात्रेय कुण्टे
(8) श्री मी० रु० मसानी
(9) श्री पीलू मोदी
(10) श्रीमती शारदा मुकर्जी
(11) श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
(12) श्री ना० गो० रंगा
(13) श्री प्रकाशवीर शास्त्री
(14) श्री शिव नारायण
(15) डा० राम सुभग सिंह
(16) श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
(17) श्री सूरज भान
(18) श्री अटल बिहारी वाजपेयी
(19) श्री यशपाल सिंह ; और
(20) श्री अब्दुल गनी दार

और उसे 30 जनवरी, 1971 तक रिपोर्ट देने के लिये अनुदेश दिया जाय।"

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर 31 मार्च, 1971 तक राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये।"

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर 1 अप्रैल, 1971 तक राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये।"

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को निम्नलिखित 20 सदस्यों की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये :

(1) श्री रा० की० अमीन

(2) श्री आतम दास

(3) श्री चपल कान्त भट्टाचार्य

(4) श्री नि० चं० चटर्जी

(5) श्री बाल्मीकी चौधरी

(6) श्री बिनोय कृष्ण दास चौधरी

(7) श्रीमती इन्दिरा गांधी

(8) श्री समर गुह

(9) डा० कर्ण सिंह

(10) डा० कर्णी सिंह

(11) श्री बलराज मधोक

(12) डा० जी० एस० मेलकोटे

(13) श्री पी० के० वासुदेवन नायर

(14) श्री नाथ पाई

(15) श्री कृष्ण चन्द्र पन्त

(16) श्री राम अवतार शर्मा

(17) श्री प्रकाशवीर शास्त्री

(18) श्री शिव कुमार शास्त्री

(19) श्री अवधेश चन्द्र सिंह

(20) श्री क० ना० तिवारी

और उसे आगामी सत्र के पहले दिन तक रिपोर्ट देने के लिये अनुदेश दिया जाये।"

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : यद्यपि हमारे दल ने भी राजाओं की थैलियों की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय किया है परन्तु हम इस प्रकार समाप्त नहीं करना चाहते जिस प्रकार सरकार ने इस विधेयक के अन्तर्गत किया है। **(व्यवधान)**

यदि इस विधेयक में इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति उस ढंग से की जाती जिस ढंग से की जानी चाहिए थी तो निश्चय ही मैं भी इस विधेयक का समर्थन करता। परन्तु यह विधेयक संविधान की भावना तथा उपबन्धों के अनुकूल नहीं है।

जब संविधान में यह धारा जोड़ी गयी थी तब सरदार पटेल ने जो कुछ कहा था वह आज भी सार्थक है। उन्होंने कहा था कि "मानव की स्मृति बहुत कमजोर है।" यह बात आज सत्य प्रतीत हो रही है। उन्होंने कहा था कि "अनेकों ब्रिटिश वक्ताओं ने अपनी प्राधिकृत उद्घोषणाओं में कहा था कि ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त होने के पश्चात रियासतें तकनीकी तथा वैधानिक रूप से स्वतंत्र हो जायेंगी। उनके विचार के अनुसार ये रियासतें जिस डोमिनियम के साथ चाहें मिल सकती है परन्तु उन्होंने कुछ भौगोलिक अनिवार्यताओं का भी उन्होंने संदर्भ दिया था जिन्हें ये रियासत नहीं छोड़ सकती थीं। इस परिस्थिति के अन्दर विघटन की बहुत संभावनायें थी क्योंकि बहुत सी रियासतें अपने तकनीकी अधिकार का उपयोग करने के लिये अपने को स्वतंत्र घोषित करना चाहती थी तथा दूसरी कुछ रियासतें अपना सम्बन्ध दूसरी पड़ौसी डोमिनियमों से जोड़ना चाहती थी। यदि इन राजाओं ने अपने अधिकारों का प्रयोग देश के हित के ध्यान में न रखते हुए किया होता तो इन्हें राष्ट्र के लिये घातक तत्वों से बहुत कुछ सहायता मिल सकती थी।

ऐसी परिस्थितियों में भारत सरकार ने इन राजाओं को प्रतिरक्षा, वैदेशिक कार्य तथा संचार विषयों पर सहमत किया। जब यह प्रस्ताव उनके सम्मुख रखा गया तो उन्हें आश्वासन दिया गया कि उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त उनकी स्थिति यथावत् बनी रहेगी। राजाओं को यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत उन पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं थोपा जायेगा और ना ही उनकी आन्तरिक स्वायत्तता तथा सार्वभौमिकता पर कोई अतिक्रमण करने का विचार है। इसके साथ ही भारत के संविधान को अपनाने के विषय में राजाओं के स्वविवेक को प्रभावित करने का भी कोई उद्देश्य नहीं है। जब राज्य मंत्रालय ने इन शासकों से राज्यों के एककीरण का प्रस्ताव किया तब उन्होंने ये वायदे भी मस्तिष्क में रखे थे। राजाओं को अपने राज्यों को भारत संघ में मिलाने के लिये विवश नहीं किया गया। यदि उस समय शक्ति का प्रयोग किया गया होता तो भंयकर परिणाम सामने आ सकते थे। यदि ये राजा निश्चित कर लेते तो राज्य के राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग ये वसूल करते रहते और भारतीय संघ से अलग रह कर आनन्द करते। उनकी शासकीय सत्ता के मुआवजे के रूप में जो भी हम कम से कम दे सकते थे वे उनके विशेषाधिकार तथा थैलियों है। थैलियां देकर जो समझौते किये गये उसके अन्दर राजाओं से उनकी शासकीय सत्ता ली गयी तथा ईकाईयों के रूप में राज्यों का अस्तित्व समाप्त किया गया।

समझौता यदि वार्ता के आधार पर इस प्रकार का न हुआ होता तो राजाओं के पास उस समय भी इतनी शक्ति थी, जितनी की आज तक सोच भी नहीं सकते हैं, कि वे राष्ट्र का बहुत कुछ अहित कर सकते थे। हमें उनके साथ न्याय करना चाहिये तथा हमें अपने आप को उनकी परिस्थितियों में समझकर उनके बलिदान का मूल्यांकन करना चाहिये। राजाओं ने अपने शासकीय अधिकारों का समर्पण करके तथा राज्यों का एकीकरण करके अपने दायित्व को निभा दिया है। इस व्यवस्था के अन्दर हमारा दायित्व शेष रहता है जिसमें हम उनको यह विश्वास दिलाना है कि हमने थैलियों की जो गारन्टी दी है उसे पूरा किया जायेगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो यह एक प्रकार का विश्वासघात होगा तथा इस नई व्यवस्था के स्थायित्व का विरोधी होगा।"

क्योंकि ये समझौते प्रत्येक राज्य से अलग-अलग किये गये तथा संविधान में इनका उल्लेख किया गया है, इसलिये ये पूर्णतया वैध हैं। (व्यवधान)

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या ये समझौते निरन्तर बने रह सकते हैं। मैं सांसारिक प्राणी होने के नाते यह भली भांति जानता हूं कि यहां कुछ भी शास्वत नहीं है। अतः ये समझौते भी सदैव नहीं रहने के, परन्तु इन्हें न्यायोचित ढंग से ही समाप्त करना चाहिए। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार के समझौतों के लिए राजा स्वतंत्र थे और उन्हें ऐसा करने के लिए किसी ने भी विवश नहीं किया था।

स्व० पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किये गये श्वेतपत्र में लिखा था कि राजकुमारों तथा नरेशों ने देश के एकीकरण के लिए जो कुछ किया उसके लिए उन्हें उपहार दिया गया था। कुछ नरेशों ने अपनी जनता को पूर्ण स्वायत्त शासन सौंप दिया तथा वे मुख्य मंत्री तथा मन्त्री बन गये और एकीकरण के लिए सहमत नहीं थे क्योंकि उनके पास सर्वोच्च न्यायालय था—पूर्ण स्वायत्त शासन था। उस समय देश की यह अवस्था थी।

यदि सरदार पटेल ने उस समय अपनी चतुराई से राज्यों का एकीकरण न किया होता तो देश में यह एकीकरण नहीं होता। मेरे माननीय मित्र जो यहां चिल्लाते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि यदि नरेशों ने त्याग नहीं किया होता और देश स्वतत्र नहीं होता, और प्रजातन्त्र नहीं चलता तो वे कहीं के नहीं रहते। परन्तु यह तो प्रजातन्त्र पर ही उलटा प्रभाव पड़ रहा है कि ऐसी शक्तियां आज संसद् में कार्य करने तथा चिल्लाने के लिये स्वतन्त्र हैं। (व्यवधान)

नरेशों के लिए कोई आवश्यक नहीं था कि वे करार करके अपनी शासकीय शक्तियों, और क्षेत्राधिकार को त्याग कर केवल निजी थैलियों तथा विशेषाधिकार से ही संतुष्ट हो जाते जब कि इन सुविधाओं से कहीं अधिक सुविधाओं का वे पहले लाभ उठा रहे थे, क्या अब कोई ऐसा समझौता फिर नहीं किया जा सकता जिसके द्वारा ये सुविधायें समाप्त की जा सके ? (व्यवधान) यदि उन्हें विवश करने वाली कारंवाई न की जाये और धमकियां न दी जायें तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे एक ऐसा समझौता करने के लिए सहमत हो जायेंगे जिसके द्वारा देश पर भी भार नहीं होगा और उससे राष्ट्र तथा संविधान का भी सम्मान होगा। जो पहले समझौता किया गया था उसकी यही भावना थी।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधान मन्त्री ने अपने दल के प्रबन्धकों को पहले किये गये समझौतों की भावना से कार्य करने के लिए कहा। मुझे इस बारे आशायें थी क्योंकि जब मैं मन्त्रिमण्डल में था तो प्रधान मन्त्री ने मुझे नरेशों के साथ समझौता करने को कहा था। परन्तु मैंने मन्त्रिमंडल से त्याग-पत्र दे दिया और इसलिये इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सका।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता के हित में ये भूतपूर्व नरेश अपनी निजी थैलियां किसी अन्य प्रबन्ध के साथ त्यागने के लिए सहमत हो सकते थे। ऐसा करने से कोई अधिक व्यय भी नहीं होता और यह भी नहीं समझा जाता कि सरकार ने विश्वास भंग किया है।

इन बातों पर ध्यान रखा जाना चाहिये। जिस प्रकार से इस विधेयक को लाया गया है उसे मैं भ्रान्तिजनक कह रहा हूँ। यह भ्रान्तिजनक इस अर्थ में है कि इसमें कहा गया है कि इन

तीनों अनुच्छेदों को हटाया जाता है और आमुख में यह कहा गया है कि निजी थैलियां और विशेषाधिकार सामाजिक व्यवस्था की समानता से असंगत है अतः सरकार ने भूतपूर्व नरेशों के इन विशेषाधिकरों को समाप्त करने का निर्णय किया है ।

क्या पंडित जवाहर लाल नेहरू समाजवादी नहीं थे ? क्या हमारा संविधान समाजवादी नहीं है ? इसके नीति-निदेशक सिद्धान्त क्या हैं ? इन सब बातों को ध्यान में रखकर इन अनुच्छेदों को शामिल किया गया था ।

कहा जाता है कि नयी पीढ़ियां आ गई हैं, नई विचार धारा ने जन्म ले लिया है । मैं इस बात से सहमत हूं परन्तु इन नरेशों के साथ ऐसा समझौता किया जाना चाहिये जिस से उनकी निजी थैलियां उनके आत्म-सम्मान के साथ समाप्त हो । वे चाहते हैं कि उन्हें आत्म-सम्मान मिले तथा जिस प्रकार पहले समझौते किये गये थे उसी प्रकार नये समझौते किये जा सकते हैं । परन्तु संतोषप्रद स्थिति बन जानी चाहिये ।

परन्तु आज क्या किया जाता है ? इस विधेयक में यह कहा गया है कि इन्हें समाप्त कर दिया जायेगा । परन्तु विधेयक में केवल इतना उल्लेख है कि अनुच्छेद 291, अनुच्छेद 362 और अनुच्छेद 366 का खंड (22) हटाये जायेंगे । परन्तु प्रसंविदा और समझौतों का क्या होगा ? चूंकि इन अनुच्छेदों को हटाया जाता है अतः उन्हें नहीं हटाया जायेगा । वे वैसे ही रहेंगे । समझौते के एक पक्ष को तो कार्यान्वित किया गया है परन्तु दूसरे को नहीं । क्या यह असंवैधानिक तथा नियमों के विपरीत नहीं है ? अतः इस पर समस्त दृष्टिकोणों से विचार किया जाना है ।

मैं इसे भ्रान्तिजनक इसलिये कहता हूं कि इस बारे में यहां किसी बात का उल्लेख नहीं किया गया है । प्रधान मन्त्री ने नरेशों को लिखे गये अपने एक पत्र में उल्लेख किया था कि कुछ संक्रमणकालीन प्रबन्ध किया जाना चाहिये । संविधान तथा समझौतों के अन्तर्गत यह नरेशों का अधिकार है । यदि संविधान के अन्तर्गत दी गयी गारन्टी भी समाप्त कर दी जाती है तो भी प्रसंविदा तथा समझौते तो ज्यों के त्यों रहते हैं ।

ये अनुच्छेद एक साथ किये गये समझौते थे । सरकार जिस तरीके से चाहे उस तरीके से प्रसंविदों तथा समझौतों को स्वेच्छा से समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 363 का उपयोग कर रही है जबकि भारत सरकार द्वारा जारी किये गये श्वेतपत्र से स्पष्ट है कि अनुच्छेद 363 का उस समय यह उद्देश्य नहीं था । श्वेतपत्र के एक पैरा में इस बात का उल्लेख किया गया था कि अनुच्छेद 363 को इसलिये रखा गया था कि भिन्न भिन्न राज्यों के बहुत से रिवाज, अधिकार और विशेषाधिकार हैं । इनके कारण विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और ये विवाद न्यायालयों में नहीं ले जाये जाने चाहिये । इसलिये अनुच्छेद 363 को शामिल किया गया था ।

और अब इसी अनुच्छेद का नरेशों का मुंह बन्द करने और सरकार द्वारा किसी भी स्वेच्छा से की जाने वाली कार्रवाई के लिए उन से सारे उपाय छीनने के लिए उपयोग किया जाना है । यह संसद-प्रत्येक नागरिक के आत्म-सम्मान की अभिरक्षक है । मेरे विचार से इसे नरेशों के साथ सम्मान-पूर्वक नहीं किया गया है । इसलिए मेरा कहना है कि इस अनुच्छेद 363 में प्रसंविदों तथा

समझौतों को समाप्त करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिये ताकि ये नरेश न्यायालयों में जा सकें। अन्यथा यह तो उन्हें प्रजातान्त्रिक अधिकार देने से इन्कार करना है। यदि सरकार उन्हें सामान्य नागरिक बना दे तो उस बात से मेरा विरोध नहीं है परन्तु उन्हें सामान्य नागरिक के मूल अधिकार तो दिए जायें। उन्होंने जो कुछ दिया उसके बदले में जो अधिकार समझौतों द्वारा दिए गए वे भी तो उनके मूल अधिकार हैं। क्या यह स्वीकार किया जाता है कि उन्होंने एक पाई मुआवजा लिए बिना 12000 मील लम्बी रेलवे भारत सरकार को दी? उन्होंने भारत सरकार के लिए 77 करोड़ रुपये और इससे अधिक रुपये छोड़े। इन्हें साधारण और तुच्छ बातें नहीं कही जा सकती हैं। इनके साथ एक सम्माननीय समझौता किया जाना चाहिए। इन बातों को सदा के लिए नहीं रखना है। न ही नरेशों की यह मांग है।

हमें इस बात पर भी विचार करना है कि यदि यह विधेयक पारित हो जायेगा तो उसके बाद क्या किया जाना है क्योंकि इसमें किसी बात का उल्लेख नहीं है ऐसा कहा जाता है कि यह विधेयक 15 अक्तूबर, 1970 से लागू होगा परन्तु उसके बाद क्या होगा? उसका यह अर्थ नहीं है कि निजी थैलियां समाप्त हो जायेंगी। उसका यह भी अर्थ नहीं है कि विशेषाधिकार समाप्त हो जायेंगे क्योंकि वे प्रसंविदों तथा समझौतों के अन्तर्गत दिए गये हैं।

अतः सभा के लिए यह उचित नहीं हैं। जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए मेरा कहना है कि जब तक इन मामलों को संतोषपूर्वक नहीं निपटाया जाता है मेरे तथा मेरे मित्रों के लिए इस विधेयक का समर्थन करना सम्भव नहीं है। हम विधेयक का विरोध करते हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*.]

Shri Amrit Nahata (Barmer): Mr. Deputy-Speaker, Sir, Shri Morarji Desai has just held the former princes loyal to the country. Would he explain the role played by these princes on the basis of historical background ?

Shri Morarji Desai has stated that Late Pt. Jawahar Lal Nehru was a socialist. These rulers never allowed Pt. Nehru for entering into their princely States. In his autobiography Pt. Nehru has expressed ignorance about the luxurious life of these rules.

Apart from that we know well these rulers helped in establishing the British rule in India during the days when freedom movement was going on. They were the pillars of the British regime ; they were known as the "watch-dogs" of the British Imperialism.

Mr. Rushuk Williams, an advocate of the Britishers was of the opinion that the rulers of the Native States were very loyal to their British connections. These Native States were a vast network. They were very loyal to the British.

The British History can prove that if these rulers had not served the Britishers so faithfully, had they not suppressed the wishes and the rights of the people. Britishers would not have been here for such a long period.

When the Britishers quit India, they told these princes that they were sovereign. Sardar Patel rebuked their sovereignty in a Public Meeting at Jodhpur. (*Interruption*) Indian Public knows well the wishes of these princely States of migrating into Pakistan etc.

These princes accepted the *Mansabdari* of the Moghuls. (*Interruption*)

If it is objectionable then I withdraw my remarks.

These princes burnt alive Sagar Malla bropa of Jaisalmer only because he demanded a reponsible Government.

These princes did injustice and treated the people brutally in their regime.

After freedom people started movements and those movements grew intense. Then these princes found themselves compelled and surrendered their States. Different princely States wanted to do different things. They did not want to merge with the Indian Union. They also realised that if they did not join the Indian Union their existence would be in danger and therefore they signed the covenants. Knowing their weakness that they exploited the people, Sardar Patel merged their States with the Indian Union.

It has been said as to why these rulers are not allowed by this Bill to go to the Supreme Court to get their grievances redressed. These rulers have been taking the advantage of the relevant Constitutional provision for the last 33 years. Could nobody go to the Supreme Court during the last 33 years and assert there that these privileges and privy purses were against the spirit of the Constitution ? This Article was incorporated in the Constitution to give the benefit to these rulers so that an ordinary citizen cannot challenge their rights and privileges. It is a special privilege given to them and they have been enjoying it even against the spirit of the Constitution. Such rights cannot be given to any citizen in a democracy.

This Article 363 must remain in the Constitution.

It has been said that this Bill is against the self respect of the rulers. The prince of Jaisalmer has been receiving the privy purse worth Rs. 1 lakh eighty thousand every year. Had this amount been spent on the poor public of that area, it would have been rather better.

It has also been said that the promises made to the princes would not be set aside but what about the assurances and promises given to the people ? The promises made to the people are very important.

It has been said that if the privy purses are abolished, India will lose her credit. The Republic and Democracy of India have so far been mocked at in foreign countries only because princes are there and they get privy purses and privileges too.

With this historical step of abolishing the privy purses of there rulers the prestige of our country has increased and it would further increase in future.

श्री श्रीराज मेघराज जी धरंगधरा (सुरेन्द्रनगर) : महोदय, सदन इस बात से सहमत होगा कि नरेशों का परीक्षण यहां नहीं किया जाना है। यदि उनके परीक्षण के लिए कोई न्यायालय होता जो उचित तरीके से न्याय करता तो वह भारतीय संविधान सभा होता। इन नरेशों द्वारा की गई सेवा, देन तथा भारत संघ में समेकित होने के लिए उनका स्वार्थ-त्याग उसी से मालूम होता।

इस प्रस्ताव की प्रस्तुतकर्त्री प्रधान मंत्री महोदया ने नरेशों के साथ किये गये पत्र-व्यवहार में स्वयं जो पत्र उन्हें लिखे गये थे, केवल उन्हीं का उल्लेख किया है, उनके उत्तर का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। उनके पत्र के संदर्भ में दिनांक 15 अगस्त के पत्र द्वारा हमने सूचित किया था जिसमें हमने यह लिखा था कि किसी की इज्जत को हानि पहुँचाने से अधिक और क्या हानि हो सकती है। सरकार के साथ हमारी पहली वार्ता निजी थैलियों का मुआवजा आदि देने पर सरकार का बल देने से सम्बन्धित थी।

हमारे दूसरे पत्र में हमने आश्चर्य व्यक्त किया क्योंकि जब बातचीत चल रही थी तो अचालक विधेयक लाने के निर्णय से हमें आश्चर्य हुआ। यदि प्रधान मन्त्री हमसे मिलकर यह

समझती कि विधेयक प्रस्तुत किया ही जाना चाहिये तो हमारा आश्चर्य कुछ कम होता परन्तु जब बातचीत चल रही थी तो बिना हमसे मिले विधेयक प्रस्तुत करना अधिक आश्चर्यजनक हो गया। फिर एक पत्र में प्रधान मन्त्री ने लिखा कि राष्ट्रपति के भाषण तथा आपके 31 जुलाई के पत्र के बीच की अवधि में नरेशों द्वारा सरकार के समक्ष कोई ठोस प्रस्ताव नहीं रखे गये। इसके विरोध में मेरा यह कहना है कि 3 मार्च को हमने सामूहिक रूप से राष्ट्रपति को एक अत्यधिक उत्तर-दायित्वपूर्ण पत्र प्रस्तुत किया था।

उसके लिए प्रधान मन्त्री "गंभीर" अथवा ठोस प्रस्ताव नहीं होने का अर्थ नहीं लगा सकती हैं। हमने इसे उचित ढंग से कहा है।

महोदय, मैं यहां पर एक से अधिक हैसियत के साथ खड़ा हूं। मेरी प्रमुख हैसियत इस सदन का सदस्य होने की है।

मैं उन व्यक्तियों में से एक हूँ जिन्होंने सत्ता-हस्तान्तरण पत्र पर हस्ताक्षर किये थे जिसके द्वारा मेरी रियासत तथा वहां की जनता भारत संघ का अंग बने थे। फिर मैंने प्रसंविदा पर हस्ताक्षर करके सरकारी शक्तियां त्याग दीं ताकि नव स्थापित संघ बनने में सहायता मिले। इन सबके साथ ही मैं भारत सरकार के साथ कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिये नरेशों का प्रतिनिधि भी हूं। मैं स्वतन्त्र पार्टी का तथा इस सदन का भी आभारी हूँ। एक हैसियत और है जो मेरी तथा आप सब की है। वह भारतीय और इस गणतन्त्र का नागरिक होने की है।

इससे पहले कि मैं अन्य चरम प्रश्नों पर चर्चा करूं, सर्व प्रथम नरेशों के बारे में चर्चा करूंगा।

सदन के समक्ष जो आवश्यक प्रश्न है उसके लिए, मैं नरेशों, उनके अभिलेखों और दृष्टि-कोणों को चर्चा की विषय-वस्तु नहीं बनाता हूं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपने दृष्टिकोण के बारे में बता दिया है। मैं निष्पक्ष रूप से तथा संक्षेप में इस मामले पर चर्चा करूंगा।

वर्ष 1947 से 1967 के मध्य इन 20 वर्षों में सरकार तथा नरेशों के पारस्परिक सम्बन्ध समरूप रहे है। जहां तक इन प्रसंविदों के सम्बन्धों का प्रश्न है, इस अवधि में जो प्रमुख परिवर्तन हुआ वह यह था कि निजी थैलियों की मूल कीमत से तिहाई अथवा चौथाई कीमत रह गई तथा विशेषाधिकार भी और अधिक नहीं दिये जाने वाले थे।

सत्तारूढ़ दल ने सोचा कि जो कुछ बचा है उसे या तो कम कर दिया जाये या समाप्त कर दिया जाये। नरेशों ने सोचा कि सरकार ने एक पक्षीय निर्णय लेने से पूर्व उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिये था।

मैं सत्तारूढ़ दल पर अधिक आरोप नहीं लगाना चाहता हूं क्योंकि जब अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी का संकल्प पारित किया गया था तो मुश्किल से लगभग 26 सदस्य उपस्थित थे।

लगभग इसके चार महीने पश्चात जबकि प्रवक्ता ने इस विषय पर बहुत सी नहीं की जाने वाली बातें कही, तो सरकार ने नरेशों के प्रतिनिधि को प्रारम्भिक वार्ता तथा सहयोग के लिए आमन्त्रित किया।

प्रारंभ से अब तक सरकार तथा नरेशों के मध्य हुई चर्चा के बारे में एक बात स्पष्ट है। वह विरोध मास है। सरकार ने नरेशों का सहयोग चाहने के लिए बातचीत के लिए आमन्त्रित किया और उन्होंने सरकार को अपना सहयोग प्रस्तुत किया परन्तु अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है। नरेशों ने एक ही कदम उठा रखा है। प्रधान मन्त्री को कल लिखे गये एक पत्र में भी उन्होंने यही कहा है कि हमारी मूल आपत्ति किसी एक पक्षीय कार्यवाही के अथवा जोर जबर्दस्ती की गई प्रक्रिया के विरुद्ध रही है और है। पहले के पत्रों में उन्होंने लिखा है कि यदि सहयोग से सरकार का तात्पर्य किसी को बल पूर्वक दबाना है तो यह तो किसी से आशा नहीं की जा सकती है कि वह अपने आपको शक्तिशाली अधिकारियों के समक्ष झुका दे।

इस बात का सदन में मत लेकर पता लगाया जा सकता है कि सरकार किसी का आत्म-सम्मान हटा सकती है।

सरकार द्वारा नहीं झुकने वाली प्रवृत्ति अपनाये रखने के उपरान्त भी नरेशों ने अपना सहयोग देने का प्रस्ताव किया, इसका क्या अर्थ है? क्या यह एक मात्र बहाना है? अथवा यह कोई अर्थपूर्ण और रचनात्मक बात है? माननीय सदस्यों को इस बात का निर्णय करना है कि नरेशों ने सरकारी तथा औपचारिक तौर पर क्या कहा है।

मई 1968 में पहली औपचारिक बैठक में नरेशों द्वारा सरकार को एक नोट भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि नरेश हमेशा ही उचित बात करते रहे हैं और करते रहे यह भी कहा गया था कि भारत के लोगों तथा राज्यों की सेवा करने के लिये वे सदैव तत्पर हैं। वे सरकार के साथ हार्दिक रूप से सहयोग करना चाहते हैं। इस नोट का कोई उत्तर नहीं दिया गया। जुलाई 1969 में इस मामले में कुछ भ्रान्ति उत्पन्न हो गई थी, मैंने एक स्पष्टीकरण का नोट जारी किया। उसमें यह उल्लेख किया था कि नरेशों के साथ की गई संधियों का विरोध करने के पीछे चाहे कुछ भी विचार हों परन्तु वे प्रजातन्त्र तथा समाजवाद के आधार पर नहीं है। यदि भारत में प्रजातन्त्र स्थापित करने वाले फैसले ही "अप्रजातान्त्रिक" हैं तो जिन्होंने स्थापना की थी वे यह नहीं जानते थे कि क्या कर रहे हैं।

यदि किसी व्यक्ति का किसी निर्धारित आय पर वैधिक रूप से अधिकार होता है और राज्य के सार्वजनिक अधिकारी को उसका भुगतान करके उसे राष्ट्रीकृत करता है तो यह अप्रजातान्त्रिक नहीं हो सकता है।

सरकार को गलत काम करने के लिये कहना अच्छी बात नहीं है।

अब मैं चालू वर्ष के बारे में कहता हूँ। फरवरी 1970 में बम्बई में हुये नरेशों के सम्मेलन के पश्चात उन्होंने एक सार्वजनिक वक्तव्य जारी किया जिसमें विचार किया गया कि प्राथमिक आवश्यकता स्थायी सरकार की है। यदि राष्ट्र के कल्याणार्थ किसी रूप में समाजवाद का सर्वोत्तम रूप स्वीकार किया जाता है तो नरेश अपनी भूमिका अदा करने को तैयार हैं...... इस संदर्भ में गैर-सरकारी धन तथा आय का उपयोग सार्वजनिक हितार्थ न्यासों के रूप में किये जाने में कोई

कठिनाई नहीं होनी चाहिये......सम्मेलन में समाज सेवा के लिए न्यासों की स्थापना का एकमत से पक्ष लिया गया था ।

नरेशों द्वारा सामूहिक रूप से प्रधान मंत्री को पत्र लिखा गया जिसमें लिखा गया था कि प्रधान मंत्री के पहले के पत्र से नरेशों को विश्वास हुआ था कि इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई होगी । नरेशों ने हार्दिक रूप से आमन्त्रण का उत्तर दिया क्योंकि वे जानते थे कि उनका आदर होगा तथा मामले को शान्तिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकेगा । उसमें यह भी लिखा गया था कि जब प्रधान मत्री ने निर्णय ले लिया है तो वे भी अपनी पूरी कोशिश के साथ उसका मुकाबला करेंगे । पत्र में आगे लिखा गया था कि गत बीस र्षों में संघ सरकार तथा नरेशों के बीच जो सम्बन्ध रहे हैं उन्हें पारस्परिक सदभावना आदर से वर्णित किया गया है । भारत के इतिहास में एक उज्जवल अध्याय लिखा गया है । परन्तु अब लगता है इसका अंधकारमय अंत होना है ।

अब सदन को इस बात पर विचार करना है कि नरेशों द्वारा जो ये घोषणायें की गई हैं वे सहयोग तथा और आगे के त्याग की भावना रखती हैं अथवा नहीं ।

वैसे कम अथवा अधिक इस बात से नरेशों की प्रवृत्ति तथा उनके पक्ष पर ही कहा गया है परन्तु सदन के समक्ष जो मूल प्रश्न है, उनसे इन सब बातों का सम्बन्ध नहीं है ।

इससे पहले कि मैं सदन के मूल प्रश्न पर विचार व्यक्त करूं, मैं संक्षेप में सरकार की प्रवृत्ति पर चर्चा करता हूँ जिसे आश्चर्यजनक कहा जा सकता है । मैं सदन के समक्ष अपने प्रस्ताव पर भी विचार करूंगा । जब नरेशों ने सरकार से सहयोग करने की पूरी कोशिश कर ली और सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो नरेशों ने संविधान के अन्तर्गत इस वर्ष फरवरी मार्च में एक स्मरण-पत्र राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया कि वह इस प्रश्न को धारा 143 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी राय लेने हेतु भेजें ।

धारा 143 के अन्तर्गत 3 मार्च 1970 को जो स्मरण-पत्र दिया गया था जिसमें उन्होंने संविधान निर्माताओं द्वारा धारा 363 को सविधान में शामिल किये जाने की सूझ का उल्लेख किया था । इस धारा द्वारा संविधान निर्माताओं के इस प्रकार के मामलों में न्याय किये जाने के रास्ते खोल दिये । उन्होंने विवाद होने की सूरत में उसे सुलझाये जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए धारा शामिल कर दी । साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति के लिये भी विशेष कार्य निहित कर दिया ।

छः महीने पूर्व दिये गये इन स्मरण पत्रों का सरकार ने उत्तर देना भी ठीक नही समझा । आप सभी को ज्ञात है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के लगभग 70 सदस्यों ने अपने दल के नेता से उक्त मामले को सर्वोच्च न्यायालय में भेजने के लिए निवेदन किया था ताकि विश्व यह नहीं समझे कि सत्तारूढ़ दल तथा इसकी सरकार न्याय का उपहास करेगी । मैं उन माननीय सदस्यों का आदर करता हूं । अब सदन इस बात का निर्णय करे कि नरेशों के साथ समझौता करने में सरकार का कार्य उचित रहा है अथवा उसका कार्य सुलहपूर्ण नहीं रहा है ।

धारा 143 के अन्तर्गत सदन के समक्ष जो मेरा प्रस्ताव विचाराधीन है उसके लिए वही आधार हैं जो 3 मार्च, 1970 के स्मरण-पत्र में उल्लेखित हैं। वह संक्षेप में इस प्रकार हैं: धारा 143 की मीमांसा, विशेषतया जब उसे धारा 131 तथा 363 के साथ पढ़ा जाता है तो, इस प्रकार की जाती है कि यह धारा जटिलता तथा विरोधाभास उत्पन्न होने पर न्यायाधीशो के मार्ग दर्शन को प्राप्त करने के लिए है।

जो विवाद विधायिनी तथा न्यायपालिका में होते रहते हैं उन्हें हटाया जाना चाहिये।

समाज के लिए जो मूल बातें हैं और जिनका राष्ट्रीय विधान संरक्षक है उन पर चर्चा करता हूँ।

प्रथम बात विश्वास है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के शब्दों पर विश्वास करता है, तथा दूसरा व्यक्ति पहले के शब्दों पर विश्वास करता है तो यह कार्य हमारी संस्कृति का लक्षण है। यदि राज्य स्वय दिये गए वचनों को तोड़ता है तो किस पर विश्वास किया जाएगा ?

दूसरी बात सम्मान की है। सत्ता विहीन नरेशों का ही यह अनादर नहीं है वरन् संसद्, देश की सरकार और भारतीय जनता का अपमान है।

तीसरी बात न्याय की है। नरेशों को संविधान के अन्तर्गत जो विशेष श्रेणी मिली है तथा उनके न्यायलयों में जाने पर प्रतिबन्ध है तो जब उनसे अधिकारों को हटाया जा रहा है और प्रतिबन्ध को नहीं हटाया जा रहा है तो वे न्याय के लिए कहां जाएंगे। यदि राज्य स्वयं कानून का अल्पीकरण करता है तो वह इसे लागू कैसे करेगा।

अब संसद् जब न्याय करने के लिए है जहां विधायिनी शक्ति के रूप में उसे कम तथा राष्ट्र के प्रतिनिधियों की संविधान सभा के रूप में अधिक न्याय करना है। उसे निष्पक्ष होकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कार्य करना है क्योंकि वह राष्ट्र के सम्मान, कानून तथा न्याय की सर्वोच्च संरक्षक है।

17 अक्तूबर, 1949 को जब संविधान सभा का कार्य समाप्त हो रहा था तो आज सदन में उपस्थित आचार्य श्री कृपालानी ने कहा था कि आज जो हमने प्रतिज्ञा की है वह न केवल कानूनी, सवैधानिक और औपचारिक सिद्धान्त ही है अपितु वे नैतिक सिद्धान्त है और यदि संविधान को सफल बनाना है तो उन्हें कायम रखना होगा।

मैं राष्ट्रपति महोदय को दिये गये स्मरण-पत्र के उन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं जिनमें हमने उनमें विश्वास व्यक्त किया था।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : महोदय, जब तक हम संविधान की निजी थैलियों तथा विशेषाधिकार से सम्बन्धित धारा में संशोधन नहीं कर लेते हैं तब तक मुआवजा देने संबंधी कानून नहीं बना सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि संविधान (संशोधन) विधेयक पारित करने तथा धारा 291 तथा 362 हटाने के बाद नरेश संधि नहीं करने का कार्य नहीं करेंगे।

जब संविधान बनाया गया था तो बहुत से नरेशों ने संविधान सभा में भाग लिया था।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यदि नरेश स्वेच्छा से संविधान सभा में शामिल नहीं होते तो एकीकरण ही नहीं होता। कुछ उदाहरणों के अलावा मैं सदन में कहता हूँ कि उनके लिए राजनैतिक अनिवार्यता थी जिसके कारण उन्हें संविधान सभा में शामिल होना पड़ा तथा एकीकरण के लिए कार्य करना पड़ा।

अंग्रेजों के प्रस्थान के साथ ही अधीश्वरता समाप्त हो गई। यहां तक कि कुछ नरेशों ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया परन्तु चूंकि अंग्रेजों के हाथ में अधीश्वरता थी अतः वे उनमें उनसे लड़ने की शक्ति नहीं थी। प्रभुता भी अधीश्वरता से उच्च थी। वास्तव में देश में अमन चैन बनाये रखना अंग्रेजी सरकार का कर्त्तव्य तथा अधिकार था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय रियासतों का स्थान नहीं था। राजनैतिक अनिवार्यताओं के कारण नरेशों को भारत संघ में शामिल होना पड़ा।

उस समय के भारत के लोगों की जो सामाजिक स्थिति थी उसका अवलोकन पंडित नेहरू ने वर्ष 1939 में तैयार किए गये संकल्प प्रारूप में किया था कि अंग्रेजों द्वारा विदेशों में तथा भारत में गरीब लोगों द्वारा मुश्किल से कमाये गये पैसे द्वारा भोग विलास किया जाता था। इस बात को सभ्य नागरिक अधिक सहन नहीं कर सकता है।

प्रश्न यह है कि क्या हमें समय के अनुसार नहीं बदल जाना चाहिये ? मेरे विचार में जब समाज स्थिर नहीं रह सकता तो हमें भी समय में परिवर्तन के अनुसार बदला जाना चाहिये। हमें बदलते हुए समय के साथ चलना चाहिए। यही कारण है कि सरकार ने भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियां तथा विशेषाधिकारों को समाप्त करने का निर्णय किया है। लाखों लोग भूख तथा गरीबी से पीड़ित है। क्या ऐसी स्थिति में हमें कुछ लोगों की निजी थैलियां तथा विशेषाधिकार देने चाहिए। कुछ विशेष लोगों को विशेशाधिकार तथा निजी थैलियां देना न्याय नहीं है।

जहां तक संसद् सदस्यों को मिलने वाले विशेषाधिकारों का सम्बन्ध है इनकी तुलना भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों से नहीं की जानी चाहिये क्योंकि संसद् सदस्यों को कुछ कर्त्तव्य भी निभाने होते हैं अतः उनके विशेषाधिकारों की कुछ उपयोगिता भी होती है। अतः भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियों तथा विशेषाधिकारों का समाप्त किया जाना स्वभाविक ही है।

मैं नरेशों से अपील करना चाहता हूं कि वे बातचीत का दरवाजा बन्द न करें और बातचीत द्वारा कोई हल निकालने का प्रयास करें। प्रधान मन्त्री इस मामले पर बातचीत करने को तैयार हैं। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री अ० डांगे (बम्बई मध्य दक्षिण) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। इसको 21 वर्ष पूर्व लाया जाना चाहिए था।

आज की परिस्थितियों में यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती कि जिस प्रकार चांद और सूर्य का कोई प्रारम्भ तथा अन्त नहीं है इसी प्रकार नरेशों की थैलियों अथवा विशेषाधिकारों का कोई अन्त नहीं हो सकता। यह बात सौ वर्ष पूर्व स्वीकार की जा सकती थी परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में यह स्वीकार्य नहीं है। अनेक शासन तलवार के जोर पर ही स्थापित हुए थे।

यदि आज हम हिंसा की निन्दा करते हैं तो हमें इन शासनों की भी निन्दा करनी चाहिए। यह सच है कि कुछ नरेश ने विदेशी आक्रमणों का मुकाबला किया तथा मातृ भूमि की रक्षा की। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि जब अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण शुरू किया तो कुछ नरेशों ने बिना किसी लड़ाई के प्रारम्भ में ही आत्म समर्थन कर दिया था। अतः वे नरेश अब इस देश से इस बात की आशा नहीं रख सकते कि उनको उनका प्रभुत्व लौटाया जाए अथवा उन्हें मुआवजा दिया जाए।

हमें इस बात को भी याद रखना है कि इसी संविधान के अंतर्गत जमींदारी को भी समाप्त किया जा चुका है।

पिछले 20 वर्षों से एकाधिकार का जमाव हो रहा था। परन्तु निदेशक सिद्धांतों के अन्तर्गत हमने कार्यवाही की और एक कानून पास किया है जिसमें एकाधिकार के विकास के अधिकार को समाप्त किया गया है।

यद्यपि अस्पृश्यता अभी भी विद्यमान है तथापि हम इसे सिद्धान्त रूप में समाप्त कर चुके हैं। अतः इन बातों से पता लगता है कि इस संविधान के अन्तर्गत हम सामाजिक क्रान्ति ला चुके हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हम नरेशों में कोई विभेद नहीं कर सकते। क्या हम उदयपुर के नरेश को जिसने अपने पूर्वज श्री राणा प्रताप की शपथ को अब तक निभाया है कोई विशेष सम्मान दे सकते हैं ? अतः नरेशों में कोई विभेद नहीं किया जा सकता।

तीसरा प्रश्न यह भी है कि इन नरेशों ने 1857 के युद्ध में क्या व्यवहार किया था ? मेरे विचार में रानी झांसी तथा बहादुरशाह जफ्फर को छोड़ कर अधिकांश नरेशों ने देश के साथ धोखा किया था। अतः उनका यह दावा कि उन्होंने देश की सेवा की है गलत है कुछ नरेश अवश्य ही प्रगतिशील सिद्ध हुए थे। इस सम्बन्ध में महाराजा बड़ौदा की सेवाओं को नहीं भुलाया जा सकता। मैसूर के महाराजा ने भी कुछ प्रगतिशील कदम उठाये थे। इसी प्रकार अन्य भी कुछ नरेशों ने अपनी शक्तियों के अन्तर्गत रह कर कुछ प्रगतिशील पद उठाये थे।

अंग्रेजों ने हमारे देश को स्वतंत्र किया परन्तु इसको दो भागों में बांट दिया। इसके बाद उन्होंने नरेशों को स्वतंत्र रहने के लिए उकसाया। अंग्रेजों ने प्रभुत्ता के सिद्धान्तों को लागू किया ताकि हमारी स्वतंत्रता छिन्न-भिन्न हो जाए। उस समय इन नरेशों ने भारत अथवा पाकिस्तान में मिलने के बजाए समूचे देश में लगभग छः सौ रियासतें बनाने का प्रयास किया। यह सच है कि इस समस्या को सरदार पटेल ने हल किया परन्तु जिस ढंग से उन्होंने इस समस्या को हल किया उससे हमारा मतभेद था। यदि इस समस्या को क्रान्तिकारी ढंग से हल किया जाता तो अनेक नरेशों का अन्त वैसा ही होता जैसा लुयस चौदह अथवा चार्लस एक का हुआ था। परन्तु सरदार पटेल ने इन लोगों को निजी थैलियां दे कर वास्तव में खरीद लिया। सरदार पटेल ने उनको यह भी कहा कि नरेश अपने महल तथा किले आदि भी अपने पास रख सकते हैं। वास्तव में सरदार पटेल ने नरेशों को अपनी रियासतों में प्राप्त होने वाले राजस्व को निजी थैलियों का रूप दे दिया था। अतः इस प्रकार सरदार पटेल ने अपने ढंग से इस समस्या को हल किया था। अब

प्रश्न यह है कि क्या इन नरेशों ने स्वयं को भारतीय धारा में मिलाया है अथवा नहीं। आपकी राय यह है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इनमें से कुछ नरेश देश की सेवा कर रहे हैं। उनमें से एक हमारे पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री हैं। परन्तु सभी के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। अत: मेरा निवेदन यह है कि सरदार पटेल ने देश निर्माण तथा देश को सुदृढ़ करने के लिए उनकी सेवाओं को किराये पर लिया था। अब देश सुदृढ़ हो चुका है और नरेशों की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अतः उनको मुआवजा देने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। अत: अब हमें निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार इनकी निजी थैलियों तथा विशेषाधिकारों को समाप्त करना है। क्या इन लोगों को निदेशक सिद्धान्तों, लोकतन्त्र के विकास जमींदारी की समाप्ति तथा एकाधिकार की समाप्ति का विरोध करने के लिए हमें मुआवजा देना है। ये लोग किसानों के आन्दोलन का विरोध करते हैं। अत: मैं प्रधान मन्त्री के वक्तव्य के इस भाग से सहमत नहीं हूं कि इनको मुआवजा दिया जायेगा। निजी थैलियों तथा विशेषाधिकारों की समाप्ति से इन लोगों को कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। अत: यदि हम लोकतंत्रात्मक क्रान्ति का विकास करना चाहते हैं तो हमें यथासम्भव शीघ्र इस विधेयक को पास करना होगा।

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh) : The House should consider the arguments put forth by Shri Morarji Desai others very carefully. Shri Morarji Desai is not opposing. the abolition of privy purses and privileges of the ex-rulers in principle but he is opposing the manner and way this Bill has been presented in the House. Both the Congress (R) and Congress (O) parties have framed the resolution for abolishing the privy purses and privileges of the ex-rulers in their respective annual conferences.

It has been our continuance endeavour to improve political, social and economic conditions of our country since independence. We have also tried to remove all sorts of disparities. But the fact is that these disparities are still very much there. But the politically awakened people are now not going to tolerate all these things. In this connection I may also state that hon. Members of this House has vehemently recented the demand of a separate flag by the Chief Minister of a State. May I know whether it is not a fact that more than five hundred ex-rulers are still having their own separate flags on their cars and Bunglows ? If the hon. Members feel that the duly elected Government of any State have no right for hoisting a separate flag over their Bunglows and Cars then I may say that we should appreciate the demand of people of abolishing the privy purses and privileges of the ex-rulers. We are paying crores of rupees to the ex-rulers in the form of privy purses in addition to free supply of water and electricity. They are also not paying any certain duty. They are not being changed excise duty for petrol.

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : I rise on a point of order. In this country we have separate flags for political parties, religion organisations and even some enjoy the privilege of having personal flags. But national and political flag should be one. The personal flags of the ex-rulers cannot be termed as national flag.

उपाध्यक्ष महदय : इस बारे में सबकी अपनी-अपनी राय है।

Shri Chandra Jeet Yadav : So far as the question of abolishing this privy purses and privileges of the ex-rulers is concerned we are not taking any step in haste. The resolution to this effect was passed on the 25th June, 1967 by the All India Congress Committee. The Government should have brought this Bill soon afterwards. But as the hon. Prime Minister has stated the Government wanted to settle that issue amicably and through negotiations. Shri Morarji Desai in the capacity of Deputy Prime Minister and

Finance Minister himself conducted the unsuccssful negotiations with the ex-rulers. Even Shri Chavan tried to pursuade the ex-rulers but his efforts had no fruit. It is, therefore, not correct to say that the Bill has been brought in haste. The time has changed and we have to act according to this changed atmosphere.

Shri Morarji Desai wanted to delete the Article 363 of the Constitution. So that the ex-rulers may knock at the door of the Supreme Court. May I state that this discrimination even today. One cannot file a case against any ex-rulers for this misdeeds.

The Britishers wanted the ex-rulers to become independent. Some ex-rulers came forward at their own and merge there States in the Indian Union. The other States were got merged by our leaders through thier statesmanship We are proud of those rulers who abandoned their rights at that time. The hon Prime Minister has also made a mention of it in her speech.

The people are raising their voice to end discrimination between man and a man. We must appreciate their feeling. This Bill has been brought forward keeping in view this feeling of the people.

Shri Atal Bihari Vajpayee : In some of the newspapers published from New Delhi, an advertisement has appeared depicting a photograph of a person whose face is not visible. It has been stated therein that that person gets an annual income amounting to Rs 4.48.000 and his income is 848 times more than an ordinary citizen and two and a half times more than that of any senior executive of any company ? He is not a prince, but claims to be the servant of the people. He belives in socialism. When princes are being abolished, what is the sense in allowing these new princes to avail of privileges ?

There is a talk of big changes going on. Shri Chavan has said that the concept of kingship, privy purses and privileges to princes do not conform to the social set up based on equality. The Constitution of India was framed in 1950 by the fighters of freedom. Now those very provisions are being removed. The privy purses and the privileges were allowed to be enjoyed for twenty years. The socialism was revealed all of a sudden in 1967 elecsions, when Congress was thrown out of power in 9 States. I am also a supporter of change, but process of change should be linked with the tradition. The future generations would remember Sardar Patel and respect those rulers as well, who merged their States in the Union of India.

Is it the demand of the people that privy purses and other privileges of ex-rulers be abolished ? The same public have elected those ex-princes to this house. Rajmata Scindia of Gwalior had challenged the Government to take a referendum of the people residing in those ex States. Even now the ex-princes are more popular than the contemporary leaders.

I admit that there is a need for a change, but there should be a process for a change The Government should have come to a settlement with the ex-princes for abolition of privy purses and other privileges, but to say there is nobody to pursuade them to do so. The Government paid privy purses for the last twenty years, because till 1967 the ex rulers sided with the Congress. When they bentured to oppose the Congress, a slogan of socialism and need for change is being raised.

It is a matter of Rs. 4 crores only. The Prime Minister is agreeable to pay some sort of compensation, through Shri Dange does not like it. Today privy purses is being abolished at the instance of Shri Dange, tomorrow there would be pressure on the Government on the question of compensation. In an attempt to gain cheap popularity, the Prime Minister would lose her office in future.

The negotiations were going on with the ex-rulers and the ex-rulers were ready to come to a settlement, but there cannot be a agreement under threats. It is not a democratic method.

If somehow this bill is passed by this House, all the power would be concentrated in the hands of the Prime Minister who is holding Home portfolio as well. She would have negotiations with the ex-princes on the question of the amount of compensation to be paid to them. I fear that political capital would be made out of it and, hence, it is politically motivated. If this House would have been taken into confidence on the question of compensation, it would be rather difficult to get this bill passed.

The integration of India in one single Union was possible only on account of co-operation of all the ex-rulers. Jammu and Kashmir is a part of India. Only because of signature of one ruler on the instrument of occassion. The agreements with the ex-rulers cannot be revoked unilaterally. What would be reaction of Sikkim and Bhutan of revocation of these agreements.

When the States were merged the rulers could have sought more facilities and privileges for them, but they did not do so. The Maharaja of Gwalior had paid Rs. 50 crores in cash at that time. Today his patriotism is being challenged. The history would assess their cooperation and contribution at that time.

This matter can still be solved through a negotiated settlement. There should be a proper atmosphere for negotiations. The ex-rulers cannot be asked to sacrifice in an atmosphere of threat and fear. This bill would have to be rejected so that negotiations could start afresh.

When the privy purses and the privileges of the ex-princes are being abolished why should they not be allowed to take their matter to the Supreme Court. Every citizen of this country is free to go to any Court. It seems that there is a purpose of gaining cheap popularity and to punish the ex princes.

So far as amount of the privy purses is concerned, it is reducing year by year. Every death reduces the amount of the privy purse. This short amount of four crores of rupees is not going to solve all the problems of the country,

These cheap and hollow matters are being raised only to hide the failure of the Government to bring about basic changes. This is not going to strengthen our democracy.

The Members of this House should ask their conscience whether to support this bill or to oppose it. If there is any conscience, it would not work at the instance of the Prime Minister. I hope this bill would be thrown away by this House.

Shri Raj Deo Singh (Jaunpur) : Though I do not belong to a very rich family, but I have to pay Rs. 100 at road tax for my car, whereas Raja Karni Singh who is many times more richer than me is not required to pay even a single paisa. Such a double citizenship should not be allowed to exist in a democracy.

Before 1947, there were hundreds of flags in this country. In 1947, there was one national flag. There was two fifth of total population in the ex-States. There were movements in those States also to have a democratic rule.

In 1857, some of the States took part in the movement, but there was no feeling of patriotism whatsoever. They felt harassed by the doctrine of lapse. Their motive was to regain their States. There was no patriotism at all.

The half of the total population has to sustain on a sum of less than fifty paisa daily. Are these ex-princes poorer than the ordinary citizen. They have not to pay even their electricity bill.

There was no doubt franchise, when the constituent assembly was framed. The one-tenth of total population hardly had a boting right. The representatives for the constituent assembly were elected through the assemblies. If there would have been a provision of opinion poll after a period of ten years, ninty percent of the people would have been in favour of this bill. This bill has come up too late.

If Sardar Patel were alive today, we would have strongly supported this bill. The Prime Minister has provided us an occasion to remove a slur on our constitution. Two types of citizenship cannot be allowed to function in our poor country If we write name and address on our car, we would be challaned. but Maharaja Karni Singh can have. If anybody is crushed by his car, no action would be taken against him, whereas we would arrested forthwith.

I support this bill whole heartedly. We should not forget that we are representing here these people who do not have house to live in and shoes to put on. This double citizenship should be abolished forthwith.

श्री सेभियान (कुम्बकोणम) : सविधान संशोधन विधेयक जनता और संसद की गलभग सभी पार्टियों की बहुत लम्बे अर्से से उठाई जा रही मांग के समर्थन में लाया गया है। राजाओं को प्राप्त विशेषाधिकारों और प्रिवी पर्स को समाप्त करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत करने की सरकार का संसदीय दायित्व था, क्योंकि 19 दिसम्बर, 1969 को राज्य सभा में एक संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जिनमें जनसंघ और स्वतंत्र पार्टियां भी शामिल है।

कुछ सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रश्न पर जनता की राय मालूम करनी चाहिए। श्री वाजपेयी का यह प्रस्ताव है।

कांग्रेस (संगठन) के राज्य सभा में उप-नेता ने राज्य सभा में कहा था कि नरेशों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं है। विरोधी पक्ष के नेता डा० राम सुभग सिंह ने 6 दिसम्बर को पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक के बाद सवाददातओं से बातचीत करते हुए कहा था कि "प्रिवी पर्स के बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निदेश को कार्यान्वित करने के लिए हम सरकार पर दबाव डालते रहेंगे।"

उन्होंने कहा कि प्रधान मन्त्री के कथाकथित प्रगतिशील कार्यक्रमों को शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिए। मगर जब प्रधान मंत्री ने उस के लिए कदम उठाया, तो इन्होंने उसका विरोध किया। अब वे कहते हैं कि हम भी यह चाहते हैं कि राजाओं की निजी थैली समाप्त की जानी चाहिए, मगर जिस ढग से विधेयक लाया गया, उसका हम डट कर विरोध करेंगे। श्री मोरारजी देशाई ने कहा कि यह विधेयक एक धोखा है। पता नहीं वह यह क्यों कहते हैं। एक ओर वे चाहते हैं कि निजी थैली तथा अन्य विशेषाधिकार समाप्त किये जाने चाहिए। और दूसरी ओर वे इसका विरोध करते हैं। अब एक बात स्पष्टतः मालूम हो जाती है। ये लोग इसी लिए इस का विरोध करते हैं क्योकि उक्त विधेयक प्रधान मन्त्री ने प्रस्तुत किया है। हम जानते हैं कि वे प्रधान मन्त्री का किस प्रकार विरोध करते हैं मगर उन के आपसी झगड़े से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। सदन ने सरकार को निदेश दिया है कि इस कदम को शीघ्र ही क्रियान्वित किया जाए। अगर सरकार उस से पीछे हट जाती है, तो वह अपने उत्तरदायित्व को निभाने में असमर्थ सिद्ध होगी।

भूतपूर्व नरेशों के बलिदान के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि उन्होंने 12000 मील लम्बी रेल रोड और प्रतिवर्ष 70 करोड़ रुपये की आय सरकार को छोड़ दी है। मगर वे रेलवे को लेकर क्या कर सकते थे ? क्या वे इस को अपने महलों के

अन्दर ले जा कर उस में बन्द कर सकते थे ? देश किसी शासक की निजी सम्पत्ति नहीं है । अतः यह कहना गलत होगा कि 70 करोड़ रुपये या रेलवे उन राजाओं के थे । ये राजा लोग धीरे-धीरे भारत के सामाजिक जीवन की धारा में घुल मिल जा रहे हैं । इन में से कई राजनैतिक नेता बन गये, कई बड़े व्यापारी बन गये और कई बड़े शानदार होटलों के मालिक बन गये ।

चर्चा के दौरान कईयों ने कहा कि इस के द्वारा संवैधानिक औचित्य का हनन किया जा रहा है । संविधान में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि निजी थैली हमेशा दी जाती रहेगी । 1950 में एक राजनैतिक स्वभाव का समझौता किया गया था । वह ठीक है मगर इस को शाश्वत रूप दिये जाने का कोई प्रस्ताव उस में नहीं है । जब राजनैतिक परिस्थितियां बदल जाती है, तो राजनैतिक समझौते भी बदल जाते हैं । यहां कई माननीय सदस्यों ने कहा कि राजाओं को शाश्वत रूप से निजी थैली दी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने अधिकार और सब कुछ देश के लिए छोड़ दिये । उन्होंने महान बलिदान किया । कईयों ने महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की बात कही । जब राजाओं ने इतना बड़ा त्याग और बलिदान किया है तो वे चन्द रुपया क्यों नहीं छोड़ सकते जो कि उन्हीं की राय में बिलकुल अपर्याप्त एवं नगण्य है ? एक बात और है । कई राजा ऐसे हैं जिन्हें 20 लाख रुपये मिलते हैं। और एक राजा को केवल 292 रुपये मिलते हैं । जिन्हें गत बीस वर्षों से 20 लाख रुपये मिलते रहे उन्हें अब बहुत मिल चुके । अब उन्हें अगर निजी थैली समाप्त कर दी जाती है, तो दुःखी नहीं होना चाहिए । जिन्हें केवल 29 ' रुपये मिलते हैं, वे आसानी से उसे छोड़ सकते हैं क्योंकि इससे उन्हें कोई बड़ी भारी हानि नहीं होगी । अतः इस मामले में चिंता करने की कोई बात नहीं है ।

सरकार के नैतिक दायित्व के बारे में भी कई सदस्यों ने कहा क्या सरदार पटेल और उनके सहायक श्री वी० वी० मेनन यह चाहते थे कि निजी थैली शाश्वत रूप से दी जानी चाहिए ? नहीं श्री वी० पी० मेनन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह निजी थैली इसलिए दी जा रही है ताकि ये राजा लोग आधुनिक सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे के अनुकूल अपने को ढाल सकें । इस कार्य के लिए उन्हें 20 वर्ष का लम्बा समय दिया जाय। अब तक वे अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल ढाल सकते थे । जिन राज्यों के वे एक समय शासक थे । वे राज्य अब न रहे । परिस्थितियां बदल गई । एक नई सामाजिक व्यवस्था कायम हो गई ।

निजी थैली के अलावा कई विशेषाधिकार इन्हें दिये जाते हैं । ये आधुनिक समाज में बेहद हास्यास्पद लगते हैं । कोई समझदार आदमी इसको सहन नहीं करेगा । इन राजाओं और उन के परिवारों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें दी जाती हैं । उनके महलों में सशस्त्र पहरेदारों को तैनात किया जा सकता है । उनके महलों को स्थानीय करों से छूट दी गई है उनके कारों को पंजीयन शुल्क से मुक्त कर दिया गया । उन्हें गाड़ी चलाने की लाइसेंस मुफ्त में दी जाती है । उन्हें सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया है उन्हें शिकार खेलने, मछली पकड़ने और गोली चलाने का अधिकार दिया गया है । माननीय सदस्य श्री वाजपेयी ने कहा कि मंत्रियों को भी लवाजमातें दी जाती हैं । हर प्रकार की लवाजमात का हम विरोध करते हैं । कुछ राजाओं को अपने महलों में और अपनी रियासतों में पानी और बिजली मुफ्त में

दी जाती है। उन्हें डाक व तार सम्बंधी सारी सुविधायें दी जाती हैं। यहां तक कि उन्हें मुफ्त में रेडियो लाइसेंस भी दी जाती है।

ये सारी चीजें सामंती समाज में ही चलेंगी। प्रजातांत्रिक समाज में हम इन विशेषाधिकारों की कल्पना ही नहीं कर सकते। प्रजातांत्रिक समाज में व्यक्ति और समाज के बीच एक समझौता है कि व्यक्ति कहां तक समाज के लिए लिए लाभकारी होगा। हम चाहते हैं कि भूतपूर्व नरेश असलियत को समझेंगे और बदली हुई परिस्थिति के अनुकूल अपने को ढाल देंगे। श्री बलराज मधोक दूसरों का भारतीयकरण करना चाहते हैं। सब से पहले वे इन राजाओं का भारतीयकरण करें और उन्हें प्रजातांत्रिक भारत के नागरिक बनायें।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय ले रहा है। मैं चाहती हूं कि सारे माननीय सदस्य अपने दलगत हितों से ऊपर उठकर और इसे एक ऐतिहासिक एवं क्रान्तिकारी कदम समझकर इस का स्वागत करें। यह हमारे देश की राजनैतिक और आर्थिक मुक्ति एवं समता पर आधारित समाज के निर्माण के प्रयत्न में एक महत्वपूर्ण कदम है। अतः यह हमारे लिए अत्यन्त महत्व का विषय है।

श्री वाजपेयी जो कि देश का महान नागरिक है, ने कहा कि हमने 1967 तक इसको समाप्त नहीं किया। तो इतनी जल्दोबाजी क्यों है ? मैं उन से निवेदन करती हूं कि वे देखें कि इस देश की क्या हालत हो रही है। देश में हिंसा बढ़ती जा रही है, आर्थिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा हो रही है। समय रहते अगर हम इस को ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं तो हमारा देश साम्यवादियों और हिंसा में विश्वास रखने वाले अराजक तत्वों के चंगुल में फंस जायगा। यह हमारे देश के प्रजातांत्रिक ढाचे को अस्त व्यस्त कर देगा। अब मैं माननीय सदस्यों से अपील करती हूं कि वे अपने दलगत विचारों को छोड़कर इस मामले में सरकार का साथ दें।

इस मामले को लेकर सदन में दो गुट बने हैं। कई लोगों ने राजाओं के लिए आवाज उठाई। मैं उन लोगों में नही हूँ जो कहते हैं कि राजा लोग बुरे हैं और उन्होने कोई बलिदान नहीं किया है। मैं यह दृढ़ रूप से मानती हूँ कि राजाओं ने अपने देशप्रेम का उज्वल परिचय दिया है। मगर उसी समय हमें देश की गरीबी से भी लड़ना है। अतः हम जनता की अभिलाषा और दल की नीति के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सकते हैं।

यह विधेयक कुछ अन्य तरीके से लाया गया होता, तो मैं जरूर खुश होती। मैं यह नहीं चाहती कि जो पवित्र करार हैं, उनको एकदम रद्द कर दिये जाएं। मैं उन्हें पवित्र मानती हूं। मगर हमें ऐतिहासिक संदर्भ को भी ध्यान में रखना चाहिए तीन सालों के विचार विमर्श के बाद हमने यह निर्णय किया है। मैं मानती हूँ कि अब भी समय है जबकि माननीय सदस्य अपने दलगत हितों से ऊपर उठकर इस कदम का स्वागत कर सकते हैं और राजा लोग जो देश की सुरक्षा की लड़ाई में हमेशा सबसे आगे रहे हैं, अपने हृदय की विशालता का परिचय दें। प्रधान मंत्री ने पहले से ही इनसे पत्र व्यवहार करना शुरू किया था। मगर मैं दुख के साथ कहती हूं कि राजाओं का जवाब वैसा नहीं था जिसकी उनसे आशा की गई थी। आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की बात मामूली आदमी भी समझ सकता है। हमें यह मानना पड़ेगा कि राजाओं का भी अपना अस्तित्व

है । मगर श्री वाजपेयी ने जो कहा, वह मेरी समझ में नहीं आ रही है । वैसे ही श्री मोरारजी देसाई ने जो हमारे प्रतिष्ठित राजनैतिक नेताओं में से हैं, कहा कि यह एक धोखा है, विश्वासघात है । तीन साल पहले अविभक्त कांग्रेस के सम्मेलन में इन सारे नेता लोगों ने निजी थैली समाप्त करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था । उस समय इसके विरोध करने की हिम्मत इनमें नहीं थी । विपक्षी नेता डा० रामसुभग सिंह ने कहा था कि हम अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन के निदेशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार पर जोर डालेंगे । क्या जोर डालने का तरीका यह है ? आज देश में आवश्यकता कार्यान्वियन की है । हमारे देश का युवावर्ग बहुत अधिक निराश है । देश खतरे की ओर बढ़ रहा है । हमें कुछ न कुछ करना चाहिए ।

मैं श्री निजलिंगप्पा के कथन की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करती हूं । उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि राजाओं की निजी थैली समाप्त कर दी जानी चाहिए मगर जब प्रस्ताव लाया गया, तो पता नहीं वे क्यों उसका समर्थन नहीं करते । उनके दल की इस नीति से मुझे आश्चर्य होता है । हम देश की आवाज सुनते हैं । करोड़ों जनता की आवाज सुन रहे हैं । हम जो कार्य कर रहे हैं वह देश के व्यापक हित में है । आज ये जो लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं, यह उन पर भी लागू होती है ।

भारतीय साम्यवादी दल के नेता श्री डाँगे ने कहा कि क्षतिपूर्ति नहीं दी जानी चाहिए । यह दलील मैं समझ सकती हूं क्योंकि उनका दल 'छीनने' के सिद्धांत में विश्वास रखता है । मगर हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और लोकतन्त्र में समझौता और सहिष्णुता होती है । मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री ने क्षतिपूर्ति देने का निश्चय किया । अंत में मैं माननीय सदस्यों से फिर एक बार विनती करती हूं कि वे दलीय हित से ऊपर उठकर इसे एक राष्ट्रीय मामला समझें और विधेयक का समर्थन करें ।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है । मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि ऐतिहासिक अवसरों के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण चाहिए । जब ऐतिहासिक दृष्टिकोण ही नहीं है, तो फिर अवसर का सवाल ही नहीं उठता ।

लगता है कि हम 1947 के इतिहास को भूल गये । एक समय देश बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा था । उस समय देश में कहीं भी जान माल की सुरक्षा नहीं थी । अंग्रेजों ने फूट डालने की अपनी नीति से न केवल भारत और पाकिस्तान की सृष्टि की, बल्कि उनका लक्ष्य भारत में से प्रत्येक राज्य को अलग करना था । उस समय श्री वल्लभाई पटेल की बुद्धिमत्ता और श्री वी० पी० मेनन की कुशलता के कारण ही देश बर्बाद होने से बच गया । उस समय अगर देश की एकता संपन्न न हुई होती, तो संविधान का निर्माण असंभव हो जाता ।

राजालोग देशप्रेमी थे या नहीं । इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ । श्री डाँगे तक ने मान लिया कि राजा लोग देशप्रेमी थे । मगर यहां सवाल दूसरा है । हमने उन्हें वचन दिया । न कि संविधान सभा ने । करार भारत सरकार और नरेशों के बीच था, भारत के नागरिकों के साथ नहीं था । नरेश स्वतन्त्र थे । वे स्वतन्त्र रह सकते थे । कोई उनसे अधिकार जबरन

छीन नहीं सकता था। अगर उन्होंने कुर्बानी न की होती, तो देश की हालत बहुत बिगड़ी हुई होती।

अब जो संशोधन लाये गये हैं, उनके द्वारा राजाओं का अधिकार और उनकी निजी थैली समाप्त नहीं की जा सकती। संविधान में केवल सरकार और नरेशों के बीच हुए करार को मान्यता दी गई है। करार जब किया गया, तब संविधान नहीं बना था। यह करार का समझौता सरकार और कुछ प्रभुत्व संपन्न लोगों के बीच हुआ था। अतः यह अन्तर्राष्ट्रीय नियम की परिधि में आता है। यह संविधान की बात नहीं है। संविधान में केवल यह बताया गया है कि क्षतिपूर्ति किस ढंग से दी जानी चाहिए। यह ठीक था या नहीं। सवाल यह नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समझौता भारत सरकार और कुछ ऐसे लोगों के बीच हुआ जो भारत के नागरिक नहीं थे। अतः यह मामला न्यायालय के निर्णय के लिये छोड़ा नहीं जा सकता। न्यायालय इसमें कुछ नहीं कर सकता। संविधान में यह बात कही गई है। अतः निजी थैली सदन की चर्चा का विषय नहीं है। सरकार को यह याद रखना चाहिये। यह राशि भारत की संचित निधि में से दी जाती है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर सरकार संविधान का प्रावधान निकाल रही है, तो वह उसके साथ राजनैतिक नैतिकता से भी हाथ धो रही है। यहां ये लोग समाजवाद के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं, मगर वे किसी भी काम करने के पहले ज्योतिषियों की सलाह लेते हैं। यह भी क्या समाजवाद है?

मुझे पता लगा कि हर मंत्री के लिए प्रतिवर्ष 1,50,000 रुपए खर्च होते हैं। हम समाजवाद की कसमें खाते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि निजी थैली इसीलिए समाप्त की जा रही है क्योंकि वे समाजवाद लाना चाहते हैं। कोई भी सरकार अपनी किसी संधि या समझौते को तोड़ सकती है इसमें कोई भी एतराज नहीं कर सकता। इसके लिए यह विधेयक सदन में क्यों लाया गया? इसके हाथ में सत्ता है, ये कर सकते हैं। हम मानते हैं कि सरकार अब यह जो कार्य कर रही है वह उचित नहीं है। तो मत देने या न देने के लिए हमें इसमें क्यों घसीट के लाया जा रहा है जबकि वह खुद यह कार्य कर सकती है? सरकार एक ही शब्द में कह सकती है कि निजी थैली समाप्त कर दी गई है अनुच्छेद 363 को बनाये रखने से क्या फायदा है? नरेश इस देश के नागरिक नहीं हैं और अन्य देश का भी नहीं। वे असल में त्रिशंकु में लटक रहे हैं। अगर वे भारत के नागरिक होते, तो उन्हें उच्चतम न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार मिल जाता। यह बहुत ही विचित्र बात है।

अगर ये अपने दल के आदेश को कार्यरूप में परिणत कर रहे हैं तो आज ही वे ऐसा करे। कोई कुछ नहीं कहेगा। इनके पास शक्ति है, मगर ये इसका प्रयोग न कर सारा दोष हमारे ऊपर मढ़ देना चाहते हैं। यह बेईमानी है। ये एक मक्खी को मारने के लिए हथौड़ा चाहते हैं। इतिहास में इसका कोई मिसाल नहीं मिलेगा।

लखनऊ में पुराने नवाबों को पेंशन मिलता है। यह रिवाज अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। सरकार उसको समाप्त नहीं करती, मगर वह इस निजी थैली को लोकतन्त्र, समाजवाद आदि के नाम पर समाप्त करना चाहती है। आखिर भारत का यह लोकतन्त्र, यह समाजवाद क्या है? यह धोखा है। यहां राष्ट्रपिता का अपमान किया जा रहा है, सुभाष बसु का अपमान

किया जा रहा है। ये लोकतन्त्र के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। इनके हाथ में सत्ता है। ये उस शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करते ? ये कायर क्यों होते हैं ? लोकतन्त्र और समाजवाद केवल नारों से नहीं आता। उसके लिए धीरता चाहिए। लोकतन्त्र जीने का एक ढंग है। समाजवाद जीने का एक ढंग है। इसका हमारे जीवन में अब तक कोई स्थान नहीं रहा है। इन लोगों में कई स्वयं आमूलचूल प्रगतिवादी और क्रांतिकारी होने का बहाना करते हैं। यह धोखाधड़ी क्यों है ? अगर इनकी हिम्मत है, तो ये संविधान का अनुच्छेद 363 निकाल दें। तब हम कम से कम समझ सकते हैं। मगर ये गुप्त रूप से, कायरतापूर्ण ढंग से संविधान के इस अनुच्छेद को निकालना चाहते हैं। हम उलझन में रहते हैं। साम्यवादी लोग देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। पश्चिम बंगाल में हम क्या देख रहे हैं ? देश में कानून भी नहीं, व्यवस्था भी नहीं है। बंगाल में ऐसा कोई पदार्थ बरामद किया गया, जिससे 5000 बम बनाया जा सकता है। और हमारे प्रधान मंत्री और गृह मंत्री कह रहे हैं कि बंगाल की स्थिति में सुधार हुआ है। हम क्या इस दुनिया में रहते हैं या अन्य किसी दुनिया में ? सचमुच यह सरकार किसी भयानक विभ्रम में पड़ गई है। इसीलिए यह सब कुछ हो रहा है।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 2 सितम्बर, 1970/11 भाद्र, 1892 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, the 2nd September, 1970/Bhadra 11, 1892 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers, 20 Darya Ganj, Delhi-6.